आज़ादी का अमृत महोत्सव

एन एस आई सी
N S I C

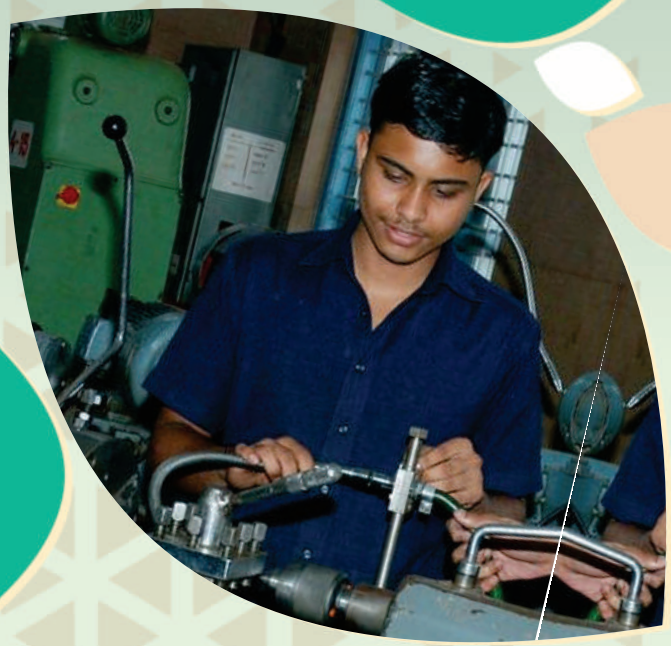
69वीं वार्षिक रिपोर्ट

2023-2024









एन एस आई सी
N S I C



विजन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
(एमएसएमई) सेक्टर के विकास
को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रमुख संगठन बनना।



मिशन

विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और सेवाओं
वाली एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर
को बढ़ावा देना और उसकी सहायता करना।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

क्र.सं.	विषय सूची	पृष्ठ
1.	कॉरपोरेट सूचना	02
2.	निदेशक मंडल	04
3.	अध्यक्ष महोदय का संदेश	08
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	11
5.	एकल वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	63
6.	एकल वित्तीय विवरण	109
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एकल वित्तीय विवरण	203
8.	समेकित वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	204
9.	समेकित वित्तीय विवरण	241
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण	336
11.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	337

सीआईएन नं. यू74140डीएल1955जीओई002481

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**डॉ.शुभ्रांशु शेखर आचार्य** (02 मई, 2024 से)
	श्री विपुल गोयल (01 जुलाई 2023 से 01 मई, 2024 तक)
	सुश्री मर्सी इपाओ (01 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 तक)
निदेशक	सुश्री मर्सी इपाओ, सरकारी नामित निदेशक
	श्रीमती समीरा सौरभ, सरकारी नामित निदेशक (07 नवम्बर, 2023 तक)
	सुश्री सिम्मी चौधरी, सरकारी नामित निदेशक (08 नवम्बर, 2023 से)
	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (यो. एवं वि.) (21 फरवरी, 2023 से)
	श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) (09 मई, 2023 से)
	डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक
	श्री कालंदी चरण सामल, स्वतंत्र निदशक
कंपनी सचिव	श्रीमती निष्ठा गोयल
संविधिक लेखापरीक्षक	मैसर्स अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार
शाखा लेखापरीक्षक	

क्रं.सं.	लेखापरीक्षक का नाम	क्रं.सं.	लेखापरीक्षक का नाम
1	मैसर्स अरूण कु. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	13	मैसर्स विनायक टंडन एण्ड एसोसिएटस, इलाहाबाद
2	मैसर्स जिंदल एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	14	मैसर्स अजय कुमार बंसल एण्ड कंपनी, अलीगढ़
3	मैसर्स ए.के बतरा एण्ड एसोसिएट्स., नई दिल्ली	15	मैसर्स अरविंद माथुर एण्ड कंपनी, जयपुर
4	मैसर्स दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	16	मैसर्स एम आर नरायन एण्ड कंपनी, चैन्नई
5	मैसर्स संजय सतपाल एण्ड एसोसिएट्स, चंडीगढ़	17	मैसर्स वैथयानाथन एण्ड कंपनी, पंडुचेरी
6	मैसर्स सुखमंदिर सिंह एण्ड कंपनी, लुधियाना	18	मैसर्स बी के शरोफ एण्ड कंपनी, कोलकाता
7	मैसर्स वी एम अरोड़ा एण्ड कंपनी, जालंधर	19	मैसर्स डी एम एसोसिएट्स, कटक
8	मैसर्स संजीव भार्गव एण्ड एसोसिएट्स, कानपुर	20	मैसर्स बी बी ए एण्ड कंपनी, राउरकेला
9	मैसर्स पीजीएमए एण्ड एसोसिएट्स, आगरा	21	मैसर्स अग्रवाल रमेश के, एण्ड कंपनी, जमशेदपुर
10	मैसर्स सुदर्शन शर्मा एण्ड कंपनी, देहरादून	22	मैसर्स आर के गरोडिया एण्ड कंपनी, राची
11	मैसर्स डी प्रसाद एण्ड एसोसिएट्स, पटना	23	मैसर्स सी जी एस एण्ड कंपनी, बैंगलुरू
12	मैसर्स एन के दोषी एण्ड कंपनी, गुवाहाटी	24	मैसर्स एस. कृष्णा एण्ड एसोसिएट्स, कोयम्बटूर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक का नाम	क्र.सं.	लेखापरीक्षक का नाम
25	मैसर्स बी डी जी एण्ड कंपनी, मुम्बई	33	मैसर्स के सुब्रहमणियम एण्ड कंपनी, मुदरै
26	मैसर्स परम एण्ड एसोसिएट्स, नासिक	34	मैसर्स जयन एण्ड कृश्णा कुट्टी, कोच्चि
27	मैसर्स बी एस मार्ट एण्ड एसोसिएट्स, पुणे	35	मैसर्स कपसी बंगद एण्ड कंपनी, हैदराबाद
28	मैसर्स ए एस बेदमुथा एण्ड कंपनी, औरांगाबाद	36	मैसर्स एम ए के एण्ड एसोसिएट्स, इंदौर
29	मैसर्स जी सी जैन एण्ड कंपनी, रायपुर	37	मैसर्स ए के खबया एण्ड कंपनी, भोपाल
30	मैसर्स मार्क्स एण्ड कंपनी, अहमदाबाद	38	मैसर्स पीएस ठाकरे एण्ड कंपनी, नागपुर
31	मैसर्स एससी मेकचेचा एण्ड एसोसिएट, राजकोट	39	मैसर्स एल.बी. रेडडी एण्ड कंपनी, विजयवाड़ा
32	मैसर्स के एस राव एण्ड कंपनी, हैदराबाद	40	मैसर्स गडगिल एण्ड उपिन, बेलागेवी

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स वपन एण्ड एसोसिट्स
बी–5/41, विवेकानंद अपार्टमेंट
सेक्टर 8, रोहिणी
दिल्ली– 110085

मुख्य बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
एसएमबीसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब नैशनल बैंक

पंजीकृत कार्यालय

एनएसआईसी भवन
ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110020

कॉरपोरेट वैबसाइट

www.nsic.co.in

निदेशक मंडल



डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य, के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक (डीआईएनः 06727939)

डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य ने एनएसआईसी के अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक का पदभार 02 मई, 2024 को ग्रहण किया। डॉ. आचार्य के पास क्रेडिट, एसएमई रेटिंग, जोखिम प्रबंधन, बिल फाइनेंसिंग, नए उत्पाद विकास, व्यवसाय योजना, उद्यमिता विकास, नवाचार वित्तपोषण, माइक्रो–फाइनेंस स्टार्ट–अप सलाह आदि सहित एमएसएमई वित्तपोषण और विकास के विभिन्न पहलुओं में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

वे प्रबंधन में पीएचडी, विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमएससी), बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर (एमबीए) और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट हैं। वह एक ब्रिटिश शेवेनिंग विद्वान थे और उन्होंने ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय में 'सतत विकास' का अध्ययन किया था। वह भारत की पहली एसएमई रेटिंग एजेंसी के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने सिडबी और 4 अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रवर्तित कंपनी इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) के सीईओ के रूप में कार्य किया है।

वे एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बोर्ड में पदेन अध्यक्ष हैं।



श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (योजना और विपणन) (डीआईएनः 02322056)

श्री कार्तिकेय सिन्हा, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदश से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक (बी.टेक.) और आईआईटी दिल्ली से ऊर्जा अध्ययन में स्नातकोत्तर (एम.टेक.) उपाधि धारक है। उनके पास सेड बिजनेस स्कूल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम से पूर्णकालिक एमबीए की डिग्री भी है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक टीम ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनके मार्गदर्शन में वैश्विक युवा व्यवसाय विकास 2007 में प्रथम पुरस्कार जीता। वह यूपीएससी द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (2000) के माध्यम से दूरसंचार विभाग की पी एंड टी बीडब्ल्यूएस ग्रुप ''ए'' सेवा में शामिल हुए।

उनके पास दूरसंचार, बिक्री और विपणन, बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव, उत्पाद विकास और मूल्य निर्धारण, चैनल प्रबंधन, खरीद और अनुबंध प्रबंधन के क्षेत्र में 23 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है। उन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के ग्राहकों के लिए ओमनी–चैनल संपर्क केंद्र की स्थापना और अत्याधुनिक मोबाइल एप के शुभारंभ के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर भी बड़े पैमाने पर कार्य किया है। बीएसएनएल के प्रधान कार्यालय में बिक्री और विपणन/उत्पाद मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ का नेतृत्व करते हुए, मोबाइल सेवाओं के लिए उनकी नवाचारी टैरिफ रणनीतियों और देश भर में बिक्री और वितरण नेटवर्क के प्रभावी प्रबंधन के चलते भारत में दूरसंचार उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, बीएसएनएल के मोबाइल व्यवसाय राजस्व में वृद्धि हुई।

उन्होंने एमएसएमई के विकास के साथ–साथ निगम की वृद्धि के लिए निगम की रणनीतियों और नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मांग के अनुसार और रियायती कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर एमएसएमई को समर्थन देने के उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023–24 में निगम की कच्ची सामग्री वितरण (आरएमडी) योजना के माध्यम से कच्चे माल के उठाव में 28% की वृद्धि हुई। पिछला वित्तीय वर्ष. इसके अलावा, उनके निरंतर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप तकनीकी केंद्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का डिजाइन और वितरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वह भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की कई प्रतिष्ठित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।



श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) (डीआईएनः 10144109)

श्री गौरव गुलाटी एक विषिष्ट पेशेवर पृष्ठभूमि रखते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य का दर्जा प्राप्त है, साथ ही वे एक अर्हक लागत लेखाकार (आईसीएआई) और कंपनी सचिव (आईसीएसआई) भी हैं। अपनी प्रभावशाली शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा, श्री गुलाटी के पास व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री भी है।

25 वर्षों से अधिक की व्यापक पेशेवर यात्रा के साथ, श्री गुलाटी ने एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, एनटीपीसी, सेल और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख संगठनों से समृद्ध अनुभव अर्जित किया है, जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनकी विशेषज्ञता में वित्त और लेखा, अनुबंध प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, बजटीय नियंत्रण, वित्तीय स्वीकृति और सैप कार्यान्वयन सहित विविध क्षेत्र शामिल हैं।

एनएसआईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया और क्षेत्रीय व्यापार समूह प्रमुख के रूप में एनबीसीसी (आई) लिमिटेड में रियल एस्टेट वर्टिकल का नेतृत्व किया।

अपने उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक आयोजना प्रखरता के साथ, श्री गुलाटी ने अपनी वर्तमान भूमिका में एनएसआईसी के भीतर आवश्यक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाने के अलावा योजनाओं के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार और सुदृढ़ करके कंपनी के एनबीएफसी कार्यक्षेत्र को मजबूत किया है।

इसके अलावा, श्री गुलाटी की उपलब्धियाँ उनके पेशेवर करियर से भी आगे फैली हुई हैं। वह न केवल उस टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं, जिसने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) द्वारा आयोजित बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिता, नेशनल मैनेजमेंट गेम्स (एनएमजी) में दो बार जीत हासिल की, बल्कि 2011 में कीव, यूक्रेन में ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज (जीएमसी) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गुलाटी की व्यापक वित्तीय प्रखरता, नेतृत्व और रणनीतिक क्षमताएं उन्हें एनएसआईसी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती हैं और उनकी असाधारण उपलब्धियां और समर्पण संगठन की सफलता और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

श्री गौरव गुलाटी को 09 मई, 2023 से एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्हें एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।



सुश्री मर्सी इपाओ, सरकारी नामिति निदेशक (डीआईएनः 09331424)

सुश्री मर्सी एपाओ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। वर्तमान तैनाती से पहले, उन्होंने पिछले 25 वर्षों से भारत के मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न क्षमताओं में सेवाएं प्रदान की है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण तैनातियों में वित्त, आवासन और शहरी कार्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) आदि मंत्रालय शामिल हैं। अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने विभिन्न विषयों को हैंडिल किया है जिसमें डीओएनईआर में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, वेतन संबंधी मामले, अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) की कैडर समीक्षा, मानव संसाधन और प्रशासन से संबंधित कार्य शामिल है।

वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। संयुक्त सचिव के रूप में वह लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभारी हैं। इनमें से कुछ योजनाएं राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजना हैं, जो एससी/एसटी उद्यमियों को समर्थन देने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना उसे अन्य देशों के साथ एसएमई क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने/मोल–भाव करने/ परस्पर चर्चा करने और एमओयू/एफटीए/साझा करने और आदान–प्रदान करने में सक्षम बनाती है। एमएसएमई मंत्रालय क्षमता

निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, जी2जी, बी2बी नेटवर्किंग के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और संभावित साझेदारी का पता लगाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में भाग लेता है।

मंत्रालय में, वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), जो क्रमशः सीपीएसई और एक स्वायत्त संगठन है, की भी देखरेख करती हैं। वह मंत्रालय में मानव संसाधन स्कंध के अलावा मीडिया वर्टिकल की प्रभारी हैं, जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मंत्रालय की योजनाओं/पहलों की व्यापक कवरेज देता है। एक मासिक पत्रिका 'इनसाइडर', भी निकाली जाती है जिसे सभी उद्यम पंजीकरण धारकों के साथ साझा किया जाता है। महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए डब्ल्यूईसी की स्थापना की गई है। उनका जुनून महिलाओं और कमजोर/हाशिए पर होने वाले तबकों के उद्यमियों को लाभकारी रोजगार और सफल उद्यमशीलता के लिए ज्ञान प्राप्त करते देखना है जिससे सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास सहयोग के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं।



सुश्री सिम्मी चौधरी, सरकारी नामिति निदेशक (10387019)

सुश्री सिम्मी चौधरी भारतीय आर्थिक सेवा के 1996 बैच की अधिकारी हैं। वर्तमान में, वह एमएसएमई मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं और मंत्रालय के वित्त, बजट के साथ–साथ समन्वय और योजना मामलों की प्रभारी अधिकारी हैं।

सुश्री चौधरी के पास दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से शिक्षा में स्नातक भी हैं। वर्तमान में, वह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, दिल्ली से शिक्षा में पीएचडी भी कर रही हैं।

सुश्री चौधरी के पास अंतर्राष्ट्रीय मामलों, शिक्षा और मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, नीति निर्माण, मिशन निर्माण और कार्यान्वयन, दृष्टिकोण और रणनीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक मंच, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष विशेषज्ञता के साथ भारत सरकार में 27 वर्षों का विविध और समृद्ध अनुभव है। उन्होंने 1996 में आईईएस प्रोबेशनर के रूप में वित्त मंत्रालय से अपना करियर शुरू किया और उसके बाद उन्हें अपनी तैनातियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में कार्य करने का अवसर मिला।

उन्होंने विभिन्न आईएलओ अभिसमयों के अनुसमर्थन पर भारत के रुख को तैयार करने, औद्योगिक नीति को तैयार करने और लागू करने, सभी के लिए शिक्षा पर भारत के रुख को तैयार करने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, सतत विकास और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, अर्थात् डिजिटल इंडियाभाषिणी को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम और साक्षर भारत मिशन के निर्माण, आर्थिक योजना के समन्वय, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के निर्माण और कार्यान्वयन में अत्यधिक योगदान दिया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपने कार्यकाल में, उन्होंने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हासिल की गई उपलब्धियों के विश्लेषण और दस्तावेजीकरण, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट 2022 के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने, वास्तविक समय निष्पादन स्मार्ट बोर्ड के विकास, शिक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था माप और रोडमैप के लिए डिजिटल सार्वजनिक मंच में योगदान दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की भूमिका के अलावा, उन्होंने मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा शिकायतों और सूचना के अधिकार पर नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य किया।

सुश्री चौधरी एक रणनीतिक विचारक हैं और उन्होंने भारत के ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अवसर, विजन दस्तावेज, मंत्रालय के लिए रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ, क्षेत्र प्रोफाइल, राज्य प्रोफाइल, फोकस पेपर और अन्य रणनीतिक दस्तावेज जैसे दस्तावेजों को तैयार

करने में अपनी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने व्यापार मुद्दे, कराधान मुद्दे, आर्थिक डाटा, एफएसएसएआई से संबंधित मामले भी देखे हैं।

उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान यूनेस्को की महासभा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वाइन और व्हिस्की के बारे में ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त कार्य समूहों की सह–अध्यक्षता की।

इसके अलावा, सुश्री चौधरी कई प्रकाशनों वाली एक उत्साही लेखिका हैं, जिनमें श्रम और रोजगार, मानव संसाधन विकास, डिजिटल इंडिया के क्षेत्रों में जर्नलों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख और योगदान, कॉफी टेबल बुक का संकलन और डिजिटल इंडिया पर सार–संग्रह और डिजिटल इंडिया और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर योजना पत्रिका के प्रकाशित किए गए समर्पित अंक शामिल हैं।

सुश्री चौधरी को 8 नवंबर, 2023 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन नंबर 09459529

डॉ. अशोक अहिरवार, इतिहास विभाग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विद्यालय, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), सागर, मध्य प्रदेश में प्रोफेसर हैं। उन्होंने वर्ष 2016–2019 के दौरान इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से पूरी की है। उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर किया और डॉ. राम मनोहर लोहियाज आइडियाज एंड वर्क्सः ए हिस्टॉरिकल अनालीसिज पर डॉक्टरेट शोध पूरा किया। वह देश भर के विभिन्न संस्थानों से डायट, एचआरडीसी, टीएलसी में संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं।

उन्होंने 1994–98 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से शोध अध्येतावृत्ति प्राप्त की। उन्होंने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विजन एंड कॉन्ट्रिब्यूशन पर विस्तृत विभिन्न शोध पत्र लिखे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य (2008–11) के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में सलाहकार बोर्ड, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र, इलाहाबाद में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वह लोकतांत्रिक तरीके से नागरिकता के अधिकारों के संवर्धन के लिए अपनी अकादमिक स्वायत्तता का प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं। इसी उपयुक्त उद्देश्य के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति के साथ अपने अकादमिक दायरे को भी बढ़ाया है।

प्रो. अहिरवार को एनएसआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



श्री कालंदी चरण सामल (स्वतंत्र निदेशक) डीआईएन नंबर 09459531

श्री कालंदी चरण सामल ओडिशा के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह उड़िया भाषा के लेखक और उड़िया समाचारपत्रों के स्तंभकार हैं। वह ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित तालचर के रहने वाले हैं। वह स्वदेशी मेलों का आयोजन करते रहे हैं जिनमें ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों से आए छोटे पैमाने के उद्यमियों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। वे स्व–रोजगार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञान मेलों के आयोजन का भी हिस्सा रहे हैं और नियमित रूप से स्थानीय किसानों/मजदूरों तथा उद्यमियों को नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए पुस्तक मेल/प्रदर्शनी/प्रशिक्षण आयोजित करते हैं।

श्री कालंदी चरण सामल को एनएसआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की 69वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक गर्व और प्रसन्नता हो रही है। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ, जो संगठन की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, पहले से ही आपके पास हैं। आपकी अनुमति से, मैं इन दस्तावेजों को पढ़ा मानूंगा।

मुझे एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और मैंने विनम्रता और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ इस यात्रा की शुरुआत की है। आपकी कंपनी का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। हालाँकि मैं लगभग छह महीने से एनएसआईसी के साथ हूँ, लेकिन सभी हितधारकों ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया है और हमारी टीम की सहयोगी भावना ने मुझे एनएसआईसी परिवार का एक पुराना सदस्य होने का एहसास कराया है।

हम अपने एमएसएमई के सतत विकास के लिए कार्य करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता, उनकी दृश्यता बढ़ाने और उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमएसएमई विकास इंजन हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और एनएसआईसी भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

भारत वर्ष 2027–28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए, ऋण उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और प्राप्य प्रबंधन आदि जैसे मुद्दों के लिए परिवेशी कानूनी ढांचे की सुविधा प्रदान करके पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक सहायक और प्रभावी बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। एनएसआईसी विपणन, क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और सूचना के क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमएसएमई तक सक्रिय रूप से पहुंच रहा है और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे रहा है।

निष्पादन सिंहावलोकन

वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का प्रचालन राजस्व पिछले वर्ष के 2769.54 करोड़ रुपये की तुलना में 3273.18 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वर्ष 2023–24 के लिए 170.64 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 148.25 करोड़ रुपये था। वर्ष 2023–24 के दौरान कर–पश्चात लाभ 126.56 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वर्ष यह 110.48 करोड़ रुपये था।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत सरकार को 37.97 करोड़ रुपये के लाभांश की सिफारिश की है, जो शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है।

एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के एक सेट के साथ सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य सहायता सेवाओं के तहत एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करता है। कच्चे माल की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एनएसआईसी ने अपनी कच्चा माल वितरण (आरएमडी) योजना के तहत देश भर के एमएसएमई के बीच आगे वितरण के लिए प्रमुख सामग्रियों की खरीद के लिए लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा, पॉलिमर, बिटुमेन, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक सामग्रियों के थोक निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यवस्था के तहत एनएसआईसी एमएसएमई को थोक मात्रा में खरीद का लाभ देता है और कमी या कम मात्रा की स्थिति में भी समय पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामग्री उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान आरएमडी पोर्टफोलियो में एक नया उत्पाद रबर भी जोड़ा गया है।

कच्चे माल की खरीद में एमएसएमई का समर्थन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 2530 से अधिक एमएसएमई यूनिटों को कच्चा माल सहायता (आरएमए) योजना के तहत 7586.35 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई। एमएसएमई यूनिटों की ऋण आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए एनएसआईसी ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता–ज्ञापन किए है। इन बैंकों के साथ सिंडिकेशन के माध्यम से, एनएसआईसी एमएसएमई को इन बैंकों से ऋण (निधि आधारित या गैर–निधि आधारित सीमा) तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएसआईसी ने इस व्यवस्था के तहत बैंकों से 513.97 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जाने को सुकर बनाया।

एनएसआईसी ने अपनी सेवाओं के डिजिटलीकरण को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। इस दिशा में, एनएसआईसी अपने ई–मार्केटिंग पोर्टल एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के माध्यम से एमएसएमई को ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता प्रदान कर रहा है। इस पोर्टल पर भारत के 2,02,151 से अधिक एमएसएमई सदस्य हैं।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा "डिजिटल एमएसएमई योजना" चलाने के लिए एनएसआईसी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।

भारत सरकार की एक प्रमुख योजना पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एक सुविधाकर्ता के रूप में एनएसआईसी को लाभार्थियों को टूलकिट प्रदान करने हेतु निविदा के माध्यम से उपयुक्त विक्रेताओं का चयन करके एक पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

एनएसआईसी देश भर में अपने इनक्यूबेशन सेंटरों और तकनीकी सेवा केंद्रों (टीएससी) के माध्यम से युवाओं को "रोजगार चाहने वाले के बजाय रोजगार प्रदाता" बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और इस प्रकार उद्यम निर्माण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मूल्य सृजन में योगदान दे रहा है और साथ ही भारत सरकार के कौशल भारत मिशन में भी योगदान दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 66,765 प्रशिक्षुओं ने विभिन्न एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्रों (एनटीएससी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया जो अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि है। एनएसआईसी केंद्रों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता की उद्योग जगत द्वारा काफी सराहना की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में, अन्य देशों के उद्यमों के साथ तकनीकी या व्यावसायिक गठजोड़ विकसित करने के अवसरों के बारे में भारत के एमएसएमई के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु, एनएसआईसी ने अपने समकक्ष संगठनों, अर्थात म्यांमार, मास्टरकार्ड फाउंडेशन, ताइवान, स्लोवेनिया, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, बेलारूस, थाईलैंड, जिबूती आदि के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित कीं। घाना, जाम्बिया, ताइवान, जिबूती, सूरीनाम और मोजाम्बिक आदि जैसे विभिन्न देशों से कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने एनएसआईसी का दौरा किया और एनएसआईसी के सहयोग से अपने–अपने देशों में एमएसई के विकास में सहयोग के लिए गहरी रुचि दिखाई।

एनएसआईसी, भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की एक पहल, राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) को वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य लोक खरीद नीति के अनुसार सीपीएसई से 4 प्रतिषत खरीद के अधिदेश को पूरा करने के लिए सीपीएसई उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न हस्तक्षेप/कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजित किए गए। वर्ष 2023–2024 के लिए एनएसएसएच योजना के तहत कुल 23118 एससी/एसटी उद्यमियों को सहायता और समर्थन प्रदान किया गया है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एनएसआईसी ने वर्ष 2023–2024 के लिए 4 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के 12.05 प्रतिशत की खरीद की।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में स्व–निर्भर भारत (एसआरआई) योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये की सॉवरेन फंड ऑफ फंड्स योजना को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में आगे सहायता प्रदान करने के लिए सहायक निधियों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है। वर्ष के दौरान कुल 53 सहायक निधियों को एसआरआई फंड (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक निधियों ने इन एमएसएमई में 7649 करोड़ रुपये का निवेश करके 432 संभाव्य एमएसएमई की सहायता की है।

मान्यता और पुरस्कार

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एनएसआईसी को लगातार विभिन्न संगठनों से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए है। एनएसआईसी को मिले कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार निम्नानुसार हैं :

(1) एनएसआईसी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास में इसके अनुकरणीय योगदान को मान्यता देते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार "सर्वश्रेष्ठ विपणन ब्रांड" प्राप्त हुआ।

(2) एनएसआईसी को भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए एमएसएमई को दी गई सहायता के लिए 7 जुलाई, 2023 को आयोजित प्रदर्शनी उत्कृष्टता पुरस्कार और शिखर सम्मेलन 2023 में एडीटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

आभारोक्ति

मैं इस अवसर पर माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री को उनके संरक्षण, बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का आभारी हूँ जो सदैव प्रेरणा और सलाह के स्रोत रहे हैं।

मैं अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई), साथ ही साथ एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिवों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनका विश्वास और समर्थन हमारी कंपनी के निरंतर विकास और विस्तार को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।

मैं एमएसएमई के विकास को बढ़ाने की हमारी पहल को आगे बढ़ाने में उनके अटूट मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सीएजी, हमारे सांविधिक लेखापरीक्षकों, आरबीआई, डीपीई और एनएसआईसी से जुड़े अन्य पेशेवरों और एजेंसियों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मेरे साथी बोर्ड सदस्यों को उनके व्यावहारिक योगदान और प्रतिबद्ध ता के लिए विशेष धन्यवाद, जिसने हमारे संगठन को बहुत सुदृढ़ किया है।

मैं निगम के सभी स्तरों पर कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए योगदान को दर्ज करना चाहता हूं, जिसने निगम को इस अवधि में प्रदर्शन में निरंतर वृद्धि हासिल करने में सहायता की। आपके समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ मिलकर, हम अब "एमएसएमई क्षितिज का विस्तारः स्थानीय से वैश्विक" के उद्देश्य से देश भर में एमएसएमई की सेवा में अपने समर्पण को बनाए रखते हुए, नए क्षितिज तलाशने के लिए तैयार हैं।

ह./–
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 8 **नवंबर**, 2024

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारीगण,

आपके निर्देशकों को वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की 69वीं बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1) वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2023–24 हेतु एनएसआईसी का वित्तीय प्रदर्शन उसके पिछले वर्ष के प्रदर्शन के साथ नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	एकल		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2023–2024	वित्तीय वर्ष 2022–2023	वित्तीय वर्ष 2023–2024	वित्तीय वर्ष 2022–2023
प्रचालनों से राजस्व	3273.18	2769.54	3277.83	2773.68
सकल आय	526.23	453.78	531.29	457.74
कर–पूर्व लाभ	170.64	148.25	174.74	151.74
निवल मूल्य	1147.17	1079.07	1153.77	1082.83
उधार	1424.95	1555.87	1424.95	1555.87
लाभांश	37.97	33.14	37.97	33.14
प्रति शेयर आय (रुपयों में)	23.74	20.73	24.28	21.19

i) समेकित आधार पर

वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के परिचालन से राजस्व 3277.83 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष यह 2773.68 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कर से पहले का लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2023–24 के लिए 174.74 करोड़ रुपये की तुलना में। वर्ष 2022–23 में 151.74 करोड़, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 15.16% की वृद्धि दर्ज की गई। कर पश्चात लाभ में 14.56% की वृद्धि दर्ज की गई, जो रु. वर्ष 2023–24 के दौरान 129.39 करोड़ रुपये के मुकाबले पिछले वर्ष 112.95 करोड़ रु. था।

ii) एकल आधार पर

वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के परिचालन से राजस्व 3273.18 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष यह 2769.54 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वर्ष 2023–24 के लिए 170.64 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 148.25 करोड़ रुपये था। वर्ष 2023–24 के दौरान कर पश्चात लाभ 126.56 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वर्ष यह 110.48 करोड़ रुपये था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएसआईसी ने एमएसएमई को 19,617 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की हैंडलिंग और सेवाएं प्रदान करने में सहायता की

2) लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 37.97 करोड़ रुपये, अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 33.14 करोड़ रुपये था। अनुशंसित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।



एनएसआईसी के सीएमडी डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य ने वर्ष 2023–24 के लिए 37.97 करोड़ रुपये का लाभांश चेक प्रस्तुत किया। माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, श्री जीतन राम मांझी और माननीय एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करंदलाजे एवं एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और एनएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

3 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि

वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत रू. 25.31 करोड़ की अतिरिक्त आरक्षित निधि बनाई गई है, इस प्रकार 31 मार्च 2024 तक कुल आरक्षित निधि रू.109.21 करोड़ थी।

4 प्रचालन संबंधी कार्य–निष्पादन

I. कच्चा माल वितरण

एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना एनएसआईसी की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक रही है। एनएसआईसी थोक निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन समझौते में प्रवेश करके और प्रमुख कच्चे माल की खरीद करके एमएसएमई की कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करता है।

एमएसएमई, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यम, कच्चे माल की सहायता प्राप्त करते समय विभिन्न लाभों का आनंद लेते हैं। इन फायदों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

- कमी की स्थिति में भी सामग्री की समय पर और स्थिर उपलब्धता।
- एमएसएमई की आवश्यकता के अनुसार कम मात्रा में सामग्री की उपलब्धता।
- बिचौलियों के बिना निर्माताओं की कीमतों पर सामग्री की आपूर्ति।
- थोक खरीदारी पर छूट का लाभ बढ़ाना।

वर्ष 2023–24 में, एनएसआईसी ने अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एमएसएमई की कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा किया:

क्रम संख्या	निर्माता का नाम	सामग्री
1	नेशनल ,एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)	एल्युमीनियम
2	आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील (एएमएनएस)	आयरन एण्ड स्टील
3	श्री सीमेंट लिमिटेड	सीमेंट

इसके अलावा, फील्ड कार्यालयों ने पूरे भारत के आधार पर एमएसएमई को अपने लौह और इस्पात सामग्री के वितरण के लिए सेल और आरआईएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

उपरोक्त के अलावा, एनएसआईसी जोनल कार्यालयों ने क्षेत्रीय उत्पादकों/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं यानी स्टील सेंटर (आयरन एंड स्टील), बिटारा प्राइवेट लिमिटेड (बिटुमेन), शिवा फेरिक प्राइवेट लिमिटेड (आयरन एंड स्टील), जेएसडब्ल्यू (वायर रॉड्स) के साथ 31 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड (सीमेंट), गैलेंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (टीएमटी) आदि। आरएमडी पोर्टफोलियो में एक नया उत्पाद रबर भी जोड़ा गया है।



एनएसआईसी ने एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सीमेंट की आपूर्ति के लिए 28 जून, 2023 को मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष 2023–2024 के दौरान, एनएसआईसी ने अपनी कच्ची सामग्री वितरण (आरएमडी) योजना के तहत 2698.62 करोड़ रुपये की 3,65,168 मीट्रिक टन सामग्री की आपूर्ति की।

एजेंसी सेल्स के तहत, एनएसआईसी ने वित्त वर्ष 2023–24 में थोक निर्माताओं की ओर से 3456.54 करोड़ रुपये मूल्य की 2,86,568 मीट्रिक टन सामग्री वितरित की। वितरित किए गए प्रमुख कच्चे माल जिंक, एल्युमीनियम, तांबा, पॉलिमर और बिटुमेन थे।

II. एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस)

भारत सरकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की अकेली सबसे बड़ी खरीदार है। लघु–स्तरीय क्षेत्र से खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकारी खरीद कार्यक्रम में भागीदारी के लिए एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को पंजीकृत करने के माध्यम से 1976 में सरकारी खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा, एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एनएसआईसी को लोक खरीद नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम को सूचीबद्ध करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सरकारी लोक खरीद कार्यक्रम में भाग लेते समय, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को एमएसई द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एमएसई से 25 प्रतिशत खरीद की वार्षिक आवश्यकता में से, 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए और 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है।

एनएसआईसी के एकल बिंदु पंजीकरण की विशेषताएं:

i एसपीआरएस के तहत पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है।

ii एनएसआईसी स्वामित्व का प्रमाण, पिछले 3 वर्षों की ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्लांट और मशीनरी में निवेश को प्रमाणित करने, नवीनतम बिजली बिल, पैन कार्ड जैसे इत्यादि प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करके एमएसई की वास्तविक और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद ही एसपीआरएस के तहत पंजीकरण जारी करता है।

iii स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण के बाद, आवेदक एमएसई द्वारा प्रदान किए गए भंडारों/वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में गुणात्मक और मात्रात्मक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एसपीआरएस के तहत पंजीकरण जारी किया जा रहा है।

iv एसपीआरएस के तहत पंजीकरण हर दो वर्ष के बाद समीक्षा और नवीनीकरण के अधीन वैध है।

v वर्ष 2023–24 में एकल बिंदु पंजीकरण योजना स्कीम (एसपीआरएस) से अर्जित राजस्व 8.86 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023–24 के दौरान 1839 नई इकाइयाँ जोड़ी गईं और 5554 इकाइयों का नवीनीकरण किया गया।

III. कंसोर्टिया और निविदा विपणन

एमएसई के उत्पादों को बढ़ावा देना कंपनी का एक प्रमुख उद्देश्य है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने और निष्पादित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

एनएसआईसी ने अपनी कंसोर्टिया और टेंडर मार्केटिंग योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कंसोर्टिया का गठन किया और आवश्यक दुकानों/वस्तुओं की आपूर्ति की और सरकार द्वारा अपेक्षित विभाग / सार्वजनिक उपक्रम की सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने 584 नग में भाग लिया है। 246 करोड़ रुपये मूल्य की निविदाएं और 65.34 करोड़ रुपये की राशि की निविदाएं निष्पादित की गईं।

IV. एमएसएमई को क्रेडिट सहायता

(i) कच्चे माल की खरीद के लिए क्रेडिट सहायता

क्रेडिट पर कच्चे माल की खरीद में एमएसएमई को समर्थन देने के लिए, एनएसआईसी सबसे प्रतिस्पर्धी दरों पर एमएसएमई को अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान करता है। बैंक गारंटी की सुरक्षा के बदले वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आवेदक एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ताओं को जारी कियाज जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएसआईसी द्वारा 2530 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को कच्चे माल की सहायता (आरएमए) के तहत 7,586.35 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई।

(ii) बिल डिस्काउंटिंग योजना

इस योजना में वास्तविक व्यापार लेनदेन यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और राज्य और केंद्र सरकार को की गई आपूर्ति से उत्पन्न बिलों में छूट शामिल है। विनिर्माण/सेवा गतिविधियों में लगे विभाग/उपक्रम/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां (व्यापारी नहीं)।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक गारंटी के विरुद्ध कुल 40.56 करोड़ रुपये के बिलों में छूट दी गई।

(iii) बैंक के साथ गठबंधन के माध्यम से ऋण सुविधा

एमएसएमई इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईसी ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बैंकों के साथ सिंडिकेशन के माध्यम से, एनएसआईसी एमएसएमई को इन बैंकों से क्रेडिट सहायता (निधि आधारित या गैर–निधि आधारित सीमाएं) प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी बैंक को ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले बैंक की चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों को पूरा करने में एमएसएमई की सहायता करता है और बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी करता है। ये हैंडहोल्डिंग सहायता एनएसआईसी द्वारा एमएसएमई को बिना किसी लागत के प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के कुल स्वीकृत राशि 488.50 करोड़ रूपये एमओ लक्ष्य के अनुकूल बैंक टाईअप के तहत 513.97 करोड़ रूपये की सहायता दी।

V. रा.ल.उ.नि. तकनीकी सेवा केन्द्र (एनटीएससी)

i. प्रौद्योगिकी प्रभाग के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां:

एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र (एनटीएससी) कौशल विकास और एमएसएमई को दी जाने वाली सेवाओं पर सरकार द्वारा दिए गए उच्च महत्व के कारण अधिक महत्व रखते हैं। एनएसआईसी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आठ स्थानों, आठ आजीविका व्यवसाय ऊष्मायन केंद्रों (एलबीआई) और 3 प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) पर एनटीएससी के माध्यम से संचालित होता है:

- प्रशिक्षुओं के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों।
- उद्योगों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सामान्य सुविधा सेवाएँ प्रदान करना।
- कौशल इंक्यूबशन कार्यक्रम के माध्यम से खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले बेरोजगार युवाओं को अवसर प्रदान करना।
- प्रशिक्षकों, उद्यमियों, मध्य स्तर के प्रबंधन कर्मियों और शॉप फ्लोर संचालकों का अनुकूलित प्रशिक्षण।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल 66,765 प्रशिक्षु विभिन्न तकनीकी केंद्रों से उत्तीर्ण हुए जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

ii. सामान्य सुविधा सेवाएं (सीएफएस):

एनटीएससी निम्नलिखित विशेषज्ञता में एमएसएमई को मांग संचालित एनएबीएल मान्यता प्राप्त और बीआईएस मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधाएं प्रदान करता है:

केंद्र	उपलब्ध परीक्षण सुविधाएँ
नई दिल्ली	लौह और अलौह सामग्री, पाइप, स्टील के तार, भवन निर्माण सामग्री, प्लास्टिक, लकड़ी और मिट्टी और कोलतार परीक्षण, पीपीई किट परीक्षण
राजकोट	डीजल इंजन परीक्षण, सौर/विद्युत पम्प परीक्षण, प्लास्टिक परीक्षण, सामग्री परीक्षण
हावड़ा	इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तार और केबल, इंसुलेटर, सामग्री परीक्षण
राजपुरा	विद्युत उपकरण परीक्षण, पीपीई किट परीक्षण
चेन्नई	अंशांकन प्रयोगशाला, सामग्री परीक्षण, पंप परीक्षण
नीमका	लौह और अलौह सामग्री का रासायनिक और यांत्रिक परीक्षण
अलीगढ़	यूटीएम, टीटीएम, कुंडल संपीड़न/तनाव, संक्षारण परीक्षण, आदि।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न तकनीकी केंद्रों के माध्यम से सीएफएस में कुल 15,891 एमएसएमई इकाइयों को सेवाएं दी गईं।

iii. प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट सहायता

एनएसआईसी जॉब मेलों का आयोजित करके प्रशिक्षार्थियों का चयन करने के लिए कंपनियों को आमंत्रित करके अपने प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट में सहायता करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएसआईसी ने प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट में सहायता के लिए 61 जॉब मेलों का आयोजन किया, जिसमें कुल 419 कंपनियों ने भाग लिया और 2524 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया।



एनएसआईसी तकनीकी केंद्र ने जॉब मेलों का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में कंपनियों ने भाग लिया और विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों की भर्ती की।

iv एनटीएससी (ओखला) ने एसआरसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र (ओखला) ने 27 दिसंबर, 2023 को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के साथ एसोसिएशन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एसआरसीसी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख कॉलेजों में से एक है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को नवीनतम मांग वाले कौशल में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कौशल प्रदान करने में सहयोग करता है, जो उनकी विशेषज्ञता को उन्नत करके कामकाजी पेशेवरों, कॉर्पोरेट कर्मचारियों या उद्यमियों के रूप में उनके करियर को लाभान्वित करेगा। उम्मीदवारों को विभिन्न प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक कौशल से परिचित कराया जा रहा है।

v. एनटीएससी (अलीगढ़) ने नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनएपीएस), एनपीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया

एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र (अलीगढ़) ने नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनएपीएस), एनपीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र के 16 किलोमीटर के दायरे के आसपास के गांवों के युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांवों के युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल सीखा है और उनमें से कई को केंद्र में आयोजित जॉब मेले के दौरान नौकरी भी मिली है। उनमें से कई ने कौशल प्राप्त करने के बाद टेलरिंग/फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिक शॉप आदि के क्षेत्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

vi. एलजी होप टेक्निकल एकेडमी

एनएसआईसी ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रयास में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएसएससीआई ने एनटीएससी–ओखला , चेन्नई और हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों के क्षेत्र में वंचित युवाओं को प्रशिक्षण देना है। इससे युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नए रास्ते खुले हैं और इस क्षेत्र में रोजगार के लिए कुशल जनशक्ति पैदा हुई है। बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की सर्विसिंग और मरम्मत का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।



एमएसएमई दिवस के अवसर पर, एनएसआईसी ने 27 जून, 2023 को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

vii. एनएसआईसी –टीसी मंडी (हिमाचल प्रदेश) ने एनटीपीसी कोलडैम द्वारा स्वीकृत दो वर्षीय परियोजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया

एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्र, मंडी ने महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के उद्देश्य से परियोजना प्रभावित परिवारों के कौशल उन्नयन के लिए एनटीपीसी कोलडैम द्वारा स्वीकृत दो वर्षीय परियोजना के तहत सभी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। परियोजना के तहत, एनएसआईसी मंडी ने परियोजना प्रभावित गांवों में प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित कीं और 200 लोगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किए। फैब्रिक उत्पादों के निर्माण, महिलाओं और बच्चों की सिलाई, कंप्यूटर अनुप्रयोग और कृषि परीक्षण और खेती के तरीकों से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया, जो परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फैब्रिक उत्पादों के निर्माण, महिलाओं और बच्चों की सिलाई से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं, जिससे न केवल प्रशिक्षुओं का आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि इसने लाभार्थियों को एनएसआईसी–टीसी मंडी द्वारा प्रदान किए गए गुणवत्ता प्रशिक्षण को भी प्रदर्शित किया।

viii. एनएसआईसी–टीसी मंडी (हिमाचल प्रदेश) ने सुंदरनगर, जिला मंडी स्थित सरकारी पीडब्ल्यूडी आईटीआई के कर्मचारियों और प्रशिक्षकों के लिए सांकेतिक भाषा पर प्रशिक्षण आयोजित किया।

एनएसआईसी मंडी ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सरकारी आईटीआई, सुंदरनगर, जिला मंडी (एचपी) के कर्मचारियों और प्रशिक्षकों के लिए सांकेतिक भाषा पर प्रशिक्षण आयोजित किया ।

ix. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शुभारंभ

नीमका द्वारा संचालित राजा जैत सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक (आरजेजीपी) ने तीन स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं – टूल एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग में बी. वोकेशनल, वेब डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पहले वाईएमसीए) फरीदाबाद से संबद्धता के साथ प्रत्येक शाखा में 60 छात्रों का प्रवेश। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम नई एनईपी के अनुसार पेश किए जा रहे हैं। कक्षा 12 से स्नातक करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान को वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक बनाते हैं।

VI. डिजिटल सेवा सुविधा (एमएसएमई ग्लोबल मार्ट)

- एमएसएमई ग्लोबल मार्ट (www.msmemart.com) एक वैश्विक व्यापार से व्यापार (बी2बी) पोर्टल है जो एमएसएमई को ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता प्रदान करता है और देश भर में और सीमाओं के पार भी बढ़ती दृश्यता, खोज और खरीदार और आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन अपने व्यवसाय को बढ़ाने और प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में योगदान देने के माध्यम से मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है। एमएसएमई मार्ट पोर्टल की कुछ प्रमुख विशेषताएं और लाभ मिनटों में डिजिटल उपस्थिति बनाना, 24x7 उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन, सदस्य का होमपेज, चुनिंदा उत्पाद सूची, अनुबंध का पुरस्कार (एओसी) सूचना, देश विशिष्ट वैश्विक निविदा नोटिस, व्यापार व्यापार लीड (खरीदें/बेचें),
- फ्रैंचाइज, उप–ठेका और वितरण के अवसर, एमएसएमई से उत्पादों और सेवाओं/स्रोत को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट्स के लिए विज्ञापन समाधान, एमएसएमई डिजिटल समाधानों पर विशेष ऑफर आदि।
- वर्ष 2023–24 के दौरान, बी2बी पोर्टल के तहत 10,340 इकाइयां पंजीकृत की गईं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में 11,515 इकाइयां पंजीकृत थीं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 5.82 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 4.86 करोड़ रुपये था, जिसका मुख्य कारण शुल्क सदस्यता की संख्या में वृद्धि है।
- एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल पर कुल पंजीकृत सदस्यों की संख्या 2,02,151 थी। यह उल्लेख करना उचित है कि सार्वजनिक खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल के माध्यम से 2,41,848 करोड़ रुपये की कुल 35,07,352 घरेलू निविदा जानकारी प्रसारित की गई। वित्त वर्ष 23–24 में अनुबंध पुरस्कार की कुल जानकारी 21,85,600 थी , जिसकी राशि 2,20,839 करोड़ रुपये थी। एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए 3126 अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जारी की गई।

क) एमएसएमई के लाभ के लिए की गई प्रमुख पहल/गतिविधियाँ

i. <u>असम राज्य सरकार के साथ सहयोग:</u> सूक्ष्म एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों के बीच ई–कॉमर्स को अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनएसआईसी ई–मार्केटिंग पोर्टल एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

ii. <u>प्रचार/विज्ञापन योजना:</u> डेल टेक्नोलॉजीज और इंडसइंड बैंक ने पोर्टल पर पंजीकृत लाखों एमएसएमई के व्यवसाय विकास में तेजी लाने के लिए अभिनव उत्पादों और विशेषज्ञता पर रियायती कीमतों का विशेष प्रोमो पेश करने के लिए एनएसआईसी के पोर्टल की प्रचार योजना की सदस्यता ली। कुल मिलाकर 450 इकाइयों ने वित्त वर्ष 2023–24 में व्यापक पहुंच और दृश्यता के लिए प्रचार योजना को चुना।

iii. <u>गति शक्ति पोर्टल पर एनएसआईसी कार्यालयों की मैपिंग :</u> पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, एनएसआईसी ने देश में अपने सभी कार्यालयों और उनकी गतिविधियों का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है। डेटा लेयर और डेटा विशेषताएँ कार्यालय स्थान और उनके धारकों, संचार जानकारी, गतिविधियाँ, अक्षांश और देशांतर आदि जैसी जानकारी प्रदान करती हैं। यह डेटा इससे एमएसएमई और अन्य संस्थाओं को देश भर में एनएसआईसी कार्यालयों के साथ अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और समन्वय करने में आसानी होगी।

iv. <u>उद्यम पोर्टल के साथ एमएसएमई ग्लोबल मार्ट का एकीकरण :</u> एनएसआईसी और एमएसएमई मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन एक भाग के रूप में एमएसएमई ग्लोबल मार्ट को एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल के साथ एकीकृत करने का काम

पूरा हो गया है, जिससे उद्यम पोर्टल के नए पंजीकृत एमएसएमई के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के माध्यम से व्यापक बाजार पहुंच लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है । आज तक, उद्यम डेटा की कुल संख्या लगभग 50 लाख प्राप्त हुई है।

V. कोटे डी आइवर से प्रतिनिधिमंडल : कोटे डी आइवर सरकार के वाणिज्य, उद्योग और एसएमई संवर्धन मंत्रालय के सूचना प्रणाली निदेशक श्री एंटोनी लेडॉक्स अका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि ामंडल ने एमएसएमई मंत्रालय के संबंध में आईसीटी के वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए एनएसआईसी का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न पोर्टल/प्लेटफॉर्म के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि दिखाई।

5) सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

कंपनी भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित योजना का कार्यान्वयन कर रही है:

(i) राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच) योजना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसकी स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) उपरोक्त योजना को लागू कर रहा है। एनएसएसएच के विभिन्न हस्तक्षेप इस प्रकार हैं:

क. सार्वजनिक खरीद में भागीदारी के लिए सुविधा:

- सरकारी खरीद प्रक्रिया में भागीदारी के लिए एससी–एसटी उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालयों (एनएसएसएचओ) द्वारा कुल 102 ई–टेंडरिंग प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 3904 एससी/एसटी उम्मीदवारों ने भाग लिया।
- वर्ष 2023–24 के दौरान 551 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई को एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए सब्सिडी प्रदान की गई ।
- देश भर में स्थापित 15 एनएसएसएच कार्यालयों के माध्यम से एससी/एसटी उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई। इन एनएसएसएचओ के माध्यम से 603.50 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी निविदाओं में भागीदारी की सुविधा प्रदान की गई, जिसके तहत वित्त वर्ष 23–24 के दौरान 168.37 करोड़ रुपये मूल्य के ऑर्डर दिए गए।

ख. बाजार लिंकेज:

- कुल 123 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपी) आयोजित किए गए, जिनमें कुल 6955 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने भाग लिया।
- एनएसएसएच के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) के नामांकन शुल्क के लिए 1279 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सब्सिडी प्रदान की गई।
- घरेलू प्रदर्शनियों में 732 एससी/एसटी एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाया गया।

ग. ऋण सुविधा:

ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत 338 एमएसएमई उद्यमों से 174.34 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण प्रस्ताव विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत किए गए। वित्त वर्ष 23–24 के दौरान 153 में से 81.09 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

घ. क्षमता निर्माण:

वर्ष 2023–24 के दौरान पूरे भारत में विभिन्न सरकारी/स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से 5389 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कौशल और उद्यमिता विकास के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

ड़. विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस)

- एमएसएमई मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार एनएसएसएच की विशेष ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) के अंतर्गत 645 एससी/एसटी एमएसई को 72.40 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
- एनएसएसएच के अंतर्गत कुल 96 एससी/एसटी एमएसई को परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, पीबीजी पर बैंक प्रभार, बैंक ऋण पर प्रसंस्करण शुल्क, ईपीसी की सदस्यता शुल्क और शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों में अल्पकालिक प्रशिक्षण के संदर्भ में सब्सिडी प्रदान की गई।

च. आउटरीच कार्यक्रम

- लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए एनएसएसएच कार्यालयों द्वारा 180 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 7377 एससी/एसटी उद्यमियों ने भाग लिया।

ii. पीएम विश्वकर्मा योजना

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के लिए शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले पारंपरिक कौशल को मजबूत करना और उनका पोषण करना है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है। इस योजना के तहत अनुमानित 30 लाख लाभार्थियों को टूलकिट प्रदान किए जाने हैं। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त विक्रेताओं के चयन के लिए एनएसआईसी एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।



आरएफपी की शर्तों और नियमों का प्रसार करने तथा संभावित बोलीदाताओं के प्रश्नों का समाधान करने के लिए 27 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में एक बोली–पूर्व बैठक आयोजित की, जिसमें एमएसएमई और एनएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।

6) अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के एमएसएमई के बीच अन्य देशों के उद्यमों के साथ तकनीकी या व्यावसायिक गठबंधन विकसित करने के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में की गई पहल इस प्रकार हैं:

I. विदेशी प्रतिनिधिमंडल का एनएसआईसी का दौरा

i) **घाना:–** डिजाइन और प्रौद्योगिकी संस्थान (डीटीआई), घाना के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10–12 अप्रैल, 2023 के दौरान एनएसआईसी के तकनीकी सेवा केंद्र, ओखला,

नई दिल्ली में एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को एनएसआईसी की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई और एनएसआईसी और डीटीआई, घाना के बीच संभावित सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा की गई। उन्होंने कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के लिए एनएसआईसी की सुविधाओं की सराहना की।

11 अप्रैल, 2023 को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में मेसर्स नियोक्राफ्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में घाना प्रतिनिधिमंडल का उद्योग दौरा भी आयोजित किया। घाना प्रतिनिधिमंडल को कारखाने का दौरा कराया गया और उद्योग गुणवत्ता मानकों के प्रति कंपनी के पालन को देखने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

ii) **जाम्बिया:**— महामहिम श्रीमती मवाका सिंथिया चिजोमा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुकुबेसा, स्थायी सचिव वित्त, जाम्बिया उच्चायोग, नई दिल्ली ने 16 जून, 2023 को एनटीएससी (ओखला) का दौरा किया। एनएसआईसी ने उन्हें एनएसआईसी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत कराया और साथ ही एनएसआईसी और जाम्बिया के बीच सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों पर चर्चा की। एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल के साथ श्रीमती डेलीवे भी थीं नधलेमा जाम्बिया के कार्यवाहक उच्चायुक्त मुम्बी ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने रोजगार सृजन के लिए रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और जाम्बियन एसएमई इकोसिस्टम के लिए उन्नत प्रशिक्षण केंद्र के मॉडल की सराहना की और सहयोग के लिए गहरी रुचि दिखाई।

iii) **ताइवान:**— औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (आईटीआरआई) और ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (टीईसीसी) के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 16 जून, 2023 को एनटीएससी (ओखला) में उत्कृष्टता केंद्र और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को एनएसआईसी के उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों की गतिविधियों और इसके विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और महत्वाकांक्षी युवा उद्यमियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सीएडी/सीएएम और सीएनसी, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, सौर, एआर/वीआर, मल्टीमीडिया और एनीमेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों से अवगत कराया गया ।



एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एनएसआईसी ने लघु और मध्यम उद्यम प्रशासन (एसएमईए), आर्थिक मामलों के मंत्रालय (एमओईए), ताइवान और आईटीआरआई, ताइवान के साथ मिलकर 07 सितंबर, 2023 को मुंबई में दूसरे भारत–ताइवान एसएमई सहयोग मंच का आयोजन किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (एसएमई), एमएसएमई मंत्रालय और महानिदेशक, एसएमईए, एमओईए, ताइवान ने किया।

iv) **जिबूती:**— महामहिम श्री इसे अब्दुल्लाही भारत में जिबूती गणराज्य के राजदूत श्री असोवेह ने 4 मई, 2023 को एनएसआईसी की गतिविधियों को समझने के उद्देश्य से एनएसआईसी का दौरा किया। राजदूत ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जिबूती में ऐसे केंद्र स्थापित करने में एनएसआईसी के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि दिखाई।

v) **सूरीनाम:**— महामहिम श्री अरुणकोमर सहित एक प्रतिनिधिमंडल हार्डियन , भारत में सूरीनाम के राजदूत, श्री बी. गंगाराम पांडे , प्रबंध निदेशक,

इलेक्ट्रिक लाइटिंग एंड टेक्निकल कंपनी (ईएलटीओ) और डॉ. शरद कुमार, सलाहकार, एकेएमओएस, सूरीनाम गणराज्य के लघु और मध्यम उद्यम संघ ने 29 नवंबर, 2023 को एनएसआईसी का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को एनएसआईसी की गतिविधियों से अवगत कराया गया और एनएसआईसी और सूरीनाम के बीच संभावित सहयोग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई।

सूरीनाम गणराज्य सरकार के माननीय संसद सदस्यों के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 8 फरवरी 2024 को एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर, ओखला , नई दिल्ली का भी दौरा किया।

vi) **मोजाम्बिकः**— लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन संस्थान (आईपीईएमई), मोजाम्बिक के महानिदेशक डॉ. जोआकिना गुमेटा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 15 जनवरी 2024 को एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और एडवांस ट्रेनिंग सेंटर, ओखला, नई दिल्ली का दौरा किया। यात्रा के दौरान, एनएसआईसी के योजना एवं विपणन निदेशक श्री कार्तिकेय सिन्हा ने उन्हें एनएसआईसी की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया और साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में एनएसआईसी और मोजाम्बिक के बीच सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों पर चर्चा की।

II. बी2बी बैठक

i) **दक्षिण कोरियाः** — एनएसआईसी ने 15 जून, 2023 को समकक्ष संगठन, कोरिया एसएमई और स्टार्ट–अप एजेंसी (कोस्मे), दक्षिण कोरिया के सहयोग से भारतीय और दक्षिण कोरियाई उद्यमों के बीच वर्चुअल बी2बी बैठकें आयोजित कीं। दोनों पक्षों के बीच बी2बी बैठकें इंजेक्शन मोल्ड ऑप्टिमाइजेशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, मोल्ड डिजाइनिंग और विनिर्माण प्रौद्योगिकी, एकीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली, मेटल कवर विनिर्माण, हाइड्रोलिक सिस्टम और बूम असेंबली के क्षेत्रों में आयोजित की गईं।

ii) **रूसः** — एनएसआईसी ने अपने समकक्ष संगठन आरएसएमबी कॉरपोरेशन, रूस के साथ मिलकर औद्योगिक पंप, जल मीटर, फिल्टर प्रेस, हाइड्रोलिक पंप और मसालों के क्षेत्र में 08 भारतीय और 14 रूसी उद्यमों के बीच वर्चुअल बी2बी मीटिंग आयोजित की। इन बैठकों के परिणामस्वरूप भारतीय और रूसी उद्यमों के बीच एनडीए पर हस्ताक्षर किए गए। डिजिटल प्रयोगशाला उपकरण और हाइड्रोलिक्स पावर पैक सिलेंडरों के विनिर्माण के लिए जल मीटर के क्षेत्र में रूसी उद्यम।

iii) **दक्षिण कोरियाः**— एनएसआईसी ने अपने समकक्ष संगठन, कोरिया एसएमई और स्टार्ट–अप एजेंसी (कोसमे), दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर 27 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में एनएसआईसी–कोसमे वैश्विक प्रौद्योगिकी विनिमय कार्यक्रम 2023–बी2बी मीटिंग का भौतिक रूप से आयोजन किया, ताकि भारत और दक्षिण कोरिया के एमएसएमई के बीच व्यावसायिक संबंध स्थापित किए जा सकें। विभिन्न क्षेत्रों के सात दक्षिण कोरियाई उद्यमों ने आयातधनिर्यात, प्रौद्योगिकी विनिमय, संयुक्त उद्यम आदि के रूप में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की खोज के उद्देश्य से भारतीय उद्यमों के साथ बी2बी मीटिंग में भाग लिया ।

III. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एमएसएमई की भागीदारी

(i) **मेक्सिकोः**—एनएसआईसीने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत 07–09 सितंबर 2023 तक ग्वाडलजारा, मेक्सिको में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी– एक्सपो नैशनल फेरेटेरा में 11 एमएसएमई की भागीदारी की सुविधा प्रदान की । मेले के मुख्य विषय थे– हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग, औद्योगिक सुरक्षा और निर्माण।

(ii) **दक्षिण कोरिया** :– एनएसआईसी ने आईसी योजना के तहत 18–20 अक्टूबर, 2023 तक दक्षिण कोरिया के किनटेक्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी–कोरिया मेटल वीक में 08 एमएसएमई की भागीदारी की सुविधा प्रदान की । मेले की रूपरेखा में शामिल हैं– फास्टनर और तार, ट्यूब और पाइप, फाउंड्री और डाई–कास्टिंग, ऑटोमोबाइल और मशीन घटक, प्रेस और फोर्जिंग, सरफेस ट्रीटमेंट और पेंटिंग, 3डी तकनीक, औद्योगिक मशीनरी, वेल्डिंग, लेजर आदि।

IV. मंच और कार्यक्रम

(i) एनएसआईसी ने एमएसएमई मंत्रालय की ओर से लघु और मध्यम उद्यम प्रशासन (एसएमईए), आर्थिक मामलों के मंत्रालय (एमओईए), ताइवान और आईटीआरआई, ताइवान के साथ मिलकर 7 सितंबर, 2023 को मुंबई में दूसरा भारत–ताइवान एसएमई सहयोग मंच आयोजित किया। एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव (एसएमई) सुश्री मर्सी एपाओ ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया, जबकि एसएमईए, एमओईए, ताइवान के महानिदेशक श्री चिन त्सांग हो ने 33 सदस्यीय ताइवानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें 13 अधिकारी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के आठ उद्यमों के 20 प्रतिनिधि शामिल थे। मंच का विषय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग था। दोनों पक्षों ने क्रमशः भारत और ताइवान में एसएमई के विकास पर अपने अनुभवों और सूचनाओं का आदान–प्रदान किया।

भारतीय और ताइवानी उद्यमों के बीच सहयोग के अवसर प्रदान करने के लिए 25 भारतीय उद्यमों और 8 ताइवानी उद्यमों के बीच एक–से–एक व्यावसायिक (बी2बी) बैठकें भी आयोजित की गईं। एनएसआईसी ने मेसर्स एलआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (परफेक्ट ब्रेड) फरीदाबाद, याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत , विस्टा प्रोसेस्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई और कैंडोर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में ताइवानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल का औद्योगिक दौरा भी आयोजित किया। प्रतिनिधिमंडल को फैक्ट्री का दौरा कराया गया और कंपनी के उद्योग गुणवत्ता मानकों के पालन को देखा गया । बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी विनिमय के अवसरों की भी खोज की।

(ii) मई, 2023 को भारतीय चौंबर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस (आईसीआईबी) द्वारा नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एमएसमएई गोइंग ग्लोबल इवेंट" में भाग लिया। इस कार्यक्रम में लगभग 50 निर्यातकों/एमएसमएई ने भाग लिया।

V. वर्ष के दौरान एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न समकक्ष संगठनों अर्थात म्यांमार, मास्टरकार्ड फाउंडेशन, ताइवान, स्लोवेनिया, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, बेलारूस, थाईलैंड, जिबूती आदि के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं।

7) सूचना प्रौद्योगिकी

एनएसआईसी एमएसएमई के समर्थन के लिए एक प्रमुख संगठन है, एनएसआईसी विभिन्न नई पहलों और प्रगतिशील सुधारों के माध्यम से अपने आईटी बुनियादी ढांचे का पुनरूद्धार करने की प्रक्रिया में है। कंपनी न केवल अपने व्यवसाय संचालन में वृद्धि के लिए बल्कि सुरक्षित वातावरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है।

कंपनी की एक द्विभाषी वेबसाइट है जिसे ''भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश'' के अनुसार अद्यतन जानकारी के साथ बनाए रखा जाता है।

पूरे भारत में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन, क्लाउड पर टैली का केंद्रीकरण, ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन, एनएसआईसी के अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की नीति, कंपनी द्वारा अपनी परिचालन और वित्तीय दक्षता बढ़ाने के लिए की गई कुछ पहलों में से हैं। वर्ष के दौरान, निम्नलिखित आईटी पहल की गई हैं:

(i) ई–ऑफिस: नवीनतम संस्करण 7X में माइग्रेशनः कार्यालय के काम के सुचारू संचालन और बेहतर डिजिटलीकरण के लिए ई–ऑफिस को संस्करण 7Xमें अपग्रेड किया गया है। ई–ऑफिस का उन्नत उदाहरण मार्च 2024 में लाइव किया गया था।

(ii) वेतन सॉफ्टवेयर का केंद्रीकरण: मुख्यालय स्तर पर निगम के सभी कर्मचारियों के वेतन की तैयारी के लिए वेतन सॉफ्टवेयर को केंद्रीकृत किया गया है।

(iii) केंद्रीकृत अवकाश प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन: केंद्रीकृत अवकाश प्रबंधन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है और इसे बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और केंद्रीकृत वेतन सॉफ्टवेयर के लिए जोड़ा गया है

8) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में एनएसआईसी की सेवाएं

एनएसआईसी (उत्तर पूर्व), गुवाहाटी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की हैं:

i) 5 मई, 2023 को दीमापुर (नागालैंड) में आत्मनिर्भर भारत कोष के लिए जागरूकता कार्यक्रम में 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ii) 27 जून, 2023 को एनएसआईसी कार्यालय में एमएसएमई दिवस में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iii) 26 जुलाई, 2023 को एनएसआईसी शाखा कार्यालय – गुवाहाटी में एफआईएनईआर के साथ एनएसआईसी योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम में 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iv) 15 सितंबर, 2023 को एनएसआईसी कार्यालय और बामुनीमैदान, गुवाहाटी के औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियों (विशेष अभियान) में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

v) 23–24 सितंबर, 2023 को गुवाहाटी में आयोजित एग्री एक्सपो में 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

vi) 29 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक गुवाहाटी में आयोजित एनई एक्सपो 2023 (फिनर द्वारा आयोजित नॉर्थ ईस्ट वुड एंड बिल्ड एक्सपो) में 110 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

vii) 1 अक्टूबर, 2023 को गुवाहाटी के बामुनी मैदान के औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती (पूर्वोत्तर प्रांत) के साथ श्रमदान के एक तारीख एक घंटा एक साथ में 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

viii) 9 नवंबर, 2023 को शिलांग (मेघालय) में आयोजित एससी/एसटी हब कॉन्क्लेव में 605 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ix) 6 अक्टूबर, 2023 को ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित एससी/एसटी हब कॉन्क्लेव में 650 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

x.) 53 प्रतिभागियों ने 1 नवंबर, 2023 से 17 नवंबर, 2023 तक गुवाहाटी में आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय गुवाहाटी व्यापार मेले में भाग लिया।

xi) 51 प्रतिभागियों ने 18 दिसंबर, 2023 से 22 दिसंबर, 2023 तक आइजोल में आयोजित दूसरे विंटर वंडरलैंड में भाग लिया।

xii) 683 प्रतिभागियों ने 31 मार्च, 2024 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 9 ई–टेंडरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

xiii) 201 प्रतिभागियों ने 31 मार्च, 2024 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 6 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लिया।

xiv) 685 प्रतिभागियों ने 31 मार्च, 2024 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 12 विशेष जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया।

xv) 41 प्रतिभागियों ने 12–19 जनवरी, 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित एपी एग्रो टूरिज्म एक्सपो में भाग लिया।

xvi) 18–21 जनवरी, 2024 को दीमापुर में आयोजित दूसरे नागालैंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

xvii) 06–07 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम के 18वें संस्करण में 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पूर्वोत्तर में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण सह इनक्यूबेशन सेंटर (गुवाहाटी) द्वारा 31 मार्च, 2024 तक विभिन्न ट्रेडों के तहत 2471 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

9) एमओयू प्रदर्शन

आपकी कंपनी और उसके प्रशासनिक मंत्रालय यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच हर साल एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। एनएसआईसी ने वर्ष 2022–23 के लिए ''बहुत अच्छी'' रेटिंग हासिल की है।

10) वार्षिक समीक्षा सम्मेलन–2023

वर्ष के दौरान, वार्षिक समीक्षा सम्मेलन–2023 का आयोजन उदयपुर (राजस्थान) में किया गया। एनएसआईसी ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों (एमएसएमई के लाभ के लिए योजनाएं) में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर, एनएसआईसी ने ''सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड अचीवर्स'' पुस्तक का भी विमोचन किया।

11) भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती. द्रौपदी मुर्मू झारखंड प्रदर्शनी में एनएसआईसी स्टॉल की शोभा बढ़ा रही हैं

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती. श्री द्रौपदी मुर्मू के साथ श्री. राधाकृष्णन, झारखंड के माननीय राज्यपाल, श्री. अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री। 25 मई 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित महिला एसएचजी सम्मेलन के दौरान हेमंत सोरेन ने एनएसआईसी स्टॉल की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर, क्षेत्र में उद्यमिता, कौशल विकास और एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि के लिए एनएसआईसी की विभिन्न पहलों की जानकारी दी गई।



भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ श्री राधाकृष्णन, झारखंड के माननीय राज्यपाल, श्री अर्जुन मुंडा , माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 25 मई, 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित महिला एसएचजी सम्मेलन के दौरान एनएसआईसी स्टॉल की शोभा बढ़ाई ।

12) एनएसआईसी ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया

31 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, एनएसआईसी अधिकारियों ने भारत की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए एकता शपथ ली। इसके बाद श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (पी एंड एम) और श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त), एनएसआईसी द्वारा ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान उत्साहपूर्वक गाया गया। एनएसआईसी कर्मचारियों ने भी सरदार वल्लभभाई पटेल के सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करते हुए ई–शपथ ली।

13) एनएसआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

एनएसआईसी ने 8 मार्च, 2024 को एनएसआईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, सभी महिला

कर्मचारियों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया और नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिला उद्यमियों और महिला कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। एनएसआईसी ने उन महिला उद्यमियों को भी सम्मानित किया जो संगठन की लंबे समय से सहयोगी रही हैं, उनकी सफलता की यात्रा में एनएसआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए।



एनएसआईसी ने 8 मार्च, 2024 को एनएसआईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय है प्रेरणा समावेशन, जिसका उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

14 एनएसआईसी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाया

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, एनएसआईसी ने एनएसआईसी कर्मचारियों को जागरूकता के लिए मिशन लाइफस्टाइल (जीवन) की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वस्थ ग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए एनएसआईसी परिसर में पौधे लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का विषय प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है।



विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एनएसआईसी ने एनएसआईसी परिसर में पौधे लगाए।

15) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **"अनुलग्नक–क"** के रूप में संलग्न है।

16) निवेश

वर्ष 2023–2024 के दौरान आपकी कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा किए गए निवेश के अन्य विवरणों का उल्लेख वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियाँ के नोट संख्या 7 में किया गया है।

17) सार्वजनिक जमा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने संबंधित संकल्प पारित किया है।

18) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे प्रदर्शन और दक्षता में वृद्धि होती है। एनएसआईसी का प्रशिक्षण प्रभाग योग्यता अंतराल और संगठनात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। अधिकारी पेशेवर विकास के लिए प्रसिद्ध संस्थानों/विभागों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

एनएसआईसी ने अपने कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में POSH दिशानिर्देश, सार्वजनिक खरीद, साइबर सुरक्षा आदि सहित कई विषयों पर ऑनलाइन और

ऑफलाइन मोड के माध्यम से 13 इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

उपरोक्त के अलावा, 42 कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों और विभागों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रतिनियुक्त किया गया। भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान, ISTE (MHRD), भारत सरकार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY), सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलनै(COPE), भारत सचिवालय प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान (IISTD), अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (AJNIFM), उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C&DAC), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) आदि।

एनएसआईसी ने अनुसंधान, विकास और परामर्श (RDC) योजना के तहत देश के अग्रणी व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग से सार्वजनिक उद्यम विभाग (क्च्) द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने कर्मचारियों को भी नियुक्त किया।

ये सभी केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति को आगे बढ़ाने वाले एनएसआईसी कर्मचारियों के व्यवहारिक, कार्यात्मक और तकनीकी कौशल में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

विभिन्न श्रेणी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या.

क्र.सं.	वर्ग	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
1	क	325
2	ख	43
3	ग	20
4	घ	0
कुल		**388**

19) मानव संसाधन और प्रबंधन

1. 31 मार्च 2024 को कंपनी की कुल जनशक्ति 591 थी। जनशक्ति का विभाजन निम्न प्रकार था:

विवरण	31.03.2024 तक
प्रबंधकीय	**439**
सुपरवाइजरी	81
गैर–पर्यवेक्षी	71(अनुबंध पर 10 ईए सहित
कूल	**591**

2. वर्ष 2023–24 के दौरान, विभिन्न छैप्ड कर्मचारी यूनियनों के साथ बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे गए। कोई गेट मीटिंग और हड़ताल नहीं हुई। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और यदि कोई हो तो उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए समय–समय पर यूनियनों के साथ बैठकें की गईं। इसके परिणामस्वरूप, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए।

3. एनएसआईसी अपने कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का विस्तार करता है। इनमें गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम, संघबद्ध कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, कर्मचारी भविष्य निधि, परोपकारी निधि योजना, सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए एनएसआईसी छात्रवृत्ति योजना, एनएसआईसी पारिवारिक पेंशन योजना, सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु, एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र में मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अपनी पसंद के अनुसार मुफ्त प्रशिक्षण, कंपनी में 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उपहार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति पर उपहार, सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति आदि शामिल हैं। इसके अलावा, आईडीए कर्मचारियों के लिए एनएसआईसी कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन योजना भी लागू है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

कंपनी द्वारा, आरक्षित श्रेणियों जैसेकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों का पालन किया गया। सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पद आधारित आरक्षण रोस्टर रखा जा रहा है, जिसका निरीक्षण निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के निगम के संपर्क अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से किया जाता है। समूह सी एंड डी पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को समयमान पदोन्नति में पात्रता अवधि के संदर्भ में एक वर्ष की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दिव्यांग उम्मीदवारों को सीधी भर्ती पर चयन के मामले में अंकों में छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

श्रेणी के कर्मचारियों को, बाहर के रोज़गार के लिए उचित माध्यम से आवेदन करने के असंख्य अवसर दिए जाते हैं, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अलावा कर्मचारी, बाहर के रोज़गार के लिए केवल दो बार आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को सीधी भर्ती में, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आयु में छूट दी जाती है।

4. **31 मार्च, 2024 को कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:**

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 तक
1	अनुसूचित जाति	96
2	अनुसूचित जनजाति	12
3	अल्पसंख्यक	56
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	118
5	पीडब्ल्यूडी	21
	कुल	**295**

20) शिकायत निवारण तंत्र

एनएसआईसी ने शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को परिभाषित किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास एमएसएमई इकाइयों/ हितधारकों की शिकायतों से निपटने के लिए एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली भी है। कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों वाली शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

21) यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीति

कंपनी में, यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आईसीसी–एनएसआईसी को एक यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

22) कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी ने किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

23) सतर्कता क्रियाकलाप

(i) सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का आयोजन सत्यनिष्ठा शपथ लेने के साथ शुरू किया गया है। इसके अलावा, एनएसआईसी में "भ्रष्टाचार को न कहेंय राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें" विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता और वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई।

(ii) एनएसआईसी मुख्यालय द्वारा 19 अक्टूबर, 2023 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से पीआईडीपीआई और "भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें" पर उचित जोर देने के साथ निवारक सतर्कता पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से 353 प्रतिभागियों ने सेमिनार में भाग लिया।

(iii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान 3 नवंबर, 2023 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में सीवीओ, एनएसआईसी द्वारा पीआईडीपीआई पर प्रस्तुति दी गई, जिसमें लगभग 700 प्रतिभागी मौजूद थे। यह पहला ऐसा कार्यक्रम था, जिसे एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी, एनएसआईसी और अन्य के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया था।

(iv) एनएसआईसी, सतर्कता प्रभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने और वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करने के लिए सतर्कता मंजूरी पोर्टल – ''नोविका'' शुरू किया है। सतर्कता मंजूरी और वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करने के लिए सभी कर्मचारियों को सहायता प्रदान की गई। इससे सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने और रिकॉर्ड को अद्यतन करने में लगने वाले समय और ऊर्जा में भारी कमी आई है।

(v) सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित निवारक, औचक और सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए जाते हैं।

(vi) सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सीवीसीध आंतरिक संदर्भ से शिकायतों का निपटारा किया गया और सभी विभागों को कारण बताओ,

आरोप पत्र, डीए नोट और दोषी अधिकारियों की जांच तैयार करने में सहायता की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित होने पर सीवीसी मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक जांच की गई। जांच के बाद दस्तावेजी और अन्य ऐसे साक्ष्यों के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गई और समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट की गई।

(vii) मंत्रालय के साथ–साथ अन्य एजेंसियों को मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक डेटाध्सूचना की समय पर रिपोर्टिंग। संबंधित विभाग और आईएसओ प्रभाग के समन्वय में विभिन्न सिस्टम सुधार, मैनुअल और प्रक्रियाओं का अद्यतन किया गया है। एनएसआईसी वेब पोर्टल पर सूचना का और अद्यतन आईटी प्रभाग के माध्यम से किया गया।

24) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को सीएसआर बजट का 60% ''स्वास्थ्य और पोषण'' विषय पर खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान, सामाजिक विकास के लिए जल स्वच्छता और स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने, कौशल विकास आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहल की गई हैं। वर्ष 2023–24 के लिए, स्वीकृत सीएसआर बजट 2.89 करोड़ रुपये था और कंपनी ने वर्ष के दौरान 2.15 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बोर्ड ने 74 लाख रुपये (लगभग) की लागत वाली कुछ चालू परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान भी जारी रखा जाएगा।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप है, जैसा कि संशोधित किया गया है और यह https%//www.nsic.co.in./Corporate/CSRPolicy पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न स्वीकृत सीएसआर पहलों का विवरण इस प्रकार है। क) बेलगावी जिले (कर्नाटक) ख में एचआईवी पॉजिटिव बच्चों और जरूरतमंद लोगों के लिए एम्बुलेंस खरीदना इ) स्वच्छ गंगा कोष में योगदान ग) स्वच्छ भारत कोष में योगदान क) आरओ की स्थापना। शामतोर जिला (नागालैंड) में संयंत्र ई) सरकारी मिडिल स्कूल, शामतोर जिला (नागालैंड) के लिए शौचालय का निर्माण एफ) पीएचईडी वार्ड और मेडिकल वार्ड (नागालैंड) में 2 (दो) जल भंडारण टैंकों का निर्माण जी) नंद नगर नारी गौ सदन, पंचायत–अटारी, मधुबनी जिला (बिहार) में गौशाला का निर्माण एच) जिला कटनी (मध्य प्रदेश) में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली हाशिए पर रहने वाली महिलाओंध्लड़कियों को सिलाई और कढ़ाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना आई) सुंदरबन क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) के विभिन्न गांवों में ट्यूबवेल (हैंड पंप) की स्थापना के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना जे) पुरबा मेदनीपुर जिले (पश्चिम बंगाल) में नेत्र देखभाल/मोतियाबिंद सर्जरी को बढ़ाने के लिए फेको इमल्सीफायर मशीन की खरीद।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के लिए **"अनुलग्नक–बी"** के रूप में संलग्न है।



सीएसआर पहल एनएसआईसी द्वारा जल स्वच्छता और स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कदम उठाए गए

25) लेखापरीक्षक

i) आंतरिक लेखापरीक्षक

एनएसआईसी के पास कंपनी की सभी लेखा इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक घेरेलु आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के साथ–साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध सीए फर्मों से चुने गए लेखापरीक्षक हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी गई।

ii) सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिाक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने अपनी में कोई शर्त आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, या अदाकरण नहीं किया है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टें) इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

iii) सचिवालयी लेखापरीक्षा

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मैसर्स वापन एण्ड वी एसोसिएटस व्यवसायी कंपनी सचिवों को निगम की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक–ग" के रूप में संलग्न है।

iv) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

26) वार्षिक विवरणी

अधिनियम की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल कर दिया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिटर्न का मसौदा कंपनी की वेबसाइट https%//www.nsic.co.in/Corporate/AnnualReturns (अपलोड किया जाना है) पर उपलब्ध है। कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद, 31 मार्च, 2024 तक का वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल किया जाएगा और उसी वेबलिंक पर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

27) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सहित अपने व्यवसाय के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है। आपकी कंपनी, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है।

28) राजभाषा

कंपनी में हिंदी के प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन तथा राजभाषा विभाग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना वर्ष 2023–24 के दौरान जारी रहा। इसके अलावा, हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विशेष क्रियाकलाप किए गए:

- कंपनी में 14 सितंबर 2023 को ''हिंदी दिवस'' मनाया गया, जिसमें मुख्यालय के विभागाध्यक्षों के साथ–साथ एनसीआर में स्थित उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस दिन माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के हिन्दी दिवस संदेश पढ़े गए।
- कंपनी में 14 सितंबर, 2023 से 29 सितंबर, 2023 तक के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया और कंपनी में 06 विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य ध्यान केंद्र, कर्मचारियों को दिन–प्रति दिन के सरकारी कार्य में हिंदी के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रेरित करना था।
- राजभाषा विभाग, (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023–24 को निगम के सभी प्रभागा/यक्षों

एवं अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

- कंपनी के मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों के लिए राजभाषा वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन तैयार किया गया और उसे कार्यान्वित किया गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–2) दिल्ली के मार्गदर्शन में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में कंपनी की ओर से अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया।
- पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित कुल राशि में से 50 प्रतिशत से अधिक राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई।
- वर्ष 2023–24 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उपसमिति द्वारा 03 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया तथा राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये।

29) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई अधिनियम 2005 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी का अनुरोध कर सकता है जिसे वेबलिंक https://www.nsic.co.in/Corporate/RTI के तहत एनएसआईसी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या rtionline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएसआईसी को 173 आवेदन प्राप्त हुए और पिछले वर्ष के 6 आवेदन लंबित थे, जिनमें से 172 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

30) पुरस्कार और सम्मान

(i) एनएसआईसी ने सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग ब्रांड पुरस्कार जीता

एनएसआईसी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास और वृद्धि में अपने अनुकरणीय योगदान को मान्यता देते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार "सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग ब्रांड" जीता है। एनएसआईसी उद्यमियों को सशक्त बनाने और घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में उनके विपणन प्रयासों में उनका समर्थन करने के लिए एनएसआईसी के प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के बीच खड़ा हुआ।



एनएसआईसी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में अपने अनुकरणीय योगदान को मान्यता देते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग ब्रांड का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है।

(ii) एनएसआईसी को प्रदर्शनी शोकेस संपादकों की पसंद का पुरस्कार दिया गया

एनएसआईसी को भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए एमएसएमई को दिए जा रहे समर्थन के लिए 07 जुलाई, 2023 को आयोजित प्रदर्शनी उत्कृष्टता पुरस्कार और शिखर सम्मेलन 2023 में संपादकों की पसंद का पुरस्कार दिया गया है।

31) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने का विवरण

सेवा क्षेत्र में होने के कारण एनएसआईसी के पास कोई विनिर्माण इकाई नहीं है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्तुतिकरण नहीं है। हालाँकि, एनएसआईसी द्वारा ऊर्जा

संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग और ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश के बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

एनएसआईसी ने नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, राजकोट और हावड़ा (CAPEX मॉडल) में एनएसआईसी बिल्डिंग पर 220.08 लाख रुपये के कुल पूंजी निवेश पर 559.90 kWp रूफ टॉप ग्रिड से जुड़ी सौर प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित की है। विभिन्न स्थानों पर स्थापित क्षमताओं का विवरण इस प्रकार है:

कार्यालय का स्थान	क्षमता (केडब्ल्यूपी)
ईएमडीबीपी हैदराबाद एण्ड एनटीएससी हैदराबाद	237.195
मुख्य कार्यालय और एनटीएससी–ओखला	133.560
चैन्नई	89.145
एनटीएससी–राजकोट	50
एनटीएससी–हावड़ा	50

32) सहायक कंपनी

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे एसआरआई निधि को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि एनवीसीएफएल की पहली योजना है।

एनवीसीएफएल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत 1 सितंबर 2021 से अपनी पहली योजना आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि के लिए। श्रेणी–।। वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। एसआरआई निधि मदर/डॉटर निधियों का एक संयोजन है। भारत सरकार एकमात्र एंकर निवेशक है और चरणबद्ध तरीके से मदर फंड को 10,000 करोड़ की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कुल 53 सहायक निधियों को एसआरआई फंड (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक निधियों ने इन एमएसएमई में 7649 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 432 संभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान की है।

33) सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के साथ 69वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष भी रखा जाएगा। अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा 3 के अनुसार, फॉर्म एओसी–1 में एनएसआईसी (अर्थात् एनवीसीएफएल) की सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं संबंधी एक विवरण **"अनुलग्नक–घ"** के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(6) के अर्थ के भीतर कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं हैं।

34) संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध या समझौतों का विवरण

अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षों के लेन–देन को लेखा–टिप्पणियों में शामिल किया गया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में रिपोर्ट के साथ **"अनुलग्नक–ङ"** के रूप में संलग्न है।

35) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012

एनएसआईसी ने एमएसई और एससी/एसटी और महिला नेतृत्व वाले एमएसई से खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए 2023–24 के दौरान कुल रूपये 36.67 करोड़ की खरीद की है। विवरण इस प्रकार हैं:

खरीद	लक्ष्य (कुल खरीद पीपी नीति के अनुसार)	उपलब्धि
एमएसएमई से खरीद	25%	24.77 करोड रू (67.54%)
एससी/एसटी एमएसएमई से खरीद	4%	4.42 करोड रू (12.05%)
महिला एमएसएमई से खरीद	3%	1.16 करोड रू (3.16%)
जैम से खरीद	100%	30.48 करोड रू (83.12%)

36) विदेशी मुद्रा

वर्ष 2023–24 के दौरान कुल विदेशी मुद्रा में कुल व्यय 3.55 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2022–23 में 3.33 करोड़ रुपए था।

37) एनएसआईसी – एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी

एनएसआईसी ने अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001:2015 वर्जन की स्थापना करके अपने सभी हितधारकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी प्रणाली की लगातार समीक्षा, परिष्करण और उन्नयन किया है। वर्तमान में, एनएसआईसी के कुल 51 आईएसओ प्रमाणित कार्यालय हैं अर्थात 45 शाखा कार्यालय, 8 एनटीएससी और प्रधान कार्यालय। आईएसओ प्रमाणपत्र को 22 मई, 2024 से 25 मई, 2027 तक की अवधि के लिए मैसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवीनीकरण किया गया और इसे जारी किया गया था।

इस अवधि के दौरान, मैनुअल के प्रदर्शन/लेआउट को इंट्रानेट पर संशोधित किया गया है ताकि संशोधन कॉलम की शुरूआत के साथ आसान और त्वरित पुनर्प्राप्ति हो सके। इसके अलावा, आईएसओ की ऑनलाइन प्रक्रिया, ग्राहक प्रतिक्रिया, संशोधित प्रारूप आदि के संबंध में कई नई पहल भी की गई हैं। आईएसओ विभाग ने महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान और शमन योजना तैयार करने के लिए कर्मचारियों को भी संवेदनशील बनाया है। क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यात्मक प्रक्रियाओं में योजनावार जोखिम मूल्यांकन और जोखिमों की मात्रात्मक रेटिंग पर विभिन्न सत्रों के दौरान विचार–विमर्श और विश्लेषण किया गया है।

38) निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वर्ष 2023–24 के दौरान और अद्यतन तिथि तक, कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य को 2 मई, 2024 से एनएसआईसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख) एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एआरआई) श्री विपुल गोयल को 1 मई, 2024 तक एनएसआईसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

ग) श्री गौरव गुलाटी को 09 मई, 2023 से एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

घ) एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मर्सी एपाओ को 30 जून, 2023 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मर्सी एपाओ एनएसआईसी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक भी हैं।

ड़) एमएसएमई मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार श्रीमती सिम्मी चौधरी को 8 नवंबर, 2023 से श्रीमती समीरा सौरभ के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (योजना और विपणन), निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है। निदेशक (वित्त) को कंपनी के सीएफओ के रूप में भी नामित किया गया है।

वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल की छः बैठकें आयोजित की गई थी। इसके अलावा, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठक, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक और अन्य उप–समितियों की बैठकें आयोजित की गई थी। बैठकों का विवरण कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

39) निदेशकों का दायित्व संबंधी विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय, सारवान विपथनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ–साथ लागू होने वाले लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कारपोरेशन की अद्यतन तथा समीक्षाधीन अवधि में निगम के लाभ या हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल बरती है;
- वित्तीय विवरण, सतत कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- लागू होने वाले सभी कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की और यह प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं;

40) कॉरपोरेट सुशासन

कॉरपोरेट सुशासन पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **"अनुलग्नक–च"** के रूप में संलग्न है।

41) आभार

निदेशक मंडल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रति उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहता है।

बोर्ड कंपनी के सभी ग्राहकों, बैंकरों और सभी हितधारकों का भी कंपनी में अपना विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड वैधानिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए सहयोग की भी सराहना करता है। निदेशक मंडल इस अवसर पर एनएसआईसी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रयासों की भी ईमानदारी से सराहना करता है।

ह./–
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 8 **नवंबर**, 2024

अनुबंध–क

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

i. उद्योग संरचना और विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, इस क्षेत्र ने नीति निर्माताओं, निवेशकों और उद्यमियों से समान रूप से पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है। एमएसएमई हमारे उद्योग और व्यावसायिक वातावरण के पावरहाउस के रूप में कार्य करते हैं। 6.4 करोड़ से अधिक उद्यमों को शामिल करने वाला यह क्षेत्र 11 करोड़ से अधिक नौकरियों और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 29% से अधिक का योगदान देकर एक सर्वोपरि भूमिका निभाता है।

एमएसएमई भारत के विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी टिकाऊ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) की दृष्टि से, एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना अनिवार्य है, जैसे औपचारिकीकरण और समावेशन, ऋण तक पहुँच, बाजार तक पहुँच, प्रौद्योगिकी तक पहुँच, डिजिटलीकरण तक पहुँच, अवसंरचना संबंधी अड़चनें और अपर्याप्त कौशल/पुनः कौशलीकरण आदि।

भारत की आर्थिक वृद्धि और निर्यात क्षमता में एमएसएमई की अपरिहार्य भूमिका को पहचानते हुए, सरकार ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र, सहायक नीतियाँ, नवीन वित्तीय सहायता योजनाएँ, बढ़ी हुई निधि पहुँच, रणनीतिक भागीदारी और कारोबारी माहौल सुधार बनाने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है, जिससे उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाया जा सके।

इसके अलावा, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई सहायक पहल भी की गईं, जैसे कि एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई से 3% की खरीद का अनिवार्य प्रावधान, सीजीटीएमएसई के तहत वार्षिक गारंटी शुल्क में रियायत, पीएमईजीपी के तहत विभिन्न सब्सिडी आदि।

ii. प्रचालन और वित्त संबंधी कार्य–निष्पादन

एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के मिशन के साथ, एनएसआईसी ने मार्केटिंग, क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं को शामिल करते हुए एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करके एमएसएमई की सुविधा के अपने प्रयासों को जारी रखा। परिचालन से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 18.16% की वृद्धि दर्ज की गई और यह वित्त वर्ष 2022–23 में 2769.54 करोड़ रुपये के मुकाबले 3273.18 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने कर से पहले 170.64 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.10% की वृद्धि है।

कंपनी ने एमएसएमई को विपणन सहायता कच्चे माल वितरण (2698.62 करोड़ रुपये), ऋण सहायता (7626.91 करोड़ रुपये), प्रौद्योगिकी सहायता (66,765 प्रशिक्षु) पर विशेष ध्यान देने के साथ एकीकृत समर्थन की सुविधा देकर सुविधा प्रदान करके अपनी भूमिका निभाना जारी रखा।

iii खंड–वार कार्य–निष्पादन

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्रिया–कलाप मोटे तौर पर "संवर्धनात्मक" और "वाणिज्यिक" के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता, सरकार और/या इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'प्रषिक्षण संस्थानों के लिए सहायता' और 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब 'उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रमों', पीएम विश्वकर्मा 'खरीद और विपण न सहायता योजना', 'राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार योजना', आदि को 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलापों के अधीन दर्शाया जाता है, जिनके लिए निगम को बजट संबंधी सहायता प्रदान की जाती है और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित दिशा–निर्देशों के रूप में जहाँ कही लागू है। प्रशासनिक व्यय का प्रावधान किया जाता है। संगठन/प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों), क्रेता–विक्रेताओं की बैठक, गहन अभियान, अन्य विपणन सहायता सेवा (विज्ञान, प्रचार आदि) का व्यय और प्रशिक्षण व्यय, उपर्युक्त

योजनाओं के लिए प्रदान किए जाने वाली बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

अन्य बातों के साथ–साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप भी शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन' (जिसमें टेंडर विपणन और कच्चे माल का वितरण भी शामिल है), 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता सेवाएं' उपलब्ध कराता है। निगम द्वारा इन 'समेकित' सहायता सेवाओं के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलापों, परंतु जो संवर्धनात्मक प्रकृति के हैं (जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता करने के उद्देश्य से किए जाते हैं), का विलय वाणिज्यिक क्रियाकलापों में कर दिया गया है, क्योंकि निगम द्वारा ऐसे क्रियाकलापों के व्यय को वहन किया जाता है। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों यथा 'वाणिज्यिक' और 'संवर्धनात्मक' में विभाजित किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया) द्वारा जारी किए गए "खंड रिपोर्टिंग" संबंधी भारतीय लेखाकरण मानक–108 के अनुसार अपेक्षित नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के कारोबार खंड में राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्तियों और देयताओं संबंधी सूचना दर्शाई गई है।

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खंड – कारोबार खंड	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**
I. खंड राजस्व (अनुदान सहित)						
– वर्ष के दौरान स्वीकृत सरकारी अनुदान	13827.28	.	13827.28	10508.11	.	10508.11
– उत्पादों की बिक्री	.	276408.88	276408.88	.	232491.66	232491.66
– सेवाओं की बिक्री	.	13578.73	13578.73	.	10994.01	10994.01
– अन्य	.	37699.95	37699.95	.	33688.80	33688.80
जोड़	**13827.28**	**327687.56**	**341514.84**	**10508.11**	**277174.47**	**287682.58**
II. खंड व्यय (अनुदान के अनुसार व्यय सहित)						
–वर्ष के दौरान स्वीकृत सरकारी अनुदान से किया गया व्यय	13827.28	.	13827.28	10508.11	.	10508.11
–अन्य	.	310637.09	310637.09	.	262363.27	262363.27
–कुल	**13827.28**	**310637.09**	**324464.37**	**10508.11**	**262363.27**	**272871.38**
III. परिणाम						
क. खंड परिणाम	.	12655.77	12655.77	-	11048.27	11048.27
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ	.	28529.67	28529.67	-	23895.87	23895.87
ग. अदा किया गया ब्याज	.	11479.20	11479.20	-	9084.67	9084.67
घ. विशिष्ट मदें	.	(13.18)	(13.18)	-	(13.94)	(13.94)
ङ. कर–पूर्व लाभ	.	17063.65	17063.65	-	14825.14	14825.14
च. कर व्यय	.	4407.88	4407.88	-	3776.87	3776.87
छ. कर–पश्चात निवल लाभ		12655.77	12655.77		11048.27	11048.27
ज. अन्य व्यापक आय		71.47	71.47	-	28.98	28.98
झ. कुल व्यापक आय जिसमें लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है		12727.24	12727.24	-	11077.25	11077.25
III. परिसंपत्तियाँ और देयताएं						

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खंड – कारोबार खंड	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़
क. खंड परिसंपत्तियां	4499.00	295658.18	300157.18	4343.93	303263.23	307607.16
ख. अनाबंटित परिसंपत्तियां	-	-	21376.98	-	-	23210.69
ग. कुल परिसंपत्तियां	**4499.00**	**295658.18**	**321534.16**	**4343.93**	**303263.23**	**330817.85**
घ. खंड देयताएं	4633.75	166260.41	170894.16	10018.27	182413.13	192431.40
ङ. अनाबंटित देयताएं	-	-	150640.00	.	.	138386.45
च. कुल देयताएं	**4633.75**	**166260.41**	**321534.16**	**10018.27**	**182413.13**	**330817.85**
IV. अन्य सूचना						
(क) अचल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए इस अवधि के दौरान खर्च की गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	503.45	842.02	1345.47	498.88	653.49	1152.37
(ख) मूल्यह्रास #	342.95	842.91	1185.86	375.41	703.59	1079.00
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकद व्यय	-	14.04	14.04	-	38.75	38.75

संवर्धनात्मक खंड का मूल्यह्रास पूंजीगत आरक्षित राशि में प्रभारित किया जाता है।

iv. सामर्थ्य एवं चुनौतियों

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 68 वर्षों के अनुभव के साथ भारत सरकार का एक मिनी रत्न उपक्रम है, जिसके पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के कार्यचालन के बारे में व्यापक जानकारी आधार है और इसकी मौजूदगी पूरे देश में है तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तीय सहायता, विपणन, प्रौद्योगिकी और सूचना सहायता जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का एक समेकित पैकेज देता है। कंपनी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए देश और विदेशों में कुछ साझेदार संगठनों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग संगठनों/संघों के साथ मजबूत संबंध हैं। कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास और संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है। कंपनी का पर्याप्त परिसंपत्ति आधार, इसे अपने क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।

एनएसआईसी के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे एमएसएमई क्षेत्र को सेवाएँ प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं की तुलना में इसका संसाधन आधार छोटा है, सरकारी खरीद में एमएसई की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एमएसई के लिए 'खरीद वरीयता नीति' की अधिसूचना और कार्यान्वयन। कंपनी के अलावा, कुछ अन्य एजेंसियों को भी सरकारी खरीद के लिए एमएसई को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है। आय के संबंध में, कंपनी की आय का बड़ा हिस्सा एक ही उत्पाद से आता है।

v अवसर और जोखिम

एनएसआईसी द्वारा देश और विदेश में एमएसएमई इकाइयों को दी जा रही सेवाओं के लिए व्यापक

संभावनाएँ हैं। एनएसआईसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय परामर्श में भी सुविधा प्रदान करता है।

अवसरों के साथ–साथ कुछ खतरे भी हैं। विपणन, प्रौद्योगिकी सहायता और वित्तपोषण के क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा कंपनी की मुख्य गतिविधियों के लिए खतरा उत्पन्न होना। कच्चे माल के वितरण और निगम के मुख्य व्यवसाय क्षेत्र में बड़े खिलाड़ियों के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा एनएसआईसी पर राज्य एजेंसियों को प्राथमिकता देना एक चुनौती है।

vi. दृष्टिकोण–आगे का मार्ग

8% से अधिक की जीडीपी वृद्धि दर, चालू वित्त वर्ष में 7% से अधिक की अनुमानित जीडीपी वृद्धि और 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख

अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं।

एनएसआईसी 'ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग (टीईएएम) पहल की कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऑन–बोर्डिंग, कैटलॉगिंग सहायता, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों में इक्विटी निवेश किया जा रहा है। एनएसआईसी भी कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है (प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से) पीएम विश्वकर्मा योजना जो कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करती है, मान्यता, कौशल वृद्धि, उपकरण प्रोत्साहन, क्रेडिट सहायता, डिजिटल लेनदेन बोनस और विपणन सहायता प्रदान करती है।

एनएसआईसी हमेशा एमएसएमई को उनके समग्र विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था में और अधिक मूल्यवर्धन के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम में सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

vii **जोखिम और चिंताएं**

कंपनी उन जोखिमों की पहचान करती है और उनकी समीक्षा करती है जो नियमित व्यावसायिक गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं और इन जोखिमों को कम करने के लिए समय–समय पर उचित कदम उठाती है। प्रबंधन हितधारकों के मूल्य की रक्षा और वृद्धि के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के जोखिमों की समीक्षा और आकलन करने के लिए कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन समिति है। यह निदेशक मंडल की एक उप–समिति है और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्यापक ढांचे के साथ अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को भी संशोधित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम की पहचान से लेकर जोखिमों के शमन तक अपनाए जाने वाले तंत्र को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के व्यावसायिक संचालन को और मजबूत करने के लिए स्थायी संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है।

viii **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता**

कंपनी ने अपने कारोबार की मॉनीटरिंग करने और प्रभावी आचरण को सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ मैनुअल के अनुसार अपनी सभी योजनाओं की नीतियों और प्रक्रियाओं का अंगीकरण किया है और उन्हें सुदृढ़ किया है। स्कीमों का बेहतर कार्यान्वयन करने और कई एमएसएमई में स्कीमों के हितों का प्रसार करने के लिए आंतरिक दिशानिर्देशों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

कंपनी में कंपनी के फील्ड कार्यालयों सहित प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों से प्राप्त टेंडरों की जांच करने के लिए प्रधान कार्यालय के स्तर पर एक अलग प्रभाग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्रम में है, विभिन्न शाखा कार्यालयों की नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा घरेलू आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/ बाहरी आरबीआई पैनलबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा घरेलू आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा परिभाषित अनुसार आवधिक आधार पर की जाती है, जो कि क्षेत्रीय कार्यालयों के आकार और संचालन के अनुरूप है। लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की आपत्तियों / टिप्पणियों की समीक्षा करती है। वर्ष के दौरान, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न नीतियां भी जारी की गई हैं।

ix **मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में भौतिक विकास**

31 मार्च 2024 तक, कंपनी की कुल जनशक्ति 591 कर्मचारी थे, जिसमें प्रबंधकीय स्तर पर 439 कर्मचारी शामिल थे। एनएसआईसी कर्मचारियों के कार्यात्मक, तकनीकी और व्यवहारिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एनएसआईसी का एक विशेष प्रशिक्षण प्रभाग है जो देश भर में एनएसआईसी के सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित और प्रशासित करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, कंपनी के 388 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, वेबिनार, कार्यशालाओं, राष्ट्रीय बैठक आदि में भाग लिया। कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं।

x **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दिया गया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

xi संचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण के विवरण, जिनमें कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, प्रत्याशाओं, आकलनों का उल्लेख किया गया है, वर्तमान कारोबार परिदृश्य पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम सरकार की नीति से संबंधित निर्णयों और भावी आर्थिक परिदृश्य के आधार पर अभिव्यक्त किए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी बाद की घटनाओं या विकास के आधार पर ऐसे बयानों को संशोधित करने या संशोधित करने के लिए किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।।

8.5% की जीडीपी वृद्धि दर और 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं।

एनएसआईसी 'ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग (टीईएम) पहल की कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऑन–बोर्डिंग, कैटलॉगिंग सहायता, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों में इक्विटी निवेश किया जा रहा है।

एनएसआईसी को ''मेक इन इंडिया'', ''डिजिटल इंडिया'' और ''आत्मनिर्भर भारत'' अभियान जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ रणनीतियों को जोड़ना चाहिए। इसमें एमएसएमई अनुकूल नीतियों की वकालत करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि एनएसआईसी इन पहलों का समर्थन करने में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रहे। एनएसआईसी पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाली एजेंसी (प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से) भी है जो कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करती है, मान्यता, कौशल वृद्धि, उपकरण प्रोत्साहन, क्रेडिट सहायता, डिजिटल लेनदेन बोनस और विपणन सहायता प्रदान करती है।

जैसे–जैसे एमएसएमई तेजी से डिजिटल उपकरण और नई तकनीक अपना रहे हैं, एनएसआईसी उन पहलों का नेतृत्व कर सकता है जो क्षेत्र के भीतर डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाती हैं। स्थिरता पर बढ़ते जोर के साथ, एनएसआईसी एमएसएमई के भीतर हरित प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एनएसआईसी को एमएसएमई को वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने में अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एमएसएमई को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए एनएसआईसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पैमाने और पहुंच को बढ़ाना। हमें रणनीतिक आयोजनों और मीडिया संलग्नताओं के माध्यम से एनएसआईसी के ब्रांड को बढ़ाना चाहिए जो राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।

एनएसआईसी हमेशा एमएसएमई को उनके सतत विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम में सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है।

ह./–
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 8 **नवंबर**, 2024

अनुबंध ख

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखाः**

एनएसआईसी ने हमेशा सकारात्मक सामाजिक मूल्य प्रदान करने का प्रयास किया है और इसका उद्देश्य अपने सीएसआर पहलों के माध्यम से समुदाय को वापस देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। इस संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप सीएसआर निधि का योगदान दिया।

कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की अपनी 'कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति' है। नीति की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को सीएसआर बजट का 60% ''स्वास्थ्य और पोषण'' विषय पर खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान, जल स्वच्छता और स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने, कौशल विकास आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहल की गई हैं। वर्ष 2023–24 के लिए, स्वीकृत सीएसआर बजट 2.89 करोड़ रुपये था और कंपनी ने वर्ष के दौरान 2.15 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बोर्ड ने 74 लाख रुपये (लगभग) की राशि वाली कुछ चालू परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान भी जारी रखा जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न स्वीकृत सीएसआर पहलों का विवरण इस प्रकार हैः क) बेलगाम जिला (कर्नाटक) में एचआईवी पॉजिटिव बच्चों और जरूरतमंद लोगों के लिए एम्बुलेंस खरीदना ख) स्वच्छ गंगा कोष में योगदान ग) स्वच्छ भारत कोष में योगदान घ) शामटोर जिले (नागालैंड) में आरओ प्लांट की स्थापना ङ) सरकारी मिडिल स्कूल, शामतोर जिले (नागालैंड) के लिए शौचालय का निर्माण पीएचईडी वार्ड और मेडिकल वार्ड (नागालैंड) में 2 (दो) जल भंडारण टैंकों का निर्माण छ) नंद नगर नारी में गौसदन का निर्माण, पंचायत–अटारी, जिला मधुबनी (बिहार) ज) जिला कटनी (मध्य प्रदेश) के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हाशिए पर रहने वाली महिलाओं/लड़कियों को सिलाई–कढ़ाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कराना झ) सुंदरबन क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) के विभिन्न गांवों में ट्यूबवेल (हैंडपंप) की स्थापना के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ञ) पूर्वी चंपारण में नेत्र देखभाल/मोतियाबिंद सर्जरी को बढ़ाने के लिए फेको इमल्सीफायर मशीन की खरीद मेदनीपुर जिला (पश्चिम बंगाल)।

2. <u>सीएसआर समिति की संरचना</u> : 31 मार्च, 2024 तक एनएसआईसी की सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री विपुल गोयल, सीएमडी (28 अगस्त 2023 से प्रभावी)	अध्यक्ष	5	4
2	श्रीमती मर्सी एपाओ , सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	5	1
3	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन)	सदस्य	5	5
4	डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5	5
5	श्री कालन्दी चरण सामल , स्वतंत्र निदेशक (28 अगस्त 2023 से प्रभावी)	सदस्य	5	4

3. वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हों:

सीएसआर समिति की सरंचना कंपनी की वेबसाइट https://www.nsic.co.in पर उपलब्ध है ।

कंपनी की सीएसआर पहल सहित कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.nsic.co.in/Corporate/CSRPolicy पर उपलब्ध है।

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब–लिंक के साथ उपलब्ध कराएं, यदि लागू होः लागू नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से कटौती हेतु उपलब्ध राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (रु. में)
शून्य			

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः **रु. 1,44,23,96,344/–**

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः **रु. 2,88,47,927/–**

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः **शून्य**

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई होः **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष (7ए7बी–7सी) के लिए कुल सीएसआर दायित्वः **रु. 2,88,47,927/–**

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	खर्च न की गई राशि (रु. में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप्प् के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि।		
	राशि (रु. में)	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
2,15,14,000/-	73,75,454/-	22 अप्रैल, 2024	शून्य		

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : **रु.8,00,000/–** विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा : **रु. 2,07,14,000/–** ब्यौरा अनुलग्नक–II में संलग्न है।

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष (8बी+8सी+8डी+8ई) के लिए कुल व्यय राशि : **रु. 2,15,14,000/–**

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः शून्य

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	2,88,47,927/.
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	2,15,14,000/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौराः

क्र.सं.	के पिछले वित्तीय वर्ष	मात्रा इसे हस्तांतरित किया गया धारा 135(6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाता (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।		मात्रा सफल होने में खर्च करने के लिए शेष वित्तीय वर्ष (रु. में)
					मात्रा (रु. में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2022-23	.लागू नहीं					
2	2021-22	शून्य	शून्य	.	6,30,770/-	25 नवंबर, 2021	शून्य
3	2020-21	...लागू नहीं					

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरारू

क्र.सं.	प्रोजेक्ट आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति. पूर्ण/ जारी
शून्य								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति–वार विवरण)

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथिः शून्य

(ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशिः शून्य

(ग) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदिः शून्य

(घ) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित): शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएंः लागू नहीं

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 2.15 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है एवं शेष राशि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 73.75 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और कंपनी अधिनियम के अनुसार अलग–अलग अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जाएगा।

ह./–
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: **8 नवंबर**, 2024

अनुबंध I

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII से मद क्रमांक	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रु.में)	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान खर्च की गई राशि (रु . में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित राशि को "अव्ययित सीएसआर खाते" में स्थानांतरित किया जाएगा	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से (सीएसआर पंजीकरण संख्या)
1	(1)जिला अस्पताल में आरओ प्लांट की स्थापना (2) सरकारी मिडिल स्कूल, वाफर गांव के लिए शौचालय का निर्माण, शामटोर कस्बे में पीएचईडी वार्ड और मेडिकल वार्ड में 2 (दो) जल भंडारण टैंकों का निर्माण	मद संख्या (i), स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	नहीं	शमटोर जिला, नागालैंड	10,00,000	8,00,000	2,00,000	नही	सीएसआर000056085
2	नंद नगर नारी में गौसदन का निर्माण , पंचायत– अतरी, प्रखंड– लौकही ,	मद संख्या (iv), पशु कल्याण	हाँ	मधुबनी जिला, बिहार	18,58,804	शून्य	18,58,804	नहीं	सीएसआर00001464
3	अत्यधिक नियम–कायदों वाले क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में रहने वाली हाशिए पर रहने वाली महिलाओं / लड़कियों को सिलाई–कढ़ाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	मद संख्या (ii), महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण	नहीं	कटनी जिला मध्य प्रदेश	19,99,570	शून्य	19,99,570	नहीं	सीएसआर000060887

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण									
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII से मद क्रमांक	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रु.में)	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित राशि को "अव्ययित सीएसआर खाते" में स्थानांतरित किया जाएगा	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से (सीएसआर पंजीकरण संख्या)
	सुंदरबन क्षेत्र के 06 विभिन्न गांवों में 06 ट्यूबवेल (हैंडपंप) की स्थापना के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ,	मद संख्या (i), स्वास्थ्य देखभाल– सुरक्षित पेयजल	हाँ	दक्षिण 24 परगना , पश्चिम बंगाल	18,33,080	शून्य	18,33,080	नहीं	सीएसआर00001189
	पुरबा मे केएल राहा सेवा सदन में नेत्र रोगियों की नेत्र देखभाल और मोतियाबिंद सर्जरी को बढ़ाने के लिए फेको इमल्सीफायर मशीन की खरीद	मद संख्या (i), स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	मेदनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल	14,84,000	शून्य	14,84,000	नहीं	सीएसआर00006977
	कुल				**81,75,454**	**8,00,000**	**73,75,454**		

अनुबंध II

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण							
क्र. सं.	परियोजना की प्रकृति	अनुसूची VII से मद क्रमांक	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से (नाम और सीएसआर पंजीकरण संख्या)
1	एचआईवी पॉजिटिव बच्चों और जरूरतमंद लोगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था	मद संख्या (i), स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	बेलगावी जिला, कर्नाटक	6,04,000	नहीं	सीएसआर00003827
2	स्वच्छ गंगा कोश (सीजीएफ) में योगदान।	मद संख्या (iv), स्वच्छ गंगा कोष (सीजीएफ)	लागू नहीं	लागू नहीं	40,00,000	हाँ	लागू नहीं
3	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	मद संख्या (i), स्वच्छ भारत कोष	लागू नही	लागू नहीं	1,61,10,000	हाँ	लागू नहीं
कुल					**2,07,14,000**		

अनुबंध–ग

फॉर्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों

सीआईएनः यू74140डीएल1955जीओआई002481

एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली – 110020

हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (इसके बाद इसे **''कंपनी''** कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी की खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल की गई विवरणियों तथा निगम द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई, प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण। हम एतद रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 31 मार्च, 2024 ('लेखापरीक्षा अवधि') को समाप्त वर्ष अवधि हेतु, यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधान का अनुपालन किया गया है, और यह भी उल्लेख करते हैं कि इस हेतु कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएँ और अनुपालन–तंत्र विद्यमान है और एतद् निम्नानुसार किए गए रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए और कंपनी द्वारा तैयार किए गए बही–खातों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, पत्रावलियों, फाइल किए गए प्रपत्रों और विवरणियों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम, **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियमों और उपनियमों का लागू सीमा तक अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, एमसीए ने 22 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन से छूट दी और इसलिए यह कंपनी पर लागू नहीं है;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(V) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 **('एसईबीआई अधिनियम')** के अंतर्गत विनिर्धारित निम्नलिखित विनिमय और दिशानिर्देशः–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों

का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियमावली, 2011; **(जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) नियमावली, 2015 **(जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं शर्तें प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 **(जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियम 2021 **(जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 **(जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निगम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमावली, 1993, जो कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार के बारे में है **(जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियमावली, 2018 **(जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकयय

(ii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005–जीएम के अनुसार।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि,

1. बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2024 तक, बोर्ड में 1 (एक) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी), 2 (दो) कार्यात्मक निदेशक, 2 (दो) सरकारी नामित निदेशक और 2 (दो) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। कंपनी 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक से संचार की प्रतीक्षा कर रही है।

2. बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकों, वैधानिक समिति की बैठकों, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोटों को शेड्यूल करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, कुछ बोर्ड बैठकों और समिति की बैठकों को छोड़कर जो कम समय में आयोजित की गईं और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

3. लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई विशेष प्रभाव डालने वाली कोई विशेष घटना/कार्रवाई नहीं है।

कृते वापन और एसोसिएट्स
प्रेटीक्स कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी2015डीई045500
पीर रिव्यू सार्टिफिकेट सं. 975/2020

ह./–
प्रभाकर कुमार
सदस्य
एफसीएस संख्या 5781
सीओपी संख्याः 10630
आईसीएसआई यूडीआईएनः एफ005781एफ001052411

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.08.2024

नोटः यह रिपोर्ट हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो 'अनुलग्नक के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

"अनुबंध क"

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,
सीआईएनः यू74140डीएल1955जीओआई002481
एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली – 110020

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थीं। सत्यापन परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य दर्शाए जाते हैं। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा–बहियों की परिशुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ कहीं अपेक्षित था, हमने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

5. कार्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन–वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

6. फॉर्म एमआर–3 में हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल की गई पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच विभिन्न फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने तक सीमित थी, जिन्हें उक्त विनियमों के तहत कंपनी द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों के पास दाखिल किया जाना आवश्यक है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और कवरेज को सत्यापित नहीं किया है।

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी संभाव्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन–वर्ग ने निगम का कारोबार किया।

कृते वापन और एसोसिएट्स
प्रेटीक्स कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः **पी2015डीई045500**
पीर रिव्यू सार्टिफिकेट सं. 975/2020

ह./–
प्रभाकर कुमार
सदस्य
एफसीएस संख्या 5781
सीओपी संख्याः 10630
आईसीएसआई यूडीआईएनः **एफ**005781**एफ**001052411

दिनांकः 27.08.2024
स्थानः नई दिल्ली

"अनुबंध घ"

फार्म सं. एओसी–1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं संबंधी विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) की पहली शर्त के अनुसार)

भाग 'क': सहायक कंपनियाँ

(राशि के साथ प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी, रु. में)

(वित्तीय वर्ष 2023–24)

1	**सहायक कंपनी का नाम**	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड (एनवीसीएफएल)
2	**संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो**	लागू नहीं
3	**विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर**	लागू नहीं
4	**शेयर पूंजी:**	प्राधिकृत शेयर पूंजी – रु. 10 करोड; भुगतान की गई शेयर पूंजी – रु. 6 करोड़
5	**आरक्षित और अधिशेष**	रु. 659.33 लाख
6	**कुल परिसंपतियां**	रु. 1324.29 लाख
7	**कुल देनदारियां**	रु. 64.96 लाख
8	**निवेश**	रु. 56.91 लाख
9	**कारोबार**	रु. 726.03 लाख
10	**कर के पूर्व लाभ**	रु. 501.06 लाख
11	**कर के लिए प्रावधान**	रु. 126.37 लाख
12	**कराधान के बाद लाभ**	**रु. 374.69 लाख**
13	**प्रस्तावित लाभांश**	**रु. 112.40 लाख**
14	**शेयरधारिता का %**	**एनवीसीएफएल एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।**

नोट: निम्नलिखित जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगी:

1. सहायक कंपनियों के नाम जिनका संचालन अभी शुरू होना बाकी है: लागू नहीं
2. हायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया: लागू नहीं

ह./–
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 06727939

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 8 **नवंबर**, 2024

अनुबंध–ङ

फार्म – एओसी–2

वार्षिक अनुपालन – पार्टी संबंधित लेनदेन

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उनके परंतुक के तहत कुछ हाथ की लंबाई के लेनदेन शामिल हैं

1. अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन–देन का विवरण जो व्यक्तियों के बीच के आधार पर नहीं: वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पार्टी के साथ कोई सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सामग्री अनुबंध अथवा समझौते अथवा लेन–देन का विवरण जो व्यक्तियों के बीच के आधार पर नहीं:

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/समझौतों/लेन–देन की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	मूल्य सहित, यदि कोई हो, अनुबंधों या समझौतों या लेनदेन की मुख्य शर्तें:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:
1.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (100 प्रतिशत सहायक कंपनी)	एनवीसीएफएल की ओर से जनशक्ति समर्थन लागत, मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और मनोरंजन व्यय का भुगतान।	जारी लेनदेन	जनशक्ति समर्थन लागत– रु. 110.33 लाख 2. यात्रा, स्थिर संचार आदि– 0.85 लाख		
2.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (100 प्रतिशत सहायक कंपनी)	एनवीसीएफएल से प्राप्त किराया (करों को छोड़कर)	जारी लेनदेन	किराया रु. 17.07 लाख		

ह./–
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 06727939

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 8 **नवंबर**, 2024

अनुबंध–च

कार्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट

I. एनएसआईसी का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन

एनएसआईसी एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी–रत्न कंपनी है। भारत का मानना है कि कंपनी के कामकाज में अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएं अपरिहार्य हिस्सा हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसायों के पास उचित निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ और नियंत्रण हों ताकि सभी हितधारकों (शेयरधारकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समुदाय) के हित संतुलित हों।

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यास के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी वैधानिक, विनियामक और महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश (''कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश'') का पालन किया जाता है। कंपनी समय–समय पर ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करती है।

कार्पोरेट सुशासन संबंधी कंपनी की रिपोर्ट इस प्रकार है:

II. निदेशक मंडल

क) संरचना

एनएसआईसी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के बोर्ड में सात निदेशक थे जिनमें एक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। स्वतंत्र निदेशक का एक पद रिक्त है। इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय से पत्र की प्रतीक्षा है।

ख) बोर्ड की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें आवधिक अंतराल पर आयोजित की गई। वर्ष 2023–24 के दौरान, 30 अप्रैल, 2023, 24 मई, 2023, 11 जुलाई, 2023, 28 अगस्त, 2023, 12 दिसंबर, 2023, और 22 मार्च, 2024 को कुल छः बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

31 मार्च 2024 तक, बोर्ड के गठन और अन्य कंपनियों में आयोजित निदेशकों की संख्या और बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम और पदनाम	डीआईएन	कार्यकाल के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थिति	बाहरी निदेशकों की संख्या
कार्यकारी निदेशक					
1.	श्री विपुल गोयल संयुक्त सचिव (एआरआई) (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार) (01.07.2023 तक)	10229523	04	हाँ	एनवीसीएफएल, अध्यक्ष
2	श्रीमती मर्सी इपाओ संयुक्त सचिव (एसएमई) (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार) (30.06.2023 तक)	09331424	02	लागू नहीं	• दिल्ली राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) बोर्ड सदस्य • आईओपीओ, बोर्ड सदस्य
3.	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन)	02322056	06	हाँ	शून्य

क्र.सं.	निदेशक का नाम और पदनाम	डीआईएन	कार्यकाल के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थिति	बाहरी निदेशकों की संख्या
4.	श्री गौरव गुलाटी निदेशक (वित्त) (09.05.2023 से)	10144109	05	हाँ	एनवीसीएफएल, निदेशक
गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)					
5.	श्रीमती समीरा सौरभ पर समाप्ति 08.11.2023	09604102	03	लागू नहीं	लागू नहीं
6	श्रीमती सिम्मी चौधरी 08.11.2023 से	10387019	02	हाँ	लागू नहीं
7.	श्रीमती मर्सी इपाओ	09331424	05	हाँ	• डीएसआईआईडीसी, बोर्ड सदस्य • आईटीपीओ, बोर्डसदस्य
गैर–कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)					
8.	डॉ. अशोक अहिरवार	09459529	06	हाँ	लागू नहीं
9.	श्री कालांदी चरण सामल	09459531	06	हाँ	लागू नहीं

*श्रीमती मर्सी एपाओ के पास 20 फरवरी, 2023 और 8 मई, 2023 तक निदेशक (पी एंड एम) और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी है।

ग) निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वर्ष 2023–24 के दौरान और अब तक, कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 2 मई, 2024 से नियुक्त किया गया।

ख) एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एआरआई) श्री विपुल गोयल को 1 मई, 2024 तक एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

ग) श्री गौरव गुलाटी को एनएसआईसी में निदेशक (वित्त) के रूप में 09 मई, 2023 से नियुक्त किया गया।

घ) एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मर्सी एपाओ को 30 जून, 2023 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मर्सी एपाओ एनएसआईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं।

ड़) एमएसएमई मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार श्रीमती सिम्मी चौधरी को श्रीमती समीरा सौरभ के स्थान पर 8 नवंबर, 2023 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

III. बोर्ड की उप–समितियाँ

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल की निम्नलिखित उप–समिति (समितियाँ) गठित की गई थीं, जिसमें (जिनमें) कार्यकारी और गैर–कार्यकारी सदस्य थे। निदेशक मंडल में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल द्वारा इस (इन) उप–समिति (समितियों) का पुनर्गठन किया गया था।

क) लेखापरीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कॉर्पोरेट प्रशासन पर आंतरिक दिशानिर्देशों का भी हिस्सा है जो कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सूचना और लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए सिफारिश (यदि आवश्यक हो), प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए अनुमोदन

करना, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों, जोखिम प्रबंधन नीतियों, सीएंडएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों (यदि कोई हो) की समीक्षा करना, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना; लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

ii. संरचना

डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च 2023 तक, लेखा परीक्षा समिति में तीन सदस्य शामिल हैं, अर्थात् समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक, और समिति के सदस्य के रूप में श्री कालंदी चरण सामल, श्रीमती सिम्मी चौधरी और श्री गौरव गुलाटी शामिल हैं।

iii. बैठक का विवरण

वर्ष 2023–24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कुल पांच बैठकें 30 अप्रैल, 2023, 11 जुलाई 2023, 28 अगस्त, 2023, 12 दिसंबर 2023 और 22 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	श्री अशोक अहरिवार स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	05	05
2.	श्री कालंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	05	05
3	सुश्री समीरा सौरभ सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	03	02
4.	श्रीमती सिम्मी चौधरी	सदस्य	01	01
5.	श्री गौरव गुलाटी	विशेष आमंत्रित	04	04

***श्रीमती. समीरा सौरभ, सरकार द्वारा नामित निदेशक दिनांक 8 नवंबर, 2023 से सदस्य नहीं रहीं।**
****''श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में शामिल हुए।**

ऑडिट कमेटी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को आमंत्रित करती है। वर्ष 2023–2024 के दौरान वित्त प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख और लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i. विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कॉर्पोरेट प्रशासन पर आंतरिक दिशानिर्देशों का हिस्सा भी है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समिति की मुख्य भूमिका कंपनी के कर्मचारियों को वितरण प्रदर्शन संबंधी वेतन से संबंधित मामले का निर्धारण करना है।

ii. संरचना:

एनएसआईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार था। स्वतंत्र निदेशकों को केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्व ारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, और बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार भी। सरकारी नामित निदेशक कंपनी से बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं लेते हैं।

बोर्ड में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का बोर्ड द्वारा समय–समय पर पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च 2024 तक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य, अर्थात् समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री कालंदी

चरण सामल स्वतंत्र निदेशक, और समिति के सदस्यों के रूप में श्रीमती मर्सी एपाओ और डॉ अशोक अहिरवार शामिल हैं।

iii. बैठक का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक 6 नवंबर, 2023, 12 दिसंबर, 2023 और 22 मार्च, 2024 को आयोजित की गई। समिति की बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	धारित पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	श्री कालंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
2	श्री अशोक अहरिवार स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3
3	श्रीमती मर्सी एपाओ सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	3	3

iv. निदेशकों का पारिश्रमिक

- वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)		पूर्णकालिक निदेशक का नाम	
		श्रीमती मर्सी एपाओ प्रभावी 01/04/2023 से 30/06/2023 तक	श्री विपुल गोयल प्रभावी 01/07/2023 से 31/03/2024 तक	श्री कार्तिकेय सिन्हा 01/04/2023 से 31/03/2024 तक	श्री गौरव गुलाटी 09/05/2023 से 31/03/2024 तक
1.	सकल वेतन (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार)	-	-	39,19,268	40,85,566
2.	पूंजी विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	लाभ के % के रूप में कमीशन; अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें (नियोक्ता द्वारा जारी.)	-	-	5,99,042	6,11,229
	कुल	**-**	**-**	**45,18,310**	**46,96,795**

- वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान स्वतंत्र निदेशक को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (रु.)
1.	डॉ. अशोक अहिरवार	3,80,000/-
2.	श्री कालंदी चरण सामल	3,65,000/-

ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

i. विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

सीएसआर समिति के विचारार्थ टीओआर विषयों में आते हैं, सीएसआर नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी; उपर्युक्त गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र व्यय के भीतर परियोजनाओं को अनुमोदित करना और समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना। सीएसआर पर एक अलग प्रतिवेदन इस रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

ii. संरचना

31 मार्च 2024 तक, सीएसआर समिति में पांच सदस्य शामिल हैं, अर्थात् समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री विपुल गोयल, सुश्री मर्सी एपाओ, डॉ. अशोक अहिरवार, श्री कार्तिकेय सिन्हा और श्री कालंदी चरण सामल समिति के सदस्य हैं।

iii बैठक का विवरण

सीएसआर समिति की बैठक का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/ प्रकृति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या वर्ष के दौरान भाग लिया
1.	श्री विपुल गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष	04	04
2.	श्रीमती मर्सी एपाओ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष	01	-
3.	श्रीमती मर्सी एपाओ, सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	04	01
4.	श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (योजना एवं विपणन)	सदस्य	05	05
5.	डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	05	05
6.	श्री कालंदी चरण सामल, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	05	04

घ) जोखिम प्रबंधन समिति

i. विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषयों में आते हैं समय–समय पर कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों की स्थापना और समीक्षा करना; कंपनी के प्रदर्शन और लाभप्रदता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति से जुड़े प्रमुख जोखिमों की पहचान करना, निगरानी करना, समीक्षा करना और इन्हें कम करने के लिए यह मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण और संरेखण कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ सुनिश्चित किया जाएगा न कि एक अलग कार्य के रूप में।

ii. संरचना

31 मार्च 2024 तक, जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्य शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष के रूप में मर्सी एपाओ, श्री कालंदी चरण सामल, श्री कार्तिकेय सिन्हा, श्री गौरव गुलाटी, आरएमए विभाग के प्रमुख, निर्माण/एस्टेट/टेक्नोलॉजी के प्रमुख, एचआर के प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख।

iii. बैठक का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठक अर्थात् 01 जुलाई, 2023, 10 जुलाई, 2023 और 12 दिसंबर, 2023 को हुई। समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	श्रीमती मर्सी इपाओ संयुक्त सचिव, (एसएमई)	अध्यक्ष	03	02
2	श्रीमती समीरा सौरभ (सरकारी नामित निदेशक)	सदस्य	02	01
3	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एंव विपणन)	सदस्य	03	03
4	श्री गौरव गुलाटी (निदेशक वित्त)	सदस्य	03	03
5	श्री कांलिदी चारण सामल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	01	01
6	श्री पि. रवि कुमार आरएएमए के प्रमुख	सदस्य	01	01
7	श्री नवीन चौपड़ा कार्यकारी निदेशक (टेक.)	सदस्य	01	01
8	श्री सुनील त्यागी एचआर के प्रमुख	सदस्य	01	01
9	श्री संदीप मोहन आईटी के प्रमुख	सदस्य	01	01

* श्रीमती. समीरा सौरभ, सरकार द्वारा नामित निदेशक दिनांक 8 नवंबर, 2023 से सदस्य नहीं रहीं।

• सुश्री सिम्मी चौधरी एवं डॉ. अशोक अहिरवार 12 दिसम्बर 2023 की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।

ड परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति की बैठक (एएलसीओ)

आरबीआई के मास्टर निदेश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार कार्यात्मक निदेशकों वाली एक एएलसीओ समिति का गठन किया गया है।

i. विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

एएलसीओ कार्य के संदर्भ और कार्यक्षेत्र हैं, तरलता जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिमों का प्रबंधन, वित्त पोषण और पूंजी नियोजन, लाभ योजना और विकास प्रक्षेपण और पूर्वानुमान, और 'क्या होगा यदि परिदृश्य' का विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी करना है।

ii. संरचना

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में कार्यात्मक निदेशकों के साथ समिति के प्रमुख होते हैं। बैठक के लिए वित्त प्रमुख और प्रौद्योगिकी प्रमुख को आमंत्रित किया जाएगा। वित्त विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख बैठक के स्थायी आमंत्रित/सदस्य होते हैं।

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति में समिति के प्रमुख के रूप में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सदस्यों के रूप में कार्यात्मक निदेशक शामिल होते हैं। वित्त विभाग के प्रमुख, मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। वित्त विभाग के प्रमुख बैठक के संयोजक हैं।

iii. बैठक का विवरण

वर्ष 2023–2024 के दौरान, चार बैठकें आयोजित की गईं यानी 13 अप्रैल, 2023, 11 जुलाई, 2023, 11 अक्टूबर, 2023 और 9 जनवरी, 2024 को। समिति की बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	सुश्री मर्सी एपाओ सीएमडी (30 जून, 2023 तक अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष	01	01
2	श्री विपुल गोयल सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) (1 जुलाई, 2023 से 1 मई, 2024 तक)	अध्यक्ष	03	03
3	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (पी एंड एम)	सदस्य	03	03
4	श्री गौरव गुलाटी निदेशक (वित्त)	सदस्य	03	03

च) आईटी रणनीति समिति

i) विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण: आईटी रणनीति समिति के विचारार्थ विषयों और भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां हैं; आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है; यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करता है; आईटी निवेश सुनिश्चित करना जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और बजट स्वीकार्य हैं; रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति की निगरानी करना और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय दिशा प्रदान करना; कंपनी के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेशों का उचित संतुलन सुनिश्चित करना और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के बारे में जागरूक होना।

ii) संरचना

एनबीएफसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के लिए आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक बोर्ड ने आईटी रणनीति समिति का गठन किया।

समिति के अध्यक्ष कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। आरएमए (कच्चा माल सहायता योजना) के प्रमुख और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख ख्मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), के रूप में, बैठक के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। मुख्य सूचना अधिकारी बैठक के संयोजक होते हैं।

iii) बैठक का विवरण

निदेशक मंडल की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती थी। वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल दो बैठक आयोजित की गईं, अर्थात 24 मई, 2023 और 12 दिसंबर, 2023 को आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम	धारित पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	डॉ. अशोक अहिरवार (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	2	2
2.	श्रीमती समीरा सौरभ * (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	सदस्य	1	1
3.	श्री कालंदी चरण सामल (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य	1	1
4.	श्रीमती सिम्मी चौधरी सरकार द्वारा नामित निदेशक)	सदस्य	1	1
5.	श्री कार्तिकेय सिन्हा **निदेशक (योजना एवं विपणन)	सदस्य	1	1
6.	श्री पी. रवि कुमार (आरएमए विभाग के प्रमुख)	सदस्य	2	2
7.	श्री संदीप मोहन (सीआईओ के रूप में आईटी विभाग के प्रमुख)	सदस्य	2	2

* सरकार द्वारा नामित निदेशक श्रीमती समीरा सौरभ प्रभावी 8 नवंबर, 2023 से सदस्य नहीं रहीं

** श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (योजना एवं विपणन), 24 मई, 2023 को विशेष आमंत्रित सदस्य और 12 दिसंबर, 2023 को सदस्य के रूप में बैठक में शामिल हुए।

- श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) ने 24 मई, 2023 और 12 दिसंबर, 2023 को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया।
- श्री कालंदी चरण सामल ने 24 मई, 2023 को सदस्य के रूप में और 12 दिसंबर, 2023 को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया।

IV स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

31 मार्च 2024 तक कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 06 नवंबर 2023 को आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

V) सामान्य निकाय की बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	कार्यक्रम का स्थान	विशेष संकल्प (यदि कोई हो)
2022-23	12/12/2023	अपराह्न 3.00 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	शून्य
2021-22	19/12/2022	अपराह्न 2.30 बजे	ओबेरॉय होटल, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली– 110003	
2020-21	29/11/2021	दोपहर 12 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक आम बैठक दिनांक 08 नवंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी।

VI स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

उक्त बैठक में निदेशक बोर्ड ने पुष्टि की कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

VII आचार संहिता

डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'आचार संहिता' जारी की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। जैसा कि आचार संहिता में उल्लेख किया गया है और बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में एक घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–I** में संलग्न है।

VIII सहायक कंपनी

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को 28 अगस्त 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एसआरआई फंड को समर्थित करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआई) फंड एनवीसीएफएल की पहली योजना है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी के समक्ष रखे जाते हैं।

IX कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण यदि कोई हो के अलावा, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत, जिनसे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और जिस तारीख की यह रिपोर्ट है, के बीच हुई हों।

X प्रकटीकरण

कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

- **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपीज)**

31 मार्च, 2024 को यथास्थिति कंपनी में "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों" के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति हैं।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			से	तक
1.	सुश्री मर्सी एपाओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	30.06.2023
2.	श्री विपुल गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.07.2023	31.03.2024
3.	सुश्री मर्सी एपाओ	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	08.05.2023
4.	श्री गौरव गुलाटी	निदेशक (वित्त)	09.05.2023	31.03.2024
5.	श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (योजना एंव विपणन)	01.04.2023	31.03.2024
6.	श्री कालंदी चरण सामल	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023	31.03.2024
7.	डॉ. अशोक अहिरवार	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023	31.03.2024
8.	श्री पार्थ माझी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	08.05.2023
9.	श्री गौरव गुलाटी	मुख्य वित्त अधिकारी	09.05.2023	31.03.2024
10.	श्रीमती निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2023	31.03.2024

- संबंधित पक्षकार के लेन–देन के ब्यौरे वित्त वर्ष 2023–24 में फार्म एओसी–2 में दिए जाने में, जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- सीईओ/सीएफओ प्रमाणनः कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीएमडी/सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- लागू कानूनों का अनुपालनः बोर्ड समय–समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की स्थिति की समीक्षा करता है।
- एनएसआईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान, बोर्ड और इसकी समितियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार छूट प्राप्त है।
- कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाकर एक सतर्कता तंत्र लागू किया है, जिसका उद्देश्य किसी भी कर्मचारी को किसी भी या अप्रत्याशित अभ्यास और कदाचार की किसी भी घटना के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
- संचार साधनः एनएसआईसी की एक समप्रित वेबसाइट है, अर्थात् www.nsic.co.in, जिसमें कंपनी की योजनाओं और गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी का उल्लेख किया गया है और समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

आधिकारिक वेबसाइट भी विभिन्न घटनाओं को पोस्ट करती है, जिसमें आधिकारिक समाचार रिलीज, दृष्टि, मिशन, नीतियां इत्यादि शामिल हैं, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एकल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट आदि शामिल हैं, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

XI कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन के विवरण

केंद्र सरकारी क्षेत्र उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है। इस बारे में मैसर्स कुमार वाधवा एण्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र **"अनुलग्नक–II"** के रूप में संलग्न है, जिसमें कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

ह./–
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 8 **नवंबर**, 2024

अनुबंध–I

कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक घोषणा

"बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।"

ह./–
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 8 **नवंबर**, 2024

अनुबंध–II

कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण–पत्र

सेवा में,

सदस्यगण
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
पंजीकृत पताः एनएसआईसी भवन,
ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट फेज–III,
नई दिल्ली–110020

हमने, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित, सीआईएन : यू74140डीएल1955जीओआई002481, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** के कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कारपोरेट सुशासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा है और न ही इन पर राय की कोई अभिव्यक्ति।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में या उस दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिससे प्रबंधकवर्ग ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया है।

कृते कुमार वाधवा एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

ह./–
संजय कुमार
प्रबंधन साझेदार
सदस्यता सं.: 921
सी.पी. सं.: 7027
यूडीआईएनः **एफ**009211**एफ**000905601

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06.08.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों

भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ('निगम') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) के साथ उस तिथि तक के एकल तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी और नकदी प्रवाह के विवरण में परिवर्तन, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मुख्य कार्यालय के वित्तीय विवरण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 54 शाखा कार्यालय और तकनीकी केंद्र के विवरण शामिल हैं। (जिन्हें इसमें आगे एकल वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अकेले वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं। और 31 मार्च, 2024 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ एवं हानि अन्य व्यापक आय, (इक्विटी में परिवर्तन) तथा इसके नकदी प्रवाह की यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 ("भारतीय लेखाकंन मानक") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्धारित भारतीय लेखाकंन मानकों और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकंन सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अनुसार अकेले वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट के अकेले वित्तीय विवरण भाग की 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ' वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

मामलों पर जोर देना

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(i) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 के अनुरूप पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के मुकाबले सामग्री लेखांकन नीति के प्रकटीकरण के संबंध में संलग्न एकल वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 1(3) 1 अप्रैल 2023 जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है, कुछ लेखांकन नीतियों के इन परिवर्तनों/संशोधनों/संशोधन/रीफरेमिंग/रीड्राफ्टिंग का एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ii) के एफडब्ल्यू की 12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में शर्तों के अनुसार 2413.76 लाख की विनिमय भिन्नता हानि के प्रावधान के 31 मार्च 2024 को समापन शेष के संबंध में संलग्न एकल वित्तीय विवरण में नोट संख्या 35(4)(जे) KFW के साथ समझौते का. ऋण समझौता उक्त राशि के अतिरिक्त संचित प्रावधान के उपचार पर मौन है। अतिरिक्त राशि के कथित उपचार से संबंधित वर्षों के वित्तीय विवरण प्रभावित होंगे।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय सशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय

विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है। उसी का सारांश यहां नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	मुख्य ऑडिट	मामला मुख्य ऑडिट मामले पर प्रतिक्रिया
1	**प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का अनुमान** कंपनी का परिचालन भारत के विभिन्न राज्यों में है, जो इसे विभिन्न केंद्रीय और राज्य कानूनों के दायरे में लाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कार्यवाही से मुकदमे और दावे उत्पन्न हो सकते हैं। मुकदमों और दावों के समाधान की कार्यवाही 31 मार्च 2024 के बाद कई वर्षों तक चल सकती है। किसी प्रावधान या आकस्मिक देनदारी के निर्धारण के लिए भविष्य की देनदारियों के अनुमान में अंतर्निहित जटिलता के कारण कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में नोट 33 में 4436.53 लाख की आकस्मिक देनदारियों की सूचना दी है। प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां समय के साथ मुकदमेबाजी और दावों के परिणामों में बदलाव के अधीन हैं क्योंकि प्रत्येक कानूनी मामले की प्रगति और कंपनी द्वारा उठाए गए पदों के अनुसार नए तथ्य सामने आते हैं। संभावित जोखिमों की भयावहता के अनुमान में एक अंतर्निहित जटिलता है। कानूनी पहलुओं की व्याख्या, राय, मांग नोटिस, प्रासंगिक निर्णय आदि के आधार पर नकदी बहिर्वाह की संभावना राशि, समय का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** हमारी ऑडिट प्रक्रिया में मुकदमों, दावों और आकस्मिक देनदारियों से संबंधित पहचान प्रक्रिया की समझ शामिल थी। हमने डिजाइन का मूल्यांकन किया है और प्रक्रिया के संबंध में नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है। हमने चल रहे अदालती मामलों और मध्यस्थता की कार्यवाही के अधीन महत्वपूर्ण आकस्मिकताओं से उत्पन्न होने वाले संभावित परिणाम और संभावित जोखिमों के प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया है। महत्वपूर्ण दावों के संबंध में, हमने दावे की मात्रा, शामिल मुद्दों की प्रकृति, प्रबंधन प्रस्तुतियों की जांच की और जहां उपलब्ध हो, बाहरी साक्ष्य के साथ इसकी पुष्टि की। अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित तकनीकी केंद्रों सहित 54 शाखा कार्यालयों के प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में, हमने ऐसी शाखाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भरोसा किया है।

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

अन्य सूचना के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष का कथन शामिल की गई सूचना शामिल है। परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, जब यह उपलब्ध हो और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से सुसंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या इस दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखापरीक्षा की प्रक्रिया या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ने पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं। कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

ये एकल वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों सहित में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम)

की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो एकल वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल, के चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक निदेशक मंडल या तो निगम के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे एकल वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्चस्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूकें, मिथ्यनिरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।

- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।

- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है। तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या

यदि ये विगोपन हमारी राय सशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एकचल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।

- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्कसंगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ संसूचित मामलों से हम ऐसे मामले निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं। जब तक कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक विगोपन से विवर्जित नहीं करते या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यह आशा है कि वे इस संसूचन के सार्वजनिक हित लाभ को तर्कसंगत ढंग से समाप्त कर देंगे।

अन्य मामले

हमने निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए उन 54 शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के अकेले वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 3,13,365.73 लाख रू. और उस तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में यथानिर्धारित 3,22,169.14 लाख रुपए का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसाकि वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों जिनकी नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों का संबंध है, यह पूर्णतः उन शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि कम्पनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण **"अनुबंध–क"** देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में निगम ने कानून के अधीन अपेक्षित उचित लेखा–बहियां रखी हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की जांच करने से हमें पता चला है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए उन शाखाओं और तकनीकी केंद्रों

से पर्याप्त उचित विवरण प्राप्त किए गए हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में, इन्हें उपर्युक्त रूप से शामिल किया गया है।

(घ) एकल तुलन पत्र, लाभ और हानि का एकल विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में बदलाव का विवरण लेखा–बहियों और प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाता है। जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया।

(ड़) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और उसके तहत जारी प्रासंगिक नियम का अनुपालन करते हैं।

(च) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, निदेषकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में **अनुबंध "ख"** के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

(ज) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, निदेशकों को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। और

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें।

(ii) निगम के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थीं।

(iii) कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें निगम द्वारा शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(iv) (क) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदशी संस्थाओं सहित ('मध्यवर्ती संस्थाएँ'), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा किसी भी फंड को अग्रिम तौर पर दिया या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत, या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है, कि मध्यवर्ती संस्था; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों' को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्त पोषक पार्टियां') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित

रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषक पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें उन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदित, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रदान किया गया है।

(v) वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में लागू सीमा से संबंधित लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच और अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए तकनीकी केंद्रों सहित 54 शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट पर विचार करना शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जो इसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्डिंग (लॉग संपादित करें) की सुविधा है और यह लेखांकन सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होती है। अपनी प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से लागू है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

3. हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में मुख्य कार्यालय के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के खातों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा 54 शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों की लेखापरीक्षा के संबंध में तैयार की गई **"अनुबंध–ग"** के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012**केडीजैडएमडब्लू**7316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त 2024

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट – अनुबंध 'क'

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियमितता आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और ऑडिट के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई खाता पुस्तकों और रिकॉर्ड के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(बी) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्श के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें सूचित किया गया कि इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा, जहाँ निगम पट्टेदार है, और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के प्राधिकार विलेख, निगम के नाम पर निष्पादित/धारित किए जाते हैं, सिवाय निम्नलिखित को छोडकरः–

(रू. लाख में)

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रू. लाख में)	नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या प्राधिकार विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित नहीं होने का कारण ''
तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	नोट 1 देखें	नहीं	1959.60	नोट 1 देखें
शाखा कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	नोट 2 देखें	नहीं	1988	नोट 2 देखें

नोट 1: मूल शीर्षक विलेख हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रबंधन के अनुसार, स्वामित्व दस्तावेजों की फोटो कॉपी के आधार पर, स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर है, कब्जा कंपनी के पास है, लेकिन मूल शीर्षक दस्तावेजों का पता नहीं चल पा रहा है। स्थानीय सरकारी प्राधिकरण से स्वामित्व विलेख की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

नोट 2: तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें कंपनी के छः फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और कब्जा कंपनी के पास है, हालांकि, कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेख/दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है। .

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड़) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च 2024 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया गया है और प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। भौतिक सत्यापन पर प्रत्येक श्रेणी की इन्वेंट्री के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ख) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की

कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है, जो वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण आम तौर पर कंपनी के खाते की किताबों के अनुरूप होते हैं।

(iii) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान निवेश किया है, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पार्टियों को सुरक्षित ऋण दिए हैं।

(क) कंपनी का एक प्रमुख व्यवसाय ऋण देना है (कंपनी आरबीआई नियमों के अनुसार व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है)। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iii)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) हमारी राय में, दिए गए ऋण के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमारी राय में, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और प्राप्तियां आम तौर पर नियमित हैं।

(घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की अतिदेय राशियाँ निम्नलिखित हैं। कंपनी ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं। हालाँकि, 90 दिनों से अधिक की अतिदेय राशि पर ब्याज को आय और कुल बकाया (मूलधन ब्याज) के साथ सुरक्षा के रूप में ली गई बैंक गारंटी के मूल्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(रू.लाख में)

मामलों की संख्या	मूल राशि अतिदेय (रू.लाख में)	ब्याज अतिदेय (रू.लाख में)	कुल अतिदेय (रू.लाख में)	टिप्पणियाँ (यदि कोई)
215	29400.67	223.81	29624.48	शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

(ड़) कंपनी का एक प्रमुख व्यवसाय ऋण देना है (कंपनी आरबीआई नियमों के अनुसार व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है)। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iii)(ई) लागू नहीं होता है।

(च) कंपनी ने मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की शर्तों को निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iii)(एफ) लागू नहीं होता है।

(iv) कंपनी ने वर्ष के दौरान दिए गए ऋण और अग्रिम, प्रदान की गई गारंटी और प्रतिभूतियों और कंपनी द्वारा किए गए निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(v) लागू नहीं होता है।

(vi) केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के खंड (डी) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

(vii) (क) निगम द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और लागू अन्य किसी सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराई जाती हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त सांविधिक देय राशियों के संबंध में उनके देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित राशि देय नहीं थी।

(ख) उपरोक्त उप–खंड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया का विवरण जो विवादों के कारण 31 मार्च 2024 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	संविधि की प्रकृति	देय राशियों का स्वरूप	धनराशि (लाख रु. में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच, जहाँ विवाद लंबित है
1	सीएसटी अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	0.49	2009–10	अपीलीय उपायुक्त, सीटी (III), चेन्नई
2	सीएसटी अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	0.56	2011–12	अपीलीय उपायुक्त, सीटी (III), चेन्नई
3	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	3.29	2009–10	सेवा कर आयुक्त, चेन्नई
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	50.89	2015-16 से 2016-17	सेवा कर आयुक्त, चेन्नई
5	वाणिज्यिक कर	केंद्रीय बिक्री कर	13.97	2012-13 एवं 2013-14	संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर, कटक, उड़ीसा
6	बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	14.86	2014 से 2015	बिक्री कर, न्यायाधिकरण, उड़ीसा
7	बिक्री कर अधिनियम	सेवा कर	9.58	अक्टूबर 2007 से जून 2012	अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद
8	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर की मांग	2.50	2016–17	बिक्री कर विभाग, कानपुर
9	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	231.24	2012–13	बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील (मुम्बई)
10	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	18.92	2013–14	बिक्री कर, उपायुक्त – अपील (मुम्बई)
11	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	46.97	2014–15	बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील (मुम्बई)
12	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	82.43	2015–16	बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील (मुम्बई)
13	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर	सेवा कर और जुर्माना	1.85	2015-16 से 2016-17	सीमा शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटी एटी), इलाहाबाद
14	जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम,2017	जीएसटी राज्य उपकर	71.08	2018–19	संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय कर (अपील), कटक
15	आय कर अधिनियम	आय कर	18.39	2016–17	सीआईटी (अपीलस), IX नई दिल्ली
16	आय कर अधिनियम	आय कर	0.08	2017–18	डीसीआईटी, सर्कल – 25(1), नई दिल्ली
17	जीएसटी अधिनियम 2017	विभेदक कर, ब्याज और जुर्माना	109.54	2017–18	संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील–2), बैंगलोर
18	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएटी की मांग	46.28	2018–19	सीईएसटीएटी, इलाहाबाद

(viii) पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्श के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(ix) (क) कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, प्रथम दृश्टया, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

(ड़) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए

किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xi)(क) लागू नहीं होता है।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xi) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xii) (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xi)(क) और (ख) लागू नहीं होता है।

(ख) अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी – 4 में दायर नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को लागू आईएनडी द्वारा अपेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है। जैसा।

(xiv) (क) हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, ऑडिट के तहत वर्ष के लिए कंपनी को वर्ष के दौरान और आज तक जारी की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) (क) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत है और एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए पंजीकरण संख्या एन.14.03090 दिनांक 29.12.2005 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम एक प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के भीतर कोई प्रमुख निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है), और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) हमारी लेखापरीक्षा द्वारा शामिल किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान, और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निगम को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, जीवनकाल के घटने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली तथा वित्तीय देनदारियों के

भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, साथ ही वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और साक्ष्यों के हमारे सत्यापन के आधार पर व मान्यताओं का समर्थन करते हुए, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तथा जो यह दर्शाता हो कि निगम तुलन पत्र की तारीख में अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम प्रतिवेदित करते हैं कि यह निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे वर्णित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है, और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि सभी देनदारियों का निबटान कर दिया जाएगा, जैसा कि और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं।

(xx) (क) चालू परियोजना के अलावा अधिनियम की धारा 135 की धारा (5) के तहत कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(ख) अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत किसी चालू परियोजना के तहत खर्च न की गई शेष राशि, धारा 135 की उक्त अधिनियम. उप–धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012**केडीजैडएमडब्लू**7316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ' ख'

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियमितता आवश्यकता पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 2(जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के सनदी लेखाकार ('आईसीएआई')। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय निगम के आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो

(1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो,

(2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है, और

(3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर था। कंपनी आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत अब तक की 54 शाखाओं/ कार्यालयों की वित्तीय विवरणों/सूचनाओं से संबंधित है जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त स्वतंत्रलेखा परीक्षकों ने इस तरह की शाखाओं/ कार्यालयों के लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है। तकनीकी केंद्रों और एनवीसीएफएल सहित की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जो ऐसी शाखाओं/कार्यालयों/कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012**केडीजैडएमडब्लू**7316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 'अनुबंध ग'

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियमितता आवष्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 3 में संदर्भित)

अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया जाता है। कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का पालन किया है।

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012केडीजैडएमडब्लू7316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त 2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023–2024 के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट

क्र.सं.	दिशा–निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, के साथ–साथ लेखांकन के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रोसेसिंग के प्रभावों का उल्लेख किया जाए।	जी, हां कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संशोधित करने की अपनी प्रणाली है। कंपनी लेखांकन के लिए टैली (ईआरपी 9) और समेकन उद्देश्य के लिए स्टोव सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। आरएमए सॉफ्टवेयर और समृद्धि सॉफ्टवेयर का उपयोग क्रमशः आरएमए वित्तपोषण और कर्मचारियों के वेतन के लिए किया जाता है। हालाँकि, आरएमए सॉफ्टवेयर और समृद्धि सॉफ्टवेयर एकीकृत नहीं हैं। लेखापरीक्षित शाखा रिपोर्टों के आधार पर, की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित/किया नहीं गया है। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2	क्या ऋण की अदायगी के लिए कंपनी की देयता के कारण, कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों /ब्याज आदि की छूट/बट्टेखाते डालने के मामलों या मौजूद ऋण की कोई पुर्नसंरचना की गई है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर किसी मौजूदा ऋण या निगम को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों /ब्याज आदि के मामलों की कोई पुनर्संरचना नहीं की गई है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्तव्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची दें।	लेखा परीक्षित शाखा रिपोर्टों के आधार पर, हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग की गई केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य अभिलेखों की हमारी जांच पर आधारित हैं।

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012केडीजैडएमडब्लू7316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी "गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016" के अनुसार, कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के अध्याय– II में निर्दिष्ट मामलों पर और लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अनुसरण में, कंपनी ने पंजीकरण संख्या एन–14.03090 दिनांक 29.12.2005 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, जिससे कंपनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने की अनुमति मिली है;

2) निदेशक मंडल ने 9 दिसंबर 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भविष्य में सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है; जिसकी 18 जून 2024 को पारित किए गए बोर्ड के प्रस्ताव में पुनः पुष्टि की गई है।

3) कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

4) निगम 31 मार्च 2024 तक अपने प्रमुख व्यवसाय मानदंड (वित्तीय परिसंपत्ति/आय पैटर्न) के संदर्भ में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी रखने का हकदार है।

5) निगम मास्टर निदेश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्धारित आवश्यक निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी अपेक्षा को पूरा कर रहा है।

6) आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं. 109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13.03.2020 के आधार पर, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 4 के अंतर्गत आने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को वर्ष 2019–20 और उसके बाद के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2019–20 से, इंडएएस–109 के संदर्भ में ईसीएल को वित्तीय लिखतों पर हानि भत्ते के रूप में मान्यता दी गई है।

7) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित तिमाहियों के अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 की सभी तिमाहियों के लिए पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (डीएनबीएस 03 रिटर्न) का विवरण दाखिल किया गया है। आरबीआई मानदंडों के अनुपालन में सीआरएआर सहित निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल करने की तारीख पर आहरित किया गया। हालांकि, नए सीआईएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, 31.03.2024 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक रिटर्न देरी से दाखिल किया गया था, हालांकि इसे जारी किया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर एक्सेल प्रारूप में ई–मेल पर आरबीआई को भेज दिया गया है। इसके अलावा, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर सीआरएआर सही ढंग से निकाला गया है और यह आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है।

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012**केडीजैडएमडब्ल्यू**7316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त 2024

सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी)

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यालय में रखे गए लेखा–विवरणों और अन्य अभिलेखों की जांच की है। हमें प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं:–

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
2.	पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र	एन.14.03090
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता	एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020
4.	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	–वही–
5.	कंपनी को आरबीआई द्वारा निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:	
	(निवेष कंपनी / ऋण कंपनी / एएफसी / एनबीएफसी–एमएफआई / एनबीएफसी–फैक्टर / आईएफसी / आईडीएफ–एनबीएफसी)	ऋण कंपनी
6.	निवल स्वाधिकृत निधि (करोड़ रुपये में) (इसकी गणना अनुबंध में दी गई है)	1217.99
7.	कुल परिसंपत्तियाँ (करोड़ रुपये में)	3215.34
8.	परिसंपत्ति–आय पैटर्न: (आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति 1998–99 / 1269 दिनांक 8 अप्रैल 1999 के संदर्भ में) (क) कुल परिसंपत्ति में वित्तीय परिसंपत्तियों का % (ख) सकल आय में वित्तीय आय का % (एनबीएफसी–फैक्टर / एनबीएफसी–एमएफआई / एएफसी / आईएफसी की भी नीचे अलग से रिपोर्ट कर सकते हैं)	 85.26% 66.39%
9.	क्या 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास कोई सार्वजनिक जमा राशि थी? यदि हाँ, तो राशि करोड़ में	नहीं
10.	क्या कंपनी ने वर्ष के लिए अपने निवल लाभ की कम से कम 20% राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया है? (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अनुसार)।	हाँ
11.	क्या कंपनी को कोई एफडीआई मिला है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने एफडीआई के न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों का अनुपालन किया?	नहीं
12.	यदि कंपनी को एनबीएफसी–फैक्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है; (क) कुल परिसंपत्ति में फैक्टरिंग परिसंपत्ति का % (ख) सकल आय में फैक्टरिंग आय का %	लागू नहीं
13.	निगम को एनबीएफसी–एमएफआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है; निवल परिसंपत्तियों में अर्हक परिसंपत्तियों का प्रतिशत (02 दिसंबर 2011 की अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सं. 234सीजीएम(यूएस) 2011 देखें)	लागू नहीं

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
14.	यदि कंपनी को एएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है; (क) कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में आर्थिक कार्यकलाप में सहायक भौतिक/वास्तविक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अग्रिमों का % (ख) कुल आय के संदर्भ में इन परिसंपत्तियों से उत्पन्न आय का %	लागू नहीं
15.	यदि कंपनी को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में बुनियादी ढांचा ऋण का :	लागू नहीं
16.	क्या वर्ष के दौरान कोई अधिग्रहण/नियंत्रण का अधिग्रहण/शेयरधारिता/प्रबंधन में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता हुई ? (विवरण के लिए कृपया इस विषय पर 09 जुलाई 2015 का डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं.065/03.10.001/2015–16 देखें)	लागू नहीं

मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, दिनांक 29 सितंबर 2016 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल के लिए एक अलग रिपोर्ट तैयार की गई है।

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012**केडीजैडएमडब्लू**7316

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त 2024

क्र.सं.	पूंजी निधि –टियर 1	(रुपये करोड़ में)
1.	चुकता इक्विटी पूंजी	532.99
2.	अधिमानी शेयरों को अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तित किया जाना	
3.	निर्बंध आरक्षित निधियां:	
	सामान्य आरक्षित निधियां	
	शेयर प्रीमियम	
	पूंजीगत आरक्षित निधियां	
	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां	
	पूंजी मोचन आरक्षित निधियां	
	पीएंडएल खाते में क्रेडिट शेष	614.18
	अन्य निर्बंध आरक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किया जा सकता है)	
4.	विशेष आरक्षित निधियाँ	109.21
	कुल 1 से 4	1256.38
5.	**घटाएं:** (i) संचित हानि शेष	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय	
	(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	35.22
	(iv) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.17
	स्वामित्व निधि	**1217.99**
6.	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश	
	(i) एक ही समूह की कंपनियाँ	
	(ii) सहायक कंपनियाँ	6.00
	(iii) पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियाँ	
	(iv) अन्य एनबीएफसी	
7.	निम्नलिखित के संदर्भ में डिबेंचर, बॉन्ड का बही मूल्य, बकाया ऋण और अग्रिम, खरीदे गए और भुनाए गए बिल (एचपी और लीज फाइनेंस सहित) और उनके साथ किए गए जमा	
	(i) एक ही समूह की कंपनियाँ	
	(ii) सहायक कंपनियाँ	
	(iii) विदेश में पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक/संयुक्त उद्यम	
8.	कुल 6 और 7	6.00
9.	मद 8 में स्वामित्वाधीन निधि के 10% से अधिक राशि	.
10.	**निवल स्वाधिकृत निधि**	**1217.99**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी–1: कारपोरेट सूचना और तैयारी का आधार

1. कारपोरेट जानकारी

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे "एनएसआईसी" या "निगम" कहा जाता है) को वर्ष 1955 में अधिनिगमित किया गया था। एनएसआईसी भारत में अधिवासित और निगमित है (सीआईएन संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शासित है और यह भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के साथ प्रमाण पत्र संख्या एन.14.03090 दिनांक 29/12/2005 के साथ पंजीकृत एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकारकर्ता गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है तथा यह स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) के अनुसार एनबीएफसी–मध्य परत वर्गीकरण में आता है: आरबीआई द्वारा अधिसूचित एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जिसकी घोषणा आरबीआई/2021:22/112डीओआर. सीआरई.आरई सी.सं.60/03.10.001/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से की गई थी और जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है। ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) के साथ पंजीकृत लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड 335800935क्यूडी3एलजेजीओएलजेड39 है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत भारत सरकार का आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित 'मिनी रत्न श्रेणी–1' उद्यम है।

एनएसआईसी अपने विभिन्न कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने और उनके संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के साथ सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य सहायता सेवा के तहत एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करता है।

इन एकल वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 6 अगस्त, 2024 को अनुमोदित किया गया तथा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया ।

2. अनुपालन का कथन

निगम के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों को और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

निगम के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय (जब तक अन्यथा न बताया जाए) के अंतर्गत सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (जिसे ''इंड एएस'' कहा जाता है), यथासंशोधित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

3. नए एवं संशोधित भारतीय लेखांकन मानक जो चालू वर्ष के लिए प्रभावी हैं

31 मार्च 2023 को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में सशोधन करते हुए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया। ये सशोधन 01 अप्रैल 2023, अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24 से लागू होंगे।

क. **भारतीय लेखांकन मानक 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में संशोधन:** इन संशोधनों के अनुसार कंपनियों को अपने वित्तीय विवरणों में 'भौतिक लेखांकन नीतियों' का प्रकटीकरण करना होगा, जबकि पहले 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता थी। 'महत्वपूर्ण' शब्द को 'भौतिक'

से प्रतिस्थापित किया गया है। लेखांकन नीति की जानकारी भौतिक है, यदि निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य सूचनाओं के साथ विचार किए जाने पर, इससे उचित रूप से उन निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा की जा सकती है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया करते हैं। तदनुसार, बेहतर स्पष्टता और प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को आवश्यकतानुसार पुनः तैयार/पूरित किया गया है।

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 द्वारा यथासंशोधित भारतीय लेखाकन मानक 1 के दिनांक 01.04.2023 से लागू होने से पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख. **भारतीय लेखाकन मानक 8 लेखांकन नीतियों में संशोधन, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ – लेखांकन अनुमानों की परिभाषाः** संशोधन लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को लेखांकन अनुमानों की परिभाषा से प्रतिस्थापित करते हैं। नई परिभाषा के अनुसार, लेखांकन अनुमान ''वित्तीय विवरणों में मौद्रिक राशियाँ हैं जो माप अनिश्चितता के अधीन हैं''। लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा का विलोप कर दिया गया है।

4. तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। भारतीय लेखाकन मानक के तहत उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर आधारित होता है कि उचित मूल्य माप के इनपुट किस हद तक अवलोकनीय हैं और उचित मूल्य माप के इनपुट का संपूर्ण रूप से कितना महत्व है, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया हैः

- **स्तर 1** इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन पर कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि को पहुंच है;
- **स्तर 2** इनपुट , स्तर 1 में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकनीय हैं;और
- **स्तर 3** इनपुट परिसंपत्तियों या देनदारियों के मूल्यांकन के लिए अप्रमाणित इनपुट हैं।

निगम नियमित रूप से विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों पर विचार करके यह आकलन करता है कि क्या वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से उसके सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने की उचित आशा की जा सकती है। इस तरह के आकलन में उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, साथ ही कंपनी की अपनी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है। वित्तीय विवरण उन उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों का उचित ज्ञान होता है और जो जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा और विश्लेषण करते हैं। कई बार, भली–भांति सूचित और परिश्रमी उपयोगकर्ताओं को भी जटिल आर्थिक घटनाओं के बारे में जानकारी समझने के लिए सलाहकार की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। के खंड ।।। के पैरा 5 के अनुसार निकटतम लाख और दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है, जैसा कि अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1022 (v), दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 (11–10–2018 से प्रभावी) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है ।

5. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

टिप्पणी 2 में वर्णित निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने में प्रबंधन को ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है (अनुमानों से संबंधित निर्णयों के अलावा) जिनका मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों के बारे में अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो अन्य स्रोतों से स्पष्ट

रूप से प्रदर्शित नहीं होती हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उसी अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधि में यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय

अनुमानों से संबंधित निर्णयों के अलावा (जिन्हें नीचे अलग से प्रस्तुत किया गया है) निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो प्रबंधन ने निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(i) निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि के समय का निर्धारण करने में निर्णयः

प्रबंधन ने भारतीय लेखाकन मानक 115 में निर्धारित राजस्व की पहचान के लिए विस्तृत मानदंडों पर विचार किया और विशेष रूप से इस पर कि क्या निगम ने किसी समय बिंदु पर या समय के दौरान अपने निष्पादन दायित्वों को पूरा किया है। निगम के वितरण के दायरे की विस्तृत समझ के बाद, प्रबंधन संतुष्ट है कि निष्पादन दायित्वों को पूरा किया गया है और चालू वर्ष मे निम्नलिखित के संबंध में राजस्व की इसी तरह की मान्यता उचित हैः

- एकल बिन्दु पंजीकरण योजना में नये पंजीकरण/नवीनीकरण/संशोधन हेतु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर;
- इकाई की सदस्यता के सक्रियण पर डीएसएफ योजना के तहत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) का सदस्यता शुल्क;
- समय के साथ प्रशिक्षण गतिविधियाँ;
- परीक्षण और कार्य पूरा होने पर सामग्री परीक्षण शुल्क, कार्य प्रभार, एनटीएससी में मशीनों पर मशीनिंग सुविधा आदि;

समय के साथ टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी।

(ii) व्यवसाय मॉडल मूल्यांकनः

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन एसपीपीआई और व्यवसाय मॉडल परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। निगम व्यवसाय मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करता है जो दर्शाता है कि किसी विशेष व्यवसाय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों को एक साथ कैसे प्रबंधित किया जाता है। निगरानी निगम के निरंतर मूल्यांकन का हिस्सा है कि क्या वह व्यवसाय मॉडल जिसके लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियाँ रखी गई हैं, उचित है। और यदि यह उचित नहीं है तो क्या व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव हुआ है और इसलिए उन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में संभावित बदलाव हुआ है। प्रस्तुत अवधि के दौरान ऐसे किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं थी।

(iii) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धिः

ईसीएल को चरण 1 परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने के ईसीएल के बराबर भत्ते के रूप में मापा जाता है, या चरण 2 या चरण 3 परिसंपत्तियों के लिए आजीवन ईसीएल के रूप में मापा जाता है। एक परिसंपत्ति चरण 2 में तब जाती है जब उसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक पहचान के बाद से काफी बढ़ गया हो। इंड एएस 109 यह परिभाषित नहीं करता है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि क्या है। यह आकलन करने में कि क्या किसी परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, निगम गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उचित और समर्थन योग्य अग्रगामी जानकारी को ध्यान में रखता है।

(iv) यह पहचानने में निर्णय कि क्या अनुबंध में पट्टा शामिल हैः

जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निगम सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और उसके अनुरूप पट्टा दायित्व को मान्यता देता है, जिसमें वह पट्टेदार है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (जैसे टैबलेट और व्यक्तिगत कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) के पट्टों को छोड़कर।

अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं, तथा रिपोर्टिंग अवधि में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रेणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, की चर्चा नीचे की गई है।

(i) कराधान प्रावधानः

निगम का वर्तमान कर प्रावधान, भारतीय लेखाकन मानक 12 के परिशिष्ट ग के अनुसार कर की राशि के प्रबंधन के आकलन से संबंधित है।

(ii) निगम के निर्धारित लाभ दायित्व की वहन राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरः

निगम के निर्धारित लाभ दायित्व का निर्धारण कुछ मान्यताओं पर निर्भर करता है, जिसमें छूट दर का चयन शामिल है। छूट दर सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। बॉन्ड को उस संख्या में शामिल करने के लिए मानदंड निर्धारित करते समय महत्वपूर्ण मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है जिससे प्रतिफल वक्र प्राप्त होता है। इन मान्यताओं को अनुमान अनिश्चितता का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्योंकि उपयोग की गई मान्यताओं में अपेक्षाकृत छोटे बदलावों का अगले वर्ष के भीतर निगम के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

(iii) उचित मूल्य मापन और मूल्यांकन प्रक्रियाएँः

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए निगम की कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रबंधन उचित मूल्य माप के लिए उचित मूल्यांकन तकनीकों और इनपुट का निर्धारण करता है।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, निगम बाजार–अवलोकन योग्य डाटा का उपयोग करता है, जहाँ तक वह उपलब्ध है। जहाँ स्तर 1 इनपुट उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ निगम मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष के योग्य मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए निजी इक्विटी निवेशों और गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन विशेष रूप से एक या अधिक अप्रमाणित इनपुट में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर यथोचित रूप से संभव माना जाता है। इन परिसंपत्तियों की वहन राशियों और अप्रमाणित इनपुट में परिवर्तनों के प्रति उन राशियों की संवेदनशीलता के बारे में आगे की जानकारी टिप्पणी 7 में दी गई है।

टिप्पणी 2 : भौतिक लेखांकन नीतियां

1. नकदी प्रवाह विवरण

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए की जाती है, जिसमें कर–पूर्व लाभ को निम्नलिखित के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता हैः (i) गैर–नकद प्रकृति के परिचालन प्राप्य और देय लेनदेन में अवधि के दौरान परिवर्तन; (ii) गैर–नकद मदें जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित कर, अप्राप्त लाभ और हानि; और (iii) अन्य सभी मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव नकदी प्रवाह का निवेश या वित्तपोषण कर रहे हैं।

2. सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए रखी गई भूमि और भवन, जिसमें दूसरों को

किराये पर देना (निवेश संपत्तियों को छोड़कर) शामिल है, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, को तुलन–पत्र में उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या अभी तक निर्धारित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियों को लागत पर रखा जाता है, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटा दिया जाता है। इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, अन्य संपत्ति परिसंपत्तियों के समान ही निर्धारित किया जाता है, तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं।

फ्री होल्ड भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

पट्टे पर दी गई भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान किया जाता है।

संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर और फिटिंग्स को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2001 तक अर्जित पट्टा परिसंपत्तियों में से पट्टा परिसंपत्तियों और जब्त पट्टा परिसंपत्तियों का लेखांकन लागत, संचित शेष मूल्यह्रास, पट्टा टर्मिनल समायोजन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

मूल्यह्रास को इस तरह से मान्यता दी जाती है कि परिसंपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि, पट्टाधारी परिसंपत्तियों और 31 मार्च 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत या मूल्यांकन को सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके उनके उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर पश्चलेखित किया जा सके। 31 मार्च 2001 तक अधिग्रहित पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से पट्टाधारी परिसंपत्तियों और जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित कम मूल्य विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। निगम ने मूल्यह्रास की विधि को इस तरह से चुना है कि यह परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को सबसे करीब से दर्शाती हो।

क्रम सं.	परिसंपत्ति का प्रकार	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
i.	भवन आरसीसी फ्रेम संरचना	60 वर्ष	1.58%	मूल लागत का 5%
ii.	भवन आरसीसी फ्रेम संरचना के अतिरिक्त	30 वर्ष	3.17%	मूल लागत का 5%
iii.	भवन अस्थायी ढांचे	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
iv.	सड़कें–कापेर्टिड – आर.सी.सी.	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
v	सड़कें– कापेर्टिड – आर.सी.सी. के अलावा	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
vi.	सड़कें– गैर–कापेर्टिड	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
vii.	संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	6.33%	मूल लागत का 5%
viii.	फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
ix.	वाहन – दुपहिया	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
x.	वाहन – चार पहिया	8 वर्ष	11.88%	मूल लागत का 5%
xi.	कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
xii.	अंत उपयोगकर्ता उपकरण जैसे प्रोसेसिंग यूनिट, कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
xiii.	सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	15.83%	मूल लागत का 5%
xiv.	विद्युत वितरण संयंत्र	35 वर्ष	2.71%	मूल लागत का 5%
xv.	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
xvi.	ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेज (पीवी) प्रणाली	25 वर्ष	3.80%	मूल लागत का 5%
xvii	मोबाइल फोन उपकरण	2 वर्ष	49.50%	1/- ₹

अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, तथा अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को संदर्शी आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

0.10 लाख रुपये तक की लागत वाले पीपीई का उपयोग के लिए तैयार होने पर खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया जाता है, तथा मूल लागत का 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के रूप में रख लिया जाता है, सिवाय मोबाइल फोन उपकरणों के, जहां 1 रुपये अवशिष्ट मूल्य के रूप में रख लिया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि की अल्प अवधि या अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है। यदि पट्टे में अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है। या उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि निगम खरीद विकल्प का प्रयोग करने की प्रत्याशा करता है, तो संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

3. बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ

बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (और निपटान समूहों) को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब बिक्री अत्यधिक संभावित हो और परिसंपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो। बिक्री के अत्यधिक संभावित होने के लिए, प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए योग्य होने की प्रत्याशा की जानी चाहिए।

4. पट्टें

(क) निगम पट्टेदार के रूप में

एनएसआईसी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है। कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। निगम सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है, जिसमें वह पट्टेदार है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के रूप में परिभाशित) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (जैसे टैबलेट और व्यक्तिगत कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) के पट्टों को छोड़कर। इन पट्टों के लिए, निगम पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देता है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा अवधि से तात्पर्य उसे निरस्त न की जा सकने वाली अवधि से है जिसके लिए पट्टेदार को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार होता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान आरंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो निगम अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है। इसे तब फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, या अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है, या इस बात के आकलन में परिवर्तन होता है कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

पट्टा दायित्व को बाद में पट्टा दायित्व पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके (प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके) मापा जाता है, तथा किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाया जाता है।

निगम पट्टा देयता का पुनर्मापन करता है (तथा संबंधित उपयोग–अधिकार परिसंपत्ति में तदनुरूपी समायोजन करता है) जब भीः

- पट्टे की अवधि बदल गई है। या कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप खरीद विकल्प के प्रयोग के मूल्यांकन में परिवर्तन हुआ है, ऐसी स्थिति में संशोधित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है;
- सूचकांक या दर में परिवर्तन या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के तहत अपेक्षित भुगतान में परिवर्तन के कारण पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, ऐसे मामलों में पट्टा देयता को अपरिवर्तित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर पुनः मापा जाता है (जब तक कि पट्टा भुगतान में परिवर्तन फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तन के कारण न हो, ऐसे मामले में संषोधित छूट दर का उपयोग किया जाता है);
- एक पट्टा अनुबंध को संशोधित किया जाता है और पट्टा संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं गिना जाता है, ऐसी स्थिति में पट्टा देयता को संशोधन की प्रभावी तिथि पर सशोधित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर संशोधित पट्टे की पट्टा अवधि के आधार पर पुनः मापा जाता है।

निगम ने प्रस्तुत अवधि के दौरान ऐसा कोई समायोजन नहीं किया। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में संबंधित पट्टा देयता का प्रारंभिक माप, आरंभिक दिन पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान, प्राप्त किए गए किसी भी पट्टा प्रोत्साहन और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाना शामिल है। उन्हें बाद में लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि को घटाकर मापा जाता है।

परिवर्तनीय किराए जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन में शामिल नहीं किया जाता है। संबंधित भुगतानों को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वह घटना या स्थिति होती है जो उन भुगतानों के प्रारंभ होने का कारण बनती है और उन्हें लाभ या हानि में "अन्य व्यय" पंक्ति में शामिल किया जाता है (टिप्पणी 30 देखें)।

एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, भारतीय लेखाकन मानक 116 पट्टेदार को गैर–पट्टा घटकों को अलग न करने की अनुमति देता है, और इसके बजाय किसी भी पट्टे और उससे जुड़े गैर–पट्टा घटकों को एक ही व्यवस्था के रूप में लेखांकित करने की अनुमति देता है। निगम ने इस व्यावहारिक उपाय का उपयोग नहीं किया है। ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें पट्टा घटक और एक या अधिक अतिरिक्त पट्टा या गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, निगम पट्टा घटक के सापेक्ष एकल मूल्य और गैर–पट्टा घटकों के कुल एकल मूल्य के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक को अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करता है।

(ख) निगम पट्टादाता के रूप में

निगम अपनी कुछ निवेश संपत्तियों के संबंध में पट्टादाता के रूप में पट्टा समझौते करता है।

जिन पट्टों के लिए निगम पट्टादाता है, उन्हें वित्त या प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निगम ने केवल दीर्घकालिक प्ररिचालन पट्टे पर ही हस्ताक्षर किये हैं।

परिचालन पट्टों से प्राप्त किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रचालन पट्टे पर मोल–भाव करने और उसे व्यवस्थित करने में होने वाली आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की वहन राषि में जोड़ दिया जाता है और पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

जब किसी अनुबंध में पट्टा और गैर–पट्टा दोनों घटक शामिल होते हैं, तो निगम अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक

घटक को प्रतिफल आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकन मानक 115 लागू करता है।

5. अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियाँ

सीमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त संपत्तियाँ जो अलग से अधिग्रहित की जाती हैं, उन्हें संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। परिशोधन को 1/– रुपए के अवशिष्ट मूल्य के रूप में बनाए रखने के बाद पाँच वर्शों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, जहाँ सॉफ्टवेयर का जीवन पाँच वर्ष से कम है, वहाँ लागत को ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है (टिप्पणी 12 में प्रकटीकरण किया गया है)

अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, तथा अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

क्रम सं.	परिसंपत्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
i	अमूर्त पीपीई – साफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए
i i.	वेबसाइट	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए

सबस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदे गए सॉफ्टवेयर, जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक नहीं किया जाना अपेक्षित है, को सबस्क्रिपशन अवधि के दौरान लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

6. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

यह आकलन करने के लिए कि क्या आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति मान्यता के मानदंडों को पूरा करती है, निगम परिसंपत्ति के सृजन को इस प्रकार वर्गीकृत करता है:

(क) अनुसंधान चरण; तथा

(ख) विकास चरण।

यदि निगम अमूर्त परिसंपत्ति बनाने के लिए आंतरिक परियोजना के अनुसंधान चरण को विकास चरण से अलग नहीं कर सकता है, तो वह उस परियोजना पर व्यय को इस प्रकार मानता है मानो वह केवल अनुसंधान चरण में ही किया गया हो।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

विकास से उत्पन्न (या किसी आंतरिक परियोजना के विकास चरण से) आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है, जब निम्नलिखित स्थितियाँ प्रदर्शित की गई हों:

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि वह उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो सके
- अमूर्त परिसंपत्ति भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ कैसे उत्पन्न करेगी

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए आरंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि उस तिथि से किए गए व्यय का योग है जब अमूर्त परिसंपत्ति पहली बार उपरोक्त सूचीबद्ध मान्यता मानदंडों को पूरा करती है। जहां किसी आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है, वहां विकास व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह व्यय किया गया है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर सूचित किया जाता है, उसी आधार पर जिस आधार पर अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को सूचित किया जाता है।

क्रम सं.	परिसंपत्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
i	अमूर्त पीपीई – साफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए
i i	वेबसाइट	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न प्राप्त हो जाए

कि निगम उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगा और अनुदान प्राप्त हो जाएगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ या हानि के रूप में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें निगम उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदानों का उपयोग किया जाता है।

विशेष रूप से, सरकारी अनुदान, जिसकी प्राथमिक शर्त यह है कि निगम को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों (जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं) को खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहिए, को तुलन–पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ या हानि में स्थानांतरित किया जाता है।

सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या निगम को बिना किसी भविश्य संबंधी लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, उन्हें उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे प्राप्त होते हैं।

'एसपीआरएस योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क', 'एसपीआरएस योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत निरीक्षण शुल्क' (वहां लागू होता है जहां निरीक्षण केवल एनएसआईसी अधिकारियों द्वारा किया जाता है और पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों द्वारा नहीं), 'बी2बी योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क', 'क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुल्क (एनएसएसएच)', 'कार्यालय परिसर का किराया–एनएसएसएचओ' (वहां लागू होता है जहां संपत्ति एनएसआईसी के स्वामित्व में है। और जहां बाहरी व्यक्ति को किराया नहीं दिया जाता है) के लिए शुल्क की राषि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को समूह शीर्ष ''एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, किराया आदि'' के अंतर्गत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में लिया जाता है और मान्यता प्राप्त अनुदान आय से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना आदि के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि को समूह शीर्ष ''एटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क'' के अंतर्गत प्रयुक्त अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यताप्राप्त अनुदान आय में से घटा दिया जाता है।

इसी प्रकार, पीएमएसएस योजना के अंतर्गत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को भी समूह शीर्ष "बी2बी योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि" के अंतर्गत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में लिया जाता है तथा इसे मान्यता प्राप्त अनुदान आय से घटा दिया जाता है।

चूंकि निगम पहले से ही वाणिज्यिक आधार पर ऊपर बताई गई सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तथापि, एससी/एसटी इकाइयों के मामले में, निगम की वाणिज्यिक फीस एससी/एसटी एमएसई इकाइयों के बदले भारत सरकार द्वारा भुगतान की जा रही है। इसलिए, ऊपर उल्लिखित सभी प्रतिपूर्तियों को भी 'सेवाओं की बिक्री' के अंतर्गत संबंधित शीर्षों के वाणिज्यिक राजस्व के रूप में माना जाता है।

निगम को किसी भी सरकारी प्रचार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमति दिए गए प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, तो स्वीकृत दिशा–निदशों के अनुसार, खर्च की गई राषि (मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग सहायता, निगम के वाणिज्यिक राजस्व, आदि पर खर्च की गई राषि को छोड़कर) पर, समूह शीर्ष "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रषासनिक षुल्क (अनुदान और सब्सिडी)" के तहत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यता प्राप्त अनुदान राजस्व से तदनुसार घटाया जाता है। चूंकि, यह निगम का वाणिज्यिक राजस्व है, इसलिए इसे 'सेवाओं की बिक्री' के तहत समूह शीर्ष "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक षुल्क (अनुदान और सब्सिडी)" के तहत वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी दर्शाया गया है।

एटीआई और एनएसएसएच योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के कारण व्यय किए गए प्रत्यक्ष वास्तविक व्यय, यदि कोई हो, को संबंधित शीर्ष के प्राकृतिक लेखा शीर्ष के अंतर्गत वाणिज्यिक व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

अनुदान की मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को भारत सरकार से अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे भारत सरकार को देय राशि के रूप में दर्शाया जाता है।

यदि विभिन्न प्रोत्साहन गतिविधियों के अग्रिम खातों के अंतर्गत शुद्ध परिणाम "घाटा" है, तो इसे वित्तीय परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत "अनुदान में घाटे के लिए भारत सरकार से प्राप्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है। और यदि "अधिशेष" है, तो इसे वित्तीय देयताओं के शीर्ष के अंतर्गत "अनुदान में अधिशेष के लिए भारत सरकार को देय राशि" के रूप में दर्शाया जाता है।

8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, निगम अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि को उचित मूल्य में से बिक्री लागत (एफवीएलसीएस) या उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, उसके आधार पर मापा जाता है। जहां, एफवीएलसीएस उपलब्ध नहीं है, तो उपयोग में मूल्य को वसूली योग्य राशि माना जाता है। यदि उपयोग में मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है और ऐसी परिसंपत्ति की हानि नकद–उत्पादक इकाई में की जाएगी। जहां परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है, वहां निगम उस नकदी–उत्पादक इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। जब आवंटन का एक उचित और सुसंगत आधार पहचाना जा सकता है, तो कारपोरेट परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत नकद–उत्पादक इकाइयों को भी आवंटित किया जाता है, या अन्यथा उन्हें नकद–उत्पादक इकाइयों के सबसे छोटे समूह को आवंटित किया जाता है, जिसके लिए एक उचित और सुसंगत आवंटन आधार पहचाना जा सकता हो।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। क्षति हानि को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में क्षति हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाता है और इस सीमा तक कि क्षति हानि संबंधित पुनर्मूल्यांकन अधिशेष से अधिक है, अतिरिक्त क्षति हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

जहां एक क्षति हानि बाद में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है, परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस तरह कि बढ़ी हुई वहन राशि उस वहन राषि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) के लिए पिछले वर्षों में कोई क्षति हानि नहीं पहचानी गई होती। क्षति हानि के प्रत्यावर्तित होने को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, इस सीमा तक कि यह उस क्षति हानि को समाप्त कर देता है जिसे पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए पहचाना गया है। इस राशि से अधिक की किसी भी वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

9. मालसूची

मालसूची को लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर दर्शाया जाता है। लागत में प्रत्यक्ष सामग्री और, जहाँ लागू हो, प्रत्यक्ष श्रम लागत और वे

ओवरहेड शामिल हैं। जो मालसूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च किए गए हैं। लागत की गणना एफआईएफओ पद्धति का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा होने की सभी अनुमानित लागतों को घटा कर दर्शाता है।

मालसूची में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं–

i स्टेशनरी और विविध वस्तुओं का स्टॉक।

ii भंडार, उपकरण, मापन उपकरण।

iii पारगमन में होने वाली वस्तुएं।

iv वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित तैयार माल का स्टॉक।

v किराया खरीद (एचपी) और समग्र सावधि ऋण (सीटीएल) के तहत पुनः प्राप्त/जब्त/अभ्यर्पणकी गई मशीनों का स्टॉक।

vi उपकरण पट्टे के अंतर्गत पुनः कब्जा की गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित की गई मषीनों का स्टॉक, जहां परिसंपत्तियां 01.04.2001 को या उसके बाद दी गई हों।

vii अप्रचलित एवं अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ।

10. राजस्व मान्यता

निगम निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों से राजस्व प्राप्त करता है:

- कच्चे माल का वितरण, कच्चे माल की सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल छूट, विपणन के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियाँ;
- एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण शुल्क;
- डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क;
- प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सामान्य सुविधाएँ;
- तकनीकी इन्क्यूबेशन सेंटर (टीआईसी) इकाइयों से रॉयल्टी आय;
- पट्टे पर देना।

राजस्व को उस मूल्य (अर्थात, लेन–देन मूल्य) के आधार पर मापा जाता है, जिसके लिए निगम को ग्राहक के साथ अनुबंध में हकदार होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि जैसे जीएसटी शामिल नहीं है। निगम राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह किसी उत्पाद या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करता है।

निगम लेन–देन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और अपनी परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करता है। ग्राहक द्वारा दिए गए प्रतिफल की प्रकृति, समय और राशि, लेन–देन मूल्य के अनुमान को प्रभावित करते हैं।

ब्याज राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिस सीमा तक अनुबंध परिसंपत्ति (या प्राप्य) को ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए लेखांकन में मान्यता दी जाती है। भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिकलित ब्याज को लाभ या हानि में मान्यता दी जानी चाहिए।

विपणन, कच्चे माल की सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता और बिल छूट के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियाँ

i. ऋण और अग्रिम के संबंध में ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्रदान की जाती है। निगम की विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के तहत दंडात्मक ब्याज/विलंबित भुगतान पर ब्याज/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज, जहाँ भी वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है, उसे उसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है। जहाँ इकाई के खाते फ्रोजन हैं, वहाँ इकाई के खाते पर कोई और ब्याज नहीं लगाया जाता है।

ii. मास्टर निदेश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी –प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, ऋण और अग्रिम के एनपीए

बन जाने की तिथि से किसी ब्याज आय को मान्यता नहीं दी जाती है।

iii. एनपीए खातों के मामले में अर्जित लेकिन वसूल न किए गए ब्याज को रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज आय से 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत (पीआईएस)' के रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है और तदनुसार कुल बकाया राशि से घटा दिया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां लागू बीजी की आय रिपोर्टिंग तिथि तक प्राप्त नहीं हुई हो।

iv बैंक गारंटी (बीजी) को भुनाए जाने पर पर, इकाई का खाता बीजी जारी करने वाले बैंक के साथ अपना दावा पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से फ्रीज कर दिया जाता है और कुल बकाया राशि में शामिल अर्जित लेकिन वसूल न किया गया ब्याज, यदि कोई हो, को ब्याज आय से 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज सस्पेंस (पीआईएस)' के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। वर्ष के अंत में, यदि निगम के नामित बैंक खाते में भुनाई गई बीजी की आय प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी राशि को ''बैंक से प्राप्तियां'' के रूप में माना जाता है। हालाँकि, जहाँ बैंक भुनाई गई बैंक गारंटियों की आय जारी करने में देरी करता है, तो दावा दायर करने की तिथि से निगम के नामित बैंक खाते में आय प्राप्त होने की तिथि तक विलंबित अवधि के लिए ब्याज, यदि कोई हो, तो इसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

v. प्रसंस्करण शुल्क को अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर बीजी के प्रति आरएमए/एडब्ल्यूआरटी/बीडी के तहत समय आनुपातिक आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

vi. आवेदन प्रसंस्करण शुल्क, जहां भी लागू हो, अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर आय के रूप में माना जाता है।

vii. किराए पर खरीद किए गए और उपकरण पट्टे पर देने के मामले में पुनः कब्जा की गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित की गई मशीनों की बिक्री आय उनके मूल्य से अधिक होने पर पुनः कब्जा/जब्ती/अभ्यर्पण की तिथि पर चूककर्ता किराएदार/पट्टेदार के खाते में समायोजित की जाती है। किराएदार/पट्टेदार से देय राशि से अधिक किसी भी अतिरिक्त राशि को बिक्री आय के उपार्जन के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

कच्चे माल का वितरण

राजस्व की गणना उस प्रतिफल के आधार पर की जाती है जिसके लिए निगम को ग्राहक के साथ अनुबंध में हकदार होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित की गई राषि जैसे कि जीएसटी शामिल नहीं है। निगम राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह किसी उत्पाद का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करता है।

एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क

एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क को केवल अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि की तिथि पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, अर्थात नए पंजीकरण/नवीनीकरण/संषोधन के लिए प्रमाण पत्र जारी करना।

डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) का सदस्यता शुल्क

डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क को केवल अंतर्निहित निश्पादन दायित्वों की संतुष्टि अर्थात इकाई की सदस्यता के सक्रियण पर ही आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सामान्य सुविधाएँ

प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को प्रायोजित प्रशिक्षण को छोड़कर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने तक प्रोद्भव (समय अनुपात) के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रायोजित और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण से प्राप्त राजस्व को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है और जब यह निश्चित हो

जाता है कि अनुबंध/संविदा/एमओयू के निबंधनों और शर्तों के अनुसार शुल्क वसूल किया जाएगा। सामान्य सुविधाओं (जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सामग्री परीक्षण शुल्क, जॉब वर्क शुल्क, एनटीएससी में मशीनों पर मषीनिंग सुविधा आदि षामिल हैं) से प्राप्त राजस्व को परीक्षण और जॉब वर्क के पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

तकनीकी इनक्यूबेशन सेंटर (टीआईसी) इकाइयों से रॉयल्टी आय

टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी के कारण प्राप्त राजस्व को उपार्जन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। शुल्क/रॉयल्टी को नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या, पाठ्यक्रम शुल्क और पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर मासिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

पट्टा

उपरोक्त बिंदु 4 (ख) का संदर्भ लें।

डिक्री निर्णय

जहां निगम के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई है, वहां बकाया राशि की वसूली के समय इकाई के खातों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।

11. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ में वेतन, भत्ते, वार्षिक अवकाश और बीमारी अवकाश, निश्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) जैसी कर्मचारी लागतें शामिल होती हैं, जो उस वर्ष के दौरान अर्जित होती हैं, जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की बिना छूट वाली राशि पर मापा जाता है।

ख) रोजगारपश्च लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

निर्धारित अंशदान योजना

निर्धारित अंशदान एक रोजगार–पश्च लाभ योजना है, जिसमें निगम विभिन्न संगठनों में निश्चित अशदान का भुगतान करता है। तथा आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निगम द्वारा भविष्य निधि, पेंशन निधि, सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और परोपकार निधि (बीएफ) में किए गए अंशदान को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/देय ऐसे अंशदान को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भविष्य निधि में अंशदान एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में अंशदान ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, चिकित्सा कोष लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है जिसका उपयोग बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया जाता है। परोपकार निधि में अंशदान निधि के नियमों के अनुसार किया जाता है।

निर्धारित लाभ योजना

निर्धारित लाभ योजना, निर्धारित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार–पश्चात लाभ योजना है। निगम द्वारा दी जाने वाली उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों जैसे कि रुग्णता अवकाश और सेवानिवृत्ति पर टीए के प्रति निगम की देयता को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना जाता है।

ऐसी निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकित लाभ और हानि शामिल हैं, को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय में। अन्य

व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

12. पूर्व अवधि के व्यय और आय

निगम के पिछले वर्ष के प्रचालन से प्राप्त राजस्व के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाएगा।

13. पूर्व प्रदत्त मदें

आगामी वित्तीय वर्ष(वर्षों) से संबंधित व्यय को केवल पूर्वभुगतान माना जाएगा, जहां भुगतान प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए से अधिक होगा।

14. कराधान

अवधि के लिए कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर, उस सीमा को छोड़कर जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहां कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि में रिपोर्ट किए गए शुद्ध लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं होती हैं। जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं। और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं होती हैं। जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। वर्तमान कर के लिए निगम की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

प्रावधान उन मामलों के लिए मान्यता प्राप्त है जिनके लिए कर निर्धारण अनिश्चित है लेकिन यह संभावित माना जाता है कि भविष्य में कर प्राधिकारी को धन का बहिर्वाह होगा। प्रावधानों को देय होने वाली अपेक्षित राशि के सर्वोत्तम अनुमान पर मापा जाता है। मूल्यांकन विषेशज्ञ स्वतंत्र कर सलाह पर आधारित है

आस्थगित कर

आस्थगित कर वह कर है जो वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूल किए जाने की प्रत्याषा है, और इसका लेखांकन देयता पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे परिसंपत्ति का सम्पूर्ण या आंशिक भाग वसूल किया जा सके।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है, जो उस अवधि में लागू होने की प्रत्याशा होती है जब देयता का निपटान हो जाता है। या कर कानूनों (अर्थात आयकर अधिनियम, 1961) और उन दरों के आधार पर परिसंपत्ति की वसूली हो जाती है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हो चुकी हैं।

समायोजन

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब वे एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हों और निगम अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का निपटान शुद्ध आधार पर करना चाहता हो।

15. सहायक कंपनियों में निवेश

निगम लागत के आधार पर सहायक कंपनियों में निवेश का लेखा–जोखा रखता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, निगम अपनी वहन राशि की समीक्षा करता है। ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई हानि का संकेत है, यदि कोई हो, तो हानि के लिए समायोजित किया जाएगा।

16. वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को निगम के तुलन–पत्र में तब मान्यता दी जाती है जब वह साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन व्यापार प्राप्तियों के जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोशण घटक नहीं होता है, जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों को प्रारंभिक मान्यता पर, उचित रूप से, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर, या तो परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर उनकी संपूर्णता में मापा जाता है।

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना होता है;
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक षर्तें निर्दिश्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देष्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा किया जाता है;
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

डिफॉल्ट रूप से, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(i) परिशोधित लागत और प्रभावी ब्याज विधिः

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय परिसंपत्तियों की परिषोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय आवंटित करने की एक विधि है।

खरीदी गई या उत्पन्न ऋण–बाधित वित्तीय परिसंपत्तियों (अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियां जो आरंभिक मान्यता पर ऋण–बाधित हैं) के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों (सभी शुल्कों और भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए बिंदुओं सहित जो प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का एक अभिन्न अंग है) को छूट देती है, जिसमें अपेक्षित ऋण हानियों को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान, या जहां उपयुक्त हो, एक लघु अवधि तक, आरंभिक मान्यता पर ऋण लिखत की सकल

अग्रेणीत राशि शामिल है।

वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत वह राशि है जिस पर वित्तीय परिसंपत्ति को प्रारंभिक मान्यता में मापा जाता है, जिसमें मूलधन की चुकौती घटा दी जाती है, साथ ही उस प्रारंभिक राशि और परिपक्वता राशि के बीच किसी भी अंतर को प्रभावी ब्याज पद्ध ति का उपयोग करके संचयी परिशोधन, किसी भी हानि भत्ते के लिए समायोजित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि किसी भी हानि भत्ते के लिए समायोजित करने से पहले वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है, जिसे बाद में परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है। खरीदी गई या उत्पन्न ऋण–बाधित वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय की गणना की जाती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जो बाद में ऋण बाधित हो गई हैं (नीचे देखें)। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो बाद में ऋण–क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय की पहचान की जाती है। यदि, बाद की रिपोर्टिंग अवधि में, ऋण–बाधित वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में सुधार होता है, ताकि वित्तीय परिसंपत्ति अब ऋण बाधित न रहे, तो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

ब्याज आय को टिप्पणी 21 के तहत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ii) एफवीटीओसीआई के रूप में नामित इक्विटी लिखत

प्रारंभिक मान्यता पर, निगम इक्विटी लिखतों में निवेष को एफवीटीओसीआई के अनुसार नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन (लिखत–दर–लिखत आधार पर) कर सकता है। यदि इक्विटी निवेष को ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है या यदि यह किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त आकस्मिक प्रतिफल है, तो एफवीटीओसीआई में नामित करने की अनुमति नहीं है।

एफवीटीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापा जाता है। इसके बाद, उन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ और हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है और निवश पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। इक्विटी निवेश के निपटान पर संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, इसके बजाय, इसे प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

इक्विटी लिखत में इन निवेशों पर लाभांश को भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेष की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व न करें। लाभांश को टिप्पणी 21 के तहत लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

निगम ने इक्विटी उपकरणों में सभी निवेशों को, जो व्यापार के लिए नहीं रखे गए हैं, प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीओसीआई के रूप में नामित किया है । (टिप्पणी 7 देखें)।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को व्यापार के लिए रखा जाता है यदिः

- इसे मुख्यतः निकट भविष्य में बेचने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है;
- प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह पहचाने गए वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। जिसे निगम एक साथ प्रबंधित करता है और इसमें अल्पकालिक लाभ लेने के हाल के वास्तविक पैटर्न का साक्ष्य है;
- यह एक व्युत्पन्न है (ऐसे व्युत्पन्न को छोड़कर जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध या एक निर्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग उपकरण है)

(iii) एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो परिषोधित लागत या एफवीटीपीएल (ऊपर (i) से (ii) देखें) पर मापे जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें एफवीटीपीएल पर मापा जाता है। विशेष रूप से:

- इक्विटी लिखतों में निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि निगम एक इक्विटी निवश को नामित नहीं करता है जो न तो व्यापार के लिए रखा जाता है। और न ही प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीओसीआई के रूप में व्यवसाय संयोजन से उत्पन्न आकस्मिक प्रतिफल है (ऊपर (iii) देखें);
- वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड (ऊपर (i) और (ii) देखें) को पूरा नहीं करती है, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करती है, उसे प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि ऐसा निर्धारण माप या मान्यता असंगति (तथाकथित 'लेखांकन बेमेल') को समाप्त करता है या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है जो परिसंपत्तियों या देनदारियों को मापने या विभिन्न आधारों पर उन पर लाभ और हानि को पहचानने से उत्पन्न होगी। निगम ने किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया है।

  एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है, तथा किसी भी उचित मूल्य लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13.03.2020 के आधार पर, इंडएएस–109 के अनुसार ईसीएल को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय लिखतों में हानि भत्ते के रूप में मान्यता दी गई है। आरबीआई द्वारा जारी इंडएएस और आईआरएसीपी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्राप्य और ऋण और अग्रिम (ब्याज उचिन्त खाते का निवल) के लिए प्रावधान करने के वर्गीकरण और मानदंड भी इसके साथ संलग्न हैं।

निगम वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता को मान्यता देता है, जिन्हें परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई, पट्टा प्राप्तियों, व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों के साथ–साथ वित्तीय गारंटी अनुबंधों पर मापा जाता है। अपेक्षित ऋण हानियों की राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अद्यतन की जाती है।

निगम सदैव ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और पट्टा प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण घाटे (ईसीएल) की पहचान करता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण घाटे का अनुमान निगम के ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके लगाया जाता है, जिसे देनदारों, सामान्य आर्थिक स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर स्थितियों की वर्तमान और पूर्वानुमानित दिषा दोनों के आकलन के लिए समायोजित किया जाता है, जिसमें उचित होने पर धन का समय मूल्य भी शामिल है।

अन्य सभी वित्तीय लिखतों के लिए, निगम आजीवन ईसीएल को मान्यता देता है, जब प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।

आजीवन ईसीएल अपेक्षित ऋण घाटे को दर्शाता है जो किसी वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होगा।

ऊपर उल्लिखित आरबीआई अधिसूचना दिनांक 13.03.2020 के अनुसार, वित्तपोषण योजना के तहत प्राप्तियां तथा ऋण और अग्रिम, जिसमें किराया

खरीद, लीजिंग, कच्चा माल सहायता, बिल छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों से प्राप्तियां आदि के अंतर्गत बकाया राशि के संबंध में प्राप्तियां शामिल हैं, जहां इंड एएस–109 के तहत हानि भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, निगम कर के बाद अपने शुद्ध लाभ या हानि से अंतर को एक अलग 'हानि आरक्षिर्त' में विनियोजित करता है। ऐसा हस्तांतरण लाभ के विरुद्ध प्रभार नहीं होगा; इसके बजाय, करों के पश्चात लाभ या हानि के प्रति विनियोजित किया जाएगा।

(i) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि

यह आकलन करने में कि क्या किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, निगम रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय लिखत पर होने वाले चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर वित्तीय लिखत पर होने वाले चूक के जोखिम से करता है। यह आकलन करने में, निगम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की जानकारी पर विचार करता है जो उचित और समर्थन योग्य है, जिसमें ऐतिहासिक अनुभव और भविष्य–उन्मुख जानकारी शामिल है। जो बिना किसी अनावश्यक लागत या प्रयास के उपलब्ध है। विचार की जाने वाली भविष्य–उन्मुख जानकारी में उन उद्योगों की भविष्य की संभावनाएं शामिल हैं जिनमें निगम के देनदार कार्य करते हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ रिपोर्टों, वित्तीय विश्लेषकों, सरकारी निकायों, प्रासंगिक थिंक–टैंक और अन्य समान संगठनों से प्राप्त की जाती हैं, साथ ही निगम के मुख्य संचालन से संबंधित वास्तविक और पूर्वानुमानित आर्थिक जानकारी के विभिन्न बाहरी स्रोतों पर विचार किया जाता है।

विशेष रूप से, यह आकलन करते समय कि क्या प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में रखा जाता है:

- वित्तीय लिखत के बाह्य (यदि उपलब्ध हो) या आंतरिक मूल्यांकन में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण गिरावट;
- किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए ऋण जोखिम के बाह्य बाजार संकेतकों में महत्वपूर्ण गिरावट, उदाहरण के लिए ऋण प्रसार में महत्वपूर्ण वृद्धि, देनदार के लिए ऋण चूक अदला–बदली मूल्य, या समय की अवधि या वह सीमा जिस तक किसी वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य उसकी परिशोधित लागत से कम रहा है;
- व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में विद्यमान या पूर्वानुमानित प्रतिकूल परिवर्तन, जिनके कारण देनदार की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है;
- देनदार के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण गिरावट;
- उसी देनदार के अन्य वित्तीय लिखतों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि;
- देनदार के विनियामक, आर्थिक या तकनीकी वातावरण में कोई वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप देनदार की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण कमी आती है।

किसी वित्तीय लिखत में ऋण जोखिम निम्न माना जाता है यदि:

- वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम है;

- देनदार के पास निकट भविष्य में अपने संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है;
- दीर्घावधि में आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन, उधारकर्ता की संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो।

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को कम ऋण जोखिम वाला मानता है, जब परिसंपत्ति की आंतरिक रेटिंग प्रदर्शनकारी होती है। प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति का अर्थ है। कि प्रतिपक्ष के पास मजबूत वित्तीय स्थिति है। या जो वैध बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है। या जो लेनदारों के साथ बैक टू बैक व्यवस्था के तहत सुरक्षित है ।

वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, जिस तिथि पर निगम अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता का पक्षकार बनता है, उसे वित्तीय लिखत की हानि के आकलन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक मान्यता की तिथि माना जाता है। यह आकलन करते समय कि क्या वित्तीय गारंटी अनुबंध की प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निगम जोखिम में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करता है कि निर्दिष्ट देनदार अनुबंध पर चूक करेगा।

निगम नियमित रूप से उन मानदंडों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है, जिनका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथा उन्हें उचित रूप से सशोधित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानदंड ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की पहचान करने में सक्षम हैं।

(ii) चूक की परिभाषा

निगम आंतरिक ऋण जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को चूक की घटना मानता है, क्योंकि ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है कि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां आमतौर पर वसूली योग्य नहीं होती हैं:

- जब देनदार द्वारा वित्तीय अनुबंधों का उल्लंघन किया जाता है;
- आंतरिक रूप से विकसित या बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि देनदार द्वारा निगम सहित अपने लेनदारों को पूर्ण भुगतान करने की संभावना नहीं है (निगम द्वारा धारित किए गए किसी भी संपार्श्विक को ध्यान में रखे बिना)

(iii) ऋण–क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्ति तब ऋण–क्षतिग्रस्त होती है जब एक या एक से अधिक घटनाएँ घटित होती हैं जिनका उस वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण–क्षतिग्रस्त होने के साक्ष्य में निम्नलिखित घटनाओं के बारे में अवलोकन योग्य डाटा शामिल है:

- जारीकर्ता या उधारकर्ता की गंभीर वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि चूक या पिछली देय घटना (उपर्युक्त (ii) देखें);
- उधारकर्ता के ऋणदाता(ओं) द्वारा, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या संविदात्मक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करना, जिन पर ऋणदाताओं द्वारा अन्यथा विचार नहीं किया जाता;
- यह संभावना बनती जा रही है कि उधारकर्ता दिवालियापन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा;
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए सक्रिय बाजार का लुप्त होना।

(iv) बट्टे–खाते में डाले जाने संबंधी नीति

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब बट्टे खाते में डाल देता है। जब ऐसी सूचना मिलती है कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। निगम ने चूक वसूली

समितियों का गठन किया है जो मामले दर मामले आधार पर ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की समीक्षा करती हैं और उन्हें बट्टे खाते में डालने की सिफारिश करती हैं। बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ अभी भी निगम की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन गतिविधियों के अधीन हो सकती हैं, जहाँ उचित हो, कानूनी सलाह को ध्यान में रखते हुए। की गई किसी भी वसूली को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(v) प्रत्याशित ऋण हानियों का मापन और पहचान

अपेक्षित ऋण घाटे का मापनचूक की संभावना, चूक के कारण हानि (अर्थात चूक होने पर नुकसान की मात्रा) और चूक के प्रभावके आधार पर गणना किया जाने वाला होता है। ख्क की संभावना और चूक के कारण हानि का आकलन ऊपर वर्णित अनुसार अग्रगामी सूचनाओं द्वारा समायोजित ऐतिहासिक डाटा पर आधारित है। जहां तक चूक पर जोखिम की बात है, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इसे रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि द्वारा दर्शाया जाता है; वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, जोखिम में गारंटीकृत ऋण की वह राशि शामिल होती है जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक निकाला गया है, साथ ही ऐतिहासिक प्रवृत्ति, देनदारों की विशिष्ट भविष्य की वित्तपोषण आवश्यकताओं के बारे में निगम की समझ और अन्य प्रासंगिक अग्रगामी सूचनाओं के आधार पर निर्धारित चूक की तिथि तक उधारकर्ता द्वारा भविष्य में निकाले जाने की अपेक्षित कोई अतिरिक्त गारंटीकृत राशि भी शामिल होती है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित ऋण हानि का अनुमान अनुबंध के अनुसार निगम को देय सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और निगम द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षा की जाने वाली सभी नकदी प्रवाहों के बीच अंतर के रूप में लगाया जाता है, जिसे मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। पट्टा प्राप्य के लिए, प्रत्याशित ऋण हानियों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह, भारतीय लेखाकन मानक 116 के अनुसार पट्टा प्राप्य को मापने में उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह के अनुरूप होते हैं।

वित्तीय गारंटी अनुबंध के लिए, चूंकि निगम को गारंटीकृत लिखत की शर्तों के अनुसार देनदार द्वारा चूक की स्थिति में ही भुगतान करने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्याशित हानि भत्ता धारक को होने वाली ऋण हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान होता है, जिसमें से निगम द्वारा धारक, देनदार या किसी अन्य पक्ष से प्राप्त होने की अपेक्षा की गई राशि घटा दी जाती है।

यदि निगम ने किसी वित्तीय लिखत के लिए हानि भत्ते को पिछले रिपोर्टिंग अवधि में आजीवन ईसीएल के बराबर राशि पर मापा है, लेकिन वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करता है कि आजीवन ईसीएल की शर्तें अब पूरी नहीं होती हैं, तो निगम वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर हानि भत्ते को मापता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिनके लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।

निगम सभी वित्तीय लिखतों के लिए क्षति लाभ या हानि में लाभ या हानि को मान्यता देता है, तथा हानि भत्ता लेखे के माध्यम से उनकी अग्रेणीत राशि में संगत समायोजन करता है, सिवाय वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेष के, जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है, जिसके लिए क्षति भत्ता अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। तथा ओसीआई के माध्यम से अन्य रिजर्व में संचित किया जाता है, तथा वित्तीय स्थिति के विवरण में वित्तीय परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि को कम नहीं करता है।

(ग) वित्तीय परिसंपत्तियों को विमान्य करना

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तभी विमान्य करता है। जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य करने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश को विमान्यरद्द करने पर, ओसीआई के माध्यम से अन्य आरक्षित में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इसके विपरीत, किसी

इक्विटी लिखत में निवेश को विमान्य किए जाने पर जिसे निगम ने एफवीटीओसीआई पर मापने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर चुना है, निवेश पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि उसे प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय देयताएं और इक्विटी

(i) ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकरण

ऋण और इक्विटी लिखतों को संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय दायित्व और इक्विटी उपकरण की परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय देनदारियों या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) इक्विटी लिखत

इक्विटी लिखत कोई भी अनुबंध है जो किसी इकाई की सभी देनदारियों को घटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में शेष ब्याज को प्रमाणित करता है। निगम द्वारा जारी की गई इक्विटी लिखत को प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को घटाकर प्राप्त आय पर मान्यता दी जाती है।

(iii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति या एफवीटीपीएल का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। हालाँकि, वित्तीय देनदारियाँ जो तब उत्पन्न होती हैं जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण मान्यता समाप्ति के लिए योग्य नहीं होता है। या जब निरंतर भागीदारी दृष्टिकोण लागू होता है, और निगम द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध, नीचे निर्धारित विशिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुसार मापा जाता है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियां

वित्तीय देनदारियों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वित्तीय देयता (i) किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता का आकस्मिक प्रतिफल है, (ii) व्यापार के लिए रखी गई है। या (iii) इसे एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया गया है।

वित्तीय देयता को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदिः

- इसे मुख्यतः निकट भविष्य में पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है;
- प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह पहचाने गए वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिसे निगम एक साथ प्रबंधित करता है और इसमें अल्पकालिक लाभ लेने का एक हालिया वास्तविक पैटर्न है;
- यह एक व्युत्पन्न है, सिवाय उस व्युत्पन्न के जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध या एक निर्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग लिखत है।

किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता के व्यापार या आकस्मिक प्रतिफल के लिए धारित वित्तीय दायित्व के अलावा किसी अन्य वित्तीय दायित्व को प्रारंभिक मान्यता के समय एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया जा सकता है, यदिः

- ऐसा निर्धारण माप या पहचान असंगतता को समाप्त करता है। या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है। जो अन्यथा उत्पन्न हो सकती है;
- वित्तीय दायित्व, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्वों या दोनों के समूह का हिस्सा होता है, जिसका प्रबंधन किया जाता है और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन निगम के प्रलेखित जोखिम प्रबंधन या निवेश रणनीति के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है, और समूहीकरण के बारे में जानकारी उस आधार पर आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है;
- यह एक या एक से अधिक एम्बेडेड व्युत्पनन वाले अनुबंध का हिस्सा बनता है, और भारतीय लेखाकन मानक 109 संपूर्ण संयुक्त अनुबंध को एफवीटीपीएल के रूप में नामित करने की अनुमति देता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ या हानि में

मान्यता दी जाती है, इस सीमा तक कि वे निर्दिष्ट हेजिंग संबंध का हिस्सा नहीं हैं। लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त षुद्ध लाभ या हानि में वित्तीय देयता पर भुगतान किया गया। कोई भी ब्याज शामिल होता है और इसे लाभ या हानि में 'अन्य लाभ और हानि' में शामिल किया जाता है।

तथापि, वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया गया है, वित्तीय देनदारी के उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि जो उस देयता के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के कारण है, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जब तक कि अन्य व्यापक आय में देयता के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों की मान्यता लाभ या हानि में लेखांकन बेमेल उत्पन्न न कर दे या बढ़ा न दे। देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की शेष राशि को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। वित्तीय देयता के क्रेडिट जोखिम के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन जो अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है; इसके बजाय, उन्हें वित्तीय देयता की मान्यता समाप्त होने पर प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियां

वित्तीय दायित्व जो (i) किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता के आकस्मिक प्रतिफल नहीं हैं, (ii) व्यापार के लिए रखे गए हैं, या (iii) एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट हैं, उन्हें बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज व्यय आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय दायित्व की अपेक्षित अवधि या (जहां उपयुक्त हो) कम अवधि के दौरान, वित्तीय दायित्व की परिषोधित लागत पर अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान (जिसमें भुगतान या प्राप्त सभी शुल्क और अंक षामिल हैं जो प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का अभिन्न अंग हैं) को सटीक रूप से छूट देती है।

वित्तीय गारंटी अनुबंध देयताएं

वित्तीय गारंटी अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत जारीकर्ता को धारक को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए निर्दिष्ट भुगतान करने की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंध देनदारियों को शुरू में उनके उचित मूल्यों पर मापा जाता है और, यदि उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है और वे किसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो बाद में निम्न में से उच्चतर पर मापा जाता है:

- भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि (ऊपर वित्तीय परिसंपत्तियां देखें);
- प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि में से, जहां उपयुक्त हो, ऊपर निर्धारित राजस्व मान्यता नीतियों के अनुसार मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन राशि घटाई जाएगी।

वित्तीय देनदारियों को विमान्य करना

निगम वित्तीय देनदारियों को तभी अमान्य करता है, और केवल तभी, जब निगम के दायित्वों का निर्वहन, निरस्तीकरण या समाप्ति हो जाती है। विमान्य किए गए वित्तीय दायित्व की वहन राशि और भुगतान किए गए और देय प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

जब निगम मौजूदा ऋणदाता के साथ एक ऋण लिखत को दूसरे में काफी अलग शर्तों के साथ बदलता है, तो इस तरह के आदान–प्रदान को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। इसी तरह, निगम मौजूदा दायित्व या उसके हिस्से की शर्तों में पर्याप्त संषोधन को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में मानता है। यह माना जाता है कि षर्तें काफी अलग हैं यदि नई शर्तों के तहत नकदी प्रवाह का छूट वाला वर्तमान मूल्य, जिसमें प्राप्त किसी भी शुल्क का शुद्ध भुगतान शामिल है। और मूल प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी गई है, मूल वित्तीय दायित्व के

शेष नकदी प्रवाह के छूट वाले वर्तमान मूल्य से कम से कम 10 प्रतिशत अलग है। यदि आशोधन पर्याप्त नहीं है, तो निम्न के बीच का अंतरः

(1) आशोधन से पहले देयता की वहन राशि; और

(2) आशोधन के बाद नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य अन्य लाभ और हानि के भीतर आशोधित लाभ या हानि के रूप में लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की जाती है।

17. प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब निगम पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, यह संभव है कि निगम को उस दायित्व का निपटान करना होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। जहां प्रावधान को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है, वहां इसकी वहन राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है)।

जब किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो प्राप्य को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

यदि आवश्यक हो तो प्रबंधन द्वारा जहां भी उचित समझा जाता है, केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारों/ सरकारी संस्थाओं/सरकारी कम्पनियों तथा अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकारी विभागों/ निकायों से प्राप्तियों तथा ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधान किए जाते हैं।

निर्यात और विपणन योजना के अंतर्गत 'प्राप्तियों' के संबंध में प्राप्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जहां तक राषि 'देय' के अंतर्गत दिखाई देती है, तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक–टू–बैक व्यवस्था के अंतर्गत समान लेनदेन से संबंधित आपूर्तियों के लिए, आपूर्तिकर्ता को देय राशि के विरुद्ध समायोजित प्रसंस्करण शुल्क की सीमा तक।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय लेखाकन मानक (इंडएएस) और आईआरएसी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम (ब्याज उचंत खाते का निवल) के लिए प्रावधान करने के वर्गीकरण और मानदंड इसके साथ संलग्न हैं।

कठिन अनुबंध

कठिन अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। कठिन अनुबंध तब माना जाता है जब निगम के पास ऐसा अनुबंध होता है जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

18. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

निगम आकस्मिक देयता और/या आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण लेखाओं कीटिप्पणी में किया जाता है।

19. विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव

निगम के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निगम की कार्यात्मक मुद्रा (विदशी मुद्राएं) के अलावा अन्य मुद्राओं में किए गए लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियाँ और देनदारियाँ उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित की जाती हैं। पुनः परिवर्तित होने पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। उचित मूल्य पर रखी गई गैर–मौद्रिक वस्तुएँ जो विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं, उन्हें उस तिथि पर प्रचलित दरों पर परिवर्तित किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया गया था। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी गई गैर–मौद्रिक वस्तुओं का पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता है।

लेखांकन नीति नोट 2 बिंदु क्रमांक का (अनुलग्नक16(ख)

प्राप्य और ऋणों व अग्रिमों का वर्गीकरण और प्रावधान करने के मापदंड

आरबीआई द्वारा जारी इंड एएस और आईआरएसीपी के विवेकपूर्ण मानदंडों के संदर्भ में प्राप्य, ऋण और अग्रिम (ब्याज सस्पेंस खाते का शुद्ध) के लिए प्रावधान करने का वर्गीकरण और मानदंड इस प्रकार हैं।

1. प्रतिभूत प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम

व्यापार से प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम को ''प्रतिभूत'' के रूप में समझा जाएगा (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)। इसे उस सीमा तक प्रतिभूत समझा जाएगा, जहां तक एनएसआईसी के पास नगद प्रतिभूतियां उपलब्ध हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार मूल्य/डब्लूडीवी/ऐसी परिसंपत्तियों का वचनबद्ध मूल्य (जो विधिक/जब्त किए गए मामलों से संबंधित हों) और जिनकी वित्त व्यवस्था की गई हो (जो यूनिट/एनएसआईसी के कब्जे के रूप में अभिनिर्धारित हों और उसके पास पड़े हों। यूनिट से प्राप्त अग्रिम, अग्रिम धन जमा (ईएमडी), जब्त की गई मषीनें, प्रतिफल की धनराषि, अग्रिम की किस्त/ किराया, किराएदारों से प्राप्त अग्रिम/मशीनों की खरीद पर अग्रिम, जो अचल संपत्ति का संयुक्त प्रतिभूति इक्विटेबल बंधक से प्राप्त हुई हो, सरकारी विभागों, विधिमान्य बैंक गारंटी (बीजी)/ साख पत्र (एलसी) या किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा से प्राप्त हुई हो, जो संविदा के विधिमान्य करार/ संविदा/ अधिकार/ एनएसआईसी के स्वामित्व की यूनिटों की रकम, जिनमें ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन लेनदेन भी शामिल है, उस सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया, अग्रिम (जिसकी व्यवस्था एनएसआईसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में हो, जिसके संबंध में एमएसएमई और / या बीजी पर आरएमए के अधीन स्वीकृत सीमा में से भुगतान की गई रकम, एनएसआईसी द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा और तदनुसार आपूर्तिकर्ताओं के क्रेताओं द्वारा जमा की गई रकम, जिसका प्रावधान एनएसआईसी के पास रखी गई प्रतिभूति में भी किया गया है (जिसमें संविदा के अधिकारों के अधीन प्रतिभूति जमा रकम भी शामिल है), प्रायोजित प्रषिक्षण की बकाया देयता के बराबर या 180 दिन से कम हो, विद्यमान कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारी अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है, इसमें सहायता की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार यूनिटों से प्राप्त सभी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आने वाली धनराशियों को 'अप्रतिभूत' माना जाता है।

2. वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण

इण्डएएस–109 के अनुसार प्राप्य राशि और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित वित्तीय लिखत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आईआरएसी विवेक पूर्ण मापदंड के अनुसार वित्तीय स्कीमों के वित्तीय लिखतों का आगे वर्गीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगीः

(i) **व्यापार प्राप्यः** वित्तीय योजनाओं के अधीन व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि में किराया खरीद और पट्टे के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्य राशि शामिल होती है, जबकि गैर वित्तीय योजनाओं में विपणन संबंधी क्रियाकलापों और अन्य (जिनमें बिक्री सेवा संबंधी लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है) के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(ii) **ऋण एवं अग्रिमः** वित्त–व्यवस्था संबंधी योजनाओं के अधीन ऋण और अग्रिमों में कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल–बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, बैंक से प्राप्त राशि आदि के अधीन देयताओं संबंधी प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(iii) **अन्यः** गैर–वित्तीय स्कीमों के अधीन इन लिखतों में प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त

होने वाला अग्रिम भी शामिल है (जिनमें निगम के साथ किए गए समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम मुख्य रूप से शामिल हैं), प्रतिभूति जमा, कर्मचारी अग्रिम, उपार्जित ब्याज, जो उस पर देय नहीं है भी शामिल है) और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

3. प्राप्त होने वाली राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधान संबंधी मापदंडः

वित्तीय लिखतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण आईआरएसी मापदंडों पर इण्डएएस–109 के अनुसार हानि भत्तों को स्वीकार करने के संबंध में विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

क) इण्डएएस–109 के अनुसार प्रावधानों से संबंधित मापदंड व्यापार से प्राप्त राशि, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों के लिए नीचे दर्शायी गई हैः–

(i) कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल बट्टा, बैंकों से प्राप्त होने वाली राशि और व्यापार एवं अन्य से प्राप्त होने वाली राशि के अधीन ऋण और अग्रिमः

चरण	बकाया प्राप्त राशियों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
चरण–1 (निष्पादन)	इसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है, चूंकि इनकी पहचान पहले कर ली गई थी या ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम हैं। इनमें अन्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः क) उस सीमा तक बीजी पर आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल बट्टा, जो विधिमान्य बीजी के मूल्य के अंतर्गत आती हो– हानि भत्ता निवल बकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से ख) जहाँ निगम को कम जोखिम होने की संभावना हो, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैंः ● जहाँ प्राप्त होने वाली राषि को नकद/मूर्त प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूत समझा जाता है यथा ईएमडी/अग्रिम किस्त/किराया/यूनिट से प्राप्त अग्रिम, वसूली योग्य संपाश्विक प्रतिभूति आदि। ● प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता, जो उसके बराबर या 180 दिन से कम हो ● उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम, जो आपूर्तिकर्ता के साथ ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन उसी लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम तक। ऐसे मामलों में, क्योंकि यहाँ ईसीएल नहीं होता है, अतः इसमें हानि भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है।
चरण–2 (निष्पादन के अधीन)	चरण–2 के अधीन वे वित्तीय परिसंपत्तियां आती हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है, परंतु जिनमें हानि होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मामले शामिल होते हैंः– **क) संपार्श्विक के प्रति आरएमए और बिल डिस्काउटिंगः** लंबे समय से बंद हो गई हैं या जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चालू रखने की योजना नहीं है, लेकिन जिनके पक्ष में उस सीमा तक वसूली योग्य प्रतिभूति है जो वसूली योग्य प्रतिभूति के ऐसे मूल्य से प्रतिभूत है– निवल बकाया का 100 प्रतिषत की दर से हानिकरण छूट। **ख) बैंक गारंटी के प्रति आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल डिस्काउटिंगः** इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है। तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ii) किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, आदि के अधीन प्राप्त होने वाली राशि और ऋण एवं अग्रिम : चरण बकाया प्राप्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण

चरण–3 (गैर निष्पादन)	चरण–3 की परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को हानि का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जो चरण 1 और 2 के अधीन नहीं आती हैं और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:– क) ऐसी योजना, जो लंबे समय से बंद पड़ी हों और जिन्हें एनएसआईसी द्वारा भविष्य में चलाने का इरादा नहीं है और जिनके पक्ष में प्राप्त होने वाली कोई प्रतिभूति नहीं है। ख) योजनाएँ यथा किराया खरीद (एचपी), पट्टा (ईएलएस), संमिश्र मियादी ऋण (सीटीएल) और मियादी ऋण (टीएल)। ग) ऐसी योजना, जिनमें कोई कपट नहीं है। घ) ऐसी योजना, जहाँ दावा स्वीकार करने के संबंध में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के साथ विवाद है और अंतिम प्राधिकारी जैसे (सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रषासनिक तंत्र–एएमआरसीडी है) का निर्णय एनएसआईसी के खिलाफ है। ङ) बाह्य पक्षकारों के पास पड़ी राशि/अग्रिम, जिसकी वसूली संदिग्ध है। च) एनएसआईसी छोड़ चुके/निगम से त्याग–पत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली राशि और जहाँ बकाया के निपटान के लिए राशि उपलब्ध न हो। छ) प्रायोजित प्रषिक्षण से संबंधित बकाया देयताएं, जो 180 दिन से अधिक की हों। ज) ऐसी सभी अप्रतिभूत वसूल योग्य राशि और ऋण एवं अग्रिम ऐसे मामलों में निवल बकाया के 100 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मापदंडों के आधार पर मापदंडों का प्रावधान– यह प्रावधान व्यापार से प्राप्त राशियों, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों से संबंधित है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

(i) किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण और संमिश्र मियादी ऋण के अधीन प्राप्य राशियाँ :–

क्र.सं.	योजना	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1.	किराया खरीद	100%
2.	पट्टा	
3.	संमिश्र मियादी ऋण	
4.	मियादी ऋण	

(ii) कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता और बिल बट्टा के अधीन प्राप्य राशि

क्र.सं.	बकाया प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1	मानक परिसंपत्तियां–270 दिनों तक	0.40%
2	घटिया परिसंपत्तियां (जिनका एनपीए एक वर्ष से कम हो)	10%
3	संदिग्ध परिसंपत्तियां	
	संदिग्ध परिसंपत्तियों का प्रतिभूत अंश:	
	एक वर्ष से संदिग्ध (अर्थात् दो वर्ष से एनपीए)	20%
	एक वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध (अर्थात् 2 से 4 वर्ष से एनपीए)	30%
	तीन वर्ष से अधिक अवधि से संदिग्ध (अर्थात् 4 वर्ष से अधिक अवधि से एनपीए)	50%
	प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा प्रतिभूत नहीं की गई जिनके संबंध में निगम के पास विधिमान्य उपाय हों।	100%
4	हानि वाली परिसंपत्तियाँ, यदि बट्टे, खाते में न डाली गई हों	100%

(iii) बैंकों से प्राप्य राशियाँ:

इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआरसीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और एनएसआईसी के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/ प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के / 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है।

तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग) अन्य प्राप्यों और ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान संबंधी मापदंड :

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों/ निकायों से प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान, यदि अपेक्षित हों, किए जाते हैं, जहाँ प्रबंधक वर्ग द्वारा ऐसा करना उचित समझा जाता है।

(ii) ऐसी प्राप्य राशियों, ऋण एवं अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधान को नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	बकाया प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
i	निम्नलिखित सभी प्राप्य राषियाँ और ऋण एवं अग्रिम 'सुरक्षित' माने जाते हैं (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो): क) सरकारी विभागों/संस्थानों/उपक्रमों से देय प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम ख) सभी प्राप्य राशियाँ, ऋण और अग्रिम, जिनके प्रति निगम के पास मूर्त वसूलीयोग्य प्रतिभूति है ग)एमएसएमईज से पहले ही प्राप्त कर लिए गए अग्रिम की सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं (जिनका निगम के साथ समझौता ज्ञापन है) को दिए गए अग्रिम और/या बैंक गारंटी के प्रति आरएमए के अंतर्गत मंजूर की गई सीमा में से भुगतान की गई धनराशि घ) निगम द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राषियां और तदनुरूपी आपूर्तियों के क्रेता भी निगम को प्रतिभूति उपलब्ध कराते हैं (संविदात्मक अधिकारों के अंतर्गत प्रतिभूति जमा राशियों सहित)। ङ) संविदात्मक वैध करार/संविदा के अंतर्गत निगम द्वारा भुगतान की गई सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम/प्रतिभूति जमा च) निगम में कार्यरत कर्मचारियों के लिए	शून्य
ii	''हानिकृत'' के रूप में माने गए प्राप्तव्य और ऋण एवं अग्रिम (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (क) बाह्य पक्षकारों के पास धनराशि/अग्रिम और वसूली के लिए संदिग्ध। (ख) निगम की सेवा छोड़ देने वाले/त्यागपत्र दे देने वाले कर्मचारियों से प्राप्तियोग्य धनराशि और जब बकाया राशि को प्रतितुलित करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध हो।	100%

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: U74140DL1955GOI002481]

31.03.2024 को यथास्थिति एकल तुलन–पत्र

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए	
	परिसंपत्तियां					
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	10243.06		8896.38	
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	4	50.27		62.44	
(ग)	व्यापार प्राप्य	5	10994.77		16499.79	
(घ)	ऋण एवं अग्रिम	6	261358.98		263160.64	
(ड़)	निवेश	7	1027.21		910.28	
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	756.98	284431.27	1493.73	291023.26
2	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	माल–सूचियां	9	9.08		11.48	
(ख)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	0.00		186.11	
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	3522.35		3528.14	
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	28627.81		28720.85	
(ड़)	चालू पूंजीगत कार्य	12	482.33		437.42	
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	12	35.65		35.65	
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	12	86.35		58.32	
(ज)	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	12	221.91		54.16	
(झ)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	12	0.00		0.21	
(ञ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	13	4117.41	37102.89	6762.25	39794.59
	कुल परिसंपत्तियां			**321534.16**		**330817.85**
	देयताएं और इक्विटी					
1	**वित्तीय देयताएं**					
(क)	देयताएं					
(i)	व्यापार देयताएं					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	11916.71		16463.62	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	69.61		113.32	
(ii)	अन्य देय धनराशियां					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
(ख)	उधार	15	142495.42		155586.97	
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं देनदारियां	16	13003.29	167485.03	16816.75	188980.66
2	**अन्य वित्तीय देयताएं**					
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	10	708.33		0.00	
(ख)	प्रावधान	17	11897.10		11412.02	
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	11	0.00		0.00	
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	18	6528.61	19134.04	5077.90	16489.92
3	**इक्विटी**					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	19	53298.80		53298.80	
(ख)	अन्य इक्विटी	20	81616.29	134915.09	72048.47	125347.27
	कुल देयताएं और इक्विटी			**321534.16**		**330817.85**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	35				

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
यूडीआईएन : 24413012केडीजेडएमडब्लू7316

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: **ए**22768

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: U74140DL1955GOI002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल तुलन–पत्र

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
I	**राजस्व**			
क	प्रचालनों से राजस्व	21	276408.88	232491.66
	उत्पादों की बिक्री		13578.73	10994.01
	सेवाओं की बिक्री		32021.02	28316.10
	ब्याज आय		4829.27	4730.12
	शुल्क और कमीशन आय			
	इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4829.27 लाख रू. (4730.12 लाख रू.) के व्यय के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1168413.63 लाख रू. (1684329.65 लाख रू.) शामिल है।			
	अन्य परिचालन आय		479.66	422.69
	प्रचालन से कुल राजस्व		**327317.56**	**276954.58**
ख	**अन्य आय**	22	278.90	158.11
ग	लांभाश आय		91.10	61.78
घ	अनुदान और सब्सिडियां	23	13827.28	10508.11
	कुल राजस्व (क + ख + ग + घ)		**341514.84**	**287682.58**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	275064.83	231796.49
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	14115.71	13377.28
	वित्त लागतें	27	11479.20	9084.67
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	842.91	703.59
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	288.89	278.27
	अन्य व्यय	30	22601.54	17546.99
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	71.29	84.09
	कुल व्यय		324464.37	272871.38
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**17050.47**	**14811.20**
	असाधारण मदें (टिप्पणी–35 की बिंदु संख्या 4एफबी) देखें)		-13.18	-13.94
IV	**कर पूर्व लाभ**		**17063.65**	**14825.14**
	कर व्यय	**31**		
	वर्तमान कर		4450.00	3500.00
	आस्थगित कर		-18.25	310.68
	पूर्ववर्ती वर्ष		-23.87	-33.81
V	**कुल कर व्यय**		**4407.88**	**3776.87**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**12655.77**	**11048.27**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: U74140DL1955GOI002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल तुलन–पत्र

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि का लाभ**		**12655.77**	**11048.27**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि निवेश में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		111.07	35.69
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-15.56	3.02
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-24.04	-9.73
	उप–जोड़ (क)		**71.47**	**28.98**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप–जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**71.47**	**28.98**
XII	**अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**12727.24**	**11077.25**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)**	**32**		
	मूल (रु.)		23.74	20.73
	न्यूनीकृत (रु.)		23.74	20.73
XIV	**आकस्मिक प्रतिबद्धताएं**	**33 (i)**	**4436.53**	**3974.46**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**793.19**	**986.82**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
यूडीआईएन : 24413012केडीजैडएमडब्लू7316

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: **ए**22768

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: U74140DL1955GOI002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण

क: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	अथ शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी मेंपरिवर्तन	जमा शेष
2022-23	**53298.80**	**0.00**	**53298.80**	**0.00**	**53298.80**
2023-24	**53298.80**	**0.00**	**53298.80**	**0.00**	**53298.80**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	अन्य इक्विटी								
	पूंजी प्रारक्षित	पूंजी मोचन रिजर्व	अवधारित अर्जन						कुल
			अवधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाएं	हानिकरण प्रारक्षित	ा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित	उप जोड	
31 मार्च 2022 को यथास्थिति शेष	**4155.98**	**73.09**	**49086.77**	**258.83**	**-521.23**	**4866.65**	**6180.21**	**59871.23**	**64100.30**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	11048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11048.27	11048.27
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	35.69	3.02	0.00	0.00	38.71	38.71
कुल व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**11048.27**	**35.69**	**3.02**	**0.00**	**0.00**	**11086.98**	**11086.98**
वर्ष के दौरान परिवर्धन, स्थानांतरण/समायोजन	563.38	0.00	-2209.66	0.00	0.00	0.00	2209.66	0.00	563.38
वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-3317.05	-3317.05
वर्ष के लिए मुल्यह्रास	-375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.41
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.75	-0.75
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	-8.98	0.00	0.00	0.00	-8.98	-8.98
31 मार्च 2023 को यथास्थिति शेष	**4343.95**	**73.09**	**54608.33**	**285.54**	**-518.96**	**4866.65**	**8389.87**	**67631.43**	**72048.47**

विवरण	अन्य इक्विटी								
	पूंजी प्रारक्षित	पूंजी मोचन रिजर्व	अवधारित अर्जन						कुल
			अवधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाएं	हानिकरण प्रारक्षित	भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की ध ारा 45आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित	उप जोड	
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	12655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12655.77	12655.77
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	111.07	-15.56	0.00	0.00	95.51	95.51
कुल व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**12655.77**	**111.07**	**-15.56**	**0.00**	**0.00**	**12751.28**	**12751.28**
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/ समायोजन	498.03	0.00	-2531.15	0.00	0.00	0.00	2531.15	0.00	498.03
वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-3314.49	-3314.49
वर्ष के लिए मुल्यह्रास	-342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-342.96
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	3.91	3.91
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	-27.95	0.00	0.00	0.00	-27.95	-27.95
31 मार्च 2024 को यथास्थिति शेष	**4499.02**	**73.09**	**61418.46**	**368.66**	**-530.61**	**4866.65**	**10921.02**	**77044.18**	**81616.29**

नोटः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित/पुनः समूहित किया गया है।

उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अगवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
यूडीआईएन : 24413012केडीजेडएमडब्लू7316

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: ए22768

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: U74140DL1955GOI002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न एकल नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण		31.03.24 के अनुसार	31.03.23 के अनुसार
कर से पूर्व निवल (+) लाभ(-)/हानि		**17,063.65**	**14,825.14**
गैर–नकद/गैर–प्रचालन मदों के लिए समायोजनः			-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		842.91	703.57
परिसंपत्तियों/अमूर्त वस्तुओं की बिक्री/निपटान पर लाभ/हानि		(13.18)	(13.94)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (टर्मिनल लाभ)		1,502.28	1,381.46
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय भिन्नता)		402.90	408.13
अशोध्य ऋण माफ किये गये		0.14	17.35
यह अर्जित है लेकिन उधार पर देय नहीं है		8.05	8.52
छूट का प्रभाव (डेबिट)		13.48	21.40
छूट का प्रभाव (क्रेडिट)		(57.02)	(75.90)
लाभांश आय		(91.10)	(61.78)
बैंकों में एफडी/जमा पर ब्याज		(27.91)	(13.31)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित–अन्य		(113.98)	(169.75)
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखे गए		(120.79)	(114.69)
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया (टर्मिनल लाभ)		(65.33)	(59.20)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित वापसी (केएफडब्ल्यू ऋण)		(243.13)	(138.24)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकद प्रवाहः		**19,100.96**	**16,718.75**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजनः			
वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी			
व्यापार प्राप्य		5,504.89	(2,459.19)
अन्य वित्त परिसंपत्तियां		780.31	509.65
माल सूची		2.40	0.78
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		(1,985.86)	(240.78)
ऋण और अग्रिम		1,915.64	(15,430.34)
अन्य गैर वित्त परिसंपत्तियां		2,644.85	(4,830.67)
वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी			
व्यापार देय		(4,469.82)	2,230.99
अन्य वित्त देनदारियाँ		(3,821.52)	4,101.41
प्रावधानों		(1,127.22)	(1,359.07)
अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ		1,450.71	(5,766.80)
कर से पूर्व नकद प्रवाहः		**19,995.33**	**(6,525.26)**
भुगतान किया गया कर		(1,545.84)	(2,712.28)
निवल प्रचालन नकद (+) अंतर्वाह/(-)बहिर्वाह	क	18,449.49	(9,237.54)
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाहः			
परिसंपत्तियों की बिक्री आय		25.32	35.86

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: U74140DL1955GOI002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न एकल नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण		31.03.24 के अनुसार	31.03.23 के अनुसार
पीपीई और पूंजी डब्ल्यूआईपी में वृद्धि		(847.41)	(589.00)
एसआरआई फंड में निवेश		(5.86)	(3.73)
सावधि जमा में वृद्धि / कमी		12.17	(3.61)
निवेश से लाभांश		91.10	61.78
बैंक जमा पर ब्याज		27.91	13.32
निवल निवेश नकद (+) अंतर्वाह / (-)बहिर्वाह	ख	**(696.78)**	**(485.38)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाहः			
उधार में कमी (अल्पकालिक)		(12,818.82)	3,269.74
उधार में कमी (दीर्घकालिक)		(272.72)	111.38
प्रदत्त लाभांश		(3,314.49)	(3,317.05)
निवल वित्तपोषण नकद (+) अंतर्वाह / (-)बहिर्वाह	ग	**(16,406.03)**	**64.07**
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद (+) अंतर्वाह / बहिर्वाह (-)	घ	18,449.49	(9,237.54)
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद (+) अंतर्वाह / बहिर्वाह (-)	ड़	(696.78)	(485.38)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद (+) अंतर्वाह / बहिर्वाह (-)	च	(16,406.03)	64.07
निवल नकद (+) अंतर्वाह / बहिर्वाह (-)	(घ+ड+च)	**1,346.68**	**(9,658.86)**
जोड़ें: वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**8,896.38**	**18,555.25**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**10,243.06**	**8,896.38**
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य . नोट 3		**10,243.06**	**8,896.38**

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), लेखा नीतियां (नोट–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है।
2. नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) में नकद और अन्य बैंक शेष शामिल हैं।
3. जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः समूहीकृत / व्यवस्थित किए गए हैं।
4. हम एक एनबीएफसी हैं और भुगतान किए गए ब्याज को परिचालन व्यय माना गया है।

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
यूडीआईएन : 24413012केडीजैडएमडब्लू7316

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: **ए**22768

टिप्पणी–3: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
नकदी एवं नकदी समतुल्य				
हस्तगत नकदी '		0.00		0.30
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट		0.00		0.00
मार्गस्थ प्रेषण		0.00		0.00
बैकों में शेष				
चालू खाता	9746.05		8567.66	
अन्य ''	496.99	10243.04	328.40	8896.06
हस्तगत स्टाम्प		0.02		0.02
तुलन–पत्र के अनुसार		**10243.06**		**8896.38**

टिप्पणी:– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सुलभ नकदी
*कैश ऑन हैंड बैंक द्वारा जारी प्रीपेड कार्ड के स्टॉक की द्योतक है।
** इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट शेष शामिल है।

टिप्पणी–4 : नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
जमा		
सावधि जमा	50.27	62.44
तुलन–पत्र के अनुसार	**50.27**	**62.44**

नोटः– 50.27 लाख रूपये (62.44 लाख रुपये) की सावधि जमा राशि 3 महीने से अधिक के लिए है और ग्रहणाधिकार चिहिन्त है।

टिप्पणी–5: व्यापार प्राप्य (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
व्यापार प्राप्य				
सुरक्षित शोध्य माने गए	10752.26		16303.10	
असुरक्षित शोध्य माने गए	242.51		196.69	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	1665.55		1619.60	
	12660.32		18119.39	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	280.50		284.48	
	12329.11		17784.20	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1334.34		1284.41	
तुलन–पत्र के अनुसार		**10994.77**		**16499.79**
व्यापार प्राप्यों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		10994.77		16499.79
भारत के बाहर		0.00		0.00
जोड़		**10994.77**		**16499.79**

अनुलग्नक – 5क व्यापार प्राप्य (आयुवार सारांश)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	5547.81	5375.71
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	876.47	2052.28
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1134.06	3305.96
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	626.37	722.45
3 वर्ष से अधिक	2769.31	5002.63
उप जोड़	**10954.02**	**16459.03**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	40.76	40.76
उप जोड़	**40.76**	**40.76**
निर्विवाद व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	0.00	0.00
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	93.18	2.07
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	3.26	0.69
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	10.09	99.14
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	6.22	14.77
3 वर्ष से अधिक	786.44	696.11
उप जोड़	**899.19**	**812.78**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	766.35		806.82	
उप जोड़	**766.35**		**806.82**	
	12660.32		18119.39	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	280.50		284.48	
	12329.11		17784.20	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1334.34		1284.41	
जोड़	**10994.77**		**16499.79**	
व्यापार प्राप्यों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		10994.77		16499.79
भारत के बाहर		0.00		0.00
जोड़		**10994.77**		**16499.79**

अनुलग्नक – 5ख व्यापार प्राप्यों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
व्यापार प्राप्य – किराया खरीद				
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	704.87		757.37	
	704.87		757.37	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	235.42		239.40	
	469.45		517.97	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	469.45		517.97	
उप–जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – पट्टाकरण				
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	165.85		165.85	
	165.85		165.85	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40		44.40	
	70.74		70.74	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74		70.74	
उप–जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – विपणन				
सुरक्षित शोध्य माने गए	10507.78		15980.03	

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	259.46		259.61	
	10767.24		16239.64	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	10767.24		16239.64	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.46		259.61	
उप–जोड़		**10507.78**		**15980.03**
व्यापार प्राप्य – अन्य				
सुरक्षित शोध्य माने गए	244.48		323.07	
असुरक्षित शोध्य माने गए	242.51		196.69	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	535.37		436.77	
	1022.36		956.53	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68		0.68	
	1021.68		955.85	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	534.69		436.09	
उप–जोड़		**486.99**		**519.76**
जोड़		**10994.77**		**16499.79**

अनुलग्नक – 5ग व्यापार प्राप्यों का आयुवार वर्गीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य – किराया खरीद		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	348.91	361.41
उप जोड़	**348.91**	**361.41**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	355.96	395.96
उप जोड़	**355.96**	**395.96**
	704.87	757.37
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	235.42	239.40
घटाएं: वसूली के लिए भेजे गए चैक	469.45	517.97
घटाएं: हानि हानि भत्ता	0.00	0.00
उप जोड़	**469.45**	**517.97**
	0	0
व्यापार प्राप्य – पट्टाकरण		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	65.85	65.85
उप जोड़	**65.85**	**65.85**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	100.00	100.00
उप जोड़	**100.00**	**100.00**
	165.85	165.85
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40	44.40
	70.74	70.74
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74	70.74
उप जोड़	**0**	**0**
व्यापार प्राप्य – विपणन		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	5145.85	4976.82
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	834.91	2044.20
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1132.13	3298.59
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	625.58	683.74
3 वर्ष से अधिक	2734.29	4941.66
उप जोड़	**10472.76**	**15945.01**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	35.02	35.02
उप जोड़	**35.02**	**35.02**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 महीने से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	214.70	214.85
उप जोड़	**214.70**	**214.85**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	44.76	44.76
उप जोड़	**44.76**	**44.76**
	10767.24	16239.64
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00	0.00
	10767.24	16239.64
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.46	259.61
उप जोड़	**10507.78**	**15980.03**
व्यापार प्राप्य – अन्य		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	401.96	398.89
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	41.56	8.08
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1.93	7.37

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.79	38.71
3 वर्ष से अधिक	35.02	60.97
उप जोड़	**481.26**	**514.02**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	5.74	5.74
उप जोड़	**5.74**	**5.74**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	93.18	2.07
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	3.26	0.69
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	10.09	99.14
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	6.22	14.77
3 वर्ष से अधिक	156.98	54.00
उप जोड़	**269.73**	**170.67**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	265.63	266.10
उप जोड़	**265.63**	**266.10**
	1022.36	956.53
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68	0.68
	1021.68	955.85
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	534.69	436.09
उप जोड़	**486.99**	**519.76**
जोड़	**10994.77**	**16499.79**

टिप्पणी–6: ऋण एवं अग्रिम (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
ऋण एवं अग्रिम		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1143.82	1152.18
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	260681.99	262376.67
असुरक्षित	11889.76	11501.06
	273715.57	275029.91
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	568.55	669.77
	273147.02	274360.14
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11788.04	11199.50
तुलन–पत्र के अनुसार	**261358.98**	**263160.64**
ऋणों और अग्रिमों का भौगोलिक वर्गीकरण :		
भारत में	261358.98	263160.64
भारत से बाहर	0.00	0.00
कुल	**261358.98**	**263160.64**
पीएसयू और अन्य को ऋण और अग्रिम:		
पीएसयू को	1888.88	2009.09
अन्य को	259470.10	261151.55
कुल	**261358.98**	**263160.64**

अनुलग्नक – 6क ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	12.75	21.11
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	0.00	0.00
असुरक्षित	26.80	23.92
	39.55	45.03
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00	0.00
	39.55	45.03
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00	0.00
	39.55	45.03
नकद अथवा वस्तु रूप में या इसके मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अग्रिम		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	2577.79		2139.98	
	2577.79		2139.98	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	2577.79		2139.98	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	687.47	1890.32	38.16	2101.82
अन्य ऋण एवं अग्रिम *				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1131.07		1131.07	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	260681.99		262376.67	
असुरक्षित	9285.17		9337.16	
	271098.23		272844.90	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	568.55		669.77	
	270529.68		272175.13	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11100.57	259429.11	11161.34	261013.79
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़		**261358.98**		**263160.64**

नोट :– 'अन्य ऋणों और अग्रिमों में वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत बकाया राशि शामिल है अर्थात् आरएमए/एडब्ल्यूआरटी, बीडी, सीटीएल और मीयादी ऋण (विवरण के लिए अनुलग्नक 6बी देखें)

अनुलग्नक – 6ख ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
थोक और खुदरा व्यापारियों को कच्चे माल की सहायता / सहायता		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1003.70	1003.70
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	258514.32	259503.47
असुरक्षित	7584.74	7636.73
	267102.76	268143.90
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	449.15	497.72

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
	266653.61		267646.18	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	9382.15	257271.46	9440.30	258205.88
बिल डिस्काउंटिंग				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	127.37		127.37	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	2167.67		2873.20	
असुरक्षित	1509.30		1509.30	
	3804.34		4509.87	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	76.24		128.89	
	3728.10		4380.98	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1570.45	2157.65	1573.07	2807.91
संयुक्त मियादी ऋण				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	175.69		175.69	
	175.69		175.69	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	38.91		38.91	
	136.78		136.78	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	136.78	0.00	136.78	0.00
मियादी ऋण				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	15.44		15.44	
	15.44		15.44	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	4.25		4.25	
	11.19		11.19	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11.19	0.00	11.19	0.00
जोड़		**259429.11**		**261013.79**

टिप्पणी–6ग: निगम के निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम (कर्मचारियों को ऋणों एवं अग्रिमों के अंतर्गत सहित)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
निदेशकगण	0.00	0.00
कंपनी के अन्य अधिकारी	39.55	45.03
फर्म, जिसमें निदेशक साझेदार हो	0.00	0.00
निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य हो	0.00	0.00
जोड़	**39.55**	**45.03**

टिप्पणी–7: निवेश

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
क. सहायक कंपनी में इक्विटी उपकरणों में निवेश (मूल लागत पर)				
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड [एनवीसीएफएल – एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (6,00,000 इक्विटी शेयर / 100/– प्रत्येक],	600.00		600.00	
घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता	0.00	600.00	0.00	600.00
ख. एनवीसीएफएल में अन्य निवेश – एसआरआई निधि (मूल्यांकित लागत पर)				
आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि [0.114 यूनिट / रु 1 करोड़ प्रति यूनिट] (0.055 यूनिट/रू 1 करोड़ प्रति यूनिट)	11.38		5.52	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	0.00	11.38	0.00	5.52
ग. इक्विटी उपकरणों में निवेश उचित मूल्य पर (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)				
इक्विटी प्रलेख	425.83		314.76	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	10.00	415.83	10.00	304.76
तुलन पत्र के अनुसार		**1027.21**		**910.28**

निवेश (उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
मैसर्स सिंगर इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर (दिनांक 31.03.24 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 88.43 रू. प्रति शेयर) (दिनांक 31.03.23 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 64.81 रू. प्रति शेयर)	**415.83**	**304.76**
मैसर्स लघु उद्योग उत्पादन प्रोन्नत संगठन लिमिटेड (एसआईपीपीओ) के इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 100000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत)	10.00	10.00
उप जोड़	**425.83**	**314.76**
घटाएं: एसआईपीपीओ के इक्विटी शेयरों हेतु हानिकरण क्षति की छूट	10.00	10.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**415.83**	**304.76**

निवेश का भौगोलिक वर्गीकरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
भारत में	1027.21	910.28
भारत से बाहर	0.00	0.00
जोड़	**1027.21**	**910.28**

नोट :– * टिप्पणी–35 की क्रम सं. 4(वाई)(च) देखें।

टिप्पणी–8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
प्रतिभूति जमा				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	275.53		278.08	
	275.53		278.08	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	275.53		278.08	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	4.64	270.89	0.75	277.33
उप जोड़		**270.89**		**277.33**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
बैंकों से प्राप्य				
ब्याज	268.30		268.30	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	268.30	0.00	268.30	0.00
अन्य	490.30		934.28	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	490.30	0.00	246.93	687.35
सुनमय/लघु अवधि जमाओं पर प्रोदभत परंतु अदेय ब्याज		3.25		1.25
अवधारण राशि प्राप्य		228.10		238.82
देय प्रतिभूति जमा का बट्टाकरण प्रभाव		235.82		207.80
देय अवधारणा राशि का बट्टाकरण प्रभाव		0.48		0.94
एनवीसीएफएल के साथ खाता शेष का आदान–प्रदान		18.44		80.24
उप जोड़		**486.09**		**1216.40**
तुलन–पत्र के अनुसार		**756.98**		**1493.73**

टिप्पणी – 9 सूची

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
भंडार और अतिरिक्त	7.41	9.85
ढीले उपकरण और माप उपकरण	1.67	1.63
उप–जोड़	**9.08**	**11.48**
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.00	0.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**9.08**	**11.48**

टिप्पणी–10: चालू कर (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
स्रोत पर काटा गया टीडीएस/टीसीएस	1968.43	2459.21
अग्रिम कर	5273.24	8126.90
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	7950.00	10400.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**-708.33**	**186.11**

टिप्पणी–11 आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	6060.45	5757.48
घटाएं : आस्थगित कर देयतांए	2538.10	2229.34
तुलन पत्र के अनुसार	**3522.35**	**3528.14**

टिप्पणी :– टिप्पणी 35 का क्रम संख्या 4(घ) देखें।

नोट – 12 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 के अनुसार निवल वहन राशि	31.03.23 के अनुसार निवल वहन राशि
भूमि	47.29	47.57
भवन	22784.28	22871.86
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	281.55	300.34
कार्यालय उपकरण	415.27	338.16
वाहन	21.26	10.37
संयंत्र एवं उपकरण	5078.16	5152.55
कुल संपत्ति, संयत्र और उपकरण	**28627.81**	**28720.85**
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंत्तियां	0.00	0.21
सॉफ्टवेयर और विकासधीन सॉफ्टवेयर	122.00	93.97
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	221.91	54.16
चल रहा पूंजीगत कार्य	482.33	437.42

टिप्पणी :– टिप्पणी 35 का क्रम संख्या 4(एफ) देखें।

विवरण	सकल ब्लॉक											संचित मूल्यह्रास				एलटीए	निवल ब्लॉक
	01.04.23 को यथास्थिति	वृद्धि	बिक्री	कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31.03.24 तक लागत	01/04/21 को यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	बिक्री	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/21 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां																	
स्वयं की परिसंपत्तियां																	
भवन	23157.77	63.17	0.00	0.00	0.00	.228.39	23449.33	2607.21	379.04	0.00	0.00	0.00	2986.25	0.00	0.00	20463.08	20550.56
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	634.02	23.76	4.14	0.00	0.00	0.00	653.64	455.40	36.15	3.32	0.00	0.00	488.23	0.00	0.00	165.41	178.62
भूमि	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.62	4.47	0.19	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	29.96	30.15
कार्यालय उपकरण	1062.74	129.39	70.28	0.00	0.00	0.68	1121.17	872.79	79.50	64.31	0.00	0.00	887.98	0.00	0.00	233.19	189.95
वाहन	80.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	80.02	70.42	3.35	0.04	0.00	0.00	73.73	0.00	0.00	6.29	9.64
संयंत्र एवं उपकरण	2526.21	9.27	0.93	0.00	0.00	0.00	2534.55	1056.02	77.83	0.80	0.00	0.00	1133.05	0.00	0.00	1401.50	1470.19
जोड़	**27495.42**	**225.59**	**75.39**	**0.00**	**0.00**	**.227.71**	**27873.33**	**5066.31**	**576.06**	**68.47**	**0.00**	**0.00**	**5573.90**	**0.00**	**0.00**	**22299.43**	**22429.11**
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां																	
संयंत्र एवं उपकरण	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35	12.77	12.77	0.04	0.04
जब्त पट्टायुक्त परिसंपत्तियां																	
संयंत्र एवं उपकरण	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35	9.67	0ण्00	0.00	0.00	0.00	9.67	48.80	48.80	0.88	0.88
सरकारी अनुदानों से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
भूमि	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	5.62	0.09	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	17.33	17.42
भवन														1686.76	0.00	0.00	0.00
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	183.47	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51	123.26	14.62	0.00	0.00	0.00	137.88	0.00	0.00	59.63	60.21
कार्यालय उपकरण	947.20	36.56	9.70	0.00	0.00	0.00	974.06	876.57	19.31	9.21	0.00	0.00	886.67	0.00	0.00	87.39	70.63
वाहन	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.45	0.45
संयंत्र एवं उपकरण	5530.92	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5716.42	2618.20	271.02	0.00	0.00	0.00	2889.22	0.00	0.00	2827.20	2912.72
जोड़	**8381.83**	**236.10**	**9.70**	**0ण्00**	**0ण्00**	**.51.21**	**8659.44**	**4136.82**	**333.75**	**9.21**	**0.00**	**0.00**	**4461.36**	**0.00**	**0.00**	**4198.08**	**4245.01**
तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
भवन	22.52	4.01	0.00	0.00	0.00	1416.24	260.01	42.14	1.03	0.00	0.00	301.12	0.00	0.00	1115ण्12	1137.72	
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	172.10	8.81	0.84	0.00	0.00	0.00	180.07	110.59	13.77	0.80	0.00	0.00	123.56	0.00	0.00	56.51	61.51
कार्यालय उपकरण	684.19	44.30	7.58	0.00	0.00	.0.68	721.59	606.61	27.53	7.24	0.00	0.00	626.90	0.00	0.00	94.69	77.58
संयंत्र एवं उपकरण	1258.43	172.64	2.81	0.00	0.00	0.00	1428.26	489.71	91.74	1.73	0.00	0.00	579.72	0.00	0.00	848.54	768.72
वाहन	5.67	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	5.39	0.21	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	14.52	0.28
जोड़	**3518.12**	**262.72**	**15.24**	**0.00**	**0.00**	**.0.68**	**3766.28**	**1472.31**	**175.39**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**1636.90**	**0.00**	**0.00**	**2129.38**	**2045.81**
उप–जोड़ मूर्त परिसंपत्तियां	**39487.88**	**724.41**	**100.33**	**0.00**	**0.00**	**.279.60**	**40391.56**	**10705.46**	**1085.20**	**88.48**	**0.00**	**0.00**	**11702.18**	**61.57**	**61.57**	**28627.81**	**28720.85**
गत वर्ष	38138.61	722.11	95.17	0.00	0.00	.722.33	39487.88	9733.81	1045.74	73.38	0.00	0.71	10705.46	61.57	61.57	28720.85	28343.23

विवरण	सकल ब्लॉक											संचित मूल्यह्रास				एलटीए	निवल ब्लॉक
	01.04.23 को यथास्थिति	वृद्धि	बिक्री	कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31.03.24 तक लागत	01/04/21 को यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	बिक्री	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/21 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति
अमूर्त परिसंपत्तियां																	
स्वयं की परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	197.83	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	245.29	174.22	18.97	0.00	0.00	0.00	193.19	0.00	0.00	52.10	23.61
सरकारी अनुदान से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	109.08	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.08	87.37	9.20	0.00	0.00	0.00	96.57	0.00	0.00	26.51	21.71
तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	248.28	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	252.44	235.39	4.05	0.00	0.00	0.00	239.44	0.00	0.00	13.00	12.89
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां																	
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.67	2.67	0.84	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	54.16	55.00
उप जोड़ – अमूर्त परिसंपत्तियां	612.86	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	678.48	499.65	33.06	0.00	0.00	0.00	532.71	0.00	0.00	145.77	113.21
गत वर्ष	592.06	17.45	0.73	0.00	0.00	0.00	608.78	417.43	53.61	0.21	0.00	0.00	470.83	0.00	0.00	137.95	174.63
चल रहा पूंजीगत कार्य																	
चल रहा पूंजीगत कार्य	231.81	251.56	0.00	0.00	0.00	45.95	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.42	231.81
गत वर्ष	246.81	3.42	0.00	0.00	18.42	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.81	246.81	285.57
सरकारी अनुदान से अर्जित सीडब्ल्यूआईपी	518.52	158.94	0.00	0.00	0.00	677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.52
गत वर्ष	176.63	423.97	0.00	0.00	0.00	82.08	518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.52	176.63
उप जोड़–चल रहा पूंजीगत कार्य	750.33	410.50	0.00	0.00	0.00	723.41	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.42	750.33
गत वर्ष	423.44	427.39	0.00	0.00	0.00	100.50	750.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.33	423.44
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां																	
मालिकाना परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	35.65
गत वर्ष	23.39	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	23.39
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वगीकृत परिसंपत्तियां																	
बिक्री के लिए रखी गई के रूप मेंवगीकृत परिसंपत्तियां (स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां)	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वगीकृत परिसंपत्तियां (सरकारी अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
सकल जोड़	40582.10	1345.45	109.88	0.00	0.00	0.00	41817.67	11213.92	1185.86	97.73	0.00	0.00	12302.05	61.57	61.57	29454.05	29306.61
गत वर्ष	39525.35	1152.37	95.62	0.00	0.00	0.00	40582.10	10208.67	1079.00	73.75	0.00	0.00	11213.92	61.57	61.57	29306.61	29255.11

नोट:– अंतर ईकाई स्थांतरण/अंतर समूह समायोजन/ग्रुप समूह समायोजन कॉलम में सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित परिसंपत्तियों के समूह में परिसंपत्तियों का पूंजीकरण शामिल है।

अनुलग्नक – 12क सीडब्ल्यूआईपी (अनुदान सहित) और विकसोन्मुखी अमूर्त परिसंपत्ति का समय–निर्धारण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
सीडब्ल्यूआईपी का समय–वार वर्गीकरण		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	71.16	209.03
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	209.03	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	132.03
3 वर्ष से अधिक	0.00	96.36
उप जोड़	**280.19**	**437.42**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**280.19**	**437.42**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	**0.00**	**0.00**
3 वर्ष से अधिक	**0.00**	**0.00**
कुल	**0.00**	**0.00**
सीडब्ल्यूआईपी का आयुवार वर्गीकरण (अनुदान से प्राप्त)		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	202.14	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**202.14**	**0.00**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**202.14**	**0.00**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों का आयुवार वर्गीकरण		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	12.26	12.26
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	23.39
3 वर्ष से अधिक	23.39	0.00
उप जोड़	**35.65**	**35.65**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**35.65**	**35.65**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी–13 अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
पूंजीगत अग्रिम				
सीपीडब्ल्यूडी और अन्य के पास	194.65		9.67	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	194.65	0.00	9.67
ठेकेदारों के पास (सरकारी अनुदान की प्रति)	72.27		77.22	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	72.27	0.00	77.22
आपूर्तिकताओं को अग्रिम	2809.83		2297.53	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.00	2809.83	6.82	2290.71
उप जोड़		**3076.75**		**2377.60**
कर प्राधिकारियों के पास अन्य जमाएँ		603.17		1368.63
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ रु	467.29		3016.95	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज सस्पेंस	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	29.80	437.49	0.93	3016.02
तुलन–पत्र के अनुसार		**4117.41**		**6762.25**

नोट:–#: इसमें सरकारी अनुदान के बदले बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, प्रीपेड खर्च, बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, अदालत में जमा की गई राशि और अग्रिम भुगतान की गई दरें और कर शामिल हैं।

टिप्पणी–14 व्यापार प्राप्य

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
व्यापार देय				
एमएसई की बकाया राशियां	11916.71		16463.62	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	69.61	11986.32	113.32	16576.94
अन्य देय				
एमएसई की बकाया राशियां	0.00		0.00	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	0.00	0.00	0.00	0.00
संबंधित पक्षकारों को देय		0.00		0.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**11986.32**		**16576.94**

टिप्पणी: टिप्पणी–35 का क्रम सं. 1 देखें।
* निविदा विपणन के कारण देय व्यापार रू 11907.42 लाख (रू 16473.23 लाख) शामिल है

अनुलग्नक–14क व्यापार देय (आयुवार सारांश)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
अविवादित व्यापार देय – एमएसई की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	3652.39		7220.47	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	2820.44		3340.10	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	2206.90		820.56	
3 वर्ष से अधिक	3072.15		4916.65	
उप जोड़		**11751.88**		**16297.78**
विवादित व्यापार देय – एमएसई की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	164.83		165.84	
उप जोड़		**164.83**		**165.84**
कुल		**11916.71**		**16463.62**
अविवादित व्यापार देय – अन्य की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		3.61	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.04	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.32	
3 वर्ष से अधिक	47.74		88.50	
उप जोड़		**47.74**		**92.47**
विवादित व्यापार देय – अन्य की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	21.87		20.85	
उप जोड़		**21.87**		**20.85**
कुल		**69.61**		**113.32**
कुल योग		**11986.32**		**16576.94**

टिप्पणी–15: उधार (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
सुरक्षित उधारियां				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण:				
बैंकों से		0		0
अन्यों से:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी:				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	107500.00		147000.00	
नकदी क्रेडिट	1459.44		3778.26	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	29000.00	137959.44	0.00	150778.26
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित भुगतान देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**137959.44**		**150778.26**
असुरक्षित उधार				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण				
बैंक		0		0
अन्य पक्षकारों से:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	4535.98		4808.71	

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
अन्य	0	4535.98	0	4808.71
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगीः				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	0		0	
नकदी क्रेडिट	0		0	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	0	0	0	0
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित अदायगी देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**4535.98**		**4808.71**
तुलन–पत्र के अनुसार		**142495.42**		**155586.97**
उधारों का भौगोलिक वर्गीकरणः				
भारत में		137959.44		150778.26
भारत से बाहर		4535.98		4808.71
जोड़		**142495.42**		**155586.97**
टिप्पणी –35 की क्रम सं. 4(छ) देखें।				

अनुलग्नक–15क उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशिः		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.24 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति				अवधि	राशि
सुरक्षित उधार							
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋणः							
बैंक							
विजया बैंक	0.00	0.00	अर्धवार्षिक		शून्य	0	
अन्यों सेः							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
अदायगी योग्य ऋणः							
बैंक							
कार्यशील पूंजीगत ऋण							
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00		.	शून्य	0	
भारतीय स्टेट बैंक	107500.00	67000.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
एचडीएफसी डब्ल्यूसीडीएल	0.00	80000.00		बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
	107500.00	**147000.00**					
नकद क्रेडिट							
पंजाब नेशनल बैंक	0.00	0.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में भूमि और भवन के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और ऋणों तथा अग्रिमों, बही ऋणों, बट्टाकृत बिलों और विपणन क्रियाकलापों समे संबंधित सभी चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्तियोग्य राशियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
बंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक)	0.00	0.00			शून्य	0	
भारतीय स्टेट बैंक	1459.44	3778.26			शून्य		
ओवरड्राफ्ट	1459.44	3778.26			शून्य		
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00			शून्य	0	

अनुलग्नक–15क उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशि:		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक / त्रैमासिक / अर्ध–वार्षिक / वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.24 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति				अवधि	राशि
	0.00	0.00					
मियादी ऋण							
इंडस इंड बैंक	**29000.00**	**0.00**					
	29000.00	**0.00**		**कंपनी के ऋणों और अग्रिमों सहित लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार**			
अन्य पक्षकार							
आस्थगित अदायगी देयताएं							
जमा							
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम							
वित्त पट्टे की इकरारों दीर्घ अवधि परिपक्वताएं							
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
उप जोड़	**137959.44**	**150778.26**					
असुरक्षित उधार							
बांड / डिबेंचर							
मियादी ऋण से							
बैंक							
से अन्य पक्षकार से							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							

अनुलग्नक–15क उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशिः		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक / त्रैमासिक / अर्ध–वार्षिक / वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.24 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति				अवधि	राशि
11वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	2153.92	2249.39	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	1852.52	1988.81	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
केसा डिपॉजिट ई प्रेसिटी, इटली (पूर्व में आर्टिगियाबेकसा, एसपीए के नाम से विख्यात)	529.54	570.51	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
	4535.98	**4808.71**					
अन्य							
निम्नलिखित से मांग प्राप्त होने पर ऋणों की पुनः अदायगीः							
बैंक							
चल रहा पूंजीगत ऋण							
नकद क्रेडिट							
ओवरड्राफ्ट							
मियादी ऋण							
अन्य पक्षकार							
आस्थगित अदायगी देयताएं							
जमा							
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम							
वित्त पट्टे इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वताएं							
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
उप जोड़	**4535.98**	**4808.71**					
जोड़	**142495.42**	**155586.97**					

अनुबंध–15ख – विदेशी वित्तीय संस्थानों से उधारों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	केएफडब्ल्यू XIवीं लाइन ऑफ क्रेडिट	केएफडब्ल्यू XIIवीं लाइन ऑफ क्रेडिट	इटालियन लाइन ऑफ क्रेडिट
कुल संस्वीकृत ऋण (यूरो में)	5112918.81	5036225.03	1053134.47
अदायगी की नियत तारीख	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 17/7 और 17/1
पहली किश्त	30/06/2002	30/06/2006	17/01/2015
अंतिम किश्त	30/06/2042	30/12/2035	17/07/2035
कुल किश्तें	81	60	42
ब्याज	10.50%	12.50%	0.50:
31.03.24 को बकाया ऋण (यूरो में)	2345807.21	2017557.71	576716.88
पुनः अदायगी अवधि	अर्धवार्षिक	अर्धवार्षिक	अर्धवार्षिक
किश्तों की धनराशि (यूरो में)	62888.90	83851.87	25074.61
30.06.1993 से 31.12.2001 तक ड्यूश मार्क में अदा किया गया कुल ब्याज	592439.19	405995.68	.
30.06.2002 से 31.03.2024 तक यूरो में अदा किया गया कुल ब्याज	620538.48	632877.05	96777.42
हेजिंग	.	.	.

टिप्पणी–16 अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
आरएमए/एडब्ल्यूआरटी क्रेताओं से अग्रिम – इकाइयां	1381.92	1632.78
भुगतान योग्य बट्टा	1927.03	1875.44
रेटिंग/क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भुगतान योग्य	0.89	12.29
सुरक्षा जमा देय	2529.58	2312.35
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	993.40	37.43
अवधारण राशि	621.03	1035.81
परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य	1070.01	850.44
व्यापार प्राप्यों में शेष क्रेडिट	4.59	4.78
उधारों/सीएसडी पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज	8.05	8.52
प्रशिक्षण हेतु देय भुगतान योग्य धनराशि	77.42	71.84
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	1580.71	1450.80
व्ययों हेतु चालू देयता	874.21	890.68
अन्य भुगतान योग्य#	1859.93	1005.47
प्राप्त प्रतिबद्ध अग्रिम – प्रदर्शनियां	6.49	22.16
अनुदान में अधिशेष के विरुद्ध भारत सरकार को देय राशि (नेट)	55.15	5579.05
प्राप्य सुरक्षा जमा का बट्टाकरण प्रभाव	12.42	25.79
सुरक्षा जमा प्राप्य का छुट प्रभाव	0.46	1.12
तुलन–पत्र के अनुसार	**13003.29**	**16816.75**

"टिप्पणी:–# इसमें देय सरकारी गारंटी, देय गोदाम हैडलिंग शुल्क, इंडएएस–116 एसपीआरएस, एनएसएसएच इकाइयों के अनुसार लीज देनदारी, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रदर्शनी/प्रतिनिधिमंडल और अन्य देय आदि शामिल हैं।"

टिप्पणी–16क: अनुदानों में अधिशेष के प्रति भारत सरकार को भुगतान योग्य धनराशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	गत वर्ष में अग्रेनीत शेष		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान/ ब्याज	राज्य एजेंसी को प्रतिपूर्ति/ वापसी/ समायोजन/ अंतरण	अधिगृहीत अचल परिसंपत्तियां/ डब्ल्यूआईपी	निवल राजस्व व्यय	कुल व्यय	प्रतिपूर्ति योग्य व्यय	31.03.24 को यथास्थिति	
	घाटा	अधिशेष							घाटा	अधिशेष
प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायक	**0.00**	**1172.57**	**1366.73**	**1463.56**	**511.20**	**285.55**	**796.75**	**796.75**	**0.00**	**278.99**
उत्तर पूर्व क्षेत्र में संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायक	0.25	0.00	44.10	0.00	0.00	44.10	44.10	44.10	0.25	0.00
उप–जोड़		**1172.32**	**1410.83**	**1463.56**	**511.20**	**329.65**	**840.85**	**840.85**		**278.74**
उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन	0.00	16.57	0.08	.0.34	12.77	0.00	12.77	12.77	0.00	3.54
राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच)										
एनएसएसएच – एससीएसपी	0.00	2728.84	4307.42	19.16	0.00	7164.49	7164.49	7164.49	147.39	0.00
एनएसएसएच – टीएसपी	0.00	688.43	4105.15	1.44	0.00	4899.52	4899.52	4899.52	107.38	0.00
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एससीएसपी)	0.00	103.71	203.00	3.02	0.00	231.15	231.15	231.15	0.00	72.54
एनएसएसएच – सामान्य	0.00	436.42	956.07	65.69	0.00	1238.02	1238.02	1238.02	0.00	88.78
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (टीएसपी)	0.00	487.33	600.00	0.00	0.00	1078ण09	1078ण09	1078ण09	0ण00	9.24
उप–जोड़		**4444.73**	**10171.64**	**.89.31**	**0.00**	**14611.27**	**14611.27**	**14611.27**	**84.22**	**0.00**
खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस)	55.31	0.00	286.10	0.00	0.00	265.63	265.63	265.63	34.84	0ण00
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना	0.00	0.00	180.59	0.00	0.00	289.41	289.41	289.41	108.81	0ण00
जोड़		**5579.05**	**12049.24**	**.1553.21**	**523.97**	**15495.96**	**16019.93**	**16019.93**	**0.00**	**55.15**

निवल अधिशेष /(घाटा)	**55.15**
गत वर्ष अधिशेष /(घाटा)	5579.05

टिप्पणी–17 प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति		31.03.2023 को यथास्थिति	
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
उपदान हेतु	5502.41		5383.82	
छुट्टी नकदीकरण हेतु	3328.81		3250.23	
अर्ध–वेतन छुट्टी हेतु	574.92		524.27	
सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते हेतु	4.18	9410.32	4.04	9162.36
अन्य				
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु	13915.43		13007.63	
घटाएं: व्यापार से प्राप्यों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के प्रति कोंट्रा के अनुसार समायोजन	13915.43	0.00	13007.63	0.00
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए		73.01		0.00
विनिमय भिन्नता के लिए				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	2249.66		2175.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	402.91		408.13	
घटाएं: विनिमय भिन्नता हानियों के लिए उपयोग किया गया	41.69		242.49	
घटाएं: पुरांकित राशि	197.11	2413.77	90.98	2249.66
संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु (केएफडब्ल्यू)				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	46.02		47.26	
घटाएं: उपयोग में लाई गई/पुरांकित राशि	46.02	0.00	47.26	0.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**11897.10**		**11412.02**

टिप्पणी:– कर्मचारी लाभ प्रावधानों के लिए टिप्पणी–35 का क्रम सं. 4(I) देखें।

अनुलग्नक–17क परिवर्धन, प्रत्यावर्तन एवं प्रावधानों के उपयोगों के ब्यौरे

2023-24

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2023 को यथास्थिति आरंभ शेष	वर्ष्ष के दौरान परिवर्धन	उपयोग/उलट/समायोजन	वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	31.03.2024 को यथास्थिति अंत शेष
उपदान के लिए	5383.82	650.21	522.32	9.30	5502.41
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3250.23	748.35	649.24	20.53	3328.81
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	524.27	103.18	17.40	35.13	574.92
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	4.04	0.53	0.04	0.35	4.18
संदिग्ध ऋणों हेतु	13007.63	1017.22	0.00	109.43	13915.43
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए	0.00	73.01	0.00	0.00	73.01
विनिमय भिन्नता के लिए	2249.66	402.90	41.69	197.11	2413.77
प्रचार गतिविधि के लिए	0.00	46.02	46.02	0.00	0.00
जोड़	**24419.65**	**3041.42**	**1276.71**	**371.85**	**25812.53**

2022-23 (लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2022 को यथास्थिति आरंभ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	उपयोग/उलट/समायोजन	वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	31.03.2023 को यथास्थिति अंत शेष
उपदान के लिए	5200.40	610.21	425.97	0.82	5383.82
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3156.29	686.93	574.97	18.02	3250.23
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	508.11	83.91	27.61	40.14	524.27
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	3.92	0.41	0.07	0.22	4.04
संदिग्ध ऋणों हेतु	13173.98	241.99	0.00	408.34	13007.63
विनिमय भिन्नता के लिए	2175.00	408.13	242.49	90.98	2249.66
प्रचार गतिविधि के लिए	0.00	47.26	47.26	0.00	0.00
जोड़	**24217.70**	**2078.84**	**1318.37**	**558.52**	**24419.65**

टिप्पणी – 18 अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	1647.76	1347.76
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	973.02	930.06
कर्मचारी अग्रिम पर बट्टाकरण का प्रभाव	1.95	4.48
अन्य भुगतान योग्य – कर	658.64	599.87
थोक आपूर्ति के लिए देय खाता (आरएमए/एडब्ल्यूआरटी)	3247.24	2195.73
तुलन–पत्र के अनुसार	**6528.61**	**5077.90**

टिप्पणीः– इसमें एसपीआर, एनएसएसएच इकाइयों, ड्यूटी ड्राबैक, प्रदर्शनी/प्रतिनिधिमडंल और अन्य देय आदि शामिल है।

टिप्पणी – 19 शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
प्राधिकृत		
100–100 रुपए के 5,35,00,000 (गत वर्ष 5,35,00,000) इक्विटी शेयर	53500.00	53500.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त		
100–100 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 5,32,98,800 (गत वर्ष 5,32,98,800) इक्विटी शेयर	53298.80	53298.80
तुलन पत्र के अनुसार	**53298.80**	**53298.80**

अनुलग्नक–19क बकाया शेयरों की संख्या का लेखा मिलान

(लाख रुपए में)

विवरण	इक्विटी शेयर (संख्या)	अधिमानी शेयर (संख्या)
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	53298800	0
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	0	0
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	53298800	0

अनुलग्नक–19ख भारत सरकार और प्रमोटरों द्वारा निगम में 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.24 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.24 के अनुसार धारण प्रतिशत	31.03.23 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.23 के अनुसार धारण प्रतिशत
प्रमोटर और शेयरधारक				
भारत सरकार	53298800	100	53298800	100
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग में परिवर्तन	.	.	.	.

अनुलग्नक–19ग पिछले 5 वर्षों के संबंध में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसरण में आबंटित शेयरों, बोनस शेयरों और वापस खरीदे गए शेयरों के विवरण

विवरण	शेयरों की कुल संख्या				
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
इक्विटी शेयरः					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0
अधिमानी शेयरः					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0

अनुलग्नक–19घः अप्रदत्त मांगों के विवरण

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
अप्रदत्त मांगें		
निदेशकों द्वारा	0	0
अधिकारियों द्वारा	0	0

अनुलग्नक–19ङ शेयरों से संबद्ध अधिकार, वरियता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर केवल शेयर पूंजी की वह श्रेणी है, जिनका सममूल्य 100/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी रूप से उपस्थित होता है, जोकि एक वोट देने का हकदार है और मतदान में प्रत्येक शेयर एक वोट का पात्र है।

इक्विटी शेयर का प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य के अनुपात में मतदान अधिकार है। कंपनी की तरलता के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक क्रेडिट की गई धनराशियों को उन इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त धनराशि को पुनः अदा किए जाने के पात्र हैं। समापन आरंभ होने पर सभी अधिशेष परिसंपत्तियां, देयताओं के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयर के धारकों को उनके शेयरधारण के अनुपात में अदा की जाएंगी।

टिप्पणी – 20 अन्य इक्विटी के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2023 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि/सृजन	वर्ष के दौरान कटौती		31.03.2024 को यथास्थिति
			'अंतरण/बिक्री/समायोजन'	"वर्ष के लिए मूल्यह्रास"	
प्रारक्षित पूंजी/आस्थगित आय (भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों के मूल्य दर्शाने वाली आरक्षित निधि)					
तकनीकी केंद्र	275.11	0.00	0.48	21.79	252.84
सरकारी खरीद योजना	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
उपर्युक्त प्रौद्योगिकी	2.19	0.00	0.00	0.01	2.18
आधुनिकीकरण – लॉक परियोजना	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	17.33	0.00	0.00	0.57	16.76
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर	53.62	0.00	0.00	4.38	49.24
लघु औज़ार कक्ष केंद्र	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
तकनीकी केंद्र का आधुनिकीकरण	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	1.28	0.00	0.00	0.02	1.26
उत्पाद डिजाइन केंद्र (प्राइड)	9.83	0.00	0.00	0.32	9.51
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर (आईटी)	.-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
लघु उद्योग मार्ट (एलयूएम)	181.12	0.00	0.00	6.60	174.52
केएफडब्ल्यू (पश्चिम जर्मनी) ऋणों पर ब्याज विभेदक निधि	17.34	0.00	0.00	0.51	16.83
बैंकिंग ओवन का प्रौद्योगिकी विकास	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
डीएसटी–एसटीईपी (एस एण्ड टी परियोजना)	15.53	0.00	0.00	3.22	12.31
इंधन सक्षम डीजल इंजन परीक्षण (टीएफईडीई)	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
विपणन विकास केंद्र	58.40	0.00	0.00	1.54	56.86
एस एण्ड टी परियोजना पर ब्याज विभेदक निधि	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन – एलबीआई/एसपायर	119.39	12.77	81.03	20.54	192.65
संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायता	3575.64	511.21	106.50	283.46	3696.89
उप जोड़	**4343.95**	**523.98**	**25.95**	**342.96**	**4499.02**
अन्य आरक्षित निधियां					
पूंजी प्रतिस्थापन आरक्षित निधि	73.09	0.00	0.00	0.00	73.09
हानिकरण आरक्षित *	4866.65	0.00	0.00	0.00	4866.65
अवधारित आरक्षित	54608.33	12655.77	5845.64	0.00	61418.46
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए इक्विटी लेख	285.54	83.12	0.00	0.00	368.66
ओसीआई के जरिए सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि	-518.96	-11.65	0.00	0.00	-530.61
सांविधिक आरक्षित – भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 के धारा 45 आईसी के अंतर्गत ''	8389.87	2531.15	0.00	0.00	10921.02
तुलन–पत्र के अनुसार	**72048.47**	**15782.37**	**5871.59**	**342.96**	**81616.29**
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के प्रति आरक्षित	0	0	0	0	0

* टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(वाई)(ए) देखें।

* टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(वाई)(सी) देखें।

टिप्पणी – 21 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व		
क उत्पादों की बिक्री		
विपणन क्रियाकलाप		
विपणन	6547.74	13518.20
निर्यात	0.00	0.00
कच्चा माल वितरण	269861.14	218973.46
लाभ व हानि विवरण के अनुसार	**276408.88**	**232491.66**
ख सेवाओं की बिक्री		
एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) से आय	886.70	973.52
डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) से राजस्व	581.80	486.10
आवेदन प्रक्रिया शुल्क	2.43	2.64
प्राप्त किराया	5463.90	4905.15
साफ–सफाई एवं अन्य प्रभार	1189.28	1177.01
प्रशिक्षण क्रियाकलापों से राजस्व	1951.54	1642.97
सामान्य सुविधाओं के कारण राजस्व	1237.99	996.06
परियोजना परामर्शी प्रभार	1125.00	0.00
प्रशिक्षण–एवं–इंक्यूबेशन केंद्र–एलबीआई / एसपायर (टीआईसी) से आय	47.29	43.36
प्रदर्शिनियों, सेमिनारों, बैठकों, सम्मेलनों और विपणन अभियानों से प्राप्तियां	109.75	18.79
सेवाओं से अन्य प्राप्तियां	10.75	9.40
सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडी)	972.30	739.01
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**13578.73**	**10994.01**
ग ब्याज आय		
मूल लागत पर		
पक्षकारों से:		
सामान्य	31927.76	28225.69
दांडिक ब्याज	3.97	6.74
बैंकों के पास जमा से	29.90	4.41
कर्मचारी अग्रिम से	0.31	0.75
अन्य से	2.05	2.61
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर ब्याज का लाभ (नेट)	0.00	0.00
परिशोधित लागत पर		
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट का प्रभाव	57.03	75.90
ब्याज आय कर्मचारी / परिशोधित लागत	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**32021.02**	**28316.10**
घ शुल्क और कमीशन आय		

अर्जित प्रक्रिया शुल्क / सेवा प्रभार	संचालित माल, प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य	प्रक्रिया शुल्क	संचालित माल, प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य	प्रक्रिया शुल्क
आरएमडी / आरएमए / एडब्ल्यूआरटी	1108344.79	4614.99	1641622.18	4334.52
विविध वस्तु	60068.84	214.28	42707.47	395.60
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**1168413.63**	**4829.27**	**1684329.65**	**4730.12**

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
ङ अन्य प्रचालन राजस्व				
आधिक्य प्रावधान पुरांकितः				
केएफडब्ल्यू	243.13		138.25	
सरकारी गारंटी शूल्क	0.00		0.00	
अन्य से #	4.56	247.69	169.75	308.00
विविध क्रेडिट शेष वापिस लिखा गया		120.79		114.69
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर लाभ (नेट)		0.00		0.00
सहायक कंपनी से व्यय की प्रतिपूर्ति		111.18		0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**479.66**		**422.69**

नोटः– बिक्री छूट, छूट 10675.36 लाख रूपयें आदि के शुद्ध रूप में होती है।
*आरएमडी/आरएमए/एडब्ल्यूआरटी में बैंक गारंटी (थोक और थोक–भिन्न आपूर्ति), अग्रिम भुगतान और एजेंसी बिक्री/गोदाम संचालन हेतु प्रत्याभूति के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल है।
** विविध मदों में बिल वित्तपोषण, विपणन और बैंक टाई अप के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल हैं
# संदिग्ध ऋण लिखित वापसी (नेट) रुपये का प्रावधान शामिल है। 166.35 लाख (रु. शून्य) संदर्भ –35 की क्रम सं. 4(छ) देखें।

टिप्पणी–22 अन्य आय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर की वापसियों पर ब्याज		
विविध आय	161.71	14.34
लाभाशं आय	51.86	84.58
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	65.33	59.19
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**278.90**	**158.11**

टिप्पणी–23 अनुदान और आर्थिक सहायता

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए	16019.93	12355.05
घटाएं: पूंजी व्यय (निवल)	523.98	563.74
घटाएं: एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, प्रशिक्षण, किराया आदि	101.09	92.34
घटाएं: प्रशिक्षण शुल्क – एटीआई	329.65	340.82
घटाएं: सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)	972.30	739.01
घटाएं: बी2बी योजना (पीएमएसएस) के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि	265.63	111.03
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**13827.28**	**10508.11**

टिप्पणी–24 उत्पादों की खरीद

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
विपणन गतिविधि		
विपणन	6547.12	13518.15
निर्यात	0.00	0.00
कच्चे माल का वितरण	268517.71	218278.34
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**275064.83**	**231796.49**

नोटः– खरीदारी छूट, रियायत आदि मिलाकर 11934.32 लाख रूपये है।

टिप्पणी–25 माल सूचियो मे परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
तैयार मालः				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
चल रहा कार्यः				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**0.00**		**0.00**

टिप्पणी–26 कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन और भत्ते		9319.59		9368.88
निम्नलिखित के प्रति अंशदानः				
भविष्य निधि	807.87		782.86	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	705.87	1513.74	660.95	1443.81
उपदान		660.39		631.99
स्टाफ कल्याण व्यय		244.22		145.15
अन्य लाभ		2281.87		1721.91
निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)				
वेतन और भत्ते		80.05		52.34
निम्नलिखित हेतु अंशदानः				
भविष्य निधि	6.54		4.27	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	5.56	12.10	3.56	7.83
उपदान		1.09		0.61
अन्य लाभ		2.66		4.76
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**14115.71**		**13377.28**

टिप्पणी – 27 वित्त लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
उधार पर ब्याजः				
क्रैडिटैन्स्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू ऋण)	480.51		487.14	
कैस डिपॉजिट ई प्रेसटिट, इटली (पूर्व में आर्टिजिनएनकासा एसपीए के नाम से विख्यात)	2.83		2.84	
बैंक	10974.29		8590.12	
अन्य	0.00	11457.63	0.00	9080.10
उधार लेने पर अन्य लागतः				
अन्य वित्त प्रभार		21.15		4.56
कर्मचारी अग्रिम/परिशोधित लागत पर ब्याज व्यय		0.42		0.01
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**11479.20**		**9084.67**

टिप्पणी – 28 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
निम्नलिखित पर मूल्यह्रासः				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		816.29		683.44
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां		0.00		0.00
अनुदानों के प्रति अर्जित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण				
कोंट्रा के अनुसार मूल्यह्रास	342.95		375.41	
घटाएं: कोंट्रा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधियां	342.95	0.00	375.41	0.00
व्ययों का परिशोधन		26.62		20.15
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण पर हानिकरण क्षति		0.00		0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**842.91**		**703.59**

नोटः– पीपीई पर मूल्यह्रास में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास रू. 64.84 लाख (0.83 लाख) शामिल है टिप्पणी 12 और टिप्पणी–35 का क्रम संख्या 4(च) देखें।

टिप्पणी – 29 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

(लाख रुपए में)

विवरण	नकद के रूप में 31.03.2024	अभी अदा किया जाना 31.03.2024	जोड़ 31.03.2024	नकद के रूप में 31.03.2023	अभी अदा किया जाना 31.03.2023	जोड़ 31.03.2023
किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपर्युक्त के अलावा, अन्य खरीद पर	215.14	73.75	288.89	278.27	0.00	278.27
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**215.14**	**73.75**	**288.89**	**278.27**	**0.00**	**278.27**
संबंधित पक्षकार लेन–देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि			0.00			278.27
किए गए व्यय की राशि			0.00			278.27
वर्ष के अंत में कमी			0.00			0.00
पिछले वर्षों की कुल कमी			0.00			0.00
कमी का कारण			लागू नहीं			लागू नहीं
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति			संदर्भ एन.1			संदर्भ एन.2
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण			शून्य			शून्य

टिप्पणी:

1) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान, 06 ट्यूबवेलों की स्थापना के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना, आरओ प्लांट की स्थापना, जल भंडारण टैंकों का निर्माण, गाय शेड (गौशाला) आदि शामिल हैं।

2) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि, पीएम केयर फंड में योगदान और 03 सामुदायिक जल ई–पीआईओ मशीनों की स्थापना के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना शामिल है।

टिप्पणी – 30 अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली, विद्युत एवं जल प्रभार	1055.12	995.93
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	84.33	92.38
बीमा	23.04	28.03
यात्रा, सवारी एवं वाहन प्रभार	551.28	570.10
माल, भाड़ा एवं चुंगी व्यय	35.45	25.18
संचार व्यय	101.35	98.68
अदा किया गया किराया	398.12	430.95
कर्मचारी भर्ती व्यय	0.01	5.57
लाइसेंस, दरें एवं कर	278.69	276.36
सुरक्षा एवं अन्य संबद्ध सेवाओं पर व्यय	2197.61	2103.91
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	685.10	662.65
कम्प्यूटर अनुरक्षण प्रभार	37.51	14.44
वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अनुरक्षण प्रभार	32.48	18.72
कंप्यूटर, सर्वर आदि, किराया प्रभार	72.42	64.55
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	53.21	54.66
आंतरिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	38.17	36.93
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	287.27	214.24
निदेशकों का बैठक शुल्क	8.79	4.44
निदेशकों का अन्य व्यय	15.04	19.32
प्रशिक्षण व्यय	1088.72	779.43
सामान्य सुविधा प्रभार	105.24	90.06
गोदाम प्रचालनों पर प्रभार	885.96	679.84
सूचनात्मक सेवा व्यय	9.96	4.49
कारोबार/बिक्री संवर्धन व्यय	65.77	86.94
मनोरंजन	31.89	31.60
विज्ञापन एवं प्रचार	34.33	83.99
विविध व्यय	16.01	18.51
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलीयोग्य अग्रिम	0.14	17.35
प्रदर्शियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों पर व्यय	186.95	64.64
क्रेडिट सूचना रिपोर्ट/पीसीआरएस पर व्यय	10.64	8.48
विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) योजना पर व्यय	819.09	2421.92
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएच	12147.37	7437.07
प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) पर व्यय	0.00	39.83
अंतराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय	288.94	9.26
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	907.80	0.00
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छुट का प्रभाव	13.48	21.39
एसपीआरएस पर खर्च	33.72	31.92
वैधानिक बकाया के लिए ब्याज/शुल्क/जुर्माना	0.54	3.23
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**22601.54**	**17546.99**

अनुलग्नक – 30क अन्य व्ययों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
निम्न हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतानः				
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क		40.28		42.24
कर लेखापरीक्षा शुल्क		10.25		10.23
अन्य कराधान मामले		0.00		0.00
कंपनी कानून मामले		0.00		0.00
प्रबंधन सेवाएं		0.00		0.00
अन्य सेवाएं		0.00		0.00
व्ययों की प्रतिपूर्ति		2.68		2.19
जोड़		**53.21**		**54.66**
निम्न पर मरम्मत एवं रखरखाव खर्चः				
भवन		526.56		480.64
मशीनरी		46.26		46.18
अन्य		112.28		135.83
जोड़		**685.10**		**662.65**
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलनीय अग्रिमः				
बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण		0.14		17.35
बट्टेखाते डाले गए अवसूलनीय अग्रिम		0.00		0.00
पीपीई को बट्टे खाते में डाल दिया गया				
बट्टेखाते डाली गई हानियां			0.00	
घटाएं: बट्टे डाली गई हानियों के लिए कोंट्रा समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	0.00	**0.14**		**17.35**
निम्न पर प्रशिक्षण व्ययः				
आंतरिक		554.28		431.22
प्रायोजित		372.39		187.99
व्यैक्तिक		0.00		4.42
एटीआई		70.25		90.73
क्षमता निर्माण (एनएसएसएच)		0.05		0.00
अन्य		91.75		65.07
जोड़		**1088.72**		**779.43**
विशेष विपणन सहायता स्कीम पर व्ययः				
घरेलू प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में सहभागिता		704.72		1836.18
विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी		0.00		32.00
संगठन का घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का दौरा		0.00		391.96
संगठन का विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का दौरा		0.00		6.47
वेंडर विकास कार्यक्रम		8.38		39.28
कार्यशालाओं, सम्मेलनों, जागरूकता अभियानों का आयोजन		36.10		20.47
मेगा इवेंट– एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग संघों–संगठनों के साथ साझेदारी में एससी–एसटी कॉन्कलेव/सम्मेलन का आयोजन)		69.89		95.56
जोड़		**819.09**		**2421.92**

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय :		
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल का दौरा।	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी।	276.87	9.26
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि आयोजित करना।	12.07	0.00
मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि के लिए एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल।	0.00	0.00
जोड़	**288.94**	**9.26**
सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड		
टीडीएस के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.51	1.22
जीएसटी के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.03	0.87
टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के विलंबित जमा पर शुल्क	0.00	0.00
जीएसटी रिटर्न के विलंबित जमा के लिए शुल्क	0.00	0.93
धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज	0.00	0.00
किसी कानून के तहत दंड	0.00	0.21
जोड़	**0.54**	**3.23**
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएचः		
प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी	7228.26	6966.11
मौजूदा और महत्वाकांक्षी एससी/एसटी उद्यमियों की क्षमता निर्माण–कौशल विकास कार्यक्रम	**0.00**	**0.00**
मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	4598.00	233.13
मौजूदा और इच्छुक एससी/एसटी उद्यमियों का क्षमता निर्माण– क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए टूलकिट वितरण	0.00	10.31
विभिन्न प्रतिपूर्ति उप–योजनाओं/हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समर्थन	**0.00**	**0.00**
बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति	11.82	17.53
निष्पादन बैंक गारंटी के लिए बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति	1.47	0.38
परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	1.15	1.31
निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता/सदस्यता/प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.86	0.72
एससी/एसटी उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति	54.91	0.00
सरकार द्वारा प्रवर्तित ई–कॉमर्स पोर्टल में सदस्यता की प्रतिपूर्ति (बी2बी को छोड़कर)	0.00	0.00
योजना के बारे में जागरूकता सृजन और प्रचार–प्रसार	1.85	2.94
एससी/एसटी हब को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता	249.05	204.64
कुल	**12147.37**	**7437.07**
खरीद और विपणन सहायता स्कीम पर (पीएमएसएस) पर व्यय		
देश भर में बाजार पहुंच पहल		
व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की भागीदारी	0.00	39.83

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
डीसी (एमएसएमई) मंत्रालय/कार्यालय/सरकारी संगठनों द्वारा घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी	0.00	0.00
विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)	0.00	0.00
क्षमता निर्माण		
आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना	0.00	0.00
बार कोड को अपनाना	0.00	0.00
ई–कॉमर्स प्लेटफार्म को अपनाना	0.00	0.00
राष्ट्रीय कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ	0.00	0.00
मंत्रालय/डीसी (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन (पारंपरिक/आभासी)	0.00	0.00
रिटेल आउटलेट का विकास	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**39.83**

टिप्पणी – 31 कर व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कर हेतु प्रावधान				
चालू कर हेतु प्रावधान	4450.00		3500.00	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	-18.25		310.68	
संपत्ति कर हेतु प्रावधान	0.00	4431.75	0.00	3810.68
पूर्ववर्ती वर्ष के करों के लिए प्रावधान				
कर हेतु प्रावधान	-23.87		-33.81	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	0.00	-23.87	0.00	-33.81
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**4407.88**		**3776.87**

टिप्पणी – 32 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
गणक		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर–पश्चात लाभ	12655.77	11048.27
मूल्य वर्ग		
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 100/– रुपए)	53298800	53298800
वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों की संख्या	0	0
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
तरलीकृत प्रति शेयर की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
प्रति शेयर मूल अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	23.74	20.73
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	23.74	20.73

टिप्पणी–33 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न की गई सीमा तक)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) **आकस्मिक देयताएं**		
ऋणों के रूप में न माने गए निगम के प्रति दावे	586.40	156.05
विवादित आय कर, ब्याज कर, बिक्री कर, व्यापार की मांग	722.90	603.41
अन्य राशि, जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	3127.23	3215.00
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार	**4436.53**	**3974.46**
(ii) **प्रतिबद्धताएं:**		
पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान न किया गया हो (अग्रिमों को घटाकर निवल)	793.19	986.82
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार	**793.19**	**986.82**

टिप्पणी–34 शुल्क और कमीशन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
शुल्क और कमीशनः		
सरकारी गारंटी शुल्क	18.32	19.01
विदेशी म्रुदा लेन–देन और लेन–देन ब्याज भुगतान पर कम	15.69	24.15
बैंक शुल्क और कमीशन	36.59	37.83
अन्य	0.69	3.10
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**71.29**	**84.09**

टिप्पणी – 35 :

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियाँ

i. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचनाएं, निगम के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात पक्षकारों के स्टेट्स की सीमा तक विनिर्धारित कर ली गई हैं।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त बची धनराशि		
	क) मूलधन	11916.71	16463.62
	ख) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
2	नियुक्त दिन के पष्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई धनराशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिश्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान (जो कर दिया गया है, परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के पश्चात) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
4	उपार्जित और अप्रदत्त बचे ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
5	उस तारीख तक, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य खर्च के रूप में छूट के उद्देष्य के लिए लघु उद्यम को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, आगामी वर्ष में भी देय बचे और भुगतान योग्य अगले ब्याज की धनराशि।	शून्य	शून्य

निगम, कंसोर्टिया और निविदा विपणन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर से निविदा सहभागिता के जरिए अपने उत्पादों का विपणन करने में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी और एमएसईज के बीच किए गए करार के अनुसार एमएसईज एनएसआईसी के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अवार्ड की गई निविदाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और धनराशि केवल संबंधित क्रेता विभागों से भुगतान की प्राप्ति पर ही देय होती है। इन इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)/उद्यम पंजीकरण संख्या और आपूर्तिकताओं के निगम (रा.ल.उ.नि.) में पंजीकरण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में ''एमएसएमईज की देय व्यापार भुगतान योग्य बकाया देय राशि'' के रूप में दर्शाई गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एनएसआईसी को धारा 2(एन) उप–खंड (i) के अंतर्गत एक "आपूर्तिकर्ता" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2016 के परिपत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि एनएसआईसी, एमएसईज (आपूर्तिकर्ता इकाइयों) और विभिन्न क्रेताओं को एक साथ लाने में "सुविधाप्रदाता" के रूप में कार्य करता है। चूंकि एनएसआईसी किसी भी चरण में एनएसआईसी ''सुविधाकरण'' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी विभागों को एमएसईज द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान के लिए लाभग्राही "क्रेता" नहीं बनता, इसलिए एनएसआईसी विलंबित भुगतान पर ब्याज के उद्देश्य के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार "क्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य सरकारी विभागों के, सामान के लाभग्राही "क्रेता" होने के कारण वे "आपूर्तिकर्ता" द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तद्नुसार, उन इकाइयों को भुगतानयोग्य ब्याज से संबंधित उपबंध एनएसआईसी पर लागू नहीं होते।

एमएसएमई विभाग के अनुसार, ओडिशा सरकार ने अपने परिपत्र क्रमांक से एमएसएमई–पीएसएफ–एमआईएससी –0040–2023/3594/एमएसएमई–भुवनेश्वर दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से बताया कि एनएसआईसी की भूमिका 'सुविधाकर्ता' और 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में है न कि 'खरीदार' के रूप में और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत विलंबित भुगतान पर ब्याज की प्रयोज्यता के लिए 'एमएसई इकाइयों के साथ सह–आवेदक।

अन्य व्यापार भुगतानयोग्य के संबंध में निगम ने कोई ज्ञापन (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने के लिए यथापेक्षित) प्राप्त नहीं किया है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि "व्यापार भुगतानयोग्य – गैर–एमएसई की बकाया देय" के रूप में दर्शाई गई है।

2. निगम में बैंकों और अन्य पक्षकारों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया शेंषों के लिए पुष्टि प्राप्त करने के पत्र व्यापार प्राप्तियोग्य, लेनदारों, ठेकेदारों, अग्रिमों, जमा धनराशियों, ऋणियों आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे विनिर्धारित अवधि के अंदर पुष्टि करें या टिप्पणी भेजें और ऐसा करने में विफल रहने पर पत्र में दर्शाए गए शेष को अभिपुष्ट के रूप में माना जाएगाा। सरकारी/स्थानीय प्राधिकरणों की देय धनराशियों के मामले में और ऐसे मामलों में, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और/या मुकदमा/कानूनी कार्यवाही की जाती है, ग्राहकों की शेष धनराशियाँ आमतौर पर पुष्टि के अधीन नहीं होती। किसी भी पक्षकार से कोई प्रतिकूल संसूचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पक्षकारों के साथ लेखाओं के समाधान एक चल रही प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं।

तथापि, कुछ मामलों में पुष्टियां प्रतीक्षित हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनका प्रभाव प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है:

शेष पुष्टि विवरण–

वित्तीय वर्ष 2023–24

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज/जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज/जब्त पट्टाधारित उचंत/संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	सरकारी देय राशियां, धनराशि,जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और/या मुकदमे/कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और बैंक शेष	10293.33	-	10293.33	-	10293.33	10293.33	.
2	प्राप्तियोग्य	12660.32	331.21	12329.11	6597.24	5731.87	427.13	5304.73
3	ऋण एवं अग्रिम	273715.57	568.54	273147.03	1446.03	271701.00	254857.28	16843.72
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1520.22	-	1520.22	758.60	761.62	530.60	231.02
5	व्यापार भुगतानयोग्य	11986.32	-	11986.32	31.17	11955.14	5518.46	6436.68
6	अन्य वित्तीय देयताएं	13003.29	-	13003.29	398.21	12605.08	7124.02	5481.06
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	6528.61	-	6528.61	3907.83	2620.78	1173.02	1447.76
	जोड़	**329707.65**	**899.75**	**328807.91**	**13139.08**	**315668.83**	**279923.86**	**35744.97**

'धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

वित्तीय वर्ष 2022–23

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस / अतिरिक्त / सामान्य ब्याज / जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि / अतिरिक्त सामान्य ब्याज / जब्त पट्टाधारि उचंत / संग्रहण के लिए भेजे गए चैक '	सरकारी देय राशियां, धनराशि,जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाापत्र जारी किया गया है और / या मुकदमे / कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और बैंक शेष	8958.82	-	8958.82	-	8958.82	8958.82	-
2	प्राप्तियोग्य	18119.39	335.19	17784.20	15184.67	2599.53	2205.72	393.81
3	ऋण एवं अग्रिम	275029.90	669.77	274360.13	2651.30	271708.83	256011.47	15697.36
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2009.71	-	2009.71	1202.58	807.13	577.54	229.59
5	व्यापार भुगतानयोग्य	16576.94	-	16576.94	6519.79	10057.15	9491.80	565.35
6	अन्य वित्तीय देयताएं	16816.75	-	16816.75	9758.44	7058.00	5664.00	1393.86
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	5077.90	-	5077.90	5033.51	44.39	44.39	-
	जोड़	**342589.41**	**1004.96**	**341584.45**	**43050.29**	**301234.16**	**282954.19**	**18279.97**

'धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

3. प्रबंधन की राय में ऋणों और अग्रिमों सहित सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की कम से कम उस ध नराषि के बराबर सामान्य व्यवसाय में वसूल किए जाने पर एक मूल्य है, जिस पर मूल्य उनका उल्लेख तुलन–पत्र और लेखांकन नीति **XXII (घ) (vii)** के अनुबंध के अनुसार प्रावधान मापदंडों के अनुसार में किया गया है, जहाँ कहीं आवश्यक हो।

4. **वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार हैं।**

क. भारतीय लेखाकंन मानक 1 के अनुसार प्रकटीकरणः वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के संबंध में इंडस्ट्रीज एएस 1 में संशोधन के अनुसार, बेहतर स्पष्टता और प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन नीतियों को आवश्यकतानुसार पुनः तैयार किया गया है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक 2 के अनुसार प्रकटीकरणः माल–सूचियाँ

क) 31.03.2024 को यथास्थिति माल–सूचियों की कुल रखाव धनराशि 9.08 लाख रुपए (11.48 लाख) है, जैसाकि तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया है। इन्वेंटी स्टोर्स और स्पेयर्स और हानि उपकरण और मापने के उपकरणों से संबंधित है।

ख) माल–सूचियों का उल्लेख लागत या बाज़ार मूल्य से निम्नतर स्तर पर किया गया है और ऐसी कोई माल–सूची नहीं

है, जिसकी रखाव लागत का उल्लेख 31 मार्च, 2024 कोयथास्थिति उचित मूल्य पर किया गया हो।

ग. आईएनडी एएस–8 के अनुसार प्रकटीकरण– ''लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां''

1. **इंड एएस 1** – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है।

2. **इंड एएस 8** – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां – इस संशोधन ने लेखांकन अनुमानों की एक परिभाषा शेष की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को पृथक करने में सहायता करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन शामिल किए हैं।

निगम ने उपरोक्त सशोधनों का मूल्यांकन किया है और एकल वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

घ. भारतीय लेखाकंन मानक 12 के अनुसार प्रकटीकरण आयकर

क) वित्तीय वर्ष 2023–24

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2023 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 को निवल शेष
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	2107.92	269.95	-	2377.87
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टाकारण	44.72	10.85	-	55.57
निवेषों का उचित मूल्य	76.70	.	27.96	104.66
उप–जोड़	**2229.34**	**280.80**	**27.96**	**2538.10**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-	-	-
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3274.02	228.49	-	3502.51
कर्मचारी लाभ	2483.47	70.56	3.92	2557.95
उप–जोड़	**5757.49**	**299.05**	**3.92**	**6060.46**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3528.15	18.25	(24.04)	3522.36

ख) वित्तीय वर्ष 2022–23

(लाख रुपए में)

शेष	01.04.2022 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2023 को निवल शेष
आस्थगित कर देयताएं	-	-	-	-
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	1797.69	310.23	-	2107.92
वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का बट्टाकरण	31.00	13.72	-	44.72
निवेशों का उचित मूल्य	67.72	-.	8.98	76.70
उप–जोड़	**1896.41**	**323.95**	**8.98**	**2229.34**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-	-	-
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3315.89	(41.87)	-	3274.02
कर्मचारी लाभ	2429.09	55.14	(0.76)	2483.47

शेष	01.04.2022 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2023 को निवल शेष
उप–जोड़	**5744.98**	**13.27**	**(0.76)**	**5757.49**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3848.57	310.68	(9.74)	3528.15

(लाख रुपए में)

आय कर के प्रावधान और कर–पूर्व लाभ के प्रति भारतीय सांविधिक आय कर की दरें लागू करके परिकलित की गई धनराशि के बीच समाधान		
विवरण	**31 मार्च 2024**	**31 मार्च 2023**
कर–पूर्व लाभ	17063.65	14825.14
किसी घरेलू कंपनी पर लागू कर की दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	4294.92	3731.49
निम्नलिखित का कर प्रभावः	-	-
ऐसे व्यय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं हैं	973.52	677.34
ऐसी आय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कर योग्य नहीं है	(818.44)	(908.83)
चालू कर प्रावधान	4450.00	3500.00
पिछली अवधियों से संबंधित आय कर	(23.87)	(33.81)
वर्धित आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)	(18.25)	310.68
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कर व्यय	4407.88	3776.87
प्रभावी कर दर	25.83%	25.48%

ङ. अघोशित आय का प्रकटीकरण –

निगम ने खातों की किताबों में ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी अप्रलेखित आय का अभयर्पण या प्रकटीकरण नहीं किया है।

च. भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार प्रकटीकरण– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 – अमूर्तपरिसंपत्तियां

तुलन पत्रों में प्रासंगिक पंक्ति मदें	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु. लाख में)	निम्न के नाम पर धारित प्राधिकार विलेख	क्या प्राधिकार विलेख धारक प्रमोटर / निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार # प्रमोटर / निदेशक का कर्मचारी है	किस तिथि से संपत्ति का धारण किया गया है	निगम'' के नाम पर धारण नहीं किए जाने का कारण
पीपीई	तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	रेफर नोट 1	नहीं	1959–60	-
पीपीई	शाखा कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	रेफर नोट 2	नहीं	1988	-

टिप्पणी–1: यद्यपि स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर रखे गए हैं, तथापि, स्थानीय सरकार से शीर्षक कार्यों की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी–2: तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें कंपनी के छह फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और कब्जा कंपनी के पास है, हालांकि, कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेख / दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।

क) एनटीएससी–राजकोट की 3.28 एकड़ जमीन पर कुछ औद्योगिक इकाइयों के साथ–साथ अनधिकृत आवासीय इकाइयों का भी अतिक्रमण है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी भूमि का स्वामित्व निगम के पक्ष में है, और कब्जा निगम के पास है।

ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, रु. 12.15 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 109.88 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 25.33 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 13.18 लाख के लाभ को दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, रु. 21.92 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 95.66 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 35.86 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 13.94 लाख का नुकसान दर्ज किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

छ. बेनामी संपत्ति का प्रकटीकरणः

निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। इसलिए बेनामी लेनदेन (निशेध) अधिनियम 1988 (धारा 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ की गई अथवा लंबित नहीं है। क्योंकि निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

ज. उधारी पर प्रकटीकरण

क) निगम ने बैंकों/संस्थानों, या अन्य ऋणदाताओं से लिए गए उधार/ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) इस प्रकार निगम को बैंक या वित्तीय संस्थान, या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) निगम ने किसी भी अर्हक परिसंपत्ति के लिए कोई राशि उधार नहीं ली है, जिसके ब्याज को भारतीय लेखांकन मानक 23, "उधार लागत" के अनुसार पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, वर्ष के दौरान किसी भी ब्याज का पूंजीकृत नहीं किया गया है।

घ) बैंक/वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं से लिए गए ऋणों के संबंध में सभी प्रभारों को वैधानिक अवधि के भीतर कंपनी के पंजीकरण (आरओसी) के साथ पंजीकृत किए गए हैं।

(ड) निम्नलिखित प्रभारों की संतुष्टि को वैधानिक अवधि से परे के बाद भी आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है:

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रभारों की संतुष्टि का विवरण	रजिस्ट्रार की अवस्थिति	विलंब की अवधि (माह)	राशि सीमा (लाख रुपए में)	कारण
1	पंजाब नैशनल बैंक	बही ऋण, फ्लोटिंग प्रभार, चल संपत्ति	नई दिल्ली	बैंक से एनओसी की प्रतीक्षा है	10000.00	यह प्रक्रियाधीन है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा।

झ. भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण – कर्मचारी लाभ

क) विभिन्न सुनिश्चित कर्मचारी लाभ स्कीम का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

i. सुनिश्चित अंशदान स्कीम

(क) भविष्य निधि:

निगम की भविष्य निधि का प्रबंधन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है, जो अनुमतिप्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। यह न्यास भारत सरकार द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर ब्याज की दर निश्चित करता है। देयता की मान्यता बीमांकिक आधार पर की जाती है।

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

निगम में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को 5 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए भर्ती इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में देयता को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् निगम की वहन क्षमता के आधार पर आईडीए पैटर्न के अधीन कर्मचारियों के 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में चालू वित्तीय वर्ष के मूल वेतन + महंगाई भत्ते पर 2 प्रतिशत अंशदान और 01-01-2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कर–पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत।

कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में इसका विलय क्षेत्रीय भविष्य निधि न्यास के जरिए किया गया है।

ii. सुनिश्चित लाभ योजनाएँ

(क) उपदान:

निगम में एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु पर, सेवा के पूरे कर लिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) छुट्टी:

निगम, निगम के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रति वर्ष उपार्जित होती हैं। आईडीए पैटर्न के कर्मचारियों के मामले में सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में अर्जित अवकाश अधिकतम 30 दिनों के लिए भुनाया जा सकता है, और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन (अर्ध वेतन अवकाश सहित, कम्यूटेशन के बिना) के लिए भुनाया जा सकता है।

इस खाते पर देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(ग) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता:

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता गृह नगर में या ऐसे स्थान पर, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भारत में रहने का इच्छुक है, में रहने से संबंधित है और इसमें घरेलू सामान भत्ता भी शामिल है।

इस संबंध में देयता को, समूह में बीमांकिक मूल्याकंन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) अधिवर्षिता पेंशन योजना:

कर्मचारी समूह अधिवर्षिता पेंशन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। समूह का दायित्व नामांकित

कर्मचारियों के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का भुगतान करने तक सीमित है।

अवधि के लिए योजना के प्रति अशदान, निगम की वहन क्षमता के आधार पर बीमांकिक आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत है।

(ङ) सेवा के दौरान चिकित्सा सुविधाः

निगम, स्वयं और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सेवारत कर्मचारियों को भर्ती संबंधी इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यदि इलाज सीजीएचएस दरों के अनुसार है, तो इस बाबत हुआ पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है और यदि इलाज अस्पताल दरों के अनुसार है तो कर्मचारी को व्यय का 15 प्रतिशत (दवाई और इम्पलांट तथा सुनिश्चित विशेष बीमारी को छोड़कर) वहन करना होता है।

ख) उपर्युक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार विनिर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया हैः–

योजना देयता

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य					
	सीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18
	पीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04

सेवा लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
चालू सेवा लागत	सीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
	पीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियाँ	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
	पीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42

निवल ब्याज लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	सीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28

लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.28	508.11	3.92
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
ब्याज लागत	सीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
सेवा लागत	सीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
	पीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	सीवाई	.559.78	693.44	.29.48	.2.82
	पीवाई	.445.37	600.86	.35.73	5.22
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	16.10	346.24	.0.08	0.54
	पीवाई	.2.66	284.14	.24.20	0.36
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18
	पीवाई	5383ण82	3250.23	524.27	4.04

दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का अलग–अलग विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	52.18	35.36	7.92	0.04
	पीवाई	79.69	.55.17	11.48	.
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	36.08	310.88	8.00	0.58
	पीवाई	77.04	228.97	12.72	0.36

तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.03
	पीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता/प्रावधान	सीवाई	5502.41	3328.81	574.92	.4.03
	पीवाई	5383.82	3250.23	524.27	.4.04

आय विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
कुल सेवा लागत	सीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
	पीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
निवल ब्याज लागत	सीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-	346.24	0.08	-
	पीवाई	-	284.14	24.20	-
आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	सीवाई	662.27	772.02	80.12	3.50
	पीवाई	631.45	694.81	51.90	5.70

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-16.10	-	-	0.54
	पीवाई	2.65	-	-	0.36
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-	-	-	.
	पीवाई	-	-	-	.
अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-16.10	-	-	0.54
	पीवाई	2.65	-	-	0.36

निवल सुनिश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि के आरंभ में निवल सुनिष्चित लाभ देयता	सीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.28	508.11	3.92
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
	पीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
पुनर्मापण	सीवाई	16.10	346.23	0.08	0.54
	पीवाई	-2.65	284.14	-24.20	0.36
निधि में भुगतान किया गया अंशदान	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ	सीवाई	-559.78	-693.44	-29.48	2.82
	पीवाई	-445.36	-600.86	-35.74	5.22
अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18
	पीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04

वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्ष के अंत में पीबीओ का द्विभाजन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर राशि)	सीवाई	505.94	342.73	43.16	0.34
	पीवाई	599.64	326.19	70.01	0.41
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक राशि)	सीवाई	4996.48	2986.08	531.76	3.84
	पीवाई	4784.19	2924.04	454.26	3.63
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	सीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18
	पीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
सेवा लागत	सीवाई	275.30	198.76	46.04	4.22
	पीवाई	271.11	200.81	44.03	4.21
निवल ब्याज लागत	सीवाई	397.82	240.67	41.57	0.30
	पीवाई	397.32	239.87	38.69	0.30
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय	सीवाई	673.12	439.44	87.60	4.52
	पीवाई	668.43	440.68	82.71	4.51

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:

विवरण	2023.24	2022.23
उपयोग की गई पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति
बट्टा दर	7.23%	7.38%
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर	0	0
भावी वेतन में वृद्धि	5.50	5.50
मर्त्यता दर	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–2014)	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–2014)
आयु (आहरण दर) (प्रतिशत)		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता

(लाख रुपए में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य	5502.41	3328.81	574.92	4.18
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-170.60	115.36	-25.76	-0.13
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	180.45	122.77	27.68	0.15
वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5502.41	3328.81	574.92	-
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	182.60	124.24	28.02	-
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	174.13	117.73	-26.29	-

सुनिश्चित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा

(लाख रुपए में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
0 से 1 वर्ष	505.94	342.73	43.16	0.34
1 से 2 वर्ष	545.06	301.40	36.37	0.41
2 से 3 वर्ष	548.46	317.86	33.48	0.39
3 से 4 वर्ष	406.54	218.16	26.92	0.30
4 से 5 वर्षी	418.49	223.30	26.54	0.31
5 से 6 वर्ष	301.79	154.87	32.87	0.23
6 वर्ष से आगे	2776.13	1770.50	375.59	2.20

ग) मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र के अंतर्गत यथाअनुमोदित, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 222.37 लाख रुपए (शून्य रुपए) और 01.01.2007 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 126.05 लाख रुपए (128.05 लाख रुपए) कॉर्पस चिकित्सा योजना हेतु सृजित किया गया हैं। इस कॉर्पस का उपयोग वर्ष के दौरान क्रमषः 173.77 लाख रुपए (115.79 लाख रुपए) और 126.73 लाख रुपए (112.73 लाख रुपए) की सीमा तक बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया गया है। दिनांक 1.1.2007 से पूर्व और दिनांक 1.1.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2023 को चिकित्सा योजना की कुल राशि क्रमशः रु. 301.29 लाख और (252.68 लाख रुपए) और 451.02 (451.07 लाख रुपए) है।

ञ. भारतीय लेखांकन मानक–21 के अनुसार प्रकटीकरणः विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव

क) क्रेडिटांस्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू) ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु प्रावधान, ऋण करारों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार सृजित किया गया हैः

(i) XI वीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान 218.83 लाख रुपए (219.08 लाख रुपए) की विनिमय भिन्नता हानियों के लिए प्रावधान सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान ऋण के लिए विनिमय भिन्नता हानि 21.72 लाख रुपए (128.10 लाख रुपए) थी और 197.11 लाख रुपए (90.98 लाख रुपए) का प्रावधान पुरांकित किया गया है और इसका उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार

संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

(ii) केएफडब्ल्यू XII वीं ऋण शृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु ऋण करार के अनुसार प्रावधान सृजित किया गया है। XII वीं ऋण शृंखला के अंतर्गत वर्ष के दौरान सृजित विनिमय भिन्नता के लिए किए गए प्रावधान में से प्रावधान के 80 प्रतिशत का उपयोग विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए किया जाएगा और 80 प्रतिशत में से बाकी बचा शेष, यदि कोई हो, को भविश्य में विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए रखा जाएगा।

तद्नुसार, XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता के लिए इस वर्ष के दौरान 230.08 लाख रुपए (236.31 लाख रुपए) की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 184.07 लाख रुपए (189.05 लाख रुपए) का उपयोग वर्ष के दौरान विनिमय भिन्नता हानि के प्रति किया गया है और शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 46.02 लाख रुपए (47.26 लाख रुपए) का उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियाँ 19.97 लाख रुपए (114.40 लाख रुपए) थीं, जिसे 80 प्रतिशत प्रावधान अर्थात् 184.07 लाख रुपए (189.05 लाख रुपए) से समायोजित कर दिया गया है और शेष 164.10 लाख रुपए (74.65 लाख रुपए) भावी विनिमय भिन्नता हानियों के लिए रख लिया गया है। दिनांक 31.03.2024 को यथास्थिति इस बाबत संचयी अवधारित प्रावधान 2413.76 लाख रुपए (2249.66 लाख रुपए) है, जिसमें भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए इस वर्ष के लिए 164.10 लाख रुपए (74.65 लाख रुपए) का प्रावधान शामिल है।

ख) विनिमय संबंधी अंतर

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेज़ों पर उत्पन्न को छोड़कर, लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की धनराशि।	(15.69)	(24.15)
2	अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त और इक्विटी के एक अलग संघटक में संचित के बीच निवल विनिमय अंतर	-	-
3	अवधि के आरंभ और अंत में इन विनिमय अंतरों की धनराशि का समाधान।	-	-

ट. भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार प्रकटीकरणः संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

क) संबंधित पक्ष में किसी कंपनी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत यथापरिभाषित संबंधित पक्षों के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे, जिसका अर्थ है (i) एक निदेशक या उसका संबंधी; (ii) एक प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक या उसका संबंधी; (iii) एक फर्म, जिसमें कोई निदेषक, प्रबंधक या उसका संबंधी भागीदार है, (iv) एक निजी कंपनी जिसमें प्रबंधक या निदेशक, सदस्या निदेशक है; (v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक, निदेशक है या अपने संबंधियों के साथ इसकी चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक को धारित किए हुए है; (vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक के परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य

करने के लिए अभ्यस्त है, (vii) कोई भी व्यक्ति जिसके परामर्श, निर्देशों या अनुदशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का अभ्यस्त है, बशर्ते कि उप–खंड (vi) और (vii) में से कुछ भी पेशेवर क्षमता में दिए गए परामर्श, निर्देशों या अनुदशों पर लागू नहीं होगा; (viii) कोई भी कंपनी जो (क) ऐसी कंपनी की कोई धारक, सहायक कंपनी सहयोगी कंपनी है, या (ख) किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी है जिसकी वह भी सहायक कंपनी है, (ix) ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जाएं।

ख) **प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक (केएमपी)** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार किसी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक शामिल होंगे, अर्थात – (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, (ii) कंपनी सचिव; (iii) पूर्णकालिक निदशक; (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी, और (v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिसे बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकी; कर्मियों के रूप में नामित किया गया है, और ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जा सकते हैं

ग) **केएमपी के संबंधी में** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 के तहत यथापरिभाषित संबंधी शामिल होंगे, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि – (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; (ii) वे पति और पत्नी हैं; या (iii) एक व्यक्ति दूसरे से उस तरीके से संबंधित है जो निर्धारित किया जा सकता है।

घ) **संबंधित पक्षकार** प्रकटीकरण पर भारतीय लेखाकंन मानक–24 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है।

i) एनएसआईसी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	दनाम	अवधि	
		कब से	कब तक
श्रीमती मर्सी इपाओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	30.06.2023
श्री विपूल गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.07.2023	31.03.2024
श्रीमती मर्सी इपाओ	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	08.05.2023
श्री गौरव गुलाटी	निदेशक (वित्त)	09.05.2023	31.03.2024
श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (पीएंडएम)	01.04.2023	31.03.2024
श्री कालांदी चरण समल	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023	31.03.2024
श्री अशोक परिहार	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023	31.03.2024
श्री पार्थ माझी	मुख्य वित्त अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	08.05.2023
श्री गौरव गुलाटी	मुख्य वित्त अधिकारी	09.05.2023	31.03.2024
सुश्री निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2023	31.03.2024

ii) सहायक कंपनी – एनएसआईसी की एक सहायक कंपनी – मैसर्स एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) है। जिसके लिए निगम ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित कंपनियों की परतों की संख्या की आवश्यकता का अनुपालन किया है।

iii) रा.ल.उ.नि. के साथ वर्ष के दौरान हुए लेनदेन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पार्टी	
		2023.24	2022.23
1.	**आयः**		
क)	–किराया	17.07	5.93
2.	–लाभांश प्राप्त हुआः	91.10	57.08
क)	–अन्य	111.18	64.09
3.	**व्ययः**	-	-
क)	**बकाया शेष**	-	-
4.	**अन्यः**		
क)	निवेशरू एनवीसीएफएल–आत्मनिर्भर भारत फंडरू एसआरआई फंड) 0.114 इकाइयां (0.055 इकाइयां) / ₹ 1 करोड़ प्रति यूनिट)	11.38	5.52
5.	**स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेनदेन**		
क)	बैठने की फीस	7.45	4.44
ख)	अन्य खर्चों	6.72	5.73

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
		2023.24	2022.23
1.	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ**		
क)	वेतन एवं भत्ते	120.03	75.62
ख)	अवकाश/एलटीसी नकदीकरण	1.25	56.56
ग)	अन्य खर्चों	11.85	20.35
घ)	अन्य–पीआरपी	2.59	85.82
ड़)	उधार – ऋण एवं ब्याज बकाया	-	-
व)	पीपीई/अन्य की बिक्री	-	0.40
2ण्ण	**संपत्ति**		
क)	रोजगार उपरांत लाभ	9.92	6.19
ख)	भविष्य निधि अंशदान	8.38	5.16
ग)	पेंशन योजना में योगदान	9.88	17.11
घ)	अंतिम लाभ के लिए योगदान	61.35	25.22
3.	**बीमांकिक मूल्यांकन–बकाया के अनुसार टर्मिनल लाभों का प्रावधान**	-	-
4.	**अन्य दीर्घकालिक लाभ**	-	-
5.	**समाप्ति लाभ**	-	-

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक संबंधित पक्ष के रिश्तेदार	
		2023.24	2022.23
	2022.23	-	-

iv) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनेदनों की प्रमुख शर्तें और निबंधन

i. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक निगम के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

ii. एनवीसीएफएल के साथ लेन–देन उनके ऐसे समकक्ष षर्तों पर किए जाते हैं, जो कि आमने–सामने के लेनदेन में मौजूदा तौर पर प्रचलित हैं।

V) निगम ने वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार कुल, ऋण एवं अग्रिम पर केएमपी के ऋण का प्रतिशत लागू नहीं है।

ठ. भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार प्रकटीकरण – वित्तीय विलेख

किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण

क) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13. 03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी. सं. 109/22. 10. 106/2019–20 के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएलस को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, किराया खरीद, पट्टे, कच्चे माल की सहायता, बिल पर छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों आदि के तहत देय राशियों के संबंध में, दिनांक 31.03.2024 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 12399.36 लाख (रु. 12265.28 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 271828.47 लाख (रु. 273966.42 लाख) था।

ग) गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत देय राशियों के संबंध में प्राप्य तकनीकी केन्द्रों और एसटीबीपीज में लेनदेनों की बाबत प्राप्य, सेवाओं की बिक्री की बाबत प्राप्तव्य (अर्थात लाइसेंस और हाउसकीपिंग शुल्कों, किराये, प्रशिक्षण शुल्क, ईएमसी, टीआईसी, कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्य), नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम (मुख्यतः जिनमें निगम के साथ समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिमों सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं), प्रतिभूति जमा उपार्जित परंतु अदेय ब्याज सहित स्टाफ अग्रिम और एवं अन्य परिसंपत्तियाँ, दिनांक 31.03.2024 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 1516.60 लाख (रु. 742.35 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 17958.92 लाख (रु. 24971.42 लाख) था।

घ) समग्र आधार पर, वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। वित्तीय/गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम और तकनीकी केंद्र/एसटीबीपी जिसमें प्राप्य और अग्रिम शामिल हैं, दिनांक 31.03.2024 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 13915.43 लाख (रु. 13007.62 लाख) की राशि में भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार रु. 289787.39 लाख (रु. 298937. 83 लाख) के कुल बकाया के सापेक्ष वित्तीय/गैर–वित्तीय आस्तियों के प्राप्य और ऋण और अग्रिम (एनएसआईसी के पास उपलब्ध ब्याज उचंत खाते और नकद संपार्श्विक का शुद्ध) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधान मानदंडों के अनुरूप किए गए हैं।

ड. भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरणः प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2023–24 हेतु प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) के मद में रु. 873.93 लाख (रु. 618.29 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रूपए 747.87 लाख के प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान किया है।

ढ. भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार प्रकटकीकरण – बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति और बंद कर दिए गए प्रचालन

अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर बिक्री की अत्यधिक संभावना वाली परिसंपत्तियां, ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय लेखाकंन मानक 105 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, शून्य के निवल रखाव मूल्य (शून्य के सकल रखाव मूल्य) वाली ऐसी परिसपंत्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉक से परिसंपत्तियों के अलग ब्लॉक नामतः बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियाँ'' में अंतरित कर दी गई थी।

वित्त वर्ष 2023–24 में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत परिसंपत्तियों के अलग–अलग ब्लॉक से किसी भी संपत्ति को परिसंपत्तियों के अलग–अलग ब्लॉक अर्थात् ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्ति'' में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

ण. भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार प्रकटीकरण – प्रचालन खंड

क) खंड रिपोर्टिंगः–

एनएसआईसी के क्रियाकलाप मोटे तौर पर 'संवर्धनात्मक' और 'वाणिज्यिक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता सरकार और/अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता' की योजनाएं, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब', 'खरीद और विपणन सहायता योजना' 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना' आदि, जिनके लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार, जहाँ, का लागू हो, प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ निगम के क्रियाकलाप मोटे तौर पर –संवर्धनात्मक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों), क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों, सघन अभियान आयोजित करने/उनमें सहभागिता अन्य विपणन सहायता सेवाओं (विज्ञापन, प्रचार आदि), लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए किए जाने वाले खर्च और प्रशिक्षण का व्यय उपरोक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से पूरे किए जाते हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ, 'वाणिज्यिक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियालाप शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन (निविदा विपणन और कच्चे माल की सहायता/ वितरण/ थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापार को सहायता सहित)', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इन 'समेकित' सहायता सेवाओं का निधिकरण निगम द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलाप, परंतु जो संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं, को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ मिला दिया गया है। क्योंकि इन क्रियाकलापों के खर्चे निगम द्वारा वहन किए जाते हैं। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों नामतः "वाणिज्यिक" और "संवर्धनात्मक" में विभाजित किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'खण्ड सूचना' पर भारतीय लेखांकन मानक–108 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार खण्ड के लिए राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्ति और देयताओं की सूचना दर्शाई गई है।

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़
I. खण्ड राजस्व(अनुदान सहित)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान	13827.28	-.	13827.28	10508.11	-.	10508.11
उत्पाद की बिक्री	-	276408.88	276408.88	-	232491.66	232491.66
सेवाओं की बिक्री	-	13578.73	13578.73	-	10994.01	10994.01
अन्य	-	37699.95	37699.95	-	33688.80	33688.80
जोड़	13827.28	327687.56	341514.84	10508.11	277174.47	287682.58
II. खंड व्यय (अनुदान के प्रति व्यय सहित)						
वर्ष के दौरान मान्यता दिए गए सरकारी अनुदान के प्रति किया गया व्यय	13827.28	-	13827.28	10508.11	-	10508.11
अन्य	-	310637.09	310637.09	-	262363.27	262363.27
जोड़	**13827.28**	**310637.09**	**324464.37**	**10508.11**	**262363.27**	**272871.38**
III. परिणाम						
क. खण्ड परिणाम	-	12655.77	12655.77	-	11048.27	11048.27
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ	-	28529.67	28529.67	-	23895.87	23895.87
ग. भुगतान किया गया ब्याज	-	11479.20	11479.20	-	9084.67	9084.67
घ. आपवादिक मदें	-	(13.18)	(13.18)	-	(13.94)	(13.94)
ङ. कर–पूर्व लाभ	-	17063.65	17063.65	-	14825.14	14825.14
च. कर व्यय	-	4407.88	4407.88	-	3776.87	3776.87
छ. करोपरांत निवल लाभ	-	12655.77	12655.77	-	11048.27	11048.27
छ. अन्य व्यापक आय	-	71.47	71.47	-	28.98	28.98
झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ/(हानि) और अन्य						
व्यापक आय शामिल हैं}	-	12727.24	12727.24	-	11077.25	11077.25
IV. परिसंपत्तियां और देयताएं						
क. खण्ड परिसंपत्तियाँ	4499.00	295658.18	300157.18	4343.93	303263.23	307607.16
ख. अनावंटित परिसंपत्तियां			21376.98	.	.	23210.69
ग. कुल परिसंपत्तियाँ	4499.00	295658.18	321534.16	4343.93	303263.23	330817.85
घ. खण्ड परिसंपत्तियाँ	4633.75	166260.41	170894.16	10018.27	182413.13	192431.40
ङ. अनावंटित परिसंपत्तियां			150640.00	.	.	138386.45
च. कुल देयताएँ	4633.75	166260.41	321534.16	10018.27	182413.13	330817.85
V. अन्य सूचना	-	-	-	-	-	-
(क) स्थिर परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए अवधि के दौरान लगाई गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	503.45	842.02	1345.47	498.88	653.49	1152.37
(ख) मूल्यह्रास रु	342.95	842.91	1185.86	375.41	703.59	1079.00
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय	-	14.04	14.04	-	38.75	38.75

संवर्धनात्मक खण्ड का मूल्यह्रास, पूंजी आरक्षित के प्रति प्रभारित किया गया है।

- **प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बारे में सूचना –– नीचे दिए गए खंड ''पी'' को देखें**
- **अन्य गतिविधियों के लिए जानकारी**

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवार	संख्या	66765	61090
एमएसएमई को परीक्षण और अन्य सामान्य सुविधाएं प्रदान की गईं	संख्या	15891	14034
कुल खरीद के % के रूप में जैम से खरीद	%	83.12	68.19

- **निगम के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है, क्योंकि निगम के ऋण प्रचालन देश के अंदर किए जाते हैं।**
- **किसी एकल ऋणी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निगम के राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान नहीं किया है।**

त. भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण– ग्राहकों के साथ किए गए संविदाओं से प्राप्त राजस्व

1) निगम का संघटक–वार राजस्व

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	276408.88	232491.66
सेवाओं की बिक्री #	13578.73	10994.01
ब्याज आय	32021.02	28316.10
प्रोसेसिंग शुल्क	4829.27	4730.12
अन्य प्रचालन आय	479.66	422.69
जोड़	327317.56	276954.58

(सेवाओं की बिक्री में सरकारी योजना यानी पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए सुविधा शुल्क से होने वाली आय शामिल है, जिसकी राशि 1125.00 लाख रुपए (शून्य) है।

2) पीएम विश्वकर्मा योजनाः

- पीएम विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को मजबूत और पोषित करना है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।
- एक सुविधा प्रदाता के रूप में एनएसआईसी के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) को निविदा के माध्यम से उपयुक्त विक्रेताओं का चयन करके और पंजीकृत लाभार्थियों को टूलकिट प्रदान करके 18 अलग–अलग पहचाने गए ट्रेडों के तहत इन टूलकिट की आपूर्ति के लिए एक पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का काम सौंपा गया है। उपर्युक्त 18 ट्रेडों के लिए योजना के अंतर्गत।
- इस उद्देश्य के लिए, एनएसआईसी को निम्नलिखित विभिन्न शेड्यूल/ मील के पत्थर पर तीन (3) खाइयों में रू. 4500.00 लाख की सुविधा शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जो कुल परिव्यय का 1% यानी रू. 450000 लाख हैः
  - ड्राफ्ट आरएफपी के अनुमोदन पर सुविधा शुल्क का 25%,
  - टूलकिट विक्रेता के सफल चयन के बाद सुविधा शुल्क का 25% और

- टूलकिट विक्रेता के सफल चयन के छह (6) महीने के बाद सुविधा शुल्क का 50% शेष रखें।
- तदनुसार, ड्राफ्ट आरएफपी के अनुमोदन की पहली अनुसूची/मील का पत्थर हासिल करने पर, एनएसआईसी को एमएसएमई मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सुविधा शुल्क का 25% राशि रू.1125 लाख प्लस जीएसटी प्राप्त हुआ है।

थ. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण – पट्टे:

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार, निगम तुलन पत्र में इन परिसंपत्तियों को भावी अवधियों में इन पट्टों के प्रति भुगतानयोग्य धनराशियों के संबंध में तदनरूपी पट्टा देयता के साथ 'उपयोग करने के अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है। तथापि, निगम ने, अल्पावधि पट्टों और निम्न मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता छूट का उपयोग किया है। अल्पावधि पट्टों में परिसमापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं, जहाँ ये पट्टे समाप्त करने के लिए कोई सारवान आर्थिक विप्रोत्साहन न हो। ऐसे करार, पट्टाधारित पोटफोलियों का प्रबंधन करने और निगम की व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सुनम्यता उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय 398.12 लाख रू. (430.95 लाख रु.) है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकदी बहिर्वाह 472.67 लाख रू. (430.98 लाख रु.) है।

क) पट्टाधारी के रूप में पट्टे:

i. मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं और वर्ष के दौरान संचालनों की धारित धनराशियाँ निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
अथशेष	59.01	59.04
– पट्टा देयताओं में अभिवर्धन	232.59	.
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	19.14	.
– पट्टा दयेताओं का भुगतान	74.55	0.03
अंत शेष	236.19	59.01

ii. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तितयों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन	64.84	0.83
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	19.14	4.56

iii. अन्य प्रकटीकरण:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
पट्टों से नकदी बहिर्वाह	74.55	0.03

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां की धारण धनराशि	221.91	54.16

iv. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले बट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	75.38	4.58
एक और दो वर्षों के बीच	76.69	5.33
दो और तीन वर्षों के बीच	49.73	5.58
तीन और चार वर्षों के बीच	4.96	5.58
चार और पांच वर्षों के बीच	5.89	5.58
पांच वर्षों से अधिक	113.55	368.87

ख) पट्टादाता के रूप में पट्टे:

i. ये करार, भारतीय लेखांकन मानक 116 'पटटे' में पारगमन के पश्चात प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाने जारी है।

ii. 5463.90 लाख रू. (4905.15 लाख रू.) की धनराशि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा आय के रूप में लेखे में ली गई है।

iii. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वाले बट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	5057.03	4845.44
एक और दो वर्षों के बीच	3482.23	3529.67
दो और तीन वर्षों के बीच	2150.22	2920.66
तीन और चार वर्षों के बीच	1742.33	1764.77
चार और पांच वर्षों के बीच	1415.90	1742.27
पांच वर्षों से अधिक	212.19	1512.21

द **परिसंपत्ति देयता प्रबंधन – परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप**

(लाख रुपए में)

31.03.2024 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	51177.20	-	63459.44	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	18717.60	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	27251.78	-	74500.00	133.55	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	162282.54	-	-	22.82	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	156.37	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	1027.21	-	2972.28	-	-

(लाख रुपए में)

31.03.2023 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	50003.68	-	19278.26	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	19181.00	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	25844.66	-	131500.00	133.55	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	166671.80	-	-	22.82	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	156.37	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	910.28	-	3245.01	-	-

(ये अग्रिम, किराया खरीद, पट्टाकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, संयुक्त सावधि ऋण, सावधि ऋण, बैंक आदि से संबंधित है)।

घ. वित्तीय विलेख

क. पूंजी प्रबंधन

निगम के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में, निर्गत इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और निगम के इक्विटीधारकों को प्रदान किए जाने योग्य अन्य सभी इक्विटी आरक्षित राशियाँ शामिल हैं। निगम के पूंजी प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य, शेयर पूंजी की सुरक्षा और बचाव तथा शेयरधारक संपत्ति को अधिकतम बनाना है।

प्रबंधन, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति से बचते हुए एक दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने की दृष्टि से निगम की पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन करता है। निगम, पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यवसाय वातावरण और सेक्टर के अंदर नकदी प्रवाह की स्थिति के आलोक में उपयुक्त विलेखों के जरिए निधियाँ जुटाता है। इसके अलावा, पूंजी पुनः संरचनाकरण के संबंध में, निगम, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ ''केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनः संरचनाकरण'' पर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए। दिशानिर्देशों द्वारा भी मार्गदर्शित होता है। निगम ने बाह्य रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत शर्तों का अनुपालन किया है।

विनियामक पूंजी संबंधी सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड, पूंजी को निम्नलिखित स्तरों पर बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।

निगम ने, रिपोर्टिंग अवधि में पूंजी की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

निगम अनेक जोखिमों के प्रति आरक्षित है, जो ऐसे वातावरण में अंतर्निहित हैं, जिसमें वह प्रचालन करता है। निगम, एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है–

क) क्रेडिट जोखिम

(i) निगम, अपने ऋण प्रचालनों के जरिए प्राथमिक रूप से क्रेडिट जोखिम के प्रति आरक्षित है। नकदी और नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम, सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ किए जाते हैं। जहाँ तक निवेशों का संबंध है, निगम का इक्विटी दस्तावेज़ों में बहुत कम निवेश है जो रणनीतिक स्वरूप का है। जिसके भाग का प्रावधान निगम ने पहले ही हानिकरण छूट के प्रति कर दिया है और शेष का उचित मूल्यांकन कर दिया है और उस पर हुए लाभ को लेखा–बहियों में लेखे में ले लिया है।

क्रेडिट जोखिमों के एक प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए निगम ने एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित कर दिया है, जिसमें मूलधन और ब्याज की धनराशि की समय से अदायगी सुनिश्चित करने की दृश्टि से दिशानिर्देश दिए गए हैं। निगम, जोखिम की उस धनराशि, जिसे वह अलग–अलग प्रति–पक्षकारों के लिए स्वीकार करने और उनके सकेंद्रण का इच्छुक है, पर सीमाएं निर्धारित करके और बैंकों से लेखे का संव्यवहार प्राप्त करके इन सीमाओं के संबंध में अरक्षितताओं को मॉनीटर करके क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

निगम को, बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चे माल के खरीद के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सहायता के हिसाब से क्रेडिट जोखिम होता है।

(ii) महत्त्पूर्ण अनुमान और निर्णय वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरणः

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानिकरण प्रावधान, चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। निगम, समूह के पिछले इतिवृत्त और अन्य बैंकों के साथ खाते के संचालन, मौजूदा बाज़ार दशाओं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रदर्शी अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाने और हानिकरण के परिकलन में इनपुट का चयन करने में निर्णय का इस्तेमाल करता है।

भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन की तारीख को कोई कंपनी ऐसी तर्कसंगत और समर्थ योग्य सूचना का उपयोग करेगी, जो, उस तारीख, जिसकी वित्तीय दस्तावेज़ों को आरंभतः मान्यता दी गई थी, क्रेडिट जोखिम निर्धारित करने के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो और भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तारीख को जोखिम क्रेडिट के साथ इनका मिलान करेगी।

निगम ने भारतीय लेखांकन मानक–109 या भारतीय रिजर्व बैंक

के दिशानिदशों के अनुसार उच्चतर प्रावधान के रूप में लेखा–बहियों में हानिकरण हानि (ईसीएल) को मान्यता देने की नीति अपनाई है।

निगम ने सभी ऋणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया है:–

चरण 1 निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति नहीं हुई)

चरण 2 निष्पादनशील के अंतगर्त (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति हुई)

चरण 3 गैर–निष्पादनशील (क्षति होने के उद्देश्यपरक साक्ष्य)

ईसीएल का परिकलन, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

ईसीएल = चूक की संभाव्यता (पीडी) X हानि दी गई चूक (एलजीडी)

चूक की संभाव्यता (पीडी) का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों में कुल ऋण वृद्धि के प्रति पिछले 10 वर्षों में एनपीए के रूप में किया जाता है।

हानि दी गई चूक का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल एनपीए के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान मूलधन की हानि के रूप में किया जाता है।

निगम, क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई मानता है, जब ऋणी 30 पिछले देय दिन (डीपीडी) पार कर लेता है परंतु 90 डीपीडी के अंदर है।

अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान

स्तर	श्रेणी	श्रेणी का विस्तार	प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान की मान्यता का आधार ऋण
			ऋण
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ, उच्च गुणवत्ता परिसंपत्तिया, नगण्य क्रेडिट जोखिम	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।	12 महीने का ईसीएल
चरण 2	वर्धित जोखिम परिसंपत्तियाँ या पर्याप्त जोखिम वाली परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन जिसमें हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं है।	आजीवन ईसीएल
चरण 3	हानिकृत परिसंपत्तियाँ	हानिकृत परिसंपत्तियाँ जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है।	आजीवन ईसीएल

ख) परिशोधन जोखिम

परिशोधन ऐसा जोखिम है कि निगम के व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए निधिकरण के उपयुक्त स्रोत संभवतः उपलब्ध न हों। निगम का उद्देश्य, अपनी नकदी की आवश्यताएँ पूरी करने के लिए परिशोधन का इश्टतम स्तर बनाए रखना है। निगम, अपनी परिशोधन स्थिति को निकटता से मॉनीटर करता है और जब कभी आवश्यक हो, अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि निधि आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत बनाए रखता है।

(i) वित्तपोशण व्यवस्थाएँ

निगम के पास, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई उधार सुविधाएं थीं:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति
अस्थायी दर		
– एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएँ)	शून्य	शून्य

निगम के पास ब्याज की अस्थायी दर पर बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा है, जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है।

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा

नीचे दी गई सारणी में, निगम की वित्तीय देयताओं का सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए अपनी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित सुसंगत परिपक्वता में विश्लेशण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाहों के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वताएँ आवश्यक हैं:–

सारणी में विगोपित धनराशियाँ, उनके रखाव शेषों के बराबर, 12 महीने के अंदर देय संविदात्मक अबट्टाकृत नकदी प्रवाह शेष है, क्योंकि बट्टाकरण का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ			वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ		
	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़
1 दिन से 30/31 दिनों तक (एक महीना)	63459.44	-	63459.44	19278.26	-	19278.26
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	-	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	74500.00	135.21	74635.21	131500.00	133.55	131633.55
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	-	23.02	23.02	-	22.82	22.82
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	158.23	158.23	-	156.37	156.37
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	632.92	632.92	-	625.48	625.48
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	-	632.92	632.92	-	625.48	625.48
5 वर्ष से अधिक	-	2953.68	2953.68	-	3245.01	3245.01

ग) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम ऐसा जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं– ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज़ों में, ऋण और उधार शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

निगम, मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारों पर विनिमय मुद्रा जोखिम के प्रति आरक्षित है। निगम के विदशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों की रखाव धनराशि निम्नलिखित है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को यथास्थिति		31 मार्च 2023 को यथास्थिति	
	विदेशी मुद्रा (यूरो में)	कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में)	विदेशी मुद्रा (यूरो में)	कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में)
केएफडब्ल्यू–XI	2345807.21	2153.92	2471585.01	2249.39
केएफडब्ल्यू–XII	2017557.71	1852.52	2185261.45	1988.81
आईएलसी	576716.88	529.54	626866.10	570.51

विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग और प्रबंधन–

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है।

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है। इसलिए, कोई संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया गया।

(ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय दस्तावेज़ के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति निगम की अरक्षितता, प्राथमिक रूप से अल्पावधि उधारों से संबंधित है। बाज़ार ब्याज दर का अल्पीकरण, बाज़ार स्थितियों, कारणों आदि की उचित समीक्षा द्वारा किया जाता है। निगम के उधार, परिशोधित लागत पर लिए जाते हैं।

(क) ब्याज दर जोखिम अरक्षितता

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति निगम की अल्पावधि उधारों की अरक्षितता निम्नलिखित है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को यथास्थिति	31 मार्च 2023 को यथास्थिति
परिवर्तनीय दर वाले उधार	1459.44	3778.26
निश्चित दर वाले उधार	136500.00	147000.00
कुल उधार	**137959.44**	**150778.26**

(ख) संवेदनशीलता

चूंकि निगम के अधिकतम अल्पावधि उधार निश्चित लागतों वाले हैं, इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक–107 में यथापरिभाषित ब्याज दर जोखिम की शर्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि न तो रखाव धनराशि में और न ही भावी नकदी प्रवाह में, बाज़ार ब्याज दरों में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

(iii) मूल्य जोखिम

(क) अरक्षितता

इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, के प्रति निगम की आरक्षितता ओसीआई के जरिए उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत और निगम द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है। हालांकि पोर्टफोलियो का अपवर्तन समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। तथापि निगम ने पिछले समय में केवल कुछ रणनीतिक निवेश ही किया है, जिसका भाग पूर्णतः हानिकृत किया गया है और पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं और शेष भाग को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है तथा उसके लाभों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है।

(ख) संवेदनशीलता

निगम की इक्विटी में निवेश की बहुत कम धनराशि है और पिछले दो वर्षों में कोई संचलन नहीं हुआ है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, निगम ने इक्विटी में अपने उद्धृत निवेश को पहले ही उचित मूल्य पर मूल्यांकित कर दिया है और उसके लाभ को उचित ढंग से लेखे में ले लिया है और निवेश के शेष भाग के लिए पूर्णतः प्रावधान कर दिया है, इसलिए संवेदनशीलता का प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज़ पर लाभों/हानियों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि/कमी होगी।

ग) उचित मूल्य मापन

निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, में से कुछ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। निम्नलिखित सारणियाँ, इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य पर मापे जाने के तरीके के बारे में सूचना देती हैं (विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुटों के बारे में)।

उचित मूल्य क्रम–परंपरा

उचित मूल्य पर मापे गए और मान्यता दिए गए वित्तीय विलेख (एफवीटीओसीआई और एफवीटीपीएल)।

(लाख रुपए में)

विवरण	उचित मूल्य पर धनराशि		उचित मूल्य क्रम–परंपरा	मूल्य तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट
	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश	-	-	-	-
–इक्विटी विलेखों में निवेश	415.83	304.76	स्तर 1	बाजार मूल्य उद्धृत
एफवीटीपीएल पर वित्तीय निवेश	-	-	-	-
जोड़	**415.83**	**304.76**	-	-
II. वित्तीय देयताएं	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ।

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		उचित मूल्य क्रम–परंपरा	मूल्य तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य		
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
कंपनियों को ऋण / एलएलपी	261319.43	261319.43	263115.61	263115.61	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
कर्मचारियों को ऋण	39.55	39.55	45.03	45.03	स्तर 2	अनुलाभों के लिए एसबीआई दर पर एनपीवी
जोड़	**261358.98**	**261358.98**	**263160.64**	**263160.64**	-	-
II. वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-
उधार	142495.42	142495.42	155586.97	155586.97	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
जोड़	**142495.42**	**142495.42**	**155586.97**	**155586.97**	-	-

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्य मापन, उतनी मात्रा पर आधारित स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिस तक उचित मूल्य के प्रति इनपुट अवलोकन योग्य हैं और पूरी तरह उचित मूल्य मापन के प्रति इनपुटों का महत्त्व है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिसे निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

स्तर 2: स्तर–1 में शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, अन्य इनपुट, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट), जिन्हें निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का रखाव मूल्य और उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
– नकदी और नकदी समतुल्य	10243.06	10243.06	8896.38	8896.38
– बैंक शेष	50.27	50.27	62.44	62.44
– प्राप्ति योग्य	10994.77	10994.77	16499.79	16499.79
– ऋण एवं अग्रिम	261358.98	261358.98	263160.64	263160.64
– निवेश	1027.21	1027.21	910.28	910.28
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	756.98	756.98	1493.73	1493.73
जोड़	**284431.27**	**284431.27**	**291023.26**	**291023.26**
II. वित्तीय देयताएं				
– देय	11986.32	11986.32	16576.94	16576.94

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य
– उधार	142495.42	142495.42	155586.97	155586.97
– अन्य वित्तीय देयताएँ	13003.29	13003.29	16816.75	16816.75
जोड़	**167485.03**	**167485.03**	**188980.66**	**188980.66**

नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्तियोग्य, भुगतानयोग्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव धनराशियाँ, उनके स्वरूप के अल्पावधि होने के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

न संपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक पंक्ति वस्तु हेतु 12 महीने और उससे अधिक के भीतर की जाने वाली वसूली/निपटान की अपेक्षित राशिः

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति			31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		
	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़
परिसंपत्तियाँ						
1. वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(क) नकद और नकद समतुल्य	10243.06	.	10243.06	8896.38	0.00	8896.38
(ख) नकद और नकद समकक्षों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष	1.26	49.01	50.27	62.44	0.00	62.44
(ग) व्यापार प्राप्य	7384.13	3610.64	10994.77	16499ण79	0.00	16499ण79
(घ) ऋण और अग्रिम	251687.43	9671.55	261358.98	241233.06	21927.58	263160.64
(ङ) निवेश	0.00	1027.21	1027.21	0.00	910.28	910.28
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	188.18	568.80	756.98	318.08	1175.65	1493.73
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ (1)	**269504.06**	**14927.21**	**284431.27**	**267009.75**	**24013ण51**	**291023ण26**
2. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(क) माल–सूची	9.08	0.00	9.08	11.48	0.00	11ण48
(ख) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	0.00	0.00	186.11	0.00	186.11
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	3522.35	3522.35	0.00	3528.14	3528.14
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.00	28627.81	28627.81	0.00	28720.85	28720.85
(ङ) चालू पूंजीगत कार्य	0.00	482.33	482.33	0.00	437.42	437.42
(च) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	35.65	35.65	0.00	35.65	35.65
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	86.35	86.35	0.00	58.32	58.32
(ज) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	0.00	221.91	221.91	0.00	54.16	54.16
(झ) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21
(ञ) अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2937.42	1179.99	4117.41	0.00	6762.25	6762.25
कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ (2)	**2946.50**	**34156.39**	**37102.89**	**197.80**	**39596.79**	**39794.59**
कुल परिसंपत्तियाँ (1+2)	**272450.56**	**49083.60**	**321534.16**	**267207.55**	**63610.30**	**330817.85**
देयताएँ						
1. वित्तीय देयताएँ						
(क) व्यापार प्राप्य	7424.25	4562.07	11986.32	6947.25	9629.70	16576.94

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति			31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		
	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़
(ख) उधार	138275.90	4219.52	142495.42	150778.26	4808.71	155586.97
(ग) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य वित्तीय देयताएँ	5796.07	7207.22	13003.29	15460.77	1355.98	16816.75
कुल वित्तीय देयताएँ (1)	151496.22	15988.81	167485.03	173186.28	15794.39	188980.66
2 गैर–वित्तीय देयताएँ						
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	708.33	0.00	708.33	0.00	0.00	0.00
(ख) प्रावधान	761.85	11135.25	11897.10	5302.84	6109.18	11412.02
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य गैर–वित्तीय देयताएँ	4500.82	2027.79	6528.61	4791.60	286.30	5077.90
कुल गैर–वित्तीय देयताएँ (2)	5971.00	13163.04	19134.04	10094.44	6395.48	16489.92
कुल देयताएँ (1+2)	**157467.22**	**29151.85**	**186619.07**	**183280.72**	**22189.87**	**205470.58**

प. प्रस्तावित लाभांशः इस वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
100 रुपए के इक्विटी शेयरों पर		
प्रस्तावित लाभांष की धनराशि (लाख रुपए में)	3796.73	3314.48
लाभांश दर (प्रतिशत)	30% कर अदायगी के बाद लाभ	30% कर अदायगी के बाद लाभ
प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	7.12	6.22

निगम द्वारा प्रस्तावित लाभांश, निगम के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अनुसार करोपरांत लाभ और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) आरबीआई, सेबी, डीपीई आदि द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। निगम के निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में 3796.73 लाख रू. (7.12 रू. प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप 3796.73 लाख रू. का नकद बहिर्वाह होगा।

इसके अलावा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कारपोरेट लाभांश लेखांकन मानक (ए.एस.)–10 दिनांक, 30 मार्च, 2016 के कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 में संशोधनों के जरिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

निगम ने वित्त वर्ष 2023–24 में रु. 3314.48 लाख के लाभांश का भुगतान किया है जिसे वित्त वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित किया गया था।

वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम को अपनी सहायक कंपनी – मैसर्स एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) से वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश के रूप में रु. 91.10 लाख प्राप्त हुए। और इसे एनएसआईसी के वित्तीय विवरणों में 'अन्य आय' के रूप में दर्ज किया गया है।

फ. हड़ताल प्रभावित कंपनियों के साथ संबंध

(रु. लाख में)

हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष (रु. लाख में)		हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो
		31.03.2024	31.03.2023	
-	**प्रतिभूतियों में निवेश**			
-	हड़ताल प्रभावित कंपनी के शेयरों में निवेश	-	-	-
-	प्राप्य	-	-	-
-	देय	-	-	-
-	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ अटके हुए शेयर	-	-	-
-	अन्य बकाया शेष (विनिर्दिष्ट किया जाए)			

ब. क्रिप्टो या आभासी मुद्रा पर प्रकटीकरण

निगम ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

भ. प्रमोटर्स की होल्डिंग पर प्रकटीकरण

निगम को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास वर्ष की शुरुआत और अंत में निगम में 100 प्रतिशत इक्विटी हैं। इस प्रकार वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

म. भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अंतर्गत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना

क. हानिकरण आरक्षित

दिनांक 13.03.2020 की भा.रि.बैं. की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी.पी.डी. संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएलस, को वित्तीय विलेखों पर हानि छूट के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, जहाँ भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानकों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से निम्नतर है, निगम ने यह अंतर अपने निवल करोपरांत लाभ से चालू वर्ष से संबंधित "हानिकरण आरक्षित" में और 01.04.2019 को यथास्थिति मौजूद धारित अर्जनों में से विनियोजित किया है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित में से किसी आहरण की अनुमति नहीं है।

चूंकि 31.03.2024 तक इंड एएस–109 के संदर्भ में क्षति भत्ता की राशि 12399.36 लाख रुपए (12265.28 लाख रुपए) है, जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में 15010.93 लाख रुपए (14960.81 लाख रुपए) से कम है, इसलिए आईआरएसीपी मानदंड और इंड एएस–109 के तहत 2611.57 लाख (2695.53 लाख रुपए) की राशि के प्रावधान में अंतर को 31.03.2024 तक हानि आरक्षित के रूप में लेखांकित किया जाना है।

हालाँकि, 31.03.2024 को जिस हानि आरक्षित निधि का हिसाब लगाया जाना चाहिए, वह 31.03.2023 को पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित राशि से कम है, जो कि 4866.65 लाख रू. (4866.65 लाख रू.) है, इसलिए, पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित को उलटा नहीं किया गया है। 2255.08 लाख रू. (2171.12 लाख रू.) की सीमा तक निकासी की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, 31.03.2024 तक हानि आरक्षित को 4866.65 लाख रू.(4866.65 लाख रू.) पर बनाए रखा गया है।

ख. आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूटों के बीच की गई तुलनाः

वित्तीय वर्ष 2023–24

(लाख रुपए में)

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बच अंतर
(1)	(2)	(3)	4	5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	260470.98	1041.87	259429.11	926.18	115.69
	चरण 2					
उप जोड़		**260470.98**	**1041.87**	**259429.11**	**926.18**	**115.69**
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण 3	1131.07	1131.07	0	2513.71	1382.64
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3				715.24	715.24
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3				63.84	63.84
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	9538.26	9538.26	0	10103.80	565.54
संदिग्ध का उप जोड़		**9538.26**	**9538.26**	**0**	**10882.88**	**-1344.62**
हानि	चरण 3	688.16	688.16	0	688.16	0
एनपीए का उपजोड़		**11357.49**	**11357.49**	**0.00**	**14084.75**	**.2727.26**
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्ध ताएं जो भारतीय लेखाकंन	चरण 1 चरण 2	-	-	-	-	-
मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2					
	चरण 3					
उप जोड़						
जोड़	चरण 1	260470.98	1041.87	259429.11	926.18	115.69
	चरण 2	0	0	0	0	0
	चरण 3	11357.49	11357.49	0.00	14084.75	.2727.26
	जोड़	271828.47	12399.36	259429.11	15010.93	.2611.57

वित्तीय वर्ष 2022–23

(लाख रुपए में)

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपित्त वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	262996.32	1295.18	261701.14	1181.94	113.24
	चरण 2					
उप जोड़		**262996.32**	**1295.18**	**261701.14**	**1181.94**	**113.24**
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)	-	-	-	-	-	-
उप मानक	चरण 3	1131.07	1131ण07	0.00	2376.09	.1245.02
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3				732.85	.732.85
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3				265.37	.265.37
3 वर्श से अधिक	चरण 3	9102.35	9102.35		9667.89	.565.54
संदिग्ध का उप जोड़		9102.35	9102.35		10666.10	.1563.75
हानि	चरण 3	736.68	736.68		736.68	0.00
एनपीए का उपजोड़		10970.10	10970.10	0.00	13778.88	.2808.78
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन						
मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप जोड़		-	-	-	-	-
जोड़	**चरण 1**	**262996.32**	**1295.18**	**261701.14**	**1181.94**	**113.24**
-	**चरण 2**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
-	**चरण 3**	**10970.10**	**10970.10**	**0.00**	**13778.88**	**.2808.78**
-	**जोड़**	**273966.42**	**12265.28**	**261701.14**	**14960.81**	**.2695.53**

ग. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि

निगम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईसी के तहत आवश्यकतानुसार आरक्षित निधि का सृजन कर रहा है, जिसमें लाभाश की घोषणा से पहले शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत राशि स्थानांतरित करना आवश्यक है, तथा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई समायोजन करने की अनुमति नहीं है, और आगे इस तरह के किसी भी समायोजन को ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिनो के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवेदित करना भी आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान धारा 45 आईसी के अंतर्गत 2531.15 लाख रू. (2209.66 लाख रू.) की धनराशि की अन्य आरक्षित निधि सृजित की गई है, इस प्रकार 31.03.2024 को यथास्थिति कुल आरक्षित निधि 10921.02 लाख रू. (8389.87 लाख रू.) की हो गई है।

घ. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उधारों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग

निगम की बैंक सुविधाओं को केयर द्वारा रेटिंग दी गई है और एए + रेटिंग दी गई है, जिसे वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की प्रतिभूति माना जाता है। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, निगम को क्रिसिल और एसीयूआईटीई के साथ वाणिज्यिक पेपर के लिए भी ''ए1'' रेटिंग दी गई है, जिसे 'सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री' माना जाता है।

ङ. शास्तियाँ–

I. आरबीआई द्वारा लगाई गई – शून्य

II किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई रू 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, निगम द्वारा शून्य (0.21 लाख रू) की राशि की शास्ति को अदा किया गया है।

च. पूंजीगत पर्याप्तता

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष			परिवर्तन
	मीटर	भाजक	%	मीटर	भाजक	%	
i) पूंजी जोखिम भारित अनुपातर सीआरएआर (%)	122840.40	303904.40	40.42	108901.31	311026.16	35.01	
ii) सीआरएआर – टियर I पूंजी	121798.53	303904.40	40.08	107606.13	311026.16	34.60	
iii) सीआरएआर – टियर II पूंजी	1041.87	303904.40	0.34	1295.18	311026.16	0.42	
iv) नगदी प्रवाह व्याप्ति अनुपात	10293.33	20074.43	51.28	8958.82	6942.46	129.04	
v) टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की धनराशि	.	.	शून्य	.	.	शून्य	
vi) चिरस्थायी ऋण विलेखों के निर्गम द्वारा जुटाई गई धनराशि	.	.	शून्य	.		शून्य	

नोटः नकदी कवरेज अनुपात की गणना कुल उच्च गुणवत्ता वाली नकदी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) को कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह से विभाजित करके की जाती है। रू. 19278.26 लाख का कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 30 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान के कारण था, जबकि रू. 63459.44 लाख का डब्ल्यूसीडीएल वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पुनर्भुगतान के कारण था, यानी वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान शुद्ध लागत बहिर्वाह कम हो गया था।

क) निवेशः एनएसआईसी के पास भारत के बाहर कोई निवेष नहीं है। हालाँकि, निगम ने सहायक कंपनी मैसर्स एनवीसीएफल में 100 प्रतिशत अर्थात रु. 600 लाख और अन्य भारतीय कंपनियों में रु. 415.83 लाख का निवश किया है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड में योगदान के लिए एनवीसीएफएल के साथ दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान एनएसआईसी ने 0.114 इकाइयों हेतु अपने हिस्से का 0.01 प्रतिशत की राशि 11.38 लाख रू. का योगदान दिया है, जिसमें एसआरआई फंड की 1 इकाई का मूल्य 100 लाख रू. है।

ख) निवेशों का अलग–अलग विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1	**निवेशों का मूल्य**		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
(क)	भारत में		
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर	425.83	314.76
(ख)	भारत से बाहर		
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क)	भारत में	10.00	10.00
(ख)	भारत से बाहर		
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
(क)	भारत में	415.83	304.76
(ख)	भारत से बाहर		
(2)	निवेशों के प्रति रखे गए प्रावधानों का संचलन		
(i)	अथ शेष	10.00	10.00
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुरांकन/बट्टे खाते डालना	0.00	0.00
(iv)	अंत शेष	10.00	10.00
(3)	**उद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि**	**415.83**	**304.76**
	उद्धृत निवेशों का बाज़ार मूल्य	415.83	304.76
(4)	**अनुद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि**	**621.38**	**615.52**
(5)	**निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए समग्र प्रावधान**	**10.00**	**10.00**

ग) निवेशों का मूल्यांकन

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
i) निवेशों का सकल मूल्य	910.28	870.85
ii) हानिकरण हानि के लिए छूट	10.00	10.00
iii) उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल)	111.07	35.69
iv) निवेशों का उचित मूल्य	1027.21	910.28
निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन में संचलन (निवल)		
अथ शेष	304.76	269.07
जोड़ें: मूल्य में वृद्धि	111.07	35.69
घटाएं: मूल्य में कमी		
अंत शेष	415.83	304.76

छ व्युत्पत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
व्युत्पन्न विलेखों/उत्पादों की अरक्षितता	शून्य	शून्य

ज. प्रतिभूतिकरण

क) परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए प्रायोजित एसपीवी के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
प्रायोजित एसपीवी	शून्य	शून्य

ख) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण हेतु बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य

ग) किए गए समनुदेशन लेनदेन के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
किए गए समनुदेषन लेनदेन	शून्य	शून्य

घ) खरीदी गई/बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
खरीदी गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य
बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
i) बेचे गए खातों की संख्या		
ii) समग्र बकाया		
iii) प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल		
iv) निवल अंकित मूल्य पर लाभ/हानि		

ड़) एनबीएफसीएस के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2022–23/26 डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या 20/21.04.018/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल, 2022, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित नियमों के तहत प्रकटीकरण इस प्रकार है:

एक्सपोजर

I. पूंजी बाजार क्षेत्र में एक्सपोजर (सकल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनके कॉर्पस का निवेश अनन्य रूप से कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	425.83	314.76

।।. ऋण और अग्रिमों का क्षेत्रीय एक्सपोजर

(लाख रुपए में)

सेक्टर	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
	बीजी के खिलाफ सुरक्षित	संपार्श्विक/ असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल	विरुद्ध सुरक्षित बीजी	संपार्श्विक/ असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	323.01	.	323.01	99.49	.	99.49
उद्योग						
खाद्य एवं खाद्य उत्पाद	3283.60	.	3283.60	3327.43	.	3327.43
कपड़ा	2493.46	207.06	2700.52	1592.46	43.68	1636.14
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	781.85	.	781.85	523.65	.	523.65
कागज एवं कागज उत्पाद	1124.66	.	1124.66	931.75	6.33	938.08
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	144.23	.	144.23	142.38	.	142.38
रबर एवं रबर उत्पाद	2356.28	43.68	2399.96	2301.30	43.68	2344.99
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	2898.77	43.68	2942.45	6436.03	43.68	6479.71
गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	6445.35	.	6445.35	2008.68	0.01	2008.69
धातु उत्पाद	67208.55	522.04	67730.59	69517	596.79	70113.79
निर्माण	110716.05	142.95	110859.00	105439.56	339.19	105778.75
इलेक्ट्रिक मशीनें और उपकरण	25881.90	126.87	26008.76	28352.35	126.87	28479.21
परिवहन उपकरण/ऑटोमोबाइल	2429.43	31.23	2460.66	2855.07	31.23	2886.3
मुद्रण उद्योग	607.11	.	607.11	1256.51	0.27	1256.77
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	3948.98	173.86	4122.85	4414.53	173.86	4588.4
अन्य	23350.22	8933.73	32283.95	28179.04	8871.51	37050.55
उद्योग का कुल	**253670.45**	**10225.11**	**263895.55**	**257277.74**	**10277.10**	**267554.84**
सेवाएं	**6688.54**	**.**	**6688.54**	**4799.77**	**.**	**4799.77**
व्यक्तिगत ऋण	**.**	**39.55**	**39.55**	**.**	**45.03**	**45.03**
अन्य	**.**	**.**	**.**	**199.68**	**.**	**199.68**
तुलन पत्र के अनुसार	**260681.99**	**10264.66**	**270946.64**	**262376.68**	**10322.13**	**272698.81**

झ. लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का अलग–अलग विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	निवेशों पर उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ख.	एनपीएज/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	907.80	शून्य

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग.	ऋणों की एनपीवी में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
घ.	निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ङ.	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	319.72
च.	आय कर के प्रति किया गया प्रावधान	4450.00	3500.00
छ.	अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (आस्थगित कर देयताएं)	(18.25)	310.68

ञ. अग्रिमों और गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I. अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े ऋणियों को कुल अग्रिम	11871.18	12352.01
बीस बड़े ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	4.37	4.51
II. एनपीए का संकेंद्रण		
शीर्ष चार एनपीएज के प्रति कुल अरक्षितता	924.41	898.56

ट. सेक्टर–वार एनपीए (सकल)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	शून्य	शून्य
2	एमएसएमई	11357.49	10970.10
3	कॉरपोरेट ऋणी	शून्य	शून्य
4	सेवाएँ	शून्य	शून्य
5	अप्रतिभूति व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य
6	ऑटो ऋण	शून्य	शून्य
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य

ठ. एनपीएज का संचलन

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीएज (%)	-	-
2) सकल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	10970.10	11348.07
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	490.30	1.43
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	102.91	379.40
(घ) अंत शेष	11357.49	10970.10
3) निवल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(क) अथ शेष	-	-
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	-	-
(घ) अंत शेष	-	-
4 एनपीए/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में संचलन		
(क) अथ षेश	10970.10	11348.07
(ख) जोड़ें: वर्श के दौरान किया गया प्रावधान	490.30	1.43
(ग) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण	-	-
(घ) घटाएं: पुरांकित प्रावधान	102.91	379.40
(ङ) अंत शेष	11357.49	10970.10

ड. अन्य सूचना

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i) सकल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
संबंधित पक्षकार	-	-
संबंधित पक्षकारों के अलावा	11357.49	10970.10
ii) निवल गैर–निश्पादनषील परिसंपत्तियाँ		
संबंधित पक्षकार	-	-
संबंधित पक्षकारों के अलावा	-	

ढ. ग्राहक एवं निवेशक शिकायतें

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	5
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	15	104
3	वर्ष के निवारण की गई शिकायतों की संख्या	15	109
3.1	जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	4	6
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का कारण)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं
1	2	3	4	5	6
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	-	4	90.32% की कमी आई	-	-
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	-	3	78.57% की कमी आई	-	-
ग्राउंड – 3 आउट सोर्स मैनपावर	-	2	33.33% की कमी आई	-	-
ग्राउंड– 4 एमएसएमई मार्ट	-	1	83.33% की कमी आई	-	-
ग्राउंड – 5 i पीबीजी ii ग्रेच्युटी iii कर्मचारी शिकायत iv शुल्क वापसी v सीआईबीआईएल स्कोर	-	दोनों श्रेणियों में 1	सभी नई श्रेणी	-	-
कुल	-	**15**		-	-
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	1	31	343% की वृद्धि आई	1	-
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	-	14	27% की वृद्धि आई	-	-
ग्राउंड – 3 आरएमडी	-	9	80% की वृद्धि आई	-	-
ग्राउंड – 4 एमएसएमई मार्ट	-	6	500% की वृद्धि आई	-	-
ग्राउंड– 5 आउट सोर्स कर्मचारियों को आरएम न्यूनतम वेतन का भुगतान	-	दोनों श्रेणियों में 3	300%t की वृद्धि आई	-	-
कुल	1	63	-	-	-

iii 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान उचित व्यवहार संहिता के तहत उधारकर्ताओं से निगम को कोई षिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ण) किसी जमा स्वीकार न करने वाली गैर–वित्तीय कंपनी (यथासंशोधित, दिनांक 01 सिंतबर, 2016 के मास्टर निदश डीएनबीआर. पीडी.008/03.10.119/2016–17 के अंतर्गत जारी किए गए, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 18 के अनुसार यथा अपेक्षित) के तुलन–पत्र की अनुसूची

देयताएँ पक्ष

1.. उन पर उपार्जित ब्याज सहित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए परंतु भुगतान न किए गए ऋण और अग्रिमः

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	
		बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि	बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि
(क)	डिबेंचर	-	-	-	-
(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग)	सावधि ऋण	4544.03	-	4817.23	-
(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-	-	-
(ङ)	वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	-
(च)	सार्वजनिक जमा	-	-	-	-
(छ)	अन्य ऋण				
	बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद क्रेडिट एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण	137959.44	-	150932.84	-

2. ऊपर 1(च) (उन पर उपार्जित ब्याज सहित बकाया परंतु भुगतान न की गई सार्वजनिक जमा राशियाँ) का अलग–अलग विवरणः

–लागू नहीं–

परिसंपत्ति पक्ष

3. प्राप्तियोग्य बिलों सहित {नीचे (4) में शामिल किए गए के अलावा} ऋणों और अग्रिमों का अलग–अलग विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	बकाया धनराशि	
	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति
(क) प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	.	
(ख) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए (प्रावधान के पश्चात निवल)	259429.11	261701.14
(ग) अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-

4. एएफसी क्रियाकलापों के प्रति गिने जाने वाले किराये और बंधक–पत्र के ऋणों पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और स्टॉक का अलग–अलग विवरण

–लागू नहीं–

5. निवेशों का अलग–अलग विवरण (घटाव को छोड़कर निवल):

(लाख रुपए में)

विवरण		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति
चालू निवेश		-	-
1	उद्धृत	-	-
(i)	शेयर	शून्य	शून्य
(क)	इक्विटी		
(ख)	वरीयता		
(ii)	डिबेंचर और बांड		
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें		
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
(v)	अन्य	-	-
2	**अनुद्धृत**	-	-
(i)	शेयर	-	-
(क)	इक्विटी	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
दीर्घावधि निवेश			
1	**उद्धृत**	-	-
(i)	शेयर	-	-
(क)	इक्विटी (उचित मूल्य)	415.83	304.76
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
2	**अनुद्धृत**	-	-
(i)	शेयर:	-	-

विवरण		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति
(क)	इक्विटी (हानिकरण के पश्चात निवल)	600.00	600.00
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	11.38	5.25

6. ऊपर (3) और (4) में दिए गए अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति			31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		
		प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया (प्रावधान के पश्चात निवल)	अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया (प्रावधान के पश्चात निवल)	अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)
1	**संबंधित पक्षकार**						
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	**संबंधित पक्षकारों के अलावा**	**शून्य**	**259429.11**	**शून्य**	**शून्य**	**261701.14**	**शून्य**

7. शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण:

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	
		उचित मूल्य	अंकित मूल्य	उचित मूल्य	अंकित मूल्य
1	**संबंधित पक्षकार**				
(क)	आर्थिक सहायता	600.00	600.00	600.00	600.00
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	11.38	11.38	5.52	5.52
2	**संबंधित पक्षकारों के अलावा**	**415.83**	**415.83**	**304.76**	**304.76**

5 वर्ष के दौरान, निगम ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)/नवाचार पर रु. 321.60 लाख (रू. 347.77) का व्यय किया है।

6. 31.03.2024 (पिछले वर्ष शून्य) तक कोई बिल नहीं किया गया (व्यापार देय और व्यापार प्राप्य) नहीं है।

7 <u>कंसोर्टिया के माध्यम से विपणन सहायता के तहत मामले</u>

. कंसोर्टिया के माध्यम से विपणन सहायता के तहत मामले संपूर्ण भारत के आधार पर एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए, एनएसआईसी एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण योजना सहित कई प्रचार योजनाएं भी चला रहा है। ऐसी योजनाओं में से एक कंसोर्टिया के माध्यम से विपणन सहायता है जिसमें एनएसआईसी एमएसई को बढ़ावा देने के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक सुविधाकर्ता/आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत एनएसआईसी की भूमिका 'सुविधाकर्ता' और 'आपूर्तिकर्ता' की है। हालांकि, कुछ एमएसई जिनके पास अपने खरीदारों से कुछ बकाया भुगतान हैं, उन्होंने कुछ अदालतों में एनएसआईसी पर दावा दायर किया है। हालाँकि, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2(एन)(आई), धारा 15, 16 और 18 के प्रावधानों के साथ–साथ एम/ओ एमएसएमई परिपत्र दिनांक 31.8.2016 और 14.06.2023 के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आलोक में, और वकील की कानूनी राय के अनुसार, ऐसे दावों के लिए एनएसआईसी को उत्तरदायी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है। मौजूदा कानूनी ढांचा, एक सुविधा प्रदाता/आपूर्तिकर्ता के रूप में एनएसआईसी की स्थापित भूमिका के साथ मिलकर, इस स्थिति का समर्थन

8. सभी धनराशियां लाख रुपयों में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

9. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

10. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
I	**राजस्व**			
	क प्रचालनों से राजस्व	21		
	उत्पादों की बिक्री		276408.88	232491.66
	सेवाओं की बिक्री		13578.73	10994.01
	ब्याज आय		32021.02	28316.10
	शुल्क और कमीशन आय		4829.27	4730.12
	अन्य परिचालन आय		479.66	422.69
	प्रचालन से कुल राजस्व		**327317.56**	**276954.58**
	ख अन्य आय	22	278.90	158.11
	ग लांभाश आय		91.10	61.78
	घ अनुदान और सब्सिडियां	23	0.00	0.00
	कुल राजस्व (क + ख + ग + घ)		327687.56	277174.47
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	275064.83	231796.49
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	13757.32	13019.43
	वित्त लागतें	27	11479.20	9084.67
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	842.91	703.59
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	288.89	278.27
	अन्य व्यय	30	9132.65	7396.73
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	71.29	84.09
	कुल व्यय		**310637.09**	**262363.27**
III	आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ		17050.47	14811.20
	असाधारण मदें (टिप्पणी–35 की बिंदु संख्या 4एफबी) देखें)		**-13.18**	**-13.94**
IV	**कर पूर्व लाभ**		**17063.65**	**14825.14**
	कर व्यय	31		
	वर्तमान कर		4450.00	3500.00
	आस्थगित कर		-18.25	310.68
	पूर्ववर्ती वर्ष		-23.87	-33.81
V	**कुल कर व्यय**		**4407.88**	**3776.87**
VI	चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ		12655.77	11048.27
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि का लाभ**		**12655.77**	**11048.27**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
	क मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		111.07	35.69
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-15.56	3.02
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-24.04	-9.73
	उप–जोड़ (क)		**71.47**	**28.98**
	ख मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		**0.00**	**0.00**
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप–जोड़ (ख)		0.00	0.00
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**71.47**	**28.98**
XII	**अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**12727.24**	**11077.25**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)**	32		
	मूल (रु.)		23.74	20.73
	न्यूनीकृत (रु.)		23.74	20.73
XIV	**आकस्मिक प्रतिबद्धताएं**	33 (i)	**4436.53**	**1286.20**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	33 (ii)	**789.84**	**1620.93**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	35		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1),सामग्री लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)
टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
यूडीआईएन : 24413012केडीजेडएमडब्लू7316

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: **ए22768**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
I	**राजस्व**			
	क प्रचालनों से राजस्व	**21**		
	उत्पादों की बिक्री		0.00	0.00
	सेवाओं की बिक्री		0.00	0.00
	ब्याज आय		0.00	0.00
	शुल्क और कमीशन आय		0.00	0.00
	अन्य परिचालन आय		0.00	0.00
	प्रचालन से कुल राजस्व		**0.00**	**0.00**
	ख अन्य आय	22	0.00	0.00
	ग लांभाश आय			
	घ अनुदान और सब्सिडियां	23	13827.28	10508.11
	कुल राजस्व (क + ख + ग + घ)		**13827.28**	**10508.11**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	0.00	0.00
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	358.39	357.85
	वित्त लागतें	27	0.00	0.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	0.00	0.00
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	0.00	0.00
	अन्य व्यय	30	13468.89	10150.26
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	0.00	0.00
	कुल व्यय		**13827.28**	**10508.11**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**0.00**	**0.00**
	असाधारण मदें		0.00	0.00
IV	**कर पूर्व लाभ**		**0.00**	**0.00**
	कर व्यय	31		
	वर्तमान कर		0.00	0.00
	आस्थगित कर		0.00	0.00
	पूर्ववर्ती वर्ष		0.00	0.00
V	**कुल कर व्यय**		**0.00**	**0.00**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**0.00**	**0.00**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि का लाभ**		**0.00**	**0.00**
XI	**अन्य व्यापक आय**			

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का एकल विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
	क मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00
	उप–जोड़ (क)		**0.00**	**0.00**
	ख मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		**0.00**	**0.00**
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप–जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**0.00**	**0.00**
XII	**अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**0.00**	**0.00**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)**	**32**		
	मूल (रु.)		0.00	0.00
	न्यूनीकृत (रु.)		0.00	0.00
XIV	**आकस्मिक प्रतिबद्धताएं**	**33 (i)**	**0.00**	**0.00**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**3.35**	**619.15**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), सामग्री लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
यूडीआईएन : 24413012केडीजेडएमडब्लू7316

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: **ए22768**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 06 अगस्त 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

ह/–
(एस. अलादानी पांडा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (उद्योग और कार्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अक्टूबर, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों

भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट
राय

हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (इसके बाद ''होल्डिंग कंपनी'' के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ ''समूह'' के रूप में जाना जाता है) के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। जिसमें दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण शामिल है और नोट्स सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश सहित वित्तीय विवरण शामिल हैं। (जिन्हें इसमें आगे समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण दिए गए हैं कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (''आईएनडी एएस'') के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करें। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत, 31 मार्च 2024 तक समूह के मामलों की समेकित स्थिति, इसके समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), में समेकित परिवर्तन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी और समेकित नकदी प्रवाह।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (''एसए'') के अनुसार समेकित त्तिीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ–साथ अधिनियम के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं। इसके तहत बनाए गए नियमों और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य ऑडिटरों द्वारा नीचे अन्य मामले अनुभाग में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर जोर देना

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(i) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 के अनुरूप पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के मुकाबले सामग्री लेखांकन नीति के प्रकटीकरण के संबंध में संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 1(3) 1 अप्रैल 2023 जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है, कुछ लेखांकन नीतियों के इन परिवर्तनों/संषोधनों / संशोधन / रीफ्रेमिंग / रीड्राफ्टिंग का समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ii) केएफडब्ल्यू की 12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में शर्तों के अनुसार 2413.76 लाख की विनिमय भिन्नता हानि के प्रावधान के 31 मार्च 2024 को समापन शेष के संबंध में संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में नोट संख्या 35(4)(जे) KFW के साथ समझौते का ऋण समझौता उक्त राशि के अतिरिक्त संचित प्रावधान के उपचार पर मौन है। अतिरिक्त राशि के कथित उपचार से संबंधित वर्षों के वित्तीय विवरण प्रभावित होंगे।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। वर्तमान काल का. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेशित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है। उसी का सारांश यहां नीचे दिया गया है:

क्र. स	मुख्य ऑडिट	मामला मुख्य ऑडिट मामले पर प्रतिक्रिया
1	**प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का अनुमान** कंपनी का परिचालन भारत के विभिन्न राज्यों में है, जो इसे विभिन्न केंद्रीय और राज्य कानूनों के दायरे में लाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कार्यवाही से मुकदमे और दावे उत्पन्न हो सकते हैं। मुकदमों और दावों के समाधान की कार्यवाही 31 मार्च 2024 के बाद कई वर्षों तक चल सकती है। किसी प्रावधान या आकस्मिक देनदारी के निर्धारण के लिए भविष्य की देनदारियों के अनुमान में अंतर्निहित जटिलता के कारण कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण में नोट 33 में 4436.53 लाख की आकस्मिक देनदारियों की सूचना दी है। प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां समय के साथ मुकदमेबाजी और दावों के परिणामों में बदलाव के अधीन हैं क्योंकि प्रत्येक कानूनी मामले की प्रगति और कंपनी द्वारा उठाए गए पदों के अनुसार नए तथ्य सामने आते हैं। संभावित जोखिमों की भयावहता के अनुमान में एक अंतर्निहित जटिलता है। कानूनी पहलुओं की व्याख्या, राय, मांग नोटिस, प्रासंगिक निर्णय आदि के आधार पर नकदी बहिर्वाह की संभावना राशि, समय का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** हमारी ऑडिट प्रक्रिया में मुकदमों, दावों और आकस्मिक देनदारियों से संबंधित पहचान प्रक्रिया की समझ शामिल थी। हमने डिजाइन का मूल्यांकन किया है और प्रक्रिया के संबंध में नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है। हमने चल रहे अदालती मामलों और मध्यस्थता की कार्यवाही के अधीन महत्वपूर्ण आकस्मिकताओं से उत्पन्न होने वाले संभावित परिणाम और संभावित जोखिमों के प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया है। महत्वपूर्ण दावों के संबंध में, हमने दावे की मात्रा, शामिल मुद्दों की प्रकृति, प्रबंधन प्रस्तुतियों की जांच की और जहां उपलब्ध हो, बाहरी साक्ष्य के साथ इसकी पुष्टि की। अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 54 शाखा कार्यालयों के प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में, हमें प्रदान किये गऐ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भरोसा किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना

अन्य सूचना के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष का कथन शामिल की गई सूचना शामिल है। परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, जब यह उपलब्ध हो और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से सुसंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या इस दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखापरीक्षा की प्रक्रिया या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। वार्षिक रिपोर्ट को

पढ़ने पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

ये समेकित वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों सहित में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में अधिनियम, की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन वित्तीय विवरणों का उपयोग होल्डिंग कंपनी के निदशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल, के चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक निदेशक मंडल या तो निगम के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

निदेशक मंडल समूह में शामिल कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे समेकित वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्चस्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूंकें, मिथ्यनिरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।

- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृश्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ

में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।

- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।

- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका ऑडिट अन्य ऑडिटरों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य ऑडिटर उनके द्वारा किए गए ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्कसंगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ संसूचित मामलों से हम ऐसे मामले निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं। जब तक कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक विगोपन से विवर्जित नहीं करते या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यह आशा है कि वे इस संसूचन के सार्वजनिक हित लाभ को तर्कसंगत ढंग से समाप्त कर देंगे।

अन्य मामले

1. समेकित वित्तीय विवरणों में इसकी सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को 1324.29 लाख की कुल संपत्ति (समेकन समायोजन से पहले), 726.03 लाख का कुल राजस्व (समेकन समायोजन से पहले), कुल शुद्ध दर्शाते हैं। उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (समेकन से पहले) रू. 374.69 लाख, कुल व्यापक आय रू. 374.68 लाख और शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह (समेकन समायोजन से पहले) रू. 312.13 लाख, जिनका इसके स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह सहायक कंपनी के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं पर आधारित है जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है।

2. हमने निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए उन 54 शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के समेकित वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 3,13,365.73 लाख रू. और उस तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में यथानिर्धारित 3,22,169.14 लाख रुपए का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसाकि वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों जिनकी नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों का संबंध है, यह पूर्णतः उन शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों और उनकी रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर और सहायक कंपनी के अलग–अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य ऑडिटरों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और मांगे हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया गया है, जहाँ तक उन लेखा बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उद्देश्य के लिए तैयार किए गए लेखा बहियों की प्रासंगिक प्रलेखों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और उसके तहत जारी प्रासंगिक नियम का अनुपालन करते हैं।

(ड़) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में **अनुबंध "ख"** के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, निदेशकों को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। और

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें।

(ii) निगम के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थीं।

(iii) कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(iv) (क) संबंधित प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं सहित ('मध्यवर्ती संस्थाएँ'), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा किसी भी फंड को अग्रिम तौर पर दिया या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत, या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है, कि मध्यवर्ती संस्था; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों' को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा;

(ख) संबंधित प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं (पोषक पार्टियां') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषक पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें उन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदित, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रदान किया गया है।

(v) वर्ष के दौरान, निगम ने अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में लागू सीमा से संबंधित लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच और अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए 54 शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट पर विचार करना शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जो इसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्डिंग (लॉग संपादित करें) सुविधा की सुविधा है और यह लेखांकन सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होती है। अपनी प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से लागू है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड प्रतिधारण के

लिए वैधानिक आवश्यकताएँ 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

2. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदश, 2020 (''आदेश'' / ''सीएआरओ'') के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। अधिनियम, ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों के संबंधित ऑडिटर द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम निम्नअनुसार रिपोर्ट करें:

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कारो रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियाँ, योग्यताएँ या प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं:

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रकृति संबंधी	सीएआरओ रिपोर्ट की खंड संख्या जो योग्य है या प्रतिकूल है
1	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	i(ग), iii(घ) & vii(ख)
2	एनएसआईसी वेंचर केपिटल फंड लिमिटेड	सहायक	vii(क)

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012**बीकेडीजेडएमएक्स**6975

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06.08.2024

अनुबंध 'क' 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण पर समूह के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (इसके बाद ''होल्डिंग कंपनी'' के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ ''होल्डिंग कंपनी' 'समूह के रूप में जाना जाता है) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है। ") 31 मार्च 2024 तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संयोजन में।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के सनदी लेखाकार ('आईसीएआई')। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय निगम के आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय

विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:

(1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो,

(2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है, और

(3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर था। कंपनी आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट तकनीकी केंद्रों और सहायक कंपनी सहित 54 शाखा कार्यालयों के वित्तीय विवरणों से संबंधित है, जिनका ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसी शाखाओं/सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय सशोधित नहीं है.

अरूण कुमार अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003917एन

ह.
लोकेश कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता सं. 413012
यूडीआईएन नः 24413012**बीकेडीजेडएमएक्स**6975

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06.08.2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी–1: कारपोरेट सूचना और तैयारी का आधार

1. कारपोरेट जानकारी

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे "एनएसआईसी" या "निगम" कहा जाता है) को वर्ष 1955 में अधिनिगमित किया गया था। एनएसआईसी भारत में अधिवासित और निगमित है (सीआईएन संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शासित है और यह भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के साथ प्रमाण पत्र संख्या एन.14.03090 दिनांक 29/12/2005के साथ पंजीकृत एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकारकर्ता गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है तथा यह स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) के अनुसार एनबीएफसी–मध्य परत वर्गीकरण में आता है: आरबीआई द्वारा अधिसूचित एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जिसकी घोषणा आरबीआई/2021:22/112 डीओआर. सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से की गई थी और जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है। ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) के साथ पंजीकृत लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड 335800935क्यूडी3एलजेजीओएलजेड39 है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत भारत सरकार का9001–2015 प्रमाणित 'मिनी रत्न श्रेणी–1' उद्यम है।

एनएसआईसी अपने विभिन्न कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने और उनके संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के साथ सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य सहायता सेवा के तहत एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करता है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ('एनवीसीएफएल' या 'सहायक कंपनी' के रूप में संदर्भित), भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त 2020 को शामिल किया गया था। कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ('एनएसआईसी'), भारत सरकार का एक उद्यम है, और पंजीकरण संख्या IN/AIF2/21–22/ के तहत SEBI (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। 0924 दिनांक 01/09ध्2021. इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और एनवीसीएफएल इसके योगदानकर्ता हैं और इसे एक अलग 'व्यक्ति संघ' के रूप में माना जाता है। योजना का उद्देश्य एमएसएमई को इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से विकास पूंजी के रूप में समर्थन के प्रावधान के लिए डिफॉल्टर फंडों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

इन एकल वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 6 अगस्त, 2024 को अनुमोदित किया गया तथा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया ।

2. अनुपालन का कथन

निगम के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों को और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

निगम के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय (जब तक अन्यथा न बताया जाए) के अंतर्गत सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन की

प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (जिसे ''इंड एएस'' कहा जाता है), यथासंशोधित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

3. नए एवं संशोधित भारतीय लेखांकन मानक जो चालू वर्ष के लिए प्रभावी हैं

31 मार्च 2023 को, कारपोरेट कार्यमंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन करते हुए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया। ये संशोधन 1 अप्रैल 2023, अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24 से लागू होंगे।

क. भारतीय लेखांकन मानक 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में संशोधनः इन संशोधनों के अनुसार कंपनियों को अपने वित्तीय विवरणों में 'भौतिक लेखांकन नीतियों' का प्रकटीकरण करना होगा, जबकि पहले 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता थी। 'महत्वपूर्ण' शब्द को 'भौतिक' से प्रतिस्थापित किया गया है। लेखांकन नीति की जानकारी भौतिक है, यदि निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य सूचनाओं के साथ विचार किए जाने पर, इससे उचित रूप से उन निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याषा की जा सकती है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया करते हैं। तदनुसार, बेहतर स्पष्टता और प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को आवश्यकतानुसार पुनः तैयार/पूरित किया गया है।

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 द्वारा यथासंशोधित भारतीय लेखाकन मानक 1 के दिनांक 01.04.2023 से लागू होने से पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख. भारतीय लेखाकन मानक 8 लेखांकन नीतियों में संशोधन, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ – लेखांकन अनुमानों की परिभाषाः संशोधन लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को लेखांकन अनुमानों की परिभाषा से प्रतिस्थापित करते हैं। नई परिभाषा के अनुसार, लेखांकन अनुमान ''वित्तीय विवरणों में मौद्रिक राशियाँ हैं जो माप अनिश्चितता के अधीन हैं''। लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा का विलोप कर दिया गया है।

4. तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। भारतीय लेखाकन मानक के तहत उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर आधारित होता है कि उचित मूल्य माप के इनपुट किस हद तक अवलोकनीय हैं और उचित मूल्य माप के इनपुट का संपूर्ण रूप से कितना महत्व है, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया हैः

- स्तर 1 इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन पर कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि को पहुंच है;
- स्तर 2 इनपुट , स्तर 1 में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकनीय हैं;और
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्तियों या देनदारियों के मूल्यांकन के लिए अप्रमाणित इनपुट हैं।

निगम नियमित रूप से विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों पर विचार करके यह आकलन करता है कि क्या वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से उसके सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने की उचित आशा की जा सकती है। इस तरह

के आकलन में उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, साथ ही कंपनी की अपनी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है। वित्तीय विवरण उन उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों का उचित ज्ञान होता है और जो जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा और विश्लेषण करते हैं। कई बार, भली–भांति सूचित और परिश्रमी उपयोगकर्ताओं को भी जटिल आर्थिक घटनाओं के बारे में जानकारी समझने के लिए सलाहकार की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है।

हालाँकि, एनवीसीएफएल को मास्टर डायरेक्शन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट, जैसा कि समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, एनवीसीएफएल ने डिवीजन III का पालन किया है। 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IIIA डिवीजन III कंपनियों (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 में परिभाषित एनबीएफसी पर लागू होता है जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियां और एनवीसीएफएल की स्थापना की गई थी। एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। के खंड ।।। के पैरा 5 के अनुसार निकटतम लाख और दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है, जैसा कि अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1022 (v), दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 (11–10–2018 से प्रभावी) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है ।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में एनएसआईसी और इसकी सहायक कंपनी – एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सामूहिक रूप से ''निगम'' के रूप में संदर्भित) के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

समेकन के सिद्धांत

इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में, सहायक कंपनियों में निवेश का हिसाब भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 110, समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

अप्राप्त लाभ या हानि के साथ–साथ सभी महत्वपूर्ण अंतर–समूह शेष/लेनदेन को समाप्त करने के बाद, संपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर सहायक कंपनियों को लाइन–दर–लाइन आधार पर समेकित किया गया है, सिवाय इसके कि कहां लागत वसूल नहीं की जा सकती.

जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में लेनदेन और अन्य घटनाओं जैसी समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और जहां तक संभव हो, मूल कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए गए हैं। लेखांकन नीतियों में अंतर का अलग से खुलासा किया गया है (यदि कोई हो)।

5. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

टिप्पणी 2 में वर्णित निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने मेंप्रबंधन को ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है (अनुमानों से संबंधित निर्णयों के अलावा) जिनका मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों के बारे में अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो अन्य स्रोतों से स्पष्ट रूप से प्रदर्षित नहीं होती हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उसी अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधि में यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय

अनुमानों से संबंधित निर्णयों के अलावा (जिन्हें नीचे अलग से प्रस्तुत किया गया है)निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो प्रबंधन ने निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(i) निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि के समय का निर्धारण करने में निर्णयः

प्रबंधन ने भारतीय लेखाकन मानक 115 में निर्धारित राजस्व की पहचान के लिए विस्तृत मानदंडों पर विचार किया और विशेष रूप से इस पर कि क्या निगम ने किसी समय बिंदु पर या समय के दौरान अपने निष्पादन दायित्वों को पूरा किया है। निगम के वितरण के दायरे की विस्तृत समझ के बाद, प्रबंधन संतुष्ट है कि निष्पादन दायित्वों को पूरा किया गया है और चालू वर्ष मे निम्नलिखित के संबंध में राजस्व की इसी तरह की मान्यता उचित हैः

- एकल बिन्दु पंजीकरण योजना में नये पंजीकरण/नवीनीकरण/संशोधन हेतु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर;
- इकाई की सदस्यता के सक्रियण पर डीएसएफ योजना के तहत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) का सदस्यता शुल्क;
- समय के साथ प्रशिक्षण गतिविधियाँ;
- परीक्षण और कार्य पूरा होने पर सामग्री परीक्षण शुल्क, कार्य प्रभार, एनटीएससी में मशीनों पर मशीनिंग सुविधा आदि;
- समय के साथ टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी।
- फंड द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति (एसआरआई फंड एनवीसीएफएल)

(ii) व्यवसाय मॉडल मूल्यांकनः

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन एसपीपीआई और व्यवसाय मॉडल परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। निगम व्यवसाय मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करता है जो दर्शाता है कि किसी विशेष व्यवसाय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों को एक साथ कैसे प्रबंधित किया जाता है। निगरानी निगम के निरंतर मूल्यांकन का हिस्सा है कि क्या वह व्यवसाय मॉडल जिसके लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियाँ रखी गई हैं, उचित है और यदि यह उचित नहीं है तो क्या व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव हुआ है और इसलिए उन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में संभावित बदलाव हुआ है। प्रस्तुत अवधि के दौरान ऐसे किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं थी।

(iii) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धिः

ईसीएल को चरण 1 परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने के ईसीएल के बराबर भत्ते के रूप में मापा जाता है, या चरण 2 या चरण 3 परिसंपत्तियों के लिए आजीवन ईसीएल के रूप में मापा जाता है। एक परिसंपत्ति चरण 2 में तब जाती है जब उसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक पहचान के बाद से काफी बढ़ गया हो। इंड एएस 109 यह परिभाषित नहीं करता है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि क्या है। यह आकलन करने में कि क्या किसी परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, निगम गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उचित और समर्थन योग्य अग्रगामी जानकारी को ध्यान में रखता है।

(iv) यह पहचानने में निर्णय कि क्या अनुबंध में पट्टा शामिल हैः

जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निगम सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और उसके अनुरूप पट्टा दायित्व को मान्यता देता है, जिसमें वह पट्टेदार है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (जैसे टैबलेट और व्यक्तिगत कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएंऔर टेलीफोन) के पट्टों को छोड़कर।

अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं, तथा रिपोर्टिंग अवधि में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रेणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, की चर्चा नीचे की गई है।

(i) कराधान प्रावधानः

निगम का वर्तमान कर प्रावधान, भारतीय लेखाकन मानक 12 के परिशिष्ट ग के अनुसार कर की राशि के प्रबंधन के आकलन से संबंधित है।

(ii) निगम के निर्धारित लाभ दायित्व की वहन राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरः

निगम के निर्धारित लाभ दायित्व का निर्धारण कुछ मान्यताओं पर निर्भर करता है, जिसमें छूट दर का चयन शामिल है। छूट दर सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। बॉन्ड को उस संख्या में शामिल करने के लिए मानदंड निर्धारित करते समय महत्वपूर्ण मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है जिससे प्रतिफल वक्र प्राप्त होता है। इन मान्यताओं को अनुमान अनिश्चितता का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है क्योंकि उपयोग की गई मान्यताओं में अपेक्षाकृत छोटे बदलावों का अगले वर्ष के भीतर निगम के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

(iii) उचित मूल्य मापन और मूल्यांकन प्रक्रियाएँः

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए निगम की कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रबंधन उचित मूल्य माप के लिए उचित मूल्यांकन तकनीकों और इनपुट का निर्धारण करता है।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, निगम बाजार–अवलोकन योग्य डाटा का उपयोग करता है, जहाँ तक वह उपलब्ध है। जहाँ स्तर 1 इनपुट उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ निगम मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष के योग्य मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए निजी इक्विटी निवेशों और गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन विशेष रूप से एक या अधिक अप्रमाणित इनपुट में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर यथोचित रूप से संभव माना जाता है। इन परिसंपत्तियों की वहन राशियों और अप्रमाणित इनपुट में परिवर्तनों के प्रति उन राशियों की संवेदनशीलता के बारे में आगे की जानकारी टिप्पणी 7 में दी गई है।

टिप्पणी 2 : भौतिक लेखांकन नीतियां

1. नकदी प्रवाह विवरण

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए की जाती है, जिसमें कर–पूर्व लाभ को निम्नलिखित के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता हैः (i) गैर–नकद प्रकृति के परिचालन प्राप्य और देय लेनदेन में अवधि के दौरान परिवर्तन; (ii) गैर–नकद मदें जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित कर, अप्राप्त लाभ और हानि; और (iii) अन्य सभी मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव नकदी प्रवाह का निवेश या वित्तपोषण कर रहे हैं।

2. सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए रखी गई भूमि और भवन, जिसमें दूसरों को किराये पर देना (निवेश संपत्तियों को छोड़कर) शामिल है, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, को तुलन–पत्र में उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या अभी तक निर्धारित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियों को लागत पर रखा जाता है, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटा दिया जाता है। इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, अन्य संपत्ति परिसंपत्तियों के समान ही निर्धारित किया जाता है, तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं।

फ्री होल्ड भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

पट्टे पर दी गई भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान किया जाता है।

संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर और फिटिंग्स को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2001 तक अर्जित पट्टा परिसंपत्तियों में से पट्टा परिसंपत्तियों और जब्त पट्टा परिसंपत्तियों का लेखांकन लागत, संचित शेष मूल्यह्रास, पट्टा टर्मिनल समायोजन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

मूल्यह्रास को इस तरह से मान्यता दी जाती है कि परिसंपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि, पट्टाधारी परिसंपत्तियों और 31 मार्च 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत या मूल्यांकन को सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके उनके उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर पश्चलेखित किया जा सके। 31 मार्च 2001 तक अधिग्रहित पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से पट्टाधारी परिसंपत्तियों और जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित कम मूल्य विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। निगम ने मूल्यह्रास की विधि को इस तरह से चुना है कि यह परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को सबसे करीब से दर्शाती हो।

क्रम सं.	परिसंपत्ति का प्रकार	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
i.	भवन आरसीसी फ्रेम संरचना	60 वर्ष	1.58%	5% मूल लागत का
ii.	भवन आरसीसी फ्रेम संरचना के अतिरिक्त	30 वर्ष	3.17%	5% मूल लागत का
iii.	भवन अस्थायी ढांचे	3 वर्ष	31.67%	5% मूल लागत का
iv.	सड़कें–कापेर्टिड – आर.सी.सी.	10 वर्ष	9.50%	5% मूल लागत का
v	सड़कें– कापेर्टिड – आर.सी.सी. के अलावा	5 वर्ष	19.00%	5% मूल लागत का
vi.	सड़कें– गैर–कापेर्टिड	3 वर्ष	31.67%	5% मूल लागत का
vii.	संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	6.33%	5% मूल लागत का
viii.	फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष	9.50%	5% मूल लागत का
ix.	वाहन – दुपहिया	10 वर्ष	9.50%	5% मूल लागत का
x.	वाहन – चार पहिया	8 वर्ष	11.88%	5% मूल लागत का
xi.	कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	19.00%	5% मूल लागत का
xii.	अंत उपयोगकर्ता उपकरण जैसे प्रोसेसिंग यूनिट, कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि	3 वर्ष	31.67%	5% मूल लागत का
xiii.	सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	15.83%	5% मूल लागत का
xiv.	विद्युत वितरण संयंत्र	35 वर्ष	2.71%	5% मूल लागत का
xv.	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण	10 वर्ष	9.50%	5% मूल लागत का
xvi.	ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेज (पीवी) प्रणाली	25 वर्ष	3.80%	5% मूल लागत का
xvii	मोबाइल फोन उपकरण	2 वर्ष	49.50%	1/-

अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, तथा अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को संदर्षी आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

0.10 लाख रुपये तक की लागत वाले पीपीई का उपयोग के लिए तैयार होने पर खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया जाता है, तथा मूल लागत का 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के रूप में रख लिया जाता है, सिवाय मोबाइल फोन उपकरणों के, जहां 1 रुपये अवशिष्ट मूल्य के रूप में रख लिया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि की अल्प अवधि या अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है। यदि पट्टे में अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है या उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि निगम खरीद विकल्प का प्रयोग करने की प्रत्याशा करता है, तो संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास अंतर्निहित

परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

3. बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ

बिक्री के लिए धारितपरिसंपत्तियों (और निपटान समूहों) को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब बिक्री अत्यधिक संभावित हो और परिसंपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो। बिक्री के अत्यधिक संभावित होने के लिए, प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए योग्य होने की प्रत्याषा की जानी चाहिए।

4. पट्टें

(क) निगम पट्टेदार के रूप में

एनएसआईसी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। निगम सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है, जिसमें वह पट्टेदार है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (जैसे टैबलेट और व्यक्तिगत कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) के पट्टों को छोड़कर। इन पट्टों के लिए, निगम पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देता है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा अवधि से तात्पर्य उस निरस्त न की जा सकने वाली अवधि से है जिसके लिए पट्टेदार को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार होता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान आरंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो निगम अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है। इसे तब फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, या अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है, या इस बात के आकलन में परिवर्तन होता है कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

पट्टा दायित्व को बाद में पट्टा दायित्व पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके (प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके) मापा जाता है, तथा किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाया जाता है।

निगम पट्टा देयता का पुनर्मापन करता है (तथा संबंधित उपयोग–अधिकार परिसंपत्ति में तदनुरूपी समायोजन करता है) जब भीः

- पट्टे की अवधि बदल गई है या कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप खरीद विकल्प के प्रयोग के मूल्यांकन में परिवर्तन हुआ है, ऐसी स्थिति में संशोधित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है;
- सूचकांक या दर में परिवर्तन या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के तहत अपेक्षित भुगतान में परिवर्तन के कारण पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, ऐसे मामलों में पट्टा देयता को

अपरिवर्तित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर पुनः मापा जाता है (जब तक कि पट्टा भुगतान में परिवर्तन फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तन के कारण न हो, ऐसे मामले में संशोधित छूट दर का उपयोग किया जाता है);

- एक पट्टा अनुबंध को संशोधित किया जाता है और पट्टा संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं गिना जाता है, ऐसी स्थिति में पट्टा देयता को संशोधन की प्रभावी तिथि पर संशोधित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर संशोधित पट्टे की पट्टा अवधि के आधार पर पुनः मापा जाता है।

निगम ने प्रस्तुत अवधि के दौरान ऐसा कोई समायोजन नहीं किया। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में संबंधित पट्टा देयता का प्रारंभिक माप, आरंभिक दिन पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान, प्राप्त किए गए किसी भी पट्टा प्रोत्साहन और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाना शामिल है। उन्हें बाद में लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि को घटाकर मापा जाता है।

परिवर्तनीय किराए जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन में शामिल नहीं किया जाता है। संबंधित भुगतानों को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वह घटना या स्थिति होती है जो उन भुगतानों के प्रारंभ होने का कारण बनती है और उन्हें लाभ या हानि में ''अन्य व्यय'' पंक्ति में शामिल किया जाता है (टिप्पणी 30 देखें)।

एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, भारतीय लेखाकन मानक 116 पट्टेदार को गैर–पट्टा घटकों को अलग न करने की अनुमति देता है, और इसके बजाय किसी भी पट्टे और उससे जुड़े गैर–पट्टा घटकों को एक ही व्यवस्था के रूप में लेखांकित करने की अनुमति देता है। निगम ने इस व्यावहारिक उपाय का उपयोग नहीं किया है। ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें पट्टा घटक और एक या अधिक अतिरिक्त पट्टा या गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, निगम पट्टा घटक के सापेक्ष एकल मूल्य और गैर–पट्टा घटकों के कुल एकल मूल्य के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक को अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करता है।

(ख) निगम पट्टादाता के रूप में

निगम अपनी कुछ निवेश संपत्तियों के संबंध में पट्टादाता के रूप में पट्टा समझौते करता है।

जिन पट्टों के लिए निगम पट्टादाता है, उन्हें वित्त याप्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निगम ने केवल दीर्घकालिकप्ररिचालन पट्टे पर ही हस्ताक्षर किये हैं।

परिचालन पट्टों से प्राप्त किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रचालन पट्टे पर मोल–भाव करने और उसे व्यवस्थित करने में होने वाली आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ दिया जाता है और पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

जब किसी अनुबंध में पट्टा और गैर–पट्टा दोनों घटक शामिल होते हैं, तो निगम अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक घटक को प्रतिफल आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकन मानक 115 लागू करता है।

5. अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियाँ

सीमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त संपत्तियाँ जो अलग से अधिग्रहित की जाती हैं, उन्हें संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। परिशोधन को 1/– रुपए के अवशिष्ट मूल्य के रूप में बनाए रखने के बाद पाँच वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, जहाँ सॉफ्टवेयर का जीवन पाँच वर्ष से कम है, वहाँ लागत को ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है (टिप्पणी 12 में प्रकटीकरण किया गया है)

अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, तथा अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

क्रम सं.	परिसंपत्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
i.	अमूर्त पीपीई – साफ्टवेयर	5 प्रतिशत	20.00%	₹ 1/-
ii.	वेबसाइट	5 वर्ष	20.00प्रतिशत	₹ 1/-

सबस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदे गए सॉफ्टवेयर, जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक नहीं किया जाना अपेक्षित है, को सबस्क्रिपषन अवधि के दौरान लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

6. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

यह आकलन करने के लिए कि क्या आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति मान्यता के मानदंडों को पूरा करती है, निगम परिसंपत्ति के सृजन को इस प्रकार वर्गीकृत करता है:

(क) अनुसंधान चरण; तथा

(ख) विकास चरण।

यदि निगम अमूर्त परिसंपत्ति बनाने के लिए आंतरिक परियोजना के अनुसंधान चरण को विकास चरण से अलग नहीं कर सकता है, तो वह उस परियोजना पर व्यय को इस प्रकार मानता है मानो वह केवल अनुसंधान चरण में ही किया गया हो।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

विकास से उत्पन्न (या किसी आंतरिक परियोजना के विकास चरण से) आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है, जब निम्नलिखित स्थितियाँ प्रदर्शित की गई हों:

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि वह उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो सके
- अमूर्त परिसंपत्ति भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ कैसे उत्पन्न करेगी

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए आरंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि उस तिथि से किए गए व्यय का योग है जब अमूर्त परिसंपत्ति पहली बार उपरोक्त सूचीबद्ध मान्यता मानदंडों को पूरा करती है। जहां किसी आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है, वहां विकास व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह व्यय किया गया है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर सूचित किया जाता है, उसी आधार पर जिस आधार पर अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को सूचित किया जाता है।

क्रम सं.	परिसंपत्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
i.	अमूर्त पीपीई – साफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	₹ 1/-
ii..	वेबसाइट	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	₹ 1/-

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न प्राप्त हो जाए कि निगम उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगा और अनुदान प्राप्त हो जाएगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ या हानि के रूप में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें निगम उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदानों का उपयोग किया जाता है।

विशेष रूप से, सरकारी अनुदान, जिसकी प्राथमिक शर्त यह है कि निगम को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों (जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं) को खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहिए, को तुलन–पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ या हानि में स्थानांतरित किया जाता है।

सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या निगम को बिना किसी

भविष्य संबंधी लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, उन्हें उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे प्राप्त होते हैं।

'एसपीआरएस योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क', 'एसपीआरएस योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत निरीक्षण शुल्क' (वहां लागू होता है जहां निरीक्षण केवल एनएसआईसी अधिकारियों द्वारा किया जाता है और पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों द्वारा नहीं), 'बी2बी योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क', 'क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुल्क (एनएसएसएच)', 'कार्यालय परिसर का किराया–एनएसएसएचओ' (वहां लागू होता है जहां संपत्ति एनएसआईसी के स्वामित्व में है और जहां बाहरी व्यक्ति को किराया नहीं दिया जाता है) के लिए शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को समूह शीर्ष ''एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, किराया आदि'' के अंतर्गत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में लिया जाता है और मान्यता प्राप्त अनुदान आय से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना आदि के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि को समूह शीर्ष ''एटीआई के अंतर्गत प्रषिक्षण शुल्क'' के अंतर्गत प्रयुक्त अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यताप्राप्त अनुदान आय में से घटा दिया जाता है।

इसी प्रकार, पीएमएसएस योजना के अंतर्गत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को भी समूह शीर्ष "बी2बी योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि" के अंतर्गत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में लिया जाता है तथा इसे मान्यता प्राप्त अनुदान आय से घटा दिया जाता है।

चूंकि निगम पहले से ही वाणिज्यिक आधार पर ऊपर बताई गई सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तथापि, एससी/एसटी इकाइयों के मामले में, निगम की वाणिज्यिक फीस एससी/एसटी एमएसई इकाइयों के बदले भारत सरकार द्वारा भुगतान की जा रही है। इसलिए, ऊपर उल्लिखित सभी प्रतिपूर्तियों को भी 'सेवाओं की बिक्री' के अंतर्गत संबंधित शीर्षों के वाणिज्यिक राजस्व के रूप में माना जाता है।

निगम को किसी भी सरकारी प्रचार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमति दिए गए प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, तो स्वीकृत दिशा–निर्देशों के अनुसार, खर्च की गई राशि (मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग सहायता, निगम के वाणिज्यिक राजस्व, आदि पर खर्च की गई राशि को छोड़कर) पर, समूह शीर्ष "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)" के तहत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यता प्राप्त अनुदान राजस्व से तदनुसार घटाया जाता है। चूंकि, यह निगम का वाणिज्यिक राजस्व है, इसलिए इसे 'सेवाओं की बिक्री' के तहत समूह शीर्ष "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)" के तहत वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी दर्शाया गया है।

एटीआई और एनएसएसएच योजना के अंतर्गत प्रषिक्षण के कारण व्यय किए गए प्रत्यक्ष वास्तविक व्यय, यदि कोई हो, को संबंधित शीर्ष के प्राकृतिक लेखा शीर्ष के अंतर्गत वाणिज्यिक व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

अनुदान की मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को भारत सरकार से अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे भारत सरकार को देय राशि के रूप में दर्शाया जाता है।

यदि विभिन्न प्रोत्साहन गतिविधियों के अग्रिम खातों के अंतर्गत शुद्ध परिणाम "घाटा" है, तो इसे वित्तीय परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत "अनुदान में घाटे के लिए भारत सरकार से प्राप्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है और यदि "अधिशेष" है, तो इसे वित्तीय देयताओं के शीर्ष के अंतर्गत "अनुदान में अधिशेष के लिए भारत सरकार को देय राशि" के रूप में दर्शाया जाता है।

8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, निगम अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में

हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि को उचित मूल्य में से बिक्री लागत (एफवीएलसीएस) या उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, उसके आधार पर मापा जाता है। जहां, एफवीएलसीएस उपलब्ध नहीं है, तो उपयोग में मूल्य को वसूली योग्य राशि माना जाता है। यदि उपयोग में मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है और ऐसी परिसंपत्ति की हानि नकद–उत्पादक इकाई में की जाएगी। जहां परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है, वहां निगम उस नकदी–उत्पादक इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। जब आवंटन का एक उचित और सुसंगत आधार पहचाना जा सकता है, तो कारपोरेट परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत नकद–उत्पादक इकाइयों को भी आवंटित किया जाता है, या अन्यथा उन्हें नकद–उत्पादक इकाइयों के सबसे छोटे समूह को आवंटित किया जाता है, जिसके लिए एक उचित और सुसंगत आवंटन आधार पहचाना जा सकता हो।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। क्षति हानि को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में क्षति हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाता है और इस सीमा तक कि क्षति हानि संबंधित पुनर्मूल्यांकन अधिशेष से अधिक है, अतिरिक्त क्षति हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

जहां एक क्षति हानि बाद में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है, परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस तरह कि बढ़ी हुई वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) के लिए पिछले वर्षों में कोई क्षति हानि नहीं पहचानी गई होती। क्षति हानि के प्रत्यावर्तित होने को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, इस सीमा तक कि यह उस क्षति हानि को समाप्त कर देता है जिसे पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए पहचाना गया है। इस राशि से अधिक की किसी भी वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

9. मालसूची

मालसूची को लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर दर्शाया जाता है। लागत में प्रत्यक्ष सामग्री और, जहाँ लागू हो, प्रत्यक्ष श्रम लागत और वे ओवरहेड शामिल हैं जो मालसूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च किए गए हैं। लागत की गणना एफआईएफओ पद्धति का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा होने की सभी अनुमानित लागतों को घटा कर दर्शाता है।

मालसूची में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) स्टेशनरी और विविध वस्तुओं का स्टॉक।

(ii) भंडार, उपकरण, मापन उपकरण।

(iii) पारगमन में होने वाली वस्तुएं।

(iv) वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित तैयार माल का स्टॉक।

(v) किराया खरीद (एचपी) और समग्र सावधि ऋण (सीटीएल) के तहत पुनः प्राप्त/जब्त/अभ्यर्पणकी गई मशीनों का स्टॉक।

(vi) उपकरण पट्टे के अंतर्गत पुनः कब्जा की गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित की गई मशीनों का स्टॉक, जहां परिसंपत्तियां 01.04.2001 को या उसके बाद दी गई हों।

(vii) अप्रचलित एवं अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ।

10. राजस्व मान्यता

निगम निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों से राजस्व प्राप्त करता है:

- कच्चे माल का वितरण, कच्चे माल की सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल छूट, विपणन के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियाँ;
- एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण शुल्क;
- डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क;
- प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सामान्य सुविधाएँ;
- तकनीकी इन्क्यूबेशन सेंटर (टीआईसी) इकाइयों से रॉयल्टी आय;
- पट्टे पर देना।

राजस्व को उस मूल्य (अर्थात, लेन–देन मूल्य) के आधार पर मापा जाता है, जिसके लिए निगम को ग्राहक के साथ अनुबंध में हकदार होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि जैसे जीएसटी शामिल नहीं है। निगम राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह किसी उत्पाद या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करता है।

निगम लेन–देन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और अपनी परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करता है। ग्राहक द्वारा दिए गए प्रतिफल की प्रकृति, समय और राशि, लेन–देन मूल्य के अनुमान को प्रभावित करते हैं।

ब्याज राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिस सीमा तक अनुबंध परिसंपत्ति (या प्राप्य) को ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए लेखांकन में मान्यता दी जाती है। भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिकलित ब्याज को लाभ या हानि में मान्यता दी जानी चाहिए।

विपणन, कच्चे माल की सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता और बिल छूट के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियाँ

i. ऋण और अग्रिम के संबंध में ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्रदान की जाती है। निगम की विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के तहत दंडात्मक ब्याज/विलंबित भुगतान पर ब्याज/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज, जहाँ भी वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है, उसे उसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है। जहाँ इकाई के खाते फ्रोजन हैं, वहाँ इकाई के खाते पर कोई और ब्याज नहीं लगाया जाता है।

ii. मास्टर निदेश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी –प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार, ऋण और अग्रिम के एनपीए बन जाने की तिथि से किसी ब्याज आय को मान्यता नहीं दी जाती है।

iii. एनपीए खातों के मामले में अर्जित लेकिन वसूल न किए गए ब्याज को रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज आय से 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत (पीआईएस)' के रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है और तदनुसार कुजल बकाया राशि से घटा दिया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां लागू बीजी की आय रिपोर्टिंग तिथि तक प्राप्त नहीं हुई हो।

iv. बैंक गारंटी (बीजी) को भुनाए जाने पर पर, इकाई का खाता बीजी जारी करने वाले बैंक के साथ अपना दावा पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से फ्रीज कर दिया जाता है और कुल बकाया राशि में शामिल अर्जित लेकिन वसूल न किया गया ब्याज, यदि कोई हो, को ब्याज आय से 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज सस्पेंस (पीआईएस)' के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। वर्ष के अंत में, यदि निगम के नामित बैंक खाते में भुनाई गई बीजी की आय प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी राशि को ''बैंक से प्राप्तियां'' के रूप में माना जाता है। हालाँकि, जहाँ बैंक भुनाई गई बैंक

गारंटियों की आय जारी करने में देरी करता है, तो दावा दायर करने की तिथि से निगम के नामित बैंक खाते में आय प्राप्त होने की तिथि तक विलंबित अवधि के लिए ब्याज, यदि कोई हो, तो इसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

v. ब्याज आय (एनवीसीएफएल) सावधि जमा पर ब्याज आय मूल बकाया और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में समय के आधार पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्ति को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि से छूट देती है।

vi. प्रसंस्करण शुल्क को अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर बीजी के प्रति आरएमए/एडब्ल्यूआरटी/बीडी के तहत समय आनुपातिक आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

vii. आवेदन प्रसंस्करण शुल्क, जहां भी लागू हो, अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर आय के रूप में माना जाता है।

viii. किराए पर खरीद किए गए और उपकरण पट्टे पर देने के मामले में पुनः कब्जा की गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित की गई मशीनों की बिक्री आय उनके मूल्य से अधिक होने पर पुनः कब्जा/जब्ती/अभ्यर्पण की तिथि पर चूककर्ता किराएदार/पट्टेदार के खाते में समायोजित की जाती है। किराएदार/पट्टेदार से देय राशि से अधिक किसी भी अतिरिक्त राशि को बिक्री आय के उपार्जन के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

कच्चे माल का वितरण

राजस्व की गणना उस प्रतिफल के आधार पर की जाती है जिसके लिए निगम को ग्राहक के साथ अनुबंध में हकदार होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित की गई राशि जैसे कि जीएसटी शामिल नहीं है। निगम राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह किसी उत्पाद का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करता है।

एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क

एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क को केवल अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि की तिथि पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, अर्थात नए पंजीकरण/नवीनीकरण/संशोधन के लिए प्रमाण पत्र जारी करना।

डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) का सदस्यता शुल्क

डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क को केवल अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि अर्थात इकाई की सदस्यता के सक्रियण पर ही आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रबंधन शुल्क (एनवीसीएफएल)

भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों और फंड के योगदानकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, एनवीसीएफएल द्वारा एक निवेश प्रबंधन शुल्क ('प्रबंधन शुल्क') प्राप्य है। योगदान समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में एनवीसीएफएल द्वारा प्राप्य प्रबंधन शुल्क, वास्तव में निधि के निपटान में रखे गए कोष का।

फंड द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति (एसआरआई फंड एनवीसीएफएल)

प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सामान्य सुविधाएँ

प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को प्रायोजित प्रशिक्षण को छोड़कर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने तक प्रोद्भव (समय अनुपात) के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रायोजित और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण से प्राप्त राजस्व को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है और जब यह निश्चित हो जाता है कि अनुबंध/संविदा/एमओयू के निबंधनों

और शर्तों के अनुसार शुल्क वसूल किया जाएगा। सामान्य सुविधाओं (जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सामग्री परीक्षण शुल्क, जॉब वर्क शुल्क, एनटीएससी में मशीनों पर मशीनिंग सुविधा आदि शामिल हैं) से प्राप्त राजस्व को परीक्षण और जॉब वर्क के पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

तकनीकी इनक्यूबेशन सेंटर (टीआईसी) इकाइयों से रॉयल्टी आय

टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी के कारण प्राप्त राजस्व को उपार्जन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। शुल्क/रॉयल्टी को नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या, पाठ्यक्रम शुल्क और पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर मासिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

पट्टा

उपरोक्त बिंदु 4 (ख) का संदर्भ लें।

डिक्री निर्णय

जहां निगम के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई है, वहां बकाया राशि की वसूली के समय इकाई के खातों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।

11. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ में वेतन, भत्ते, वार्षिक अवकाश और बीमारी अवकाश, निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) जैसी कर्मचारी लागतें शामिल होती हैं, जो उस वर्ष के दौरान अर्जित होती हैं, जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की बिना छूट वाली राशि पर मापा जाता है।

ख) रोजगारपश्च लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

निर्धारित अंशदान योजना

निर्धारित अंशदान एक रोजगार–पश्च लाभ योजना है, जिसमें निगम विभिन्न संगठनों में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है तथा आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निगम द्वारा भविष्य निधि, पेंशन निधि, सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और परोपकार निधि (बीएफ) में किए गए अंशदान को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/देय ऐसे अंशदान को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भविष्य निधि में अंशदान एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में अंशदान ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, चिकित्सा कोष लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है जिसका उपयोग बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया जाता है। परोपकार निधि में अंशदान निधि के नियमों के अनुसार किया जाता है।

निर्धारित लाभ योजना

निर्धारित लाभ योजना, निर्धारित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार–पश्चात लाभ योजना है। निगम द्वारा दी जाने वाली उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों जैसे कि रुग्णता अवकाश और सेवानिवृत्ति पर टीए के प्रति निगम की देयता को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना जाता है।

ऐसी निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित यूनिट

क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकित लाभ और हानि शामिल हैं, को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय में। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

12. पूर्व अवधि के व्यय और आय

निगम के पिछले वर्ष के प्रचालन से प्राप्त राजस्व के 0.25 प्रतिषत से अधिक नहीं होने पर पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाएगा।

13. पूर्व प्रदत्त मदें

आगामी वित्तीय वर्ष(वर्षों) से संबंधित व्यय को केवल पूर्वभुगतान माना जाएगा, जहां भुगतान प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए से अधिक होगा।

14. कराधान

अवधि के लिए कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर, उस सीमा को छोड़कर जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहां कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि में रिपोर्ट किए गए शुद्ध लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं होती हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं होती हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। वर्तमान कर के लिए निगम की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

प्रावधान उन मामलों के लिए मान्यता प्राप्त है जिनके लिए कर निर्धारण अनिश्चित है लेकिन यह संभावित माना जाता है कि भविष्य में कर प्राधिकारी को धन का बहिर्वाह होगा। प्रावधानों को देय होने वाली अपेक्षित राशि के सर्वोत्तम अनुमान पर मापा जाता है। मूल्यांकन विशेषज्ञ स्वतंत्र कर सलाह पर आधारित है ।

आस्थगित कर

आस्थगित कर वह कर है जो वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूल किए जाने की प्रत्याषा है, और इसका लेखांकन देयता पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे परिसंपत्ति का सम्पूर्ण या आंशिक भाग वसूल किया जा सके।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है, जो उस अवधि में लागू होने की प्रत्याषा होती है जब देयता का निपटान हो जाता है या कर कानूनों (अर्थात आयकर अधिनियम, 1961) और उन दरों के आधार पर परिसंपत्ति की वसूली हो जाती है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हो चुकी हैं।

समायोजन

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर

देनदारियों के प्रति वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब वे एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हों और निगम अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का निपटान शुद्ध आधार पर करना चाहता हो।

15. सहायक कंपनियों में निवेश

निगम लागत के आधार पर सहायक कंपनियों में निवेश का लेखा–जोखा रखता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, निगम अपनी वहन राशि की समीक्षा करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई हानि का संकेत है, यदि कोई हो, तो हानि के लिए समायोजित किया जाएगा।

16. वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को निगम के तुलन–पत्र में तब मान्यता दी जाती है जब वह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन व्यापार प्राप्तियों के जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों को प्रारंभिक मान्यता पर, उचित रूप से, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर, या तो परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर उनकी संपूर्णता में मापा जाता है।

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना होता है;
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्नकरती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा किया जाता है;
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।
- डिफॉल्ट रूप से, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(i) परिशोधित लागत और प्रभावी ब्याज विधि:

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय आवंटित करने की एक विधि है।

खरीदी गई या उत्पन्न ऋण–बाधित वित्तीय परिसंपत्तियों (अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियां जो आरंभिक मान्यता पर ऋण–बाधित हैं) के अलावा अन्य वित्तीय

परिसंपत्तियों के लिए, प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों (सभी शुल्कों और भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए बिंदुओं सहित जो प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का एक अभिन्न अंग है) को छूट देती है, जिसमें अपेक्षित ऋण हानियों को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान, या जहां उपयुक्त हो, एक लघु अवधि तक, आरंभिक मान्यता पर ऋण लिखत की सकल अग्रेण गीत राशि शामिल है।

वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत वह राशि है जिस पर वित्तीय परिसंपत्ति को प्रारंभिक मान्यता में मापा जाता है, जिसमें मूलधन की चुकौती घटा दी जाती है, साथ ही उस प्रारंभिक राशि और परिपक्वता राशि के बीच किसी भी अंतर को प्रभावी ब्याज पद्ध ति का उपयोग करके संचयी परिशोधन, किसी भी हानि भत्ते के लिए समायोजित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि किसी भी हानि भत्ते के लिए समायोजित करने से पहले वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है, जिसे बाद में परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है। खरीदी गई या उत्पन्न ऋण–बाधि त वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय की गणना की जाती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जो बाद में ऋण बाधित हो गई हैं (नीचे देखें)। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो बाद में ऋण–क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय की पहचान की जाती है। यदि, बाद की रिपोर्टिंग अवधि में, ऋण–बाधित वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में सुधार होता है, ताकि वित्तीय परिसंपत्ति अब ऋण बाधित न रहे, तो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

ब्याज आय को टिप्पणी 21 के तहत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ii) एफवीटीओसीआई के रूप में नामित इक्विटी लिखत

प्रारंभिक मान्यता पर, निगम इक्विटी लिखतों में निवेश को एफवीटीओसीआई के अनुसार नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन (लिखत–दर–लिखत आधार पर) कर सकता है। यदि इक्विटी निवेश को ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है या यदि यह किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त आकस्मिक प्रतिफल है, तो एफवीटीओसीआई में नामित करने की अनुमति नहीं है।

एफवीटीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापा जाता है। इसके बाद, उन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ और हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है और निवेश पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। इक्विटी निवेश के निपटान पर संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, इसके बजाय, इसे प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

इक्विटी लिखत में इन निवेशों पर लाभांश को भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधि त्व न करें। लाभांश को टिप्पणी 21 के तहत लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

निगम ने इक्विटी उपकरणों में सभी निवेशों को, जो व्यापार के लिए नहीं रखे गए हैं, प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीओसीआई के रूप में नामित किया है (टिप्पणी 7 देखें)।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को व्यापार के लिए रखा जाता है यदि:

- इसे मुख्यतः निकट भविष्य में बेचने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है;
- प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह पहचाने गए वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिसे निगम एक साथ प्रबंधित करता है

और इसमें अल्पकालिक लाभ लेने के हाल के वास्तविक पैटर्न का साक्ष्य है;

- यह एक व्युत्पन्न है (ऐसे व्युत्पन्न को छोड़कर जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध या एक निर्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग उपकरण है)

(iii) एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल (ऊपर (प) से (पप) देखें) पर मापे जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें एफवीटीपीएल पर मापा जाता है। विशेष रूप से:

- इक्विटी लिखतों में निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि निगम एक इक्विटी निवेश को नामित नहीं करता है जो न तो व्यापार के लिए रखा जाता है और न ही प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीओसीआई के रूप में व्यवसाय संयोजन से उत्पन्न आकस्मिक प्रतिफल है

- वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड (ऊपर (प) और (पप) देखें) को पूरा नहीं करती है, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करती है, उसे प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि ऐसा निर्धारण माप या मान्यता असंगति (तथाकथित 'लेखांकन बेमेल') को समाप्त करता है या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है जो परिसंपत्तियों या देनदारियों को मापने या विभिन्न आधारों पर उन पर लाभ और हानि को पहचानने से उत्पन्न होगी। निगम ने किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया है।

  एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है, तथा किसी भी उचित मूल्य लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13.03.2020 के आधार पर, इंडएएस–109 के अनुसार ईसीएल को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय लिखतों में हानि भत्ते के रूप में मान्यता दी गई है। आरबीआई द्वारा जारी इंडएएस और आईआरएसीपी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्राप्य और ऋण और अग्रिम (ब्याज उचिन्त खाते का निवल) के लिए प्रावधान करने के वर्गीकरण और मानदंड भी इसके साथ संलग्न हैं।

निगम वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता को मान्यता देता है, जिन्हें परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई, पट्टा प्राप्तियों, व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों के साथ–साथ वित्तीय गारंटी अनुबंधों पर मापा जाता है। अपेक्षित ऋण हानियों की राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अद्यतन की जाती है।

निगम सदैव ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और पट्टा प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण घाटे (ईसीएल) की पहचान करता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण घाटे का अनुमान निगम के ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके लगाया जाता है, जिसे देनदारों, सामान्य आर्थिक स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर स्थितियों की वर्तमान और पूर्वानुमानित दिशा दोनों के आकलन के लिए समायोजित किया जाता है, जिसमें उचित होने पर धन का समय मूल्य भी शामिल है।

अन्य सभी वित्तीय लिखतों के लिए, निगम आजीवन ईसीएल को मान्यता देता है, जब प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।

आजीवन ईसीएल अपेक्षित ऋण घाटे को दर्शाता है जो किसी वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप होगा।

ऊपर उल्लिखित आरबीआई अधिसूचना दिनांक 13.03.2020 के अनुसार, वित्तपोषण योजना के तहत प्राप्तियां तथा ऋण और अग्रिम, जिसमें किराया खरीद, लीजिंग, कच्चा माल सहायता, बिल छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों से प्राप्तियां आदि के अंतर्गत बकाया राशि के संबंध में प्राप्तियां शामिल हैं, जहां इंड एएस–109 के तहत हानि भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, निगम कर के बाद अपने शुद्ध लाभ या हानि से अंतर को एक अलग 'हानि आरक्षित' में विनियोजित करता है। ऐसा हस्तांतरण लाभ के विरुद्ध प्रभार नहीं होगा; इसके बजाय, करों के पष्चात लाभ या हानि के प्रति विनियोजित किया जाएगा।

(i) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि

यह आकलन करने में कि क्या किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, निगम रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय लिखत पर होने वाले चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर वित्तीय लिखत पर होने वाले चूक के जोखिम से करता है। यह आकलन करने में, निगम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की जानकारी पर विचार करता है जो उचित और समर्थन योग्य है, जिसमें ऐतिहासिक अनुभव और भविष्य–उन्मुख जानकारी शामिल है जो बिना किसी अनावश्यक लागत या प्रयास के उपलब्ध है। विचार की जाने वाली भविष्य–उन्मुख जानकारी में उन उद्योगों की भविष्य की संभावनाएं शामिल हैं जिनमें निगम के देनदार कार्य करते हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ रिपोर्टों, वित्तीय विश्लेषकों, सरकारी निकायों, प्रासंगिक थिंक–टैंक और अन्य समान संगठनों से प्राप्त की जाती हैं, साथ ही निगम के मुख्य संचालन से संबंधित वास्तविक और पूर्वानुमानित आर्थिक जानकारी के विभिन्न बाहरी स्रोतों पर विचार किया जाता है।

विशेष रूप से, यह आकलन करते समय कि क्या प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में रखा जाता है:

- वित्तीय लिखत के बाह्य (यदि उपलब्ध हो) या आंतरिक मूल्यांकन में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण गिरावट;
- किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए ऋण जोखिम के बाह्य बाजार संकेतकों में महत्वपूर्ण गिरावट, उदाहरण के लिए ऋण प्रसार में महत्वपूर्ण वृद्धि, देनदार के लिए ऋण चूक अदला–बदली मूल्य, या समय की अवधि या वह सीमा जिस तक किसी वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य उसकी परिशोधित लागत से कम रहा है;
- व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में विद्यमान या पूर्वानुमानित प्रतिकूल परिवर्तन, जिनके कारण देनदार की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है;
- देनदार के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण गिरावट;
- उसी देनदार के अन्य वित्तीय लिखतों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि;
- देनदार के विनियामक, आर्थिक या तकनीकी वातावरण में कोई वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप देनदार की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण कमी आती है।

किसी वित्तीय लिखत में ऋण जोखिम निम्न माना जाता है यदि:

- वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम है;
- देनदार के पास निकट भविष्य में अपने संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है;
- दीर्घावधि में आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन, उधारकर्ता की संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो।

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को कम ऋण जोखिम वाला मानता है, जब परिसंपत्ति की आंतरिक रेटिंग

प्रदर्शनकारी होती है। प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति का अर्थ है कि प्रतिपक्ष के पास मजबूत वित्तीय स्थिति है या जो वैध बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है या जो लेनदारों के साथ बैक टू बैक व्यवस्था के तहत सुरक्षित है ।

वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, जिस तिथि पर निगम अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता का पक्षकार बनता है, उसे वित्तीय लिखत की हानि के आकलन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक मान्यता की तिथि माना जाता है। यह आकलन करते समय कि क्या वित्तीय गारंटी अनुबंध की प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निगम जोखिम में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करता है कि निर्दिष्ट देनदार अनुबंध पर चूक करेगा।

निगम नियमित रूप से उन मानदंडों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है, जिनका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथा उन्हें उचित रूप से संशोधित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानदंड ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की पहचान करने में सक्षम हैं।

(ii) चूक की परिभाषा

निगम आंतरिक ऋण जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को चूक की घटना मानता है, क्योंकि ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है कि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां आमतौर पर वसूली योग्य नहीं होती हैं:

- जब देनदार द्वारा वित्तीय अनुबंधों का उल्लंघन किया जाता है;
- आंतरिक रूप से विकसित या बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि देनदार द्वारा निगम सहित अपने लेनदारों को पूर्ण भुगतान करने की संभावना नहीं है (निगम द्वारा धारित किए गए किसी भी संपार्श्विक को ध्यान में रखे बिना)

(iii) ऋण–क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्ति तब ऋण–क्षतिग्रस्त होती है जब एक या एक से अधिक घटनाएँ घटित होती हैं जिनका उस वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण–क्षतिग्रस्त होने के साक्ष्य में निम्नलिखित घटनाओं के बारे में अवलोकन योग्य डाटा शामिल है:

- जारीकर्ता या उधारकर्ता की गंभीर वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि चूक या पिछली देय घटना (उपर्युक्त (पप) देखें);
- उधारकर्ता के ऋणदाता(ओं) द्वारा, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या संविदात्मक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करना, जिन पर ऋणदाता(ओं) द्वारा अन्यथा विचार नहीं किया जाता;
- यह संभावना बनती जा रही है कि उधारकर्ता दिवालियापन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा;
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए सक्रिय बाजार का लुप्त होना।

(iv) बट्टे–खाते में डाले जाने संबंधी नीति

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब बट्टे खाते में डाल देता है जब ऐसी सूचना मिलती है कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। निगम ने चूक वसूली समितियों का गठन किया है जो मामले दर मामले आधार पर ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की समीक्षा करती हैं और उन्हें बट्टे खाते में डालने की सिफारिश करती हैं। बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ अभी भी निगम की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन गतिविधियों के अधीन हो सकती हैं, जहाँ उचित हो, कानूनी सलाह को ध्यान में रखते हुए। की गई किसी भी वसूली को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(v) प्रत्याशित ऋण हानियों का मापन और पहचान

अपेक्षित ऋण घाटे का मापनचूक की संभावना, चूक के कारण हानि (अर्थात चूक होने पर नुकसान की

मात्रा) और चूक के प्रभावके आधार पर गणना किया जाने वाला होता है। ख्क की संभावना और चूक के कारण हानि का आकलन ऊपर वर्णित अनुसार अग्रगामी सूचनाओं द्वारा समायोजित ऐतिहासिक डाटा पर आधारित है। जहां तक चूक पर जोखिम की बात है, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इसे रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि द्वारा दर्शाया जाता है; वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, जोखिम में गारंटीकृत ऋण की वह राशि शामिल होती है जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक निकाला गया है, साथ ही ऐतिहासिक प्रवृत्ति, देनदारों की विशिष्ट भविष्य की वित्तपोषण आवश्यकताओं के बारे में निगम की समझ और अन्य प्रासंगिक अग्रगामी सूचनाओं के आधार पर निर्धारित चूक की तिथि तक उधारकर्ता द्वारा भविष्य में निकाले जाने की अपेक्षित कोई अतिरिक्त गारंटीकृत राशि भी शामिल होती है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याषित ऋण हानि का अनुमान अनुबंध के अनुसार निगम को देय सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और निगम द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षा की जाने वाली सभी नकदी प्रवाहों के बीच अंतर के रूप में लगाया जाता है, जिसे मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। पट्टा प्राप्य के लिए, प्रत्याषित ऋण हानियों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह, भारतीय लेखाकन मानक 116 के अनुसार पट्टा प्राप्य को मापने में उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह के अनुरूप होते हैं।

वित्तीय गारंटी अनुबंध के लिए, चूंकि निगम को गारंटीकृत लिखत की शर्तों के अनुसार देनदार द्वारा चूक की स्थिति में ही भुगतान करने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्याषित हानि भत्ता धारक को होने वाली ऋण हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान होता है, जिसमें से निगम द्वारा धारक, देनदार या किसी अन्य पक्ष से प्राप्त होने की अपेक्षा की गई राशि घटा दी जाती है।

यदि निगम ने किसी वित्तीय लिखत के लिए हानि भत्ते को पिछले रिपोर्टिंग अवधि में आजीवन ईसीएल के बराबर राशि पर मापा है, लेकिन वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करता है कि आजीवन ईसीएल की शर्तें अब पूरी नहीं होती हैं, तो निगम वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर हानि भत्ते को मापता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिनके लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।

निगम सभी वित्तीय लिखतों के लिए क्षति लाभ या हानि में लाभ या हानि को मान्यता देता है, तथा हानि भत्ता लेखे के माध्यम से उनकी अग्रेणीत राशि में संगत समायोजन करता है, सिवाय वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश के, जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है, जिसके लिए क्षति भत्ता अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है तथा ओसीआई के माध्यम से अन्य रिजर्व में संचित किया जाता है, तथा वित्तीय स्थिति के विवरण में वित्तीय परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि को कम नहीं करता है।

(ग) वित्तीय परिसंपत्तियों को विमान्य करना

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तभी विमान्य करता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य करने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश को विमान्यरद्द करने पर, ओसीआई के माध्यम से अन्य आरक्षित में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इसके विपरीत, किसी इक्विटी लिखत में निवेश को विमान्य किए जाने पर जिसे निगम ने एफवीटीओसीआई पर मापने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर चुना है, निवेश पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि उसे प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय देयताएं और इक्विटी

(i) ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकरण

ऋण और इक्विटी लिखतों को संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय दायित्व और इक्विटी उपकरण

की परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय देनदारियों या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) इक्विटी लिखत

इक्विटी लिखत कोई भी अनुबंध है जो किसी इकाई की सभी देनदारियों को घटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में शेष ब्याज को प्रमाणित करता है। निगम द्वारा जारी की गई इक्विटी लिखत को प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को घटाकर प्राप्त आय पर मान्यता दी जाती है।

(iii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्ध ति या एफवीटीपीएल का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। हालाँकि, वित्तीय देनदारियाँ जो तब उत्पन्न होती हैं जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण मान्यता समाप्ति के लिए योग्य नहीं होता है या जब निरंतर भागीदारी दृष्टिकोण लागू होता है, और निगम द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध, नीचे निर्धारित विशिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुसार मापा जाता है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियां

वित्तीय देनदारियों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वित्तीय देयता (प) किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता का आकस्मिक प्रतिफल है, (पप) व्यापार के लिए रखी गई है या (पपप) इसे एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया गया है।

वित्तीय देयता को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदिः

- इसे मुख्यतः निकट भविष्य में पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है;
- प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह पहचाने गए वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिसे निगम एक साथ प्रबंधित करता है और इसमें अल्पकालिक लाभ लेने का एक हालिया वास्तविक पैटर्न है;
- यह एक व्युत्पन्न है, सिवाय उस व्युत्पन्न के जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध या एक निर्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग लिखत है।

किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता के व्यापार या आकस्मिक प्रतिफल के लिए धारित वित्तीय दायित्व के अलावा किसी अन्य वित्तीय दायित्व को प्रारंभिक मान्यता के समय एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया जा सकता है, यदिः

- ऐसा निर्धारण माप या पहचान असंगतता को समाप्त करता है या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है जो अन्यथा उत्पन्न हो सकती है;
- वित्तीय दायित्व, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्वों या दोनों के समूह का हिस्सा होता है, जिसका प्रबंधन किया जाता है और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन निगम के प्रलेखित जोखिम प्रबंधन या निवेश रणनीति के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है, और समूहीकरण के बारे में जानकारी उस आधार पर आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है;
- यह एक या एक से अधिक एम्बेडेड व्युत्पनन वाले अनुबंध का हिस्सा बनता है, और भारतीय लेखाकन मानक 109 संपूर्ण संयुक्त अनुबंध को एफवीटीपीएल के रूप में नामित करने की अनुमति देता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, इस सीमा तक कि वे निर्दिष्ट हेजिंग संबंध का हिस्सा नहीं हैं। लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ या हानि में वित्तीय देयता पर भुगतान किया गया कोई भी ब्याज शामिल होता है और इसे लाभ या हानि में 'अन्य लाभ और हानि' में शामिल किया जाता है।

तथापि, वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया गया है, वित्तीय देनदारी के उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि जो उस देयता के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के कारण है, अन्य

व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जब तक कि अन्य व्यापक आय में देयता के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों की मान्यता लाभ या हानि में लेखांकन बेमेल उत्पन्न न कर दे या बढ़ा न दे। देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की शेष राशि को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। वित्तीय देयता के क्रेडिट जोखिम के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन जो अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है; इसके बजाय, उन्हें वित्तीय देयता की मान्यता समाप्त होने पर प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियां

वित्तीय दायित्व जो (प) किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता के आकस्मिक प्रतिफल नहीं हैं, (पप) व्यापार के लिए रखे गए हैं, या (पपप) एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट हैं, उन्हें बाद में प्रभावी ब्याज पद्ध ति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज व्यय आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय दायित्व की अपेक्षित अवधि या (जहां उपयुक्त हो) कम अवधि के दौरान, वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत पर अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान (जिसमें भुगतान या प्राप्त सभी शुल्क और अंक शामिल हैं जो प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का अभिन्न अंग हैं) को सटीक रूप से छूट देती है।

वित्तीय गारंटी अनुबंध देयताएं

वित्तीय गारंटी अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत जारीकर्ता को धारक को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए निर्दिष्ट भुगतान करने की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंध देनदारियों को शुरू में उनके उचित मूल्यों पर मापा जाता है और, यदि उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है और वे किसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो बाद में निम्न में से उच्चतर पर मापा जाता है:

- भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि (ऊपर वित्तीय परिसंपत्तियां देखें);
- प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि में से, जहां उपयुक्त हो, ऊपर निर्धारित राजस्व मान्यता नीतियों के अनुसार मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन राशि घटाई जाएगी।

वित्तीय देनदारियों को विमान्य करना

निगम वित्तीय देनदारियों को तभी अमान्य करता है, और केवल तभी, जब निगम के दायित्वों का निर्वहन, निरस्तीकरण या समाप्ति हो जाती है। विमान्य किए गए वित्तीय दायित्व की वहन राशि और भुगतान किए गए और देय प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

जब निगम मौजूदा ऋणदाता के साथ एक ऋण लिखत को दूसरे में काफी अलग शर्तों के साथ बदलता है, तो इस तरह के आदान–प्रदान को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। इसी तरह, निगम मौजूदा दायित्व या उसके हिस्से की शर्तों में पर्याप्त संशोधन को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में मानता है। यह माना जाता है कि शर्तें काफी अलग हैं यदि नई शर्तों के तहत नकदी प्रवाह का छूट वाला वर्तमान मूल्य, जिसमें प्राप्त किसी भी शुल्क का शुद्ध भुगतान शामिल है और मूल प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी गई है, मूल वित्तीय दायित्व के शेष नकदी प्रवाह के छूट वाले वर्तमान मूल्य से कम से कम 10 प्रतिशत अलग है। यदि आशोधन पर्याप्त नहीं है, तो निम्न के बीच का अंतर:

(1) आशोधन से पहले देयता की वहन राशि; और

(2) आशोधन के बाद नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य अन्य लाभ और हानि के भीतर आशोधित लाभ या हानि के रूप में लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की जाती है।

17. प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब निगम पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, यह संभव है कि निगम को उस दायित्व का निपटान करना होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। जहां प्रावधान को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है, वहां इसकी वहन राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है)।

जब किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो प्राप्य को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

यदि आवश्यक हो तो प्रबंधन द्वारा जहां भी उचित समझा जाता है, केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारों/ सरकारी संस्थाओं/सरकारी कम्पनियों तथा अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकारी विभागों/ निकायों से प्राप्तियों तथा ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधान किए जाते हैं।

निर्यात और विपणन योजना के अंतर्गत 'प्राप्तियों' के संबंध में प्राप्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जहां तक राशि 'देय' के अंतर्गत दिखाई देती है, तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक–टू–बैक व्यवस्था के अंतर्गत समान लेनदेन से संबंधित आपूर्तियों के लिए, आपूर्तिकर्ता को देय राशि के विरुद्ध समायोजित प्रसंस्करण शुल्क की सीमा तक।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय लेखाकन मानक (इंडएएस) और आईआरएसी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम (ब्याज उचंत खाते का निवल) के लिए प्रावधान करने के वर्गीकरण और मानदंड इसके साथ संलग्न हैं।

भारवान अनुबंध

भारवान अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। भारवान अनुबंध तब माना जाता है जब निगम के पास ऐसा अनुबंध होता है जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

18. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

निगम आकस्मिक देयता और/या आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण लेखाओं कीटिप्पणी में किया जाता है।

19. विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव

निगम के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निगम की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) के अलावा अन्य मुद्राओं में किए गए लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियाँ और देनदारियाँ उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित की जाती हैं। पुनः परिवर्तित होने पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। उचित मूल्य पर रखी गई गैर–मौद्रिक वस्तुएँ जो विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं, उन्हें उस तिथि पर प्रचलित दरों पर परिवर्तित किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया गया था। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी गई गैर–मौद्रिक वस्तुओं का पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता है।

लेखांकन नीति का अनुलग्नकः नोट–2– बिंदु संख्या. 16(बी)

प्राप्य और ऋणों व अग्रिमों का वर्गीकरण और प्रावधान करने के मापदंड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इण्डएएस और आईआरएसीपी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में प्राप्तियों और ऋणों व अग्रिमों (उचंत खाते के ब्याज को घटाकर) के वर्गीकरण और मानदंड निम्नानुसार हैः

1. प्रतिभूत प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम

व्यापार से प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम को ''प्रतिभूत'' के रूप में समझा जाएगा (बषर्ते कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)। इसे उस सीमा तक प्रतिभूत समझा जाएगा, जहां तक एनएसआईसी के पास नगद प्रतिभूतियां उपलब्ध हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार मूल्य/डब्लूडीवी/ऐसी परिसंपत्तियों का वचनबद्ध मूल्य (जो विधिक/जब्त किए गए मामलों से संबंधित हों) और जिनकी वित्त व्यवस्था की गई हो (जो यूनिट/एनएसआईसी के कब्जे के रूप में अभिनिर्धारित हों और उसके पास पड़े हों। यूनिट से प्राप्त अग्रिम, अग्रिम धन जमा (ईएमडी), जब्त की गई मषीनें, प्रतिफल की धनराषि, अग्रिम की किस्त/ किराया, किराएदारों से प्राप्त अग्रिम/मषीनों की खरीद पर अग्रिम, जो अचल संपत्ति का संयुक्त प्रतिभूति इक्विटेबल बंधक से प्राप्त हुई हो, सरकारी विभागों, विधिमान्य बैंक गारंटी (बीजी)/ साख पत्र (एलसी) या किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा से प्राप्त हुई हो, जो संविदा के विधिमान्य करार/ संविदा/ अधिकार/ एनएसआईसी के स्वामित्व की यूनिटों की रकम, जिनमें ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन लेनदेन भी शामिल है, उस सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया, अग्रिम (जिसकी व्यवस्था एनएसआईसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में हो, जिसके संबंध में एमएसएमई और / या बीजी पर आरएमए के अधीन स्वीकृत सीमा में से भुगतान की गई रकम, एनएसआईसी द्व ारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा और तदनुसार आपूर्तिकर्ताओं के क्रेताओं द्वारा जमा की गई रकम, जिसका प्रावधान एनएसआईसी के पास रखी गई प्रतिभूति में भी किया गया है (जिसमें संविदा के अधिकारों के अधीन प्रतिभूति जमा रकम भी शामिल है), प्रायोजित प्रषिक्षण की बकाया देयता के बराबर या 180 दिन से कम हो, विद्यमान कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारी अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है, इसमें सहायता की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार यूनिटों से प्राप्त सभी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आने वाली धनराषियों को 'अप्रतिभूत' माना जाता है।

2. वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण

इण्डएएस–109 के अनुसार प्राप्य राशि और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित वित्तीय लिखत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आईआरएसी विवेक पूर्ण मापदंड के अनुसार वित्तीय स्कीमों के वित्तीय लिखतों का आगे वर्गीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगीः

(i) व्यापार से प्राप्त होने वाली राशिः वित्तीय योजनाओं के अधीन व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि में किराया खरीद और पट्टे के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्य राशि शामिल होती है, जबकि गैर वित्तीय योजनाओं में विपणन संबंधी क्रियाकलापों और अन्य (जिनमें बिक्री सेवा संबंधी लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है) के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(ii) ऋण एवं अग्रिमः वित्त–व्यवस्था संबंधी योजनाओं के अधीन ऋण और अग्रिमों में कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल–बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, बैंक से प्राप्त राशि आदि के अधीन देयताओं संबंधी प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(iii) अन्यः गैर–वित्तीय स्कीमों के अधीन इन लिखतों में प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाला अग्रिम भी शामिल है (जिनमें निगम के साथ किए गए समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम मुख्य रूप से शामिल हैं), प्रतिभूति जमा, कर्मचारी अग्रिम, उपार्जित ब्याज, जो उस पर देय नहीं है भी शामिल है) और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

3. प्राप्त होने वाली राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधान संबंधी मापदंडः

वित्तीय लिखतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण आईआरएसी मापदंडों पर इण्डएएस–109 के अनुसार हानि भत्तों को स्वीकार करने के संबंध में विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

क) व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम की विभिन्न मदों के लिए ईसीएल–109 के संदर्भ में म्ब्स् मानदंड नीचे दर्शाए गए हैं।

(i) कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल बट्टा, बैंकों से प्राप्त होने वाली राशि और व्यापार एवं अन्य से प्राप्त होने वाली राशि के अधीन ऋण और अग्रिमः

चरण	बकाया प्राप्त राशियों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
चरण–1 (निष्पादन)	इसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है, चूंकि इनकी पहचान पहले कर ली गई थी या ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम हैं। इनमें अन्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः क) उस सीमा तक बीजी पर आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल बट्टा, जो विधिमान्य बीजी के मूल्य के अंतर्गत आती हो– हानि भत्ता निवल बकाया के 0.40 प्रतिषत की दर से ख) जहाँ निगम को कम जोखिम होने की संभावना हो, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैंः » जहाँ प्राप्त होने वाली राशि को नकद/मूर्त प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूत समझा जाता है यथा ईएमडी/अग्रिम किस्त/किराया/यूनिट से प्राप्त अग्रिम, वसूली योग्य संपार्षिक प्रतिभूति आदि। » प्रायोजित प्रषिक्षण की बकाया देयता, जो उसके बराबर या 180 दिन से कम हो » उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम, जो आपूर्तिकर्ता के साथ ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन उसी लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम तक। ऐसे मामलों में, क्योंकि यहाँ ईसीएल नहीं होता है, अतः इसमें हानि भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है।
चरण–2 (निष्पादन के अधीन)	चरण–2 के अधीन वे वित्तीय परिसंपत्तियां आती हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है, परंतु जिनमें हानि होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मामले शामिल होते हैंः– क) संपार्श्विक के प्रति आरएमए और बिल डिस्काउटिंगः लंबे समय से बंद हो गई हैं या जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चालू रखने की योजना नहीं है, लेकिन जिनके पक्ष में उस सीमा तक वसूली योग्य प्रतिभूति है जो वसूली योग्य प्रतिभूति के ऐसे मूल्य से प्रतिभूत है– निवल बकाया का 100 प्रतिशत की दर से हानिकरणछूट। ख) बैंक गारंटी के प्रति आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल डिस्काउटिंगः इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है। तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ii) **किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, आदि के अधीन प्राप्त होने वाली राशि और ऋण एवं अग्रिमः**

चरण	बकाया प्राप्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
चरण–3 (गैर निष्पादन)	चरण–3 की परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को हानि का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जो चरण 1 और 2 के अधीन नहीं आती हैं और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:– क) ऐसी योजना, जो लंबे समय से बंद पड़ी हों और जिन्हें एनएसआईसी द्वारा भविष्य में चलाने का इरादा नहीं है और जिनके पक्ष में प्राप्त होने वाली कोई प्रतिभूति नहीं है। ख) योजनाएँ यथा किराया खरीद (एचपी), पट्टा (ईएलएस), संमिश्र मियादी ऋण (सीटीएल) और मियादी ऋण (टीएल)। ग) ऐसी योजना, जिनमें कोई कपट नहीं है। घ) ऐसी योजना, जहाँ दावा स्वीकार करने के संबंध में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के साथ विवाद है और अंतिम प्राधिकारी जैसे (सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रषासनिक तंत्र–एएमआरसीडी है) का निर्णय एनएसआईसी के खिलाफ है। ङ) बाह्य पक्षकारों के पास पड़ी राशि/अग्रिम, जिसकी वसूली संदिग्ध है। च) एनएसआईसी छोड़ चुके/निगम से त्याग–पत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली राशि और जहाँ बकाया के निपटान के लिए राशि उपलब्ध न हो। छ) प्रायोजित प्रषिक्षण से संबंधित बकाया देयताएं, जो 180 दिन से अधिक की हों। ज) ऐसी सभी अप्रतिभूत वसूल योग्य राशि और ऋण एवं अग्रिम ऐसे मामलों में निवल बकाया के 100 प्रतिषत की दर से हानिकरण छूट।

ख) **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मापदंडों के आधार पर मापदंडों का प्रावधान– यह प्रावधान व्यापार से प्राप्त राशियों, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों से संबंधित है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:**

(i) **किरायजा खरीद, पट्टा, मियादी ऋण और संमिश्र मियादी ऋण के अधीन प्राप्य राशियाँ :–**

क्र.सं.	योजना	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिषत
1.	किराया खरीद	100%
2.	पट्टा	
3.	संमिश्र मियादी ऋण	
4.	मियादी ऋण	

(ii) **कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता और बिल बट्टा के अधीन प्राप्य राशि**

क्र.सं.	बकाया प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1	मानक परिसंपत्तियां–270 दिनों तक	0.40%
2	घटिया परिसंपत्तियां (जिनका एनपीए एक वर्ष से कम हो)	10%
3	संदिग्ध परिसंपत्तियां	
	संदिग्ध परिसंपत्तियों का प्रतिभूत अंषः	
	एक वर्ष से संदिग्ध (अर्थात् दो वर्ष से एनपीए)	20%
	एक वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध (अर्थात् 2 से 4 वर्ष से एनपीए)	30%
	तीन वर्ष से अधिक अवधि से संदिग्ध (अर्थात् 4 वर्ष से अधिक अवधि से एनपीए)	50%
	प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा प्रतिभूत नहीं की गई जिनके संबंध में निगम के पास विधिमान्य उपाय हों।	100%
4	हानि वाली परिसंपत्तियाँ, यदि बट्टे, खाते में न डाली गई हों	100%

(iii) **बैंकों से प्राप्य राशियाँ:**

इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआरसीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और एनएसआईसी के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/ प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के / 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है।

तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग) अन्य प्राप्यों और ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान संबंधी मापदंड :

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों/ निकायों से प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान, यदि अपेक्षित हों, किए जाते हैं, जहाँ प्रबंधक वर्ग द्वारा ऐसा करना उचित समझा जाता है।

(ii) ऐसी प्राप्य राशियों, ऋण एवं अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधान को नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	बकाया प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
i	निम्नलिखित सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम 'सुरक्षित' माने जाते हैं (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो): क) सरकारी विभागों/संस्थानों/उपक्रमों से देय प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम ख) सभी प्राप्य राशियाँ, ऋण और अग्रिम, जिनके प्रति निगम के पास मूर्त वसूलीयोग्य प्रतिभूति है ग) एमएसएमईज से पहले ही प्राप्त कर लिए गए अग्रिम की सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं (जिनका निगम के साथ समझौता ज्ञापन है) को दिए गए अग्रिम और/या बैंक गारंटी के प्रति आरएमए के अंतर्गत मंजूर की गई सीमा में से भुगतान की गई धनराशि घ) निगम द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशियां और तदनुरूपी आपूर्तियों के क्रेता भी निगम को प्रतिभूति उपलब्ध कराते हैं (संविदात्मक अधिकारों के अंतर्गत प्रतिभूति जमा राशियों सहित)। ङ) संविदात्मक वैध करार/संविदा के अंतर्गत निगम द्वारा भुगतान की गई सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम/प्रतिभूति जमा च) निगम में कार्यरत कर्मचारियों से	शून्य
ii	''हानिकृत'' के रूप में माने गए प्राप्तव्य और ऋण एवं अग्रिम (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (क) बाह्य पक्षकारों के पास धनराशि/अग्रिम और वसूली के लिए संदिग्ध। (ख)निगम की सेवा छोड़ देने वाले/त्यागपत्र दे देने वाले कर्मचारियों से प्राप्तियोग्य धनराशि और जब बकाया राशि को प्रतितुलित करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध हो।.	100%

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को यथास्थिति एकल तुलन–पत्र

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए	
	परिसंपत्तियां					
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	10283.72		9249.17	
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	4	1072.35		390.83	
(ग)	व्यापार प्राप्य	5	10994.77		16499.79	
(घ)	ऋण एवं अग्रिम	6	261358.98		263160.83	
(ड़)	निवेश	7	484.12		338.64	
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	897.27	285091.21	2034.58	291673.84
2	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	माल–सूचियां	9	9.08		11.48	
(ख)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	0.00		247.22	
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	3531.21		3539.42	
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	28650.21		28724.30	
(ड़)	चालू पूंजीगत कार्य	12	482.33		437.42	
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	12	35.65		35.65	
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	12	86.47		58.32	
(ज)	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	12	221.91		54.16	
(झ)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	12	0.00		0.21	
(ञ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	13	4122.77	37139.63	6762.25	39870.43
	कुल परिसंपत्तियां			**322230.84**		**331544.27**
	देयताएं और इक्विटी					
1	**वित्तीय देयताएं**					
(क)	**देयताएं**					
(i)	**व्यापार देयताएं**					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	11916.71		16463.62	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	69.61		113.32	
(ii)	अन्य देय धनराशियां					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
(ख)	उधार	15	142495.42		**155586.97**	
(ग)	अन्य वित्तीय देनदारियां	16	13038.56	167520.30	17068.19	189232.10
(2)	**गैर अन्य वित्तीय देयताएं**					
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	10	699.16		0.00	
(ख)	प्रावधान	17	11903.56		11413.89	
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	11	0.00		0.00	
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	18	6533.40	19136.12	5175.26	16589.15
3	**इक्विटी**					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	19	53298.80		53298.80	
(ख)	अन्य इक्विटी	20	82275.62	135574.42	72424.22	125723.02
	कुल देयताएं और इक्विटी			**322230.84**		**331544.27**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	35				

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)
टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
डीआईएन : 24413012बीकेडीजैडएमएक्स6975

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: ए22768

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
I	**राजस्व**			
क	**प्रचालनों से राजस्व**	**21**		
	उत्पादों की बिक्री		276408.88	232491.66
	सेवाओं की बिक्री		14131.83	11380.67
	ब्याज आय		32044.85	28342.56
	शुल्क और कमीशन आय		4829.27	4730.12
	[इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4730.12 लाख रू. (4735.83 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1684329. 65 लाख रू. (1819418.11 लाख रू.) शामिल है]			
	अन्य प्रचालन आय		368.48	422.69
	प्रचालन से कुल राजस्व		**327783.31**	**277367.70**
ख	अन्य आय	**22**	410.93	197.89
ग	लांभाश आय		0.00	4.70
घ	अनुदान और सब्सिडियां	**23**	13827.28	10508.11
	कुल राजस्व (क + ख + ग)		**342021.52**	**288078.40**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	**24**	275064.83	231796.49
	माल–सूचियों में परिवर्तन	**25**	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	**26**	14184.66	13407.50
	वित्त लागतें	**27**	11479.20	9084.67
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**28**	845.32	704.10
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	**29**	288.89	278.27
	अन्य व्यय	**30**	22626.90	17563.53
	शुल्क और कमीशन व्यय	**34**	71.29	84.09
	कुल व्यय		**324561.09**	**272918.65**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**17460.43**	**15159.75**
	आपवादिक मदें (टिप्पणी–35 के बिंदु संख्या 4एफ(बी) का संदर्भ लें)		**-13.18**	**-13.94**
IV	**कर पूर्व लाभ**		**17473.61**	**15173.69**
	कर व्यय	**31**		
	वर्तमान कर		4574.00	3602.00
	आस्थगित कर		-15.83	311.21
	पूर्ववर्ती वर्ष		-23.92	-34.37
V	**कुल कर व्यय**		**4534.25**	**3878.84**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**12939.36**	**11294.85**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि के लिए लाभ**		**12939.36**	**11294.85**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–निवेश		111.07	35.69
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–बीमांकिक सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि		-15.58	3.02
	उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-24.04	-9.73
	उप जोड़ (क)		**71.46**	**28.98**
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**71.46**	**28.98**
XII	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI + XII) (लाभ/(हानि) सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)**		**13010.82**	**11323.83**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों के लिए)**	**32**		
	मूल (रु.)		24.28	21.19
	तनुकृत (रु.)		24.28	21.19
XIV	**आकस्मिक देयताएं**	**33 (i)**	**4436.53**	**3974.46**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**793.19**	**986.82**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
डीआईएन : 24413012बीकेडीजैडएमएक्स6975

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: ए22768

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिएइक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	अथ शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	जमा शेष
2022-23	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80
2023-24	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	अन्य इक्विटी								
			अवधारित अर्जन						
	पूंजी प्रारक्षित	पूंजी मोचन रिजव	अवधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाएं	हानिकरण प्रारक्षित	भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45 आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित	उप जोड़	कुल
31 मार्च 2022 को यथास्थिति शेष	**4155.98**	**73.09**	**49215.94**	**258.83**	**-521.23**	**4866.65**	**6180.21**	**60000.40**	**64229.47**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	11294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11294.85	11294.85
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	35.69	3.02	0.00	0.00	38.71	38.71
कुल व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**11294.85**	**35.69**	**3.02**	**0.00**	**0.00**	**11333.56**	**11333.56**
वर्ष के दौरान परिवर्धन, स्थानांतरण/समायोजन	563.38	0.00	-2209.66	0.00	0.00	0.00	2209.66	0.00	563.38
वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-3317.05	-3317.05
वर्ष के लिए मुल्यह्रास	-375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.41
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.75	-0.75
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	-8.98	0.00	0.00	0.00	-8.98	-8.98

विवरण	अन्य इक्विटी								
	पूंजी प्रारक्षित	पूंजी मोचन रिजव	अवधारित अर्जन						कुल
			अवधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाएं	हानिकरण प्रारक्षित	भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45 आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित	उप जोड़	
31 मार्च 2022 को यथास्थिति शेष	**4343.95**	**73.09**	**54984.08**	**285.54**	**-518.96**	**4866.65**	**8389.87**	**68007.18**	**72424.22**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	12939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12939.36	12939.36
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	111.07	-15.56	0.00	0.00	95.51	95.51
कुल व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**12939.36**	**111.07**	**-15.56**	**0.00**	**0.00**	**13034.87**	**13034.87**
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/ समायोजन	498.03	0.00	-2531.15	0.00	0.00	0.00	2531.15	0.00	498.03
वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-3314.49	-3314.49
वर्ष के लिए मुल्यह्रास	-342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-342.96
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	3.90
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	-27.95	0.00	0.00	0.00	-27.95	-27.95
31 मार्च 2024 को यथास्थिति शेष	**4499.02**	**73.09**	**62077.80**	**368.66**	**-530.62**	**4866.65**	**10921.02**	**77703.51**	**82275.62**

नोटः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित/पुनः समूहित किया गया है।

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), लेखांकन नीतियां (नोट–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
डीआईएन : 24413012बीकेडीजैडएमएक्स6975

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: ए22768

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.:यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न समेकित नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण		31.03.24 के अनुसार	31.03.23 के अनुसार
कर (+) से पूर्व निवल लाभ(-)/हानि		17,473.61	15,173.69
गैर–नकद/गैर–प्रचालन मदों के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		845.32	704.08
परिसंपत्तियों/अमूर्त वस्तुओं की बिक्री/निपटान पर लाभ/हानि		(13.18)	(13.94)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (टर्मिनल लाभ)		1,502.28	1,381.47
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय भिन्नता)		402.90	408.13
अशोध्य ऋण माफ किये गये		0.14	17.34
यह अर्जित है लेकिन उधार पर देय नहीं है		8.05	8.52
छूट का प्रभाव (डेबिट)		13.48	21.40
छूट का प्रभाव (क्रेडिट)		(57.02)	(75.90)
लाभांश आय		-	(4.70)
बैंकों में एफडी/जमा पर ब्याज		(27.91)	(13.32)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित–अन्य		(113.98)	(169.75)
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखे गए		(120.79)	(114.68)
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया (टर्मिनल लाभ)		(65.33)	(59.20)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित वापसी (केएफडब्ल्यू ऋण)		(243.13)	(138.23)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकद प्रवाह:		**19,604.43**	**17,124.92**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजन:			
वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी			
व्यापार प्राप्य		5,504.89	(2,258.92)
अन्य वित्त परिसंपत्तियां		1,242.67	(27.98)
माल सूची		2.40	0.78
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		(1,985.86)	(403.89)
ऋण और अग्रिम		1,915.79	(17,893.75)
अन्य गैर वित्त परिसंपत्तियां		2,643.64	(2,532.31)
वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी			
व्यापार देय		(4,469.82)	2,230.99
अन्य वित्त देनदारियाँ		(3,821.52)	1,478.18
प्रावधानों		(1,122.65)	(1,357.20)
अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ		1,080.17	(2,836.03)
कर से पूर्व नकद प्रवाह:		**20,594.13**	**(6,475.21)**
भुगतान किया गया कर		**(1,621.97)**	**(2,764.63)**
निवल प्रचालन नकद (+) अंतर्वाह/(-)बहिर्वाह	क	**18,972.16**	**(9,239.84)**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न समेकित नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण		31.03.24 के अनुसार	31.03.23 के अनुसार
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह:			
परिसंपत्तियों की बिक्री आय		25.32	35.86
पीपीई और पूंजी डब्ल्यूआईपी में वृद्धि		(868.88)	(592.30)
एसआरआई फंड में निवेश		(34.41)	(23.18)
सावधि जमा में वृद्धि/कमी		(681.51)	101.82
निवेश से लाभांश		-	4.70
बैंक जमा पर ब्याज		27.91	13.32
निवल निवेश नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	ख	**(1,531.58)**	**(459.79)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह:			
(+) वृद्धि / (–) उधार में कमी (अल्पकालिक)		(12,818.82)	3,269.74
(+) वृद्धि / (–) उधार में कमी (दीर्घकालिक)		(272.72)	111.38
प्रदत्त लाभांश		(3,314.49)	(3,317.05)
निवल वित्तपोषण नकद (+) अंतर्वाह/(-)बहिर्वाह	ग	**(16,406.03)**	**64.07**
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद(+) अंतर्वाह/(-)बहिर्वाह	घ	18,972.16	(9,239.84)
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद (+) अंतर्वाह/(-)बहिर्वाह	ड़	(1,531.58)	(459.79)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद (+) अंतर्वाह/(-)बहिर्वाह	च	(16,406.03)	64.07
निवल नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	(घ+ड+च)	**1,034.55**	**(9,635.56)**
जोड़ें: वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**9,249.17**	**18,884.73**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**10,283.72**	**9,249.17**
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य . नोट 3		**10,283.72**	**9,249.17**

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), सामग्री लेखा नीतियां (नोट–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है।
2. नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) में नकद और अन्य बैंक शेष शामिल हैं।
3. जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः समूहीकृत/व्यवस्थित किए गए हैं।
4. हम एक एनबीएफसी हैं और भुगतान किए गए ब्याज को परिचालन व्यय माना गया है।

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अगवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
डीआईएन : 24413012बीकेडीजैडएमएक्स6975

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: ए22768

टिप्पणी–3: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
नकदी एवं नकदी समतुल्य				
हस्तगत नकदी '		0.00		0.30
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट		0.00		0.00
मार्गस्थ प्रेषण		0.00		0.00
बैंकों में शेष				
चालू खाता	9786.71		8920.45	
अन्य ''	496.99	10283.70	328.40	9248.85
हस्तगत स्टाम्प		0.02		0.02
तुलन–पत्र के अनुसार		**10283.72**		**9249.17**

टिप्पणी:– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
* सुलभ नकदी (कैश ऑन हैंड) बैंक द्वारा जारी प्रीपेड कार्ड के स्टॉक की द्योतक है।
** इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट शेष शामिल है।

टिप्पणी–4 : नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
जमा		
सावधि जमा	1072.35	390.83
तुलन–पत्र के अनुसार	**1072.35**	**390.83**

नोट:– 62.44 लाख रूपये (58.33 लाख रुपये) की सावधि जमा राशि 3 महीने से अधिक के लिए है और ग्रहणाधिकार चिह्नित है।

टिप्पणी–5: व्यापार प्राप्य (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
व्यापार प्राप्य				
सुरक्षित शोध्य माने गए	10752.26		16303.10	
असुरक्षित शोध्य माने गए	242.51		196.69	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	1665.55		1619.60	
	12660.32		18119.39	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	280.50		284.48	
	12329.11		17784.20	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1334.34		1284.41	
तुलन–पत्र के अनुसार		**10994.77**		**16499.79**
व्यापार प्राप्यों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		10994.77		16499.79
भारत के बाहर		0.00		0.00
जोड़		**10994.77**		**16499.79**

अनुलग्नक – 5क व्यापार प्राप्य (आयुवार सारांश)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	5547.81	5375.71
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	876.47	2052.28
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1134.06	3305.96
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	626.37	722.45
3 वर्ष से अधिक	2769.31	5002.63
उप जोड़	**10954.02**	**16459.03**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	40.76	40.76
उप जोड़	**40.76**	**40.76**
निर्विवाद व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	0.00	0.00
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	93.18	2.07
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	3.26	0.69
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	10.09	99.14
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	6.22	14.77
3 वर्ष से अधिक	786.44	696.11
उप जोड़	**899.19**	**812.78**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
3 वर्ष से अधिक	766.35		806.82	
उप जोड़	**766.35**		**806.82**	
	12660.32		18119.39	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	280.50		284.48	
	12329.11		17784.20	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1334.34		1284.41	
जोड़	**10994.77**		**16499.79**	
व्यापार प्राप्यों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		10994.77		16499.79
भारत के बाहर		0.00		0.00
जोड़		**10994.77**		**16499.79**

अनुलग्नक – 5ख व्यापार प्राप्यों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
व्यापार प्राप्य – किराया खरीद				
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	704.87		757.37	
	704.87		757.37	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	235.42		239.40	
	469.45		517.97	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	469.45		517.97	
उप–जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – पट्टाकरण				
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	165.85		165.85	
	165.85		165.85	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40		44.40	
	70.74		70.74	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74		70.74	
उप–जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – विपणन				
सुरक्षित शोध्य माने गए	10507.78		15980.03	

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	259.46		259.61	
	10767.24		16239.64	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	10767.24		16239.64	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.46		259.61	
उप–जोड़		**10507.78**		**15980.03**
यापार प्राप्य – अन्य				
सुरक्षित शोध्य माने गए	244.48		323.07	
असुरक्षित शोध्य माने गए	242.51		196.69	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	535.37		436.77	
	1022.36		956.53	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचं	0.68		0.68	
	1021.68		955.85	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	534.69		436.09	
उप–जोड़		**486.99**		**519.76**
जोड़		**10994.77**		**16499.79**

अनुलग्नक – 5ग व्यापार प्राप्यों का आयुवार वर्गीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य – किराया खरीद		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	348.91		361.41	
3 वर्ष से अधिक	**348.91**		**361.41**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	355.96		395.96	
उप जोड़	**355.96**		**395.96**	
	704.87		757.37	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	235.42		239.40	
	469.45		517.97	
घटाएं: वसूली के लिए भेजे गए चैक	0.00		0.00	
घटाएं: हानि हानि भत्ता	469.45		517.97	
उप जोड़		**0**		**0**

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य – पट्टाकरण		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 महीने से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	65.85	65.85
उप जोड़	**65.85**	**65.85**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	100.00	100.00
उप जोड़	**100.00**	**100.00**
	165.85	165.85
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40	44.40
	70.74	70.74
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74	70.74
उप जोड़	**0**	**0**
व्यापार प्राप्य – विपणन		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	5145.85	4976.82
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	834.91	2044.20
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1132.13	3298.59
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	625.58	683.74
3 वर्ष से अधिक	2734.29	4941.66
उप जोड़	**10472.76**	**15945.01**
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	35.02	35.02
उप जोड़	**35.02**	**35.02**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 महीने से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	214.70		214.85	
उप जोड़	**214.70**		**214.85**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	44.76		44.76	
उप जोड़	**44.76**		**44.76**	
	10767.24		16239.64	
घटाएंः दांडिक ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	10767.24		16239.64	
घटाएंः संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएंः हानिकरण क्षति छूट	259.46		259.61	
उप जोड़		**10507.78**		**15980.03**
यापार प्राप्य – अन्य				
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	401.96		398.89	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	41.56		8.08	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1.93		7.37	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.79		38.71	
3 वर्ष से अधिक	35.02		60.97	
उप जोड़	**481.26**		**514.02**	
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	5.74		5.74	
उप जोड़	**5.74**		**5.74**	

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	93.18		2.07	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	3.26		0.69	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	10.09		99.14	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	6.22		14.77	
3 वर्ष से अधिक	156.98		54.00	
उप जोड़	**269.73**		**170.67**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	265.63		266.10	
उप जोड़	**265.63**		**266.10**	
	1022.36		956.53	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68		0.68	
	1021.68		955.85	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	534.69		436.09	
उप जोड़		**486.99**		**519.76**
जोड़		**10994.77**		**16499.79**

टिप्पणी–6: ऋण एवं अग्रिम (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
ऋण एवं अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1143.82		1152.18	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	260681.99		262376.67	
असुरक्षित	11889.76		11501.25	
	273715.57		275030.10	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	568.55		669.77	
	273147.02		274360.33	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11788.04		11199.50	
तुलन–पत्र के अनुसार		261358.98		263160.83
ऋणों और अग्रिमों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		261358.98		263160.83
भारत से बाहर		0.00		0.00
कुल		**261358.98**		**263160.83**
पीएसयू और अन्य को ऋण और अग्रिम:				
पीएसयू को		1888.88		2009.09
अन्य को		259470.10		261151.74
कुल		**261358.98**		**263160.83**

अनुलग्नक – 6क ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	12.75		21.11	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	0.00		0.00	
असुरक्षित	26.80		23.99	
	39.55		45.10	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	39.55		45.10	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00		0.00	
		39.55		45.10
नकद अथवा वस्तु रूप में या इसके मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
असुरक्षित	2577.79		2139.98	
	2577.79		2139.98	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	2577.79		2139.98	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	687.47	1890.32	38.16	2101.82
अन्य ऋण एवं अग्रिम '				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1131.07		1131.07	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	260681.99		262376.67	
असुरक्षित	9285.17		9337.16	
	271098.23		272844.90	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	568.55		669.77	
	270529.68		272175.13	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11100.57	259429.11	11161.34	261013.79
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	0.00		0.00	
असुरक्षित	0.00		0.12	
	0.00		0.12	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	0.00		0.12	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00	0.00	0.00	0.12
जोड़		**261358.98**		**263160.83**

नोट :– 'अन्य ऋणों और अग्रिमों में वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत बकाया राशि शामिल है अर्थात् आरएमए/एडब्ल्यूआरटी, बीडी, सीटीएल और मीयादी ऋण (विवरण के लिए अनुलग्नक 6बी देखें)

अनुलग्नक – 6ख ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
कच्चे माल की सहायता / थोक और खुदरा व्यापारियों को सहायता		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1003.70	1003.70
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	258514.32	259503.47
असुरक्षित	7584.74	7636.73
	267102.76	268143.90
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	449.15	497.72
	266653.61	267646.18
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	9382.15	257271.46	9440.30	258205.88
बिल डिस्काउंटिंग				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	127.37		127.37	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	2167.67		2873.20	
असुरक्षित	1509.30		1509.30	
	3804.34		4509.87	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	76.24		128.89	
	3728.10		4380.98	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1570.45	2157.65	1573.07	2807.91
संयुक्त मियादी ऋण				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	175.69		175.69	
	175.69		175.69	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	38.91		38.91	
	136.78		136.78	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	136.78	0.00	136.78	0.00
मियादी ऋण				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	15.44		15.44	
	15.44		15.44	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	4.25		4.25	
	11.19		11.19	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11.19	0.00	11.19	0.00
जोड़		**259429.11**		**261013.79**

टिप्पणी–6ग: निगम के निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम (कर्मचारियों को ऋणों एवं अग्रिमों के अंतर्गत सहित)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
निदेशकगण	0.00	0.12
कंपनी के अन्य अधिकारी	39.55	45.09
फर्म, जिसमें निदेशक साझेदार हो	0.00	0.00
निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य हो	0.00	0.00
जोड़	**39.55**	**45.21**

टिप्पणी–7: निवेश

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
क. सहायक कंपनी में इक्विटी उपकरणों में निवेश (मूल लागत पर)				
आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड: 0.683 इकाइया 1 करोड रुपए. प्रति यूनिट (0.339 इकाइयां@1 करोड़ रुपए प्रति यूनिट)	68.29		33.88	
घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता	0.00	68.29	0.00	33.88
ग. इक्विटी उपकरणों में निवेश उचित मूल्य पर (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)				
इक्विटी प्रलेख	425.83		314.76	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	10.00	415.83	10.00	304.76
तुलन पत्र के अनुसार		**484.12**		**338.64**

निवेश (उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
मैसर्स सिंगर इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर (दिनांक 31.03.24 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 88.43 रू. प्रति शेयर) (दिनांक 31.03.23 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 64.81 रू. प्रति शेयर)	415.83	304.76
मैसर्स लघु उद्योग उत्पादन प्रोन्नत संगठन लिमिटेड (एसआईपीपीओ) के इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 100000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत)	10.00	10.00
उप जोड़	**425.83**	**314.76**
घटाएं: एसआईपीपीओ के इक्विटी शेयरों हेतु हानिकरण क्षति की छूट	10.00	10.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**415.83**	**304.76**

निवेश का भौगोलिक वर्गीकरण	As At 31.03.24	As At 31.03.23
भारत में	484.12	338.64
भारत से बाहर	0.00	0.00
जोड़	**484.12**	**338.64**

नोट :– ' टिप्पणी–35 की क्रम सं. 4(वाई)(एफ)(क) देखें।

टिप्पणी–8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
प्रतिभूति जमा				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	275.53		278.08	
	275.53		278.08	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	275.53		278.08	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	4.64	270.89	0.75	277.33
उप जोड़		**270.89**		**277.33**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
बैंकों से प्राप्य				
ब्याज	268.30		268.30	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	268.30	0.00	268.30	0.00
अन्य	490.30		934.28	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	490.30	0.00	246.93	687.35
सुनमय/लघु अवधि जमाओं पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज		13.42		8.66
अवधारण राशि प्राप्य		228.10		238.82
देय प्रतिभूति जमा का बट्टाकरण प्रभाव		235.82		207.80
देय अवधारणा राशि का बट्टाकरण प्रभाव		0.48		0.94
एसआरआई फंड से प्राप्य		148.56		613.68
उप जोड़		**626.38**		**1757.25**
तुलन–पत्र के अनुसार		**897.27**		**2034.58**

टिप्पणी – 9 सूची

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
भंडार और अतिरिक्त	7.41	9.85
ढीले उपकरण और माप उपकरण	1.67	1.63
उप–जोड़	**9.08**	**11.48**
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.00	0.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**9.08**	**11.48**

टिप्पणी–10: चालू कर (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
स्रोत पर काटा गया टीडीएस/टीसीएस	2031.37	2512.32
अग्रिम कर	5343.47	8236.90
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	8074.00	10502.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**-699.16**	**247.22**

टिप्पणी–11 आस्थगित कर देयताएं / परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	6069.39	5768.78
घटाएं : आस्थगित कर देयतांए	2538.18	2229.36
तुलन पत्र के अनुसार	**3531.21**	**3539.42**

टिप्पणी :– टिप्पणी 35 का क्रम संख्या 4(घ) देखें।

अनुलग्नक – 12 संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 के अनुसार निवल वहन राशि	31.03.23 के अनुसार निवल वहन राशि
भूमि	47.29	47.57
भवन	22784.28	22871.86
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	291.25	301.11
कार्यालय उपकरण	428.55	341.42
वाहन	21.26	10.37
संयंत्र एवं उपकरण	5077.58	5151.97
कुल संपत्ति, संयत्र और उपकरण	**28650.21**	**28724.30**
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंत्तियां	0.00	0.21
सॉफ्टवेयर और विकासधीन सॉफ्टवेयर	122.12	93.97
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	221.91	54.16
चल रहा पूंजीगत कार्य	482.33	437.42

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक							संचित मूल्यह्रास						एलटीए		निवल ब्लॉक	
	01.04.23 को यथास्थिति	वृद्धि	बिक्री	कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31.03.24 तक लागत	01/04/21 को यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	बिक्री	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/21 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां																	
स्वयं की परिसंपत्तियां																	
भवन	23157.77	63.17	0.00	0.00	0.00	-228.39	23449.33	2607.21	379.04	0.00	0.00	0.00	2986.25	0.00	0.00	20463.08	20550.56
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	634.81	32.92	4.14	0.00	0.00	0.00	663.59	455.42	36.38	3.32	0.00	0.00	488.48	0.00	0.00	175.11	179.39
भूमि	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.62	4.47	0.19	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	29.96	30.15
कार्यालय उपकरण	1066.24	141.58	70.28	0.00	0.00	0.68	1136.86	873.61	81.67	64.31	0.00	0.00	890.97	0.00	0.00	245.89	192.63
वाहन	80.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	80.02	70.42	3.35	0.04	0.00	0.00	73.73	0.00	0.00	6.29	9.64
संयंत्र एवं उपकरण	2526.21	9.27	0.93	0.00	0.00	0.00	2534.55	1056.02	77.83	0.80	0.00	0.00	1133.05	0.00	0.00	1401.50	1470.19
जोड़	**27499.71**	**246.94**	**75.39**	**0.00**	**0.00**	**-227.71**	**27898.97**	**5067.15**	**578.46**	**68.47**	**0.00**	**0.00**	**5577.14**	**0.00**	**0.00**	**22321.83**	**22432.56**
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां																	
संयंत्र एवं उपकरण	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35	12.77	12.77	0.04	0.04
जब्त पट्टायुक्त परसंपत्तियां																	
संयंत्र एवं उपकरण	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	48.80	48.80	0.88	0.88
सरकारी अनुदानों से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
भूमि	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	5.62	0.09	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	17.33	17.42
भवन	1686.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.21	1737.97	503.18	28.71	0.00	0.00	0.00	531.89	0.00	0.00	1206.08	1183.58
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	183.47	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51	123.26	14.62	0.00	0.00	0.00	137.88	0.00	0.00	59.63	60.21
कार्यालय उपकरण	947.78	36.56	9.70	0.00	0.00	0.00	974.64	876.57	19.31	9.21	0.00	0.00	886.67	0.00	0.00	87.97	71.21
वाहन	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.45	0.45
संयंत्र एवं उपकरण	5530.34	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5715.84	2618.20	271.02	0.00	0.00	0.00	2889.22	0.00	0.00	2826.62	2912.14
जोड़	**8381.83**	**236.10**	**9.70**	**0.00**	**0.00**	**-51.21**	**8659.44**	**4136.82**	**333.75**	**9.21**	**0.00**	**0.00**	**4461.36**	**0.00**	**0.00**	**4198.08**	**4245.01**
तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
बिल्डिंग	1397.73	22.52	4.01	0.00	0.00	0.00	1416.24	260.01	42.14	1.03	0.00	0.00	301.12	0.00	0.00	1115.12	1137.72
फर्नीचर एवं फिटिंग	172.10	8.81	0.84	0.00	0.00	0.00	180.07	110.59	13.77	0.80	0.00	0.00	123.56	0.00	0.00	56.51	61.51
कार्यालय उपकरण	684.19	44.30	7.58	0.00	0.00	-0.68	721.59	606.61	27.53	7.24	0.00	0.00	626.90	0.00	0.00	94.69	77.58
संयंत्र एंव उपकरण	1258.43	172.64	2.81	0.00	0.00	0.00	1428.26	489.71	91.74	1.73	0.00	0.00	579.72	0.00	0.00	848.54	768.72
वाहन	5.67	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	5.39	0.21	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	14.52	0.28
जोड़	**3518.12**	**262.72**	**15.24**	**0.00**	**0.00**	**-0.68**	**3766.28**	**1472.31**	**175.39**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**1636.90**	**0.00**	**0.00**	**2129.38**	**2045.81**
उप कुल मूर्त संपत्ति	**39492.17**	**745.76**	**100.33**	**0.00**	**0.00**	**-279.60**	**40417.20**	**10706.30**	**1087.60**	**88.48**	**0.00**	**0.00**	**11705.42**	**61.57**	**61.57**	**28650.21**	**28724.30**
पिछले वर्ष	38139.62	725.39	95.17	0.00	0.00	-722.33	39492.17	9734.14	1046.25	73.38	0.00	0.71	10706.30	61.57	61.57	28724.30	28343.91
अमूर्त संपत्ति																	
खुद की संपत्ति																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	197.83	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	245.42	174.22	18.98	0.00	0.00	0.00	193.20	0.00	0.00	52.22	23.61

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक							संचित मूल्यह्रास						एलटीए		निवल ब्लॉक	
	01.04.23 को यथास्थिति	वृद्धि	बिक्री	कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31.03.24 तक लागत	01/04/21 को यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	बिक्री	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/21 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति
सरकार से अर्जित संपत्ति अनुदान																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	109.08	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.08	87.37	9.20	0.00	0.00	0.00	96.57	0.00	0.00	26.51	21.71
सरकार से अर्जित नहीं की गई संपत्ति। तकनीकी केन्द्रों के खाते पर अनुदान																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	252.44	2.48	5.42	0.00	0.00	0.00	249.50	239.44	7.65	5.33	0.00	0.00	241.76	0.00	0.00	7.74	13.00
संपत्ति के उपयोग का अधिकार																	
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	57.67	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	290.26	3.51	64.84	0.00	0.00	0.00	68.35	0.00	0.00	221.91	54.16
उप कुल–अमूर्त संपत्ति	**617.02**	**296.66**	**5.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**908.26**	**504.54**	**100.67**	**5.33**	**0.00**	**0.00**	**599.88**	**0.00**	**0.00**	**308.38**	**112.48**
पिछले वर्ष	608.78	7.50	0.34	0.00	0.00	-1.08	617.02	470.83	33.26	0.26	0.00	-0.71	504.54	0.00	0.00	112.48	137.95
पूंजीगत कार्य प्रगति पर है																	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	437.42	71.16	0.00	0.00	0.00	228.39	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.19	437.42
पिछले वर्ष	231.81	251.56	0.00	0.00	0.00	45.95	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.42	231.81
सीडब्ल्यूआईपी सरकार से प्राप्त किया गया अनुदान	0.00	253.35	0.00	0.00	0.00	51.21	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.14	0.00
पिछले वर्ष	518.52	158.94	0.00	0.00	0.00	677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.52
उप कुल–पूंजी कार्य प्रगति पर है	437.42	324.51	0.00	0.00	0.00	279.60	482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.33	437.42
पिछले वर्ष	750.33	410.50	0.00	0.00	0.00	723.41	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.42	750.33
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति																	
खुद की संपत्ति																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	35.65
पिछले वर्ष	23.39	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	23.39
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों को वर्गीकृत किया गया																	
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति (स्वामित्व वाली संपत्ति)	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों को वर्गीकृत किया गया (सरकारी अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**4.13**	**0.00**	**4.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.92**	**0.00**	**3.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.21**
कुल योग	**40586.39**	**1366.93**	**109.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41843.44**	**11214.76**	**1188.27**	**97.73**	**0.00**	**0.00**	**12305.30**	**61.57**	**61.57**	**29476.57**	**29310.06**
पिछले वर्ष	39526.36	1155.65	95.62	0.00	0.00	0.00	40586.39	10209.00	1079.51	73.75	0.00	0.00	11214.76	61.57	61.57	29310.06	29255.79

अनुलग्नक – 12क सीडब्ल्यूआईपी (अनुदान सहित) और विकसोन्मुखी अमूर्त परिसंपत्ति का समय–निर्धारण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
सीडब्ल्यूआईपी का समय–वार वर्गीकरण		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	71.16	209.03
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	209.03	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	132.03
3 वर्ष से अधिक	0.00	96.36
उप जोड़	**280.19**	**437.42**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**280.19**	**437.42**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
सीडब्ल्यूआईपी का आयुवार वर्गीकरण (अनुदान से प्राप्त)		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	202.14	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**202.14**	**0.00**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**202.14**	**0.00**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों का आयुवार वर्गीकरण		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	12.26	12.26
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	23.39
3 वर्ष से अधिक	23.39	0.00
उप जोड़	**35.65**	**35.65**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**35.65**	**35.65**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी–13 अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		As At 31.03.23	
पूंजीगत अग्रिम				
सीपीडब्ल्यूडी और अन्य के पास	194.65		9.67	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	194.65	0.00	9.67
ठेकेदारों के पास (सरकारी अनुदान की प्रति)	72.27		77.22	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	72.27	0.00	77.22
आपूर्तिकताओं को अग्रिम	2809.83		2297.53	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.00	2809.83	6.82	2290.71
उप जोड़		**3076.75**		**2377.60**
कर प्राधिकारियों के पास अन्य जमाएँ		608.49		1368.63
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ #	467.33		3016.95	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज संदेह	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	29.80	437.53	0.93	3016.02
तुलन–पत्र के अनुसार		**4122.77**		**6762.25**

नोटः–

इसमें सरकारी अनुदान के बदले बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, प्रीपेड खर्च, बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, अदालत में जमा की गई राशि और अग्रिम भुगतान की गई दरें और कर शामिल हैं।

टिप्पणी–14 व्यापार प्राप्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
व्यापार देय				
एमएसई की बकाया राशियां*	11916.71		16463.62	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	69.61	11986.32	113.32	16576.94
अन्य देय				
एमएसई की बकाया राशियां	0.00		0.00	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	0.00	0.00	0.00	0.00
संबंधित पक्षकारों को देय		0.00		0.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**11986.32**		**16576.94**

टिप्पणीः टिप्पणी–34 का क्रम सं. 1 देखें।

* निविदा विपणन के कारण देय व्यापार रू 11907.42 लाख (रू 16473.23 लाख) शामिल है

अनुलग्नक–14क व्यापार देय (आयुवार सारांश)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
अविवादित व्यापार देय – एमएसई की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	3652.39		7220.47	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	2820.44		3340.10	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	2206.90		820.56	
3 वर्ष से अधिक	3072.15		4916.65	
उप जोड़		**11751.88**		**16297.78**
विवादित व्यापार देय – एमएसई की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	164.83		165.84	
उप जोड़		**164.83**		**165.84**
कुल		**11916.71**		**16463.62**
अविवादित व्यापार देय – अन्य की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		3.61	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.04	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.32	
3 वर्ष से अधिक	47.74		88.50	
उप जोड़		**47.74**		**92.47**
विवादित व्यापार देय – अन्य की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	21.87		20.85	
उप जोड़		**21.87**		**20.85**
कुल		**69.61**		**113.32**
कुल योग		**11986.32**		**16576.94**

टिप्पणी–15: उधार (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
सुरक्षित उधारियां				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण:				
बैंकों से		0		0
अन्यों से:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी:				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	107500.00		147000.00	
नकदी क्रेडिट	1459.44		3778.26	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	29000.00	137959.44	0.00	150778.26
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित भुगतान देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**137959.44**		**150778.26**
असुरक्षित उधार				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण				
बैंक		0		0
अन्य पक्षकारों से:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
विदेशी वित्तीय संस्थान	4535.98		4808.71	
अन्य	0	4535.98	0	4808.71
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगीः				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	0		0	
नकदी क्रेडिट	0		0	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	0		0	
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित अदायगी देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**4535.98**		**4808.71**
तुलन–पत्र के अनुसार		**142495.42**		**155586.97**
उधारों का भौगोलिक वर्गीकरणः				
भारत में		137959.44		150778.26
भारत से बाहर		4535.98		4808.71
जोड़		**142495.42**		**155586.97**

टिप्पणी –35 की क्रम सं. 4(एच) देखें।

अनुलग्नक–15क उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशिः		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.24 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति				अवधि	राशि
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋणः							
बैंक							
विजया बैंक	0.00	0.00	अर्धवार्षिक		शून्य		0
अन्यों सेः							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
अदायगी योग्य ऋणः							
बैंक							
कार्यशील पूंजीगत ऋण							
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00		-	शून्य		0
भारतीय स्टेट बैंक	107500.00	67000.00			शून्य		0
एचडीएफसी डब्ल्यूसीडीएल	0.00	80000.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार	शून्य		0
	107500.00	**147000.00**		बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार			
नकद क्रेडिट							
पंजाब नेशनल बैंक	0.00	0.00			शून्य		0
बंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक)	0.00	0.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में भूमि और भवन के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और ऋणों तथा अग्रिमों, बही ऋणों, बट्टाकृत बिलों और विपण्न क्रियाकलापों समे संबंधित सभी चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्तियोग्य राशियों पर समरूप प्रभार	शून्य		0
भारतीय स्टेट बैंक	1459.44	3778.26			शून्य		
	1459.44	3778.26		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार			

अनुलग्नक–15क उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशिः		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.24 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति				अवधि	राशि
ओवरड्राफ्ट							
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00		.	शून्य		
	0.00	0.00					
मियादी ऋण							
इंडस इंड बैंक	29000.00	0.00					
	29000.00	0.00		कंपनी के ऋणों और अग्रिमों सहित लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार			
अन्य पक्षकार							
आस्थगित अदायगी देयताएं							
जमा							
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम							
वित्त पट्टे की इकरारों दीर्घ अवधि परिपक्वताएं							
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
उप जोड़	**137959.44**	**150778.26**					
असुरक्षित उधार							
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋणः							
बैंक							
निम्नलिखित से अन्य पक्षकारः							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							

अनुलग्नक–15क उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रुपए में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशिः		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.24 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति				अवधि	राशि
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
11वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	2153.92	2249.39	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	1852.52	1988.81	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत[ष]		
केसा डिपॉजिट ई प्रेसिटी, इटली (पूर्व में आर्टिगियाबेकसा, एसपीए के नाम से विख्यात)	529.54	570.51	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
	4535.98	4808.71					
अन्य							
निम्नलिखित से मांग प्राप्त होने पर ऋणों की पुनः अदायगीः							
बैंक							
चल रहा पूंजीगत ऋण							
नकद क्रेडिट							
ओवरड्राफ्ट							
मियादी ऋण							
अन्य पक्षकार							
आस्थगित अदायगी देयताएं							
जमा							
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम							
वित्त पट्टे इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वताएं							
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
उप जोड़	**4535.98**	**4808.71**					
जोड़	**142495.42**	**155586.97**					

अनुबंध–15ख – विदेशी वित्तीय संस्थानों से उधारों के ब्यौरे

विवरण	केएफडब्ल्यू XI लाइन ऑफ क्रेडिट	केएफडब्ल्यू XII लाइन ऑफ क्रेडिट	इटालियन लाइन ऑफ क्रेडिट
कुल संस्वीकृत ऋण (यूरो में)	5112918.81	5036225.03	1053134.47
अदायगी की नियत तारीख	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 17/7 और 17/1
पहली किश्त	30/06/2002	30/06/2006	17/01/2015
अंतिम किश्त	30/06/2042	30/12/2035	17/07/2035
कुल किश्तें	81	60	42
ब्याज	10.50%	12.50%	0.50%
31.03.24 को बकाया ऋण (यूरो में)	2345807.21	2017557.71	576716.88
पुनः अदायगी अवधि	अर्धवार्षिक	अर्धवार्षिक	अर्धवार्षिक
किश्तों की धनराशि (यूरो में)	62888.90	83851.87	25074.61
30.06.1993 से 31.12.2001 तक ड्यूश मार्क में अदा किया गया कुल ब्याज	592439.19	405995.68	-
30.06.2002 से 31.03.2024 तक यूरो में अदा किया गया कुल ब्याज	620538.48	632877.05	96777.42
हेजिंग	-	-	-

टिप्पणी–16 अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
आरएमए/एडब्ल्यूआरटी क्रेताओं से अग्रिम – इकाइयां	1381.92	1632.78
भुगतान योग्य बट्टा	1927.03	1875.44
रेटिंग/क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भुगतान योग्य	0.89	12.29
सुरक्षा जमा देय	2531.60	2312.35
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	993.40	37.43
अवधारण राशि	621.03	1035.81
परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य	1070.01	850.44
व्यापार प्राप्यों में शेष क्रेडिट	4.59	4.78
उधारों/सीएसडी पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज	8.05	8.52
प्रशिक्षण हेतु देय भुगतान योग्य धनराशि	77.42	71.84
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	1610.80	1459.96
व्ययों हेतु चालू देयता	877.37	1132.96
अन्य भुगतान योग्य#	1859.93	1005.47
प्राप्त प्रतिबद्ध अग्रिम – प्रदर्शनियां	6.49	22.16
अनुदान में अधिशेष के विरुद्ध भारत सरकार को देय राशि (नेट)	55.15	5579.05
सुरक्षा जमा प्राप्य का छुट प्रभाव	12.42	25.79
प्रतिधारण जमा प्राप्य का छुट प्रभाव	0.46	1.12
तुलन–पत्र के अनुसार	**13038.56**	**17068.19**

टिप्पणीः–

इसमें देय सरकारी गारंटी, देय गोदाम हैडलिंग शुल्क, इंडएएस–116 इकाइयों के अनुसार लीज देनदारी, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रदर्शनी/प्रतिनिधिमंडल और अन्य देय आदि शामिल हैं।

टिप्पणी–16क: अनुदानों में अधिशेष के प्रति भारत सरकार को भुगतानयोग्य धनराशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	पिछले वर्ष में अग्रेनीत शेष		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान/ब्याज	राज्य एजेंसी को प्रतिपूर्ति/वापसी/समायोजन/अंतरण	अधिगृहीत अचल परिसंपत्तियां/डब्ल्यूआईपी	निवल राजस्व व्यय	कुल व्यय	प्रतिपूर्ति योग्य व्यय	31.03.24 को यथास्थिति	
	घाटा	अधिशेष							घाटा	अधिशेष
विपणन सहायता योजना										
विपणन सहायता योजना	0.00	1172.57	1366.73	-1463.56	511.20	285.55	796.75	796.75	0.00	278.99
उत्तर पूर्व क्षेत्र में संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायक	0.25	0.00	44.10	0.00	0.00	44.10	44.10	44.10	0.25	0.00
उप–जोड़		**1172.32**	**1410.83**	**-1463.56**	**511.20**	**329.65**	**840.85**	**840.85**		**278.74**
उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन	0.00	16.57	0.08	-0.34	12.77	0.00	12.77	12.77	0.00	3.54
राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच)										
एनएसएसएच – एससीएसपी	0.00	2728.84	4307.42	-19.16	0.00	7164.49	7164.49	7164.49	147.39	0.00
एनएसएसएच – टीएसपी	0.00	688.43	4105.15	-1.44	0.00	4899.52	4899.52	4899.52	107.38	0.00
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एससीएसपी)	0.00	103.71	203.00	-3.02	0.00	231.15	231.15	231.15	0.00	72.54
एनएसएसएच – सामान्य	0.00	436.42	956.07	-65.69	0.00	1238.02	1238.02	1238.02	0.00	88.78
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (टीएसपी)	0.00	487.33	600.00	0.00	0.00	1078.09	1078.09	1078.09	0.00	9.24
उप–जोड़		**4444.73**	**10171.64**	**-89.31**	**0.00**	**14611.27**	**14611.27**	**14611.27**	**84.22**	**0.00**
खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस)	55.31	0.00	286.10	0.00	0.00	265.63	265.63	265.63	34.84	0.00
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना	0.00	0.00	180.59	0.00	0.00	289.41	289.41	289.41	108.81	0.00
जोड़		**5579.05**	**12049.24**	**-1553.21**	**523.97**	**15495.96**	**16019.93**	**16019.93**	**0.00**	**55.15**

निवल अधिशेष /(घाटा)	**55.15**
गत वर्ष अधिशेष /(घाटा)	**5579.05**

टिप्पणी–17 प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति		31.03.23 को यथास्थिति	
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
उपदान हेतु	5504.29		5384.35	
छुट्टी नकदीकरण हेतु	3332.32		3251.29	
अर्ध–वेतन छुट्टी हेतु	575.99		524.55	
सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते हेतु	4.18	9416.78	4.04	9164.23
अन्य				
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु	13915.43		13007.63	
घटाएं: व्यापार से प्राप्यों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के प्रति कोंट्रा के अनुसार समायोजन	13915.43	0.00	13007.63	0.00
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए		73.01		0.00
विनिमय भिन्नता के लिए				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	2249.66		2175.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	402.91		408.13	
घटाएं: विनिमय भिन्नता हानियों के लिए उपयोग किया गया	41.69		242.49	
घटाएं: पुरांकित राशि	197.11	2413.77	90.98	2249.66
संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु (केएफडब्ल्यू)				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	46.02		47.26	
घटाएं: उपयोग में लाई गई/पुरांकित राशि	46.02	0.00	47.26	0.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**11903.56**		**11413.89**

टिप्पणी:– कर्मचारी लाभ प्रावधानों के लिए टिप्पणी–35 का क्रम सं. 4(आई) देखें।

अनुलग्नक–17क परिवर्धन, प्रत्यावर्तन एवं प्रावधानों के उपयोगों के ब्यौरे

2023-24

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2023 को यथास्थिति आरंभ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	उपयोग/उलट/समायोजन	वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	31.03.2024 को यथास्थिति अंत शेष
उपदान के लिए	5384.35	652.09	522.85	9.30	5504.29
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3251.29	751.86	650.30	20.53	3332.32
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	524.55	104.25	17.68	35.13	575.99
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	4.04	0.53	0.04	0.35	4.18
संदिग्ध ऋणों हेतु	13007.63	1017.22	0.00	109.43	13915.43
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए	2249.66	73.00	0.00	0.00	73.01
विनिमय भिन्नता के लिए	0.00	402.90	41.69	197.11	2413.77
प्रचार गतिविधि के लिए	0.00	46.02	46.02	0.00	0.00
जोड़	**24421.52**	**3047.87**	**1278.58**	**371.85**	**25818.99**

2022-23

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2022 को यथास्थिति आरंभ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	उपयोग/उलट/समायोजन	वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	31.03.2023 को यथास्थिति अंत शेष
उपदान के लिए	5200.40	610.74	425.97	0.82	5384.35
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3156.29	687.99	574.97	18.02	3251.29
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	508.11	84.19	27.61	40.14	524.55
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	3.92	0.41	0.07	0.22	4.04
संदिग्ध ऋणों हेतु	13173.98	241.99	0.00	408.34	13007.63
विनिमय भिन्नता के लिए	2175.00	408.13	242.49	90.98	2249.66
प्रचार गतिविधि के लिए	0.00	47.26	47.26	0.00	0.00
जोड़	**24217.70**	**2080.71**	**1318.37**	**558.52**	**24421.52**

टिप्पणी – 18 अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	1647.76	1347.76
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	973.02	930.06
कर्मचारी अग्रिम पर बट्टाकरण का प्रभाव	1.95	4.48
अन्य भुगतान योग्य – कर	663.43	697.23
थोक आपूर्ति के लिए देय खाता (आरएमए/एडब्ल्यूआरटी)	3247.24	2195.73
तुलन–पत्र के अनुसार	**6533.40**	**5175.26**

टिप्पणी# :– इसमें एसपीआरएस, एनएसएसएच इकाइयों, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रदर्शनी/प्रतिनिधिमंडल और अन्य देय के लिए देय खाता शामिल है।

टिप्पणी – 19 शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
प्राधिकृत		
100–100 रुपए के 5,35,00,000 (गत वर्ष 5,35,00,000) इक्विटी शेयर	53500.00	53500.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त		
100–100 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 5,32,98,800 (गत वर्ष 5,32,98,800) इक्विटी शेयर	53298.80	53298.80
तुलन पत्र के अनुसार	**53298.80**	**53298.80**

अनुलग्नक–19क बकाया शेयरों की संख्या का लेखा मिलान

विवरण	इक्विटी शेयर (संख्या)	अधिमानी शेयर (संख्या)
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	53298800	0
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	0	0
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	53298800	0

अनुलग्नक–19ख भारत सरकार और प्रमोटरों द्वारा निगम में 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.24 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.24 के अनुसार धारण प्रतिशत	31.03.23 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.23 के अनुसार धारण प्रतिशत
प्रमोटर				
भारत सरकार	53298800	100	53298800	100
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग में परिवर्तन		-	-	-

अनुलग्नक–19ग पिछले 5 वर्षों के संबंध में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसरण में आबंटित शेयरों, बोनस शेयरों और वापस खरीदे गए शेयरों के विवरण

विवरण	शेयरों की कुल संख्या				
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
इक्विटी शेयरः					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त		0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर		0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर		0	0	0	0
अधिमानी शेयरः					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त		0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर		0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर		0	0	0	0

अनुलग्नक–19घ अप्रदत्त मांगों के विवरण

विवरण	31.03.24 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
अप्रदत्त मांगें		
निदेशकों द्वारा		0
अधिकारियों द्वारा		0

अनुलग्नक–19ङ शेयरों से संबद्ध अधिकार, वरियता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर केवल शेयर पूंजी की वह श्रेणी है, जिनका सममूल्य 100/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी रूप से उपस्थित होता है, जोकि एक वोट देने का हकदार है, और मतदान में प्रत्येक शेयर एक वोट का पात्र है।

इक्विटी शेयर का प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य के अनुपात में मतदान अधिकार है। कंपनी की तरलता के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक क्रेडिट की गई धनराशियों को उन इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त धनराशि को पुनः अदा किए जाने के पात्र हैं। समापन आरंभ होने पर सभी अधिशेष परिसंपत्तियां, देयताओं के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयर के धारकों को उनके शेयरधारण के अनुपात में अदा की जाएंगी।

टिप्पणी – 20 अन्य इक्विटी के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2023 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि/सृजन	वर्ष के दौरान कटौती		31.03.2024 को यथास्थिति
			अंतरण/बिक्री/समायोजन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	
प्रारक्षित पूंजी/आस्थगित आय (भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों के मूल्य दर्शाने वाली आरक्षित निधि)					
तकनीकी केंद्र	275.11	0.00	0.48	21.79	252.84
सरकारी खरीद योजना	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
उपर्युक्त प्रौद्योगकी	2.19	0.00	0.00	0.01	2.18
आधुनिकीकरण – ताला परियोजना	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	17.33	0.00	0.00	0.57	16.76
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर	53.62	0.00	0.00	4.38	49.24
लघु औज़ार कक्ष केंद्र	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
तकनीकी केंद्र का आधुनिकीकरण	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	1.28	0.00	0.00	0.02	1.26
उत्पाद डिजाइन केंद्र (प्राइड)	9.83	0.00	0.00	0.32	9.51
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर (आईटी)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
लघु उद्योग मार्ट (एलयूएम)	181.12	0.00	0.00	6.60	174.52
केएफडब्ल्यू (पश्चिम जर्मनी) ऋणों पर ब्याज विभेदक निधि	17.34	0.00	0.00	0.51	16.83
बैंकिंग ओवन का प्रौद्योगिकी विकास	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
डीएसटी–एसटीईपी (एस एण्ड टी परियोजना)	15.53	0.00	0.00	3.22	12.31
इंधन सक्षम डीजल इंजन परीक्षण (टीएफईडीई)	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
विपणन विकास केंद्र	58.40	0.00	0.00	1.54	56.86
एस एण्ड टी परियोजना पर ब्याज विभेदक निधि	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन – एलबीआई/एसपायर	119.39	12.77	-81.03	20.54	192.65
संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायता	3575.64	511.21	106.50	283.46	3696.89
उप जोड़	**4343.95**	**523.98**	**25.95**	**342.96**	**4499.02**
अन्य आरक्षित निधियां					
पूंजी प्रतिस्थापन आरक्षित निधि	73.09	0.00	0.00	0.00	73.09
हानिकरण आरक्षित*	4866.65	0.00	0.00	0.00	4866.65
अवधारित आरक्षित	54984.08	12939.36	5845.64	0.00	62077.80
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए इक्विटी लेख	285.54	83.12	0.00	0.00	368.66
ओसीआई के जरिए सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि	-518.96	-11.66	0.00	0.00	-530.62
सांविधिक आरक्षित – भा.रि.बैं. अधिनियम 1934* के धारा 45 आईसी के अंतर्गत ''	8389.87	2531.15	0.00	0.00	10921.02
तुलन–पत्र के अनुसार	**72424.22**	**16065.95**	**5871.59**	**342.96**	**82275.62**
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के प्रति आरक्षित	0	0	0	0	0

* टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(वाई)(ए) देखें।
** टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(वाई)(सी) देखें।

टिप्पणी – 21 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व		
क उत्पादों की बिक्री		
विपणन क्रियाकलाप		
विपणन	6547.74	13518.20
निर्यात	0.00	0.00
कच्चा माल वितरण	269861.14	218973.46
लाभ व हानि विवरण के अनुसार	**276408.88**	**232491.66**
ख सेवाओं की बिक्री		
एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) से आय	886.70	973.52
डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) से राजस्व	581.80	486.10
आवेदन प्रक्रिया शुल्क	2.43	2.64
प्राप्त किराया	5446.83	4905.15
साफ–सफाई एवं अन्य प्रभार	1189.28	1177.01
प्रशिक्षण क्रियाकलापों से राजस्व	1951.54	1642.97
सामान्य सुविधाओं के कारण राजस्व	1237.99	996.06
परियोजना परामर्शी प्रभार	1125.00	0.00
प्रशिक्षण–एवं–इंक्यूबेशन केंद्र–एलबीआई/एसपायर (टीआईसी) से आय	47.29	43.36
प्रदर्शिनियों, सेमिनारों, बैठकों, सम्मेलनों और विपणन अभियानों से प्राप्तियां	109.75	18.79
सेवाओं से अन्य प्राप्तियां	10.75	9.40
सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडी)	972.30	739.01
एसआरआई फंड से प्रबंधक शुल्क	570.17	386.66
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**14131.83**	**11380.67**
ग ब्याज आय		
मूल लागत पर		
पक्षकारों से:		
सामान्य	31927.76	28225.69
दांडिक ब्याज	3.97	6.74
बैंकों के पास जमा से	53.73	30.87
कमचार्री अग्रिम से	0.31	0.75
अन्य से	2.05	2.61
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर ब्याज का लाभ (नेट)	0.00	0.00
परिशोधित लागत पर		
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट का प्रभाव	57.03	75.90
ब्याज आय कर्मचारी/परिशोधित लागत	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**32044.85**	**28342.56**

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
घ शुल्क और कमीशन आय				
अर्जित प्रक्रिया शुल्क/सेवा प्रभार	**संचालित माल, प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य**	**प्रक्रिया शुल्क**	**संचालित माल, प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य**	**प्रक्रिया शुल्क**
आरएमडी / आरएमए / एडब्ल्यूआरटी *	1108344.79	4614.99	1641622.18	4334.52
विविध वस्तु **	60068.84	214.28	42707.47	395.60
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**1168413.63**	**4829.27**	**1684329.65**	**4730.12**
ङ अन्य प्रचालन राजस्व				
आधिक्य प्रावधान पुरांकितः				
केएफडब्ल्यू	243.13		138.25	
सरकारी गारंटी शूल्क	0.00		0.00	
अन्य से #	4.56	247.69	169.75	308.00
सहायक कंपनी से व्यय की प्रतिपूर्ति		120.79		114.69
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**368.48**		**422.69**

नोटः–
बिक्री में छूट रियातें, आदि शामिल हैं। 10675.36 लाख
*आरएमडी/आरएमए/एडब्ल्यूआरटी में बैंक गारंटी (थोक और थोक–भिन्न आपूर्ति), अग्रिम भुगतान और एजेंसी बिक्री/गोदाम संचालन हेतु प्रत्याभूति के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल है।
** विविध मदों में बिल वित्तपोषण, विपणन और बैंक टाई अप के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल हैं
# संदिग्ध ऋण लिखित वापसी (नेट) रुपये का प्रावधान शामिल है। रु. शून्य लाख (166.35 लाख रु.)
@ संदर्भ – टिप्पणी 35 की क्रम सं. 4(छ) देखें।

टिप्पणी–22 अन्य आय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आय		
आयकर रिफंड पर ब्याज	161.71	14.34
लाभाशं आय	51.86	84.58
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गयाः अंतिम लाभ	65.33	59.19
एसआरआई फंड की ओर से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति	132.03	39.78
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**410.93**	**197.89**

टिप्पणी–23 अनुदान और आर्थिक सहायता

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए	**16019.93**	**12355.05**
घटाएंः पूंजी व्यय (निवल)	523.98	563.74
घटाएंः एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, प्रशिक्षण, किराया आदि	101.09	92.34
घटाएंः प्रशिक्षण शुल्क – एटीआई	329.65	340.82
घटाएंः सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)	972.30	739.01
घटाएंः बी2बी योजना (पीएमएसएस) के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि	265.63	111.03
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**13827.28**	**10508.11**

टिप्पणी–24 उत्पादों की खरीद

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
विपणन गतिविधि		
विपणन	6547.12	13518.15
निर्यात	0.00	0.00
कच्चे माल का वितरण	268517.71	218278.34
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**275064.83**	**231796.49**

नोटः– खरीदारी छूट, रियायत आदि मिलाकर 11934.32 लाख रूपये है।

टिप्पणी–25 माल में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
तैयार मालः				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
चल रहा कार्यः				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**0.00**		**0.00**

टिप्पणी–26 कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन और भत्ते		9319.59		9368.88
निम्नलिखित के प्रति अंशदानः				
भविष्य निधि	807.87		782.86	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	705.87	1513.74	660.95	1443.81
उपदान		660.39		631.99
स्टाफ कल्याण व्यय		244.22		145.15
अन्य लाभ		2281.87		1721.91
निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)				
वेतन और भत्ते		119.64		69.72
निम्नलिखित हेतु अंशदानः				
भविष्य निधि	9.69		5.71	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	**8.47**	**18.16**	**4.75**	**10.46**
उपदान		2.42		1.14
अन्य लाभ		24.63		14.44
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**14184.66**		**13407.50**

टिप्पणी – 27 वित्त लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
उधार पर ब्याजः				
क्रैडिटैन्स्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू ऋण)	480.51		487.14	
कासा डिपॉजिट ई प्रेसटिट, इटली (पूर्व में आर्टिजिनएनकासा एसपीए के नाम से विख्यात)	2.83		2.84	
बैंक	10974.29		8590.12	
अन्य	0.00	11457.63	0.00	9080.10
उधार लेने पर अन्य लागतः				
अन्य वित्त प्रभार		21.15		4.56
कर्मचारी अग्रिम/परिशोधित लागत पर ब्याज व्यय		0.42		0.01
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**11479.20**		**9084.67**

टिप्पणी – 28 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
निम्नलिखित पर मूल्यह्रासः				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		818.70		683.95
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां		0.00		0.00
अनुदानों के प्रति अर्जित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण				
कोंट्रा के अनुसार मूल्यह्रास	342.95		375.41	
घटाएं: कोंट्रा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधियां	342.95	0.00	375.41	0.00
व्ययों का परिशोधन		26.62		20.15
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण पर हानिकरण क्षति		0.00		0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**845.32**		**704.10**

नोटः– पीपीई पर मूल्यह्रास में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास रू. 64.84 लाख (0.83 लाख) शामिल है

टिप्पणीः टिप्पणी 12 और टिप्पणी–35 का क्रम संख्या 4(ङ) देखें।

टिप्पणी – 29 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

(लाख रुपए में)

विवरण	नकद के रूप में 31.03.2024	अभी अदा किया जाना 31.03.2024	जोड़ 31.03.2024	नकद के रूप में 31.03.2023	अभी अदा किया जाना 31.03.2023	जोड़ 31.03.2023
किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपर्युक्त के अलावा, अन्य खरीद पर	215.14	73.75	288.89	278.27	0.00	278.27
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**215.14**	**73.75**	**288.89**	**278.27**	**0.00**	**278.27**
संबंधित पक्षकार लेन–देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण	नकद के रूप में 31.03.2024	अभी अदा किया जाना 31.03.2024	जोड़ 31.03.2024	नकद के रूप में 31.03.2023	अभी अदा किया जाना 31.03.2023	जोड़ 31.03.2023
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि			288.89			278.27
किए गए व्यय की राशि			288.89			278.27
वर्ष के अंत में कमी			0.00			0.00
पिछले वर्षों की कुल कमी			0.00			0.00
कमी का कारण			लागू नहीं			लागू नही
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति			संदर्भ एन-1			संदर्भ एन-1
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण			शून्य			शून्य

टिप्पणीः

1) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान, 06 ट्यूबवेलों की स्थापना के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना, आरओ प्लांट की स्थापना, जल भंडारण टैंकों का निर्माण, गाय शेड (गौशाला) आदि शामिल हैं।

2) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि, पीएम केयर फंड में योगदान और 03 सामुदायिक जल ई–पीआईओ मशीनों की स्थापना के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना शामिल है।

टिप्पणी – 30 अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली, विद्युत एवं जल प्रभार	1055.12	995.93
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	85.43	93.25
बीमा	23.04	28.03
यात्रा, सवारी एवं वाहन प्रभार	551.83	570.37
माल, भाड़ा एवं चुंगी व्यय	35.45	25.18
संचार व्यय	101.51	98.73
अदा किया गया किराया	398.12	430.95
कर्मचारी भर्ती व्यय	4.22	6.04
लाइसेंस, दरें एवं कर	278.69	276.36
सुरक्षा एवं अन्य संबद्ध सेवाओं पर व्यय	2197.96	2103.91
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	687.48	663.69
कम्प्यूटर अनुरक्षण प्रभार	37.51	14.44
वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अनुरक्षण प्रभार	32.48	18.72
कंप्यूटर, सर्वर आदि, किराया प्रभार	72.42	64.55
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	54.47	55.16
आंतरिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	38.17	36.93
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	289.80	216.22
निदेशकों का बैठक शुल्क	8.79	4.44
निदेशकों का अन्य व्यय	23.13	21.86
प्रशिक्षण व्यय	1088.72	779.43
सामान्य सुविधा प्रभार	105.24	90.06
गोदाम प्रचालनों पर प्रभार	885.96	679.84
सूचनात्मक सेवा व्यय	9.96	4.49
कारोबार/बिक्री संवर्धन व्यय	65.77	86.94
मनोरंजन	32.81	32.70
विज्ञापन एवं प्रचार	34.33	83.99
विविध व्यय	17.30	19.20
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलीयोग्य अग्रिम	0.14	17.35
प्रदर्शियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों पर व्यय	186.95	64.64
क्रेडिट सूचना रिपोर्ट/पीसीआरएस पर व्यय	10.64	8.48
विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) योजना पर व्यय	819.09	2421.92
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएच	12147.37	7437.07
प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) पर व्यय	0.00	39.83
अंतराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय	288.94	9.26
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	907.80	0.00
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छुट का प्रभाव	13.48	21.39
एसपीआरएस पर खर्च	33.72	31.92
वैधानिक बकाया के लिए ब्याज/शुल्क/जुर्माना	3.06	10.26
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**22626.90**	**17563.53**

अनुलग्नक – 30क अन्य व्ययों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
निम्न हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतानः				
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क		41.54		42.74
कर लेखापरीक्षा शुल्क		10.25		10.23
अन्य कराधान मामले		0.00		0.00
कंपनी कानून मामले		0.00		0.00
प्रबंधन सेवाएं		0.00		0.00
अन्य सेवाएं		0.00		0.00
व्ययों की प्रतिपूर्ति		2.68		2.19
जोड़		**54.47**		**55.16**
निम्न पर मरम्मत एवं रखरखाव खर्चः				
भवन		526.56		480.64
मशीनरी		46.26		46.18
अन्य		114.66		136.87
जोड़		**687.48**		**663.69**
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलनीय अग्रिमः				
बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण		0.14		17.35
बट्टेखाते डाले गए अवसूलनीय अग्रिम		0.00		0.00
पीपीई को बट्टे खाते में डाल दिया गया				
बट्टेखाते डाली गई हानियां				
घटाएं: बट्टे डाली गई हानियों के लिए कोंट्रा समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़		**0.14**		**17.35**
निम्न पर प्रशिक्षण व्ययः				
आंतरिक		554.28		431.22
प्रायोजित		372.39		187.99
व्यैक्तिक		0.00		4.42
एटीआई		70.25		90.73
क्षमता निर्माण (एनएसएसएच)		0.05		0.00
अन्य		91.75		65.07
जोड़		**1088.72**		**779.43**
विशेष विपणन सहायता स्कीम पर व्ययः				
घरेलू प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में सहभागिता		704.72		1836.18
विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी				32.00
संगठन का घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का दौरा		0.00		391.96
संगठन का विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का दौरा		0.00		6.47
वेंडर विकास कार्यक्रम		8.38		39.28
कार्यशालाओं, सम्मेलनों, जागरूकता अभियानों का आयोजन		36.10		20.47

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
मेगा इवेंट– एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग संघों–संगठनों के साथ साझेदारी में एससी–एसटी कॉन्क्लेव/सम्मेलन का आयोजन)	69.89	95.56
जोड़	**819.09**	**2421.92**
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय :		
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल का दौरा।	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी।	276.87	9.26
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि आयोजित करना।	12.07	0.00
मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि के लिए एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल।	0.00	0.00
जोड़	**288.94**	**9.26**
सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड		
टीडीएस के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	3.03	8.25
जीएसटी के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.03	0.87
टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के विलंबित जमा पर शुल्क	0.00	0.00
जीएसटी रिटर्न के विलंबित जमा के लिए शुल्क	0.00	0.93
धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज	0.00	0.00
किसी कानून के तहत दंड	0.00	0.21
जोड़	3.06	10.26
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएचः		
प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी	7228.26	6966.11
मौजूदा और महत्वाकांक्षी एससी/एसटी उद्यमियों की क्षमता निर्माण– कौशल विकास कार्यक्रम		
मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	4598.00	233.13
मौजूदा और इच्छुक एससी/एसटी उद्यमियों का क्षमता निर्माण– क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए टूलकिट वितरण	0.00	10.31
विभिन्न प्रतिपूर्ति उप–योजनाओं/हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समर्थन		
बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति	11.82	17.53
निष्पादन बैंक गारंटी के लिए बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति	1.47	0.38
परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	1.15	1.31

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता/सदस्यता/प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.86	0.72
एससी/एसटी उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति	54.91	0.00
सरकार द्वारा प्रवर्तित ई–कॉमर्स पोर्टल में सदस्यता की प्रतिपूर्ति (बी2बी को छोड़कर)	0.00	0.00
योजना के बारे में जागरूकता सृजन और प्रचार–प्रसार	1.85	2.94
एससी/एसटी हब को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता	249.05	204.64
कुल	**12147.37**	**7437.07**
खरीद और विपणन सहायता स्कीम पर (पीएमएसएस) पर व्यय		
देश भर में बाजार पहुंच पहल		
व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की भागीदारी	0.00	39.83
डीसी (एमएसएमई) मंत्रालय/कार्यालय/सरकारी संगठनों द्वारा घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी	0.00	0.00
विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)	0.00	0.00
क्षमता निर्माण		
आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना	0.00	0.00
बार कोड को अपनाना	0.00	0.00
ई–कॉमर्स प्लेटफार्म को अपनाना	0.00	0.00
राष्ट्रीय कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ	0.00	0.00
मंत्रालय/डीसी (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन (पारंपरिक/आभासी)	0.00	0.00
रिटेल आउटलेट का विकास	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**39.83**

टिप्पणी – 31 कर व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कर हेतु प्रावधान				
चालू कर हेतु प्रावधान	4574.00		3602.00	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	-15.83		311.21	
संपत्ति कर हेतु प्रावधान	0.00	4558.17	0.00	3913.21
पूर्ववर्ती वर्ष के करों के लिए प्रावधान				
कर हेतु प्रावधान	-23.92		-34.37	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	0.00	-23.92	0.00	-34.37
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार		**4534.25**		**3878.84**

टिप्पणी – 32 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
गणक		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर–पश्चात लाभ	12939.36	11294.85
मूल्य वर्ग		
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 100/– रुपए)	53298800	53298800
वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों की संख्या	0	0
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
तरलीकृत प्रति शेयर की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
प्रति शेयर मूल अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	24.28	21.19
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	24.28	21.19

टिप्पणी–33 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न की गई सीमा तक)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) **आकस्मिक देयताएं**		
ऋणों के रूप में न माने गए निगम के प्रति दावे	586.40	156.05
विवादित आय कर, ब्याज कर, बिक्री कर, व्यापार की मांग	722.90	603.41
अन्य राशि, जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	3127.23	3215.00
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार	**4436.53**	**3974.46**
(ii) **प्रतिबद्धताएं:**		
पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान न किया गया हो (अग्रिमों को घटाकर निवल)	793.19	986.82
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार	**793.19**	**986.82**

टिप्पणी–34 शुल्क और कमीशन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए
शुल्क और कमीशन:		
सरकारी गारंटी शुल्क	18.32	19.01
विदेशी मुद्रा लेन–देन और अनुवाद ब्याज पर हानि	15.69	24.15
बैंक शुल्क और कमीशन	36.59	37.83
अन्य	0.69	3.10
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**71.29**	**84.09**

टिप्पणी–35:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियाँ

इन समेकित वित्तीय विवरणों में, रा.ल.उ.नि. और इसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (जिन्हें मिलाकर समूह कहा गया है) के वित्तीय विवरण शामिल है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (''एनवीसीएफएल'' या ''कंपनी''), भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त 2020 को निगमित की गई थी। एनवीसीएफएल, भारत सरकार का एक उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (''एनएसआईसी'') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और इसका पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज–III नई दिल्ली–110020 (भारत) में स्थित है। 1 सितंबर 2021 से, एनवीसीएफएल को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत सेल्फ रिलाएंट इंडिया (एसआरआई) फंड ('योजना' या 'निधि') नामक इसकी पहली योजना के लिए श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत किया गया और पंजीकरण संख्या आईएन/एआईएफ2/21–22/0924 प्राप्त हुई है। इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी इसके योगदानकर्ता हैं, और इसे एक अलग 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में माना गया है। इस योजना का उद्देश्य इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में सहायता के प्रावधान के लिए संतति/अनुषंगी निधियों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचनाएं, समूह के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात पक्षकारों के स्टेट्स की सीमा तक विनिर्धारित कर ली गई हैं।

लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त बची धनराशिः		
	क) मूलधन की धनराशि	11916.71	16463.62
	ख) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
2	नियुक्त दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई धनराशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान (जो कर दिया गया है, परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के पश्चात) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
4	उपार्जित और अप्रदत्त बचे ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
5	उस तारीख तक, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य खर्च के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए लघु उद्यम को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, आगामी वर्ष में भी देय बचे और भुगतान योग्य अगले ब्याज की धनराशि।	शून्य	शून्य

रा.ल.उ.नि, कंसोर्टिया और निविदा विपणन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर से निविदा सहभागिता के जरिए अपने उत्पादों का विपणन करने में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी और एमएसईज के बीच किए गए करार के अनुसार एमएसईज एनएसआईसी के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अवार्ड की गई निविदाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और धनराशि केवल संबंधित क्रेता विभागों से भुगतान की प्राप्ति पर ही देय होती है। इन इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)/उद्यम पंजीकरण संख्या और आपूर्तिकताओं के निगम (रा.ल.उ.नि.) में पंजीकरण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में ''एमएसएमईज की देय व्यापार भुगतान योग्य बकाया देय राशि'' के रूप में दर्शाई गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एनएसआईसी को धारा 2(एन) उप–खंड (i) के अंतर्गत एक "आपूर्तिकर्ता" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2016 के परिपत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि एनएसआईसी, एमएसईज (आपूर्तिकर्ता इकाइयों) और विभिन्न क्रेताओं को एक साथ लाने में "सुविधाप्रदाता" के रूप में कार्य करता है। चूंकि एनएसआईसी किसी भी चरण में

एनएसआईसी ''सुविधाकरण'' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी विभागों को एमएसईज द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान के लिए लाभग्राही "क्रेता" नहीं बनता, इसलिए एनएसआईसी विलंबित भुगतान पर ब्याज के उद्देश्य के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार "क्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य सरकारी विभागों के, सामान के लाभग्राही "क्रेता" होने के कारण वे "आपूर्तिकर्ता" द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तद्नुसार, उन इकाइयों को भुगतानयोग्य ब्याज से संबंधित उपबंध एनएसआईसी पर लागू नहीं होते।

एमएसएमई विभाग के अनुसार, ओड़िशा– सरकार ने अपने परिपत्र क्रमांक एमएसएमई–पीएसएफ–एमआईएससी–0040–2023/3594/एमएसएमई–भुवनेश्वर दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से बताया कि एनएसआईसी की भूमिका 'सुविधाकर्ता' और 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में है न कि 'खरीदार' के रूप में और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत विलंबित भुगतान पर ब्याज की प्रयोज्यता के लिए 'एमएसई इकाइयों के साथ सह–आवेदक।

अन्य व्यापार भुगतानयोग्य के संबंध में निगम ने कोई ज्ञापन (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने के लिए यथापेक्षित) प्राप्त नहीं किया है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को भुगतान योग्य धनराशि "व्यापार भुगतानयोग्य – गैर–एमएसई की बकाया देय" के रूप में दर्शाई गई है।

2. निगम में बैंकों और अन्य पक्षकारों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया शेषों के लिए पुष्टि प्राप्त करने के पत्र व्यापार प्राप्तियोग्य, लेनदारों, ठेकेदारों, अग्रिमों, जमा धनराशियों, ऋणियों आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे विनिर्धारित अवधि के अंदर पुष्टि करें या टिप्पणी भेजें और ऐसा करने में विफल रहने पर पत्र में दर्शाए गए शेष को अभिपुष्ट के रूप में माना जाएगाा। सरकारी/स्थानीय प्राधिकरणों की देय धनराशियों के मामले में और ऐसे मामलों में, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और/या मुकदमा/कानूनी कार्यवाही की जाती है, ग्राहकों की शेष धनराशियाँ आमतौर पर पुष्टि के अधीन नहीं होती। किसी भी पक्षकार से कोई प्रतिकूल संसूचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पक्षकारों के साथ लेखाओं के समाधान एक चल रही प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं।

तथापि, कुछ मामलों में पुष्टियां प्रतीक्षित हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनका प्रभाव प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है:

शेष पुष्टि विवरण–

वित्तीय वर्ष 2023–24

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज/जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज/ जब्त पट्टाधारित उचंत/संग्रहण के लिए भेजे गए चैक *	सरकारी देय राशियां, धनराशि, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और/या मुकदमे/कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और बैंक शेष	11356.07	-	11356.07	-	11356.07	11356.07	-
2	प्राप्तियोग्य	12660.32	331.21	12329.11	6597.24	5731.87	427.13	5304.73
3	ऋण एवं अग्रिम	273715.57	568.54	273147.03	1446.03	271701.00	254857.28	16843.72

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस / अतिरिक्त / सामान्य ब्याज / जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि / अतिरिक्त / सामान्य ब्याज / जब्त पट्टाधारित उचंत / संग्रहण के लिए भेजे गए चैक *	सरकारी देय राशियां, धनराशि, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और / या मुकदमे / कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1678.95	-	1678.95	758.60	920.35	689.33	231.02
5	व्यापार देय	11986.32	-	11986.32	31.17	11955.14	5518.46	6436.68
6	अन्य वित्तीय देनदारिया	13038.56	-	13038.56	398.21	12640.35	7159.30	5481.06
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	6528.61	-	6528.61	3907.83	2620.78	1173.02	1447.76
	जोड़	**330964.39**	**899.75**	**330064.64**	**13139.08**	**316925.56**	**281180.59**	**35744.97**

* धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

वित्तीय वर्ष 2022.23

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस / अतिरिक्त / सामान्य ब्याज / जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि / अतिरिक्त / सामान्य ब्याज / जब्त पट्टाधारित उचंत / संग्रहण के लिए भेजे गए चैक *	सरकारी देय राशियां, ध नराशि, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और / या मुकदमे / कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और बैंक शेष	9640.00	-	9640.00	-	9640.00	9640.00	
2	प्राप्तियोग्य	18119.39	335.19	17784.20	15184.67	2599.53	2205.72	393.81
3	ऋण एवं अग्रिम	275029.90	669.77	274360.13	2651.30	271708.83	256011.47	15697.36
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2550.56	-	2550.56	1202.58	1347.98	1118.39	229.59
5	व्यापार भुगतानयोग्य	16576.94	-	16576.94	6519.79	10057.15	9491.80	565.35
6	अन्य वित्तीय देयताएं	17068.19	-	17068.19	9758.44	7309.75	5915.89	1393.86
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	5077.90	-	5077.90	5033.51	44.39	44.39	-
	जोड़	**344062.88**	**1004.96**	**343057.92**	**40350.29**	**302707.63**	**284427.66**	**18279.97**

*धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

3. प्रबंधन की राय में ऋणों और अग्रिमों सहित सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की कम से कम उस धनराशि के बराबर सामान्य व्यवसाय में वसूल किए जाने पर एक मूल्य है, जिस पर मूल्य उनका उल्लेख तुलन–पत्र और लेखांकन नीति 46 (ख) के अनुबंध के अनुसार प्रावधान मापदंडों के अनुसार में किया गया है, जहाँ कहीं आवश्यक हो।

4. **वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार हैं।**

क. भारतीय लेखाकंन मानक 1 के अनुसार प्रकटीकरणः वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के संबंध में आईएनडी एएस 1 में संशोधन के अनुसार, बेहतर स्पष्टता और प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन नीतियों को आवश्यकतानुसार पुनः तैयार/पूरक किया गया है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक 2 के अनुसार प्रकटीकरणः माल–सूचियाँ

क) 31.03.2024 को यथास्थिति माल–सूचियों की कुल रखाव धनराशि 9.08 लाख रुपए (11.48 लाख रुपए) है, जैसाकि तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया है।

ख) माल–सूचियों का उल्लेख लागत या बाज़ार मूल्य से निम्नतर स्तर पर किया गया है और ऐसी कोई माल–सूची नहीं है, जिसकी रखाव लागत का उल्लेख 31 मार्च, 2024 को यथास्थिति उचित मूल्य पर किया गया हो।

ग. आईएनडी एएस–8 के अनुसार प्रकटीकरण– ''लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां''

1. **आईएनडी 1** – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है।

2. **आईएनडी 8** – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां – इस संशोधन ने लेखांकन अनुमानों की एक परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को पृथक करने में सहायता करने के लिए आईएनडी 8 में संशोधन शामिल किए हैं।

निगम ने उपरोक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया है और एकल वित्तीय विवरणों परइसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

घ आईएनडी 12 के अनुसार प्रकटीकरण आयकरं

क) वित्तीय वर्ष 2023–24

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2023 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यताप्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 को निवल शेष
आस्थगित कर देयताए				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	2107.94	270.01	-	2377.95
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टाकारण	44.72	10.85	-	55.57
निवेशों का उचित मूल्य	76.70	-	27.96	104.66
उप–जोड़	**2229.36**	**280.86**	**27.96**	**2538.18**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3274.02	228.49	-	3502.51
कर्मचारी लाभ	2484.24	71.71	3.92	2559.87
उप–जोड़	**10.53**	**(3.51)**	**3.92**	**7.02**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**3539.43**	**15.83**	**(24.04)**	**3531.22**

ख) वित्तीय वर्ष 2022-23

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2023 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यताप्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 को निवल शेष
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	1797.70	310.24	-	2107.94
वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का बट्टाकरण	31.00	13.72	-	44.72
निवेशों का उचित मूल्य	67.72	-	8.98	76.70
उप–जोड़	**1896.42**	**323.96**	**8.98**	**2229.36**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3315.89	(41.87)	-	3274.02
कर्मचारी लाभ	2429.09	55.91	(0.76)	2484.24
उप–जोड़	**11.81**	**(1.28)**	**-**	**10.53**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**5756.79**	**12.76**	**(0.76)**	**5768.79**

(लाख रुपए में)

आय कर के प्रावधान और कर–पूर्व लाभ के प्रति भारतीय सांविधिक आय कर की दरें लागू करके परिकलित की गई धनराशि के बीच समाधान

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कर–पूर्व लाभ	17564.71	15230.79
किसी घरेलू कंपनी पर लागू कर की दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	4421.04	3833.58
निम्नलिखित का कर प्रभावः		
ऐसे व्यय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौतीयोग्य नहीं हैं	975.58	680.90
ऐसी आय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कर योग्य नहीं है	(822.62)	(912.48)
चालू कर प्रावधान	**4574.00**	**3602.00**
पिछली अवधियों से संबंधित आय कर	(23.92)	(34.37)
वर्धित आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)	(15.83)	311.21
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कर व्यय	4534.25	3878.84
प्रभावी कर दर	**25.81%**	**25.47%**

ड़. अघोषित आय का प्रकटीकरण –

निगम ने खातों की किताबों में ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी अप्रलेखित आय का अभ्यर्पण या प्रकटीकरण नहीं किया है।

च. भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार प्रकटीकरण– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 – अमूर्तपरिसंपत्तियां

तुलन पत्रों में प्रासंगिक पंक्ति मदें	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु. लाख में)	निम्न के नाम पर धारित प्राधिकार विलेख	क्या प्राधिकार विलेख धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार रु प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	किस तिथि से संपत्ति का धारण किया गया है	निगम'' के नाम पर धारण नहीं किए जाने का कारण
पीपीई	तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	रेफर नोट 1	नहीं	1959-60	-
पीपीई	शाखा कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	रेफर नोट 2	नहीं	1988	-

टिप्पणी–1: यद्यपि स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर रखे गए हैं, तथापि, स्थानीय सरकार से शीर्षक कार्यों की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन नहीं है।

टिप्पणी–2: तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें कंपनी के छह फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और कब्जा कंपनी के पास है, हालांकि, कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेख/दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।

क) एनटीएससी–राजकोट की 3.28 एकड़ जमीन पर कुछ औद्योगिक इकाइयों के साथ–साथ अनधिकृत आवासीय इकाइयों का भी अतिक्रमण है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी भूमि का स्वामित्व निगम के पक्ष में है, और कब्जा निगम के पास है।

ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, रु. 12.15 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 109.88 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 25.33 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 13.18 लाख के लाभ को दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, रु. 21.92 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 95.66 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 35.86 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 13.94 लाख का नुकसान दर्ज किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

छ. बेनामी संपत्ति का प्रकटीकरण:

निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। इसलिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (धारा 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ की गई अथवा लंबित नहीं है। क्योंकि निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

ज. उधारी पर प्रकटीकरण

क) निगम ने बैंकों/संस्थानों, या अन्य ऋणदाताओं से लिए गए उधार/ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) इस प्रकार निगम को बैंक या वित्तीय संस्थान, या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) निगम ने किसी भी अर्हक परिसंपत्ति के लिए कोई राशि उधार नहीं ली है, जिसके ब्याज को भारतीय लेखांकन मानक 23 (इंड–एएस 23), "उधार लागत" के अनुसार पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, वर्ष के दौरान किसी भी ब्याज का पूंजीकृत नहीं किया गया है।

घ) बैंक/वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं से लिए गए ऋणों के संबंध में सभी प्रभारों को वैधानिक अवधि के भीतर कंपनी के पंजीकरण (आरओसी) के साथ पंजीकृत किए गए हैं।

(ड) निम्नलिखित प्रभारों की संतुष्टि को वैधानिक अवधि से परे के बाद भी आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है:

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रभारों की संतुष्टि का विवरण	रजिस्ट्रार की अवस्थिति	विलंब की अवधि (माह)	राशि सीमा (लाख रुपए में)	कारण
1	पंजाब नशनल बैंक	बही ऋण, फ्लोटिंग प्रभार, चल संपत्ति	नई दिल्ली	बैंक से एनओसी की प्रतीक्षा है	10000.00	यह प्रक्रियाधीन है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा।

झ. भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण – कर्मचारी लाभ

क) विभिन्न सुनिश्चित कर्मचारी लाभ स्कीम का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

i. सुनिश्चित अंशदान स्कीम

(क) भविष्य निधि:

निगम की भविष्य निधि का प्रबंधन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है, जो अनुमतिप्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। यह न्यास भारत सरकार द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर ब्याज की दर निश्चित करता है। देयता की मान्यता बीमांकिक आधार पर की जाती है।

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

निगम में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को 5 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए भर्ती इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में देयता को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् निगम की वहन क्षमता के आधार पर आईडीए पैटर्न के अधीन कर्मचारियों के 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में चालू वित्तीय वर्ष के मूल वेतन + महंगाई भत्ते पर 2 प्रतिशत अंशदान और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कर–पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत।

कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में इसका विलय क्षेत्रीय भविष्य निधि न्यास जरिए किया गया है।

ii. सुनिश्चित लाभ योजनाएँ

(क) उपदान:

निगम में एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु पर, सेवा के पूरे कर लिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26 अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) छुट्टी:

निगम, निगम के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रति वर्ष उपार्जित होती हैं। आईडीए पैटर्न के कर्मचारियों के मामले में सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में अर्जित अवकाश अधिकतम 30 दिनों के लिए भुनाया जा सकता है, और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन (अर्ध वेतन अवकाश सहित, कम्यूटेशन के बिना) के लिए भुनाया जा सकता है।

इस खाते पर देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(ग) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ताः

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता गृह नगर में या ऐसे स्थान पर, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भारत में रहने का इच्छुक है, में रहने से संबंधित है और इसमें घरेलू सामान भत्ता भी शामिल है। इस संबंध में देयता को, समूह में बीमांकिक मूल्याकंन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) अधिवर्षिता पेंशन योजनाः

कर्मचारी समूह अधिवर्षिता पेंशन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। समूह का दायित्व नामांकित कर्मचारियों के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का भुगतान करने तक सीमित है।

अवधि के लिए योजना के प्रति अंशदान, निगम की वहन क्षमता के आधार पर बीमांकिक आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत है।

(ङ) सेवा के दौरान चिकित्सा सुविधाः

निगम, स्वयं और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सेवारत कर्मचारियों को भर्ती संबंधी इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यदि इलाज सीजीएचएस दरों के अनुसार है, तो इस बाबत हुआ पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है और यदि इलाज अस्पताल दरों के अनुसार है तो कर्मचारी को व्यय का 15 प्रतिशत (दवाई और इम्पलांट तथा सुनिश्चित विशेष बीमारी को छोड़कर) वहन करना होता है।

ख) उपर्युक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार विनिर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:–

योजना देयता

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.18
	पीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04

सेवा लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
चालू सेवा लागत	सीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
	पीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
कटौती लाभों / हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियाँ	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
	पीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42

निवल ब्याज लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	सीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28

लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.28	508.11	3.92
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
ब्याज लागत	सीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
सेवा लागत	सीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
	पीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
पुनर्मापण	सीवाई	-	-0.05	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कटौती लाभों / हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	सीवाई	-559.78	-693.44	-29.48	-2.82
	पीवाई	-445.37	-600.86	-35.73	-5.22
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	16.12	346.24	-0.04	-0.54
	पीवाई	-2.66	284.14	-24.20	-0.36
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.18
	पीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04

दायित्व पर बीमांकिक लाभ / हानि का अलग–अलग विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	52.19	35.37	7.92	0.04
	पीवाई	-79.69	-55.17	-11.48	-
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-36.07	310.82	-7.97	-0.58
	पीवाई	77.04	228.97	-12.72	-0.36

तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.03
	पीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता / प्रावधान	सीवाई	-5504.29	-3332.32	-575.99	-4.03
	पीवाई	-5330.82	-3249.17	-523.99	-4.04

आय विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्राभत्ता
कुल सेवा लागत	सीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
	पीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
निवल ब्याज लागत	सीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-	346.19	-0.04	-
	पीवाई	-	284.14	-24.20	-
आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	सीवाई	663.60	774.47	80.91	3.50
	पीवाई	631.98	695.87	51.90	5.70

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्राभत्ता
आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-16.12	-	-	0.54
	पीवाई	2.65	-	-	0.36
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-16.12	-	-	0.54
	पीवाई	2.65	-	-	0.36

निवल सुनिश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्राभत्ता
अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.28	508.11	3.92
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
	पीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
पुनर्मापण	सीवाई	16.10	346.18	-0.04	-0.54
	पीवाई	-2.65	284.14	-24.20	-0.36

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्राभत्ता
निधि में भुगतान किया गया अंशदान	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ	सीवाई	-559.78	-693.44	-29.48	-2.82
	पीवाई	-445.36	-600.86	-35.74	-5.22
अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.18
	पीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04

वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्ष के अंत में पीबीओ का द्विभाजन

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्राभत्ता
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर राशि)	सीवाई	505.96	342.91	43.31	0.34
	पीवाई	599.65	326.26	70.05	0.41
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक राशि)	सीवाई	4998.34	2989.42	532.68	3.84
	पीवाई	4784.71	2925.03	454.50	3.63
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	सीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.18
	पीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्राभत्ता
सेवा लागत	सीवाई	276.75	201.40	46.83	4.22
	पीवाई	272.42	203.38	44.71	4.21
निवल ब्याज लागत	सीवाई	397.96	240.92	41.65	0.30
	पीवाई	397.36	239.95	38.71	0.30
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय	सीवाई	674.71	442.33	88.47	4.52
	पीवाई	669.78	443.33	83.41	4.51

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:

विवरण	2023-24	2022-23
उपयोग की गई पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति
बट्टा दर	7.23%	7.38%
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर	0	0
भावी वेतन में वृद्धि	5.50	5.50
मर्त्यता दर	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)
आयु (आहरण दर) (प्रतिशत)		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता

(लाख रुपए में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव	5504.29	3332.32	575.99	4.18
अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य	-170.62	-115.40	-25.77	-0.13
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	180.47	122.81	27.69	0.15
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव				
वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	5504.29	3332.32	575.99	-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	182.62	124.28	28.03	-
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-174.15	-117.77	-26.30	-
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव				

सुनिश्चित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा

(लाख रुपए में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
0 से 1 वर्ष	505.96	342.91	43.31	0.34
1 से 2 वर्ष	545.07	301.47	36.39	0.41
2 से 3 वर्ष	548.49	317.88	33.50	0.39
3 से 4 वर्ष	408.24	218.20	26.95	0.30
4 से 5 वर्ष	418.53	223.35	26.57	0.31
5 से 6 वर्ष	301.80	154.89	32.89	0.23
6 वर्ष से आगे	2776.21	1773.64	376.39	2.20

ग) एनवीसीएफएल के संबंध में, वर्तमान में, कंपनी में केवल एक ही कर्मचारी है, परिभाषित लाभ योजना की लागत और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ और ऐसे दायित्व का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक्चुरेल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल होता है जो एक्चुअरल से भिन्न हो सकती हैं। प्रबंधन का मानना है कि छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और क्षरण दर के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा उपयोग की गई धारणा उचित है।

घ) मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र के अंतर्गत यथाअनुमोदित, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 222.37 लाख रुपए (शून्य रुपए) और 01.01.2007 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्तकर्मचारियों के लिए 126.05 लाख रुपए (128. 05 लाख रुपए) कॉर्पस चिकित्सा योजना हेतु सृजित किया गया हैं। इस कॉर्पस का उपयोग वर्ष के दौरान क्रमशः 173.77 लाख रुपए (115.79 लाख रुपए) और 126.73 लाख रुपए (112.73 लाख रुपए) की सीमा तक बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया गया है। दिनांक 1.1.2007 से पूर्व और दिनांक 1.1.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2024 को चिकित्सा योजना की कुल राशि क्रमशः रु. 301.29 लाख और रु. (252.68 लाख रुपए) और 451.02 (451.07 लाख रुपए) है।

ञ. भारतीय लेखांकन मानक–21 के अनुसार प्रकटीकरणः विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव

क) क्रेडिटांस्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू) ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु प्रावधान, ऋण करारों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार सृजित किया गया हैः

(i) XIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान 218.83

लाख रुपए (219.08 लाख रुपए) की विनिमय भिन्नता हानियों के लिए प्रावधान सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान ऋण के लिए विनिमय भिन्नता हानि 21.72 लाख रुपए (128.10 लाख रुपए) थी और 197.11 लाख रुपए (90.98 लाख रुपए) का प्रावधान पुरांकित किया गया है और इसका उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

(ii) केएफडब्ल्यू XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु ऋण करार के अनुसार प्रावधान सृजित किया गया है। XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत वर्ष के दौरान सृजित विनिमय भिन्नता के लिए किए गए प्रावधान में से प्रावधान के 80 प्रतिशत का उपयोग विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए किया जाएगा और 80 प्रतिशत में से बाकी बचा शेष, यदि कोई हो, को भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए रखा जाएगा।

तद्नुसार, XIIवीं ऋण शृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता के लिए इस वर्ष के दौरान 230.08 लाख रुपए (236.31 लाख रुपए) की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 184.07 लाख रुपए (189.05 लाख रुपए) का उपयोग वर्ष के दौरान विनिमय भिन्नता हानि के प्रति किया गया है और शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 46.02 लाख रुपए (47.26 लाख रुपए) का उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियाँ 19.97 लाख रुपए (114.40 लाख रुपए) थीं, जिसे 80 प्रतिशत प्रावधान अर्थात् 184.07 लाख रुपए (189.05 लाख रुपए) से समायोजित कर दिया गया है और शेष 164.10 लाख रुपए (74.65 लाख रुपए) भावी विनिमय भिन्नता हानियों के लिए रख लिया गया है। दिनांक 31.03.2024 को यथास्थिति इस बाबत संचयी अवधारित प्रावधान 2213.76 लाख रुपए (2249.66 लाख रुपए) है, जिसमें भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए इस वर्ष के लिए 164.10 लाख रुपए (74.65 लाख रुपए) का प्रावधान शामिल है।

ख) विनिमय संबंधी अंतर

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेज़ों पर उत्पन्न को छोड़कर, लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की धनराशि।	(15.69)	(24.15)
2	अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त और इक्विटी के एक अलग संघटक में संचित के बीच निवल विनिमय अंतर	-	-
3	अवधि के आरंभ और अंत में इन विनिमय अंतरों की धनराशि का समाधान।	-	-

ट. भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार प्रकटीकरणः संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

क) संबंधित पक्ष में किसी कंपनी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत यथापरिभाषित संबंधित पक्षों के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे, जिसका अर्थ है (i) एक निदेशक या उसका संबंधी; (ii) एक प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक या उसका संबंधी; (iii) एक फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसका संबंधी भागीदार है, (iv) एक निजी कंपनी जिसमें प्रबंधक या निदेशक, सदस्य या निदेशक है; (v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक, निदेशक है या अपने संबंधियों के साथ इसकी चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक को धारित किए हुए है; (vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक के परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए अभ्यस्त है, (vii) कोई भी व्यक्ति जिसके परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का अभ्यस्त है, बशर्ते कि उप–खंड (vi) और (vii) में से कुछ भी पेशेवर क्षमता में दिए गए परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा; (viii) कोई भी कंपनी जो (क) ऐसी कंपनी की कोई धारक, सहायक कंपनी सहयोगी कंपनी है, या (ख) किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी है जिसकी वह भी सहायक कंपनी है, (ix) ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जाएं।

ख) प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक (केएमपी) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार किसी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक शामिल होंगे, अर्थात – (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, (ii) कंपनी सचिव; (iii) पूर्णकालिक निदेशक; (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी, और (v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिसे बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकी; कर्मियों के रूप में नामित किया गया है, और ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जा सकते हैं

ग) केएमपी के संबंधी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 के तहत यथापरिभाषित संबंधी शामिल होंगे, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि – (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; (ii) वे पति और पत्नी हैं; या (iii) एक व्यक्ति दूसरे से उस तरीके से संबंधित है जो निर्धारित किया जा सकता है।

घ) संबंधित पक्ष के खुलासे पर आईएनडीएस-24 के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है।

एनएसआईसी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	प्दनाम	अवधि	
		कब से	कब तक
श्रीमती मर्सी इपाओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	30.06.2023
श्री विपूल गोयलज	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.07.2023	31.03.2024
श्रीमती मर्सी इपाओ	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	08.05.2023
श्री गौरव गुलाटी	निदेशक (वित्त)	09.05.2023	31.03.2024
श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (पीएंडएम)	01.04.2023	31.03.2024

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	प्दनाम	अवधि	
		कब से	कब तक
श्री कालांदी चरण समल	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023	31.03.2024
श्री अशोक परिहार	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023	31.03.2024
श्री पार्थ माझी	मुख्य वित्त अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023	31.03.2024
श्री गौरव गुलाटी	मुख्य वित्त अधिकारी	09.05.2023	31.03.2024
सुश्री निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2023	31.03.2024

ङ.) **सहायक कंपनी** – एनएसआईसी की एक सहायक कंपनी – मैसर्स एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) है जिसके लिए निगम ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित कंपनियों की परतों की संख्या की आवश्यकता का अनुपालन किया है।

च) संबंधित पक्ष आत्मनिभर भारत (एसएसआई) निधी

i) रा.ल.उ.नि. के साथ वर्ष के दौरान हुए लेनदेन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पार्टी	
		2023-24	2022-23
1.	**आयः**		
क)	अन्य	699.10	551.53
2.	**व्ययः**		
क)	अन्य खर्चों	6.73	5.73
3.	**बकाया शेष**		
क)	व्यापार प्राप्तियां	148.56	613.68
4.	**अन्यः**		
क)	निवेश	68.29	33.88
5.	**स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेनदेन**		
क)	बैठने की फीस	7.45	4.44
ख)	अन्य खर्चों	6.72	5.73

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
		2023-24	2022-23
1.	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ**		
क)	वेतन एवं भत्ते	159.62	93.00
ख)	अवकाश/एलटीसी नकदीकरण	1.25	56.56
ग)	अन्य खर्चों	20.23	22.89
घ)	अन्य–पीआरपी	2.59	85.82
ड़)	उधार – ऋण एवं ब्याज बकाया	--	0.12
व)	पीपीई/अन्य की बिक्री	--	0.40
2.	**संपत्ति**		
क)	रोजगार उपरांत लाभ	13.07	7.62
ख)	भविष्य निधि अंशदान	11.29	6.35

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
		2023-24	2022-23
ग)	पेंशन योजना में योगदान	14.47	18.98
घ)	अंतिम लाभ के लिए योगदान	67.81	25.22
3.	**बीमांकिक मूल्यांकन–बकाया के अनुसार टर्मिनल लाभों का प्रावधान**	--	--
4.	**अन्य दीर्घकालिक लाभ**	--	--
5.	**समाप्ति लाभ**	--	--

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक संबंधित पक्ष के रिश्तेदार	
		2023-24	2022-23
	-	--	--

ii) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनेदनों की प्रमुख शर्तें और निबंधन

क. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक निगम के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

ख. एनवीसीएफएल के साथ लेन–देन उनके ऐसे समकक्ष षर्तों पर किए जाते हैं, जो कि आमने–सामने के लेनदेन में मौजूदा तौर पर प्रचलित हैं।

ग. निगम ने वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार कुल, ऋण एवं अग्रिम पर केएमपी के ऋण का प्रतिषत लागू नहीं है।

ठ. भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार प्रकटीकरण – वित्तीय विलेख

किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण

क) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13. 03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी. सं. 109/22. 10. 106/2019–20 के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएलस को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, किराया खरीद, पट्टे, कच्चे माल की सहायता, बिल पर छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों आदि के तहत देय राशियों के संबंध में, दिनांक 31.03.2024 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 12399.36 लाख (रु. 12265.28 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 271828.47 लाख (रु. 273966.42 लाख) था।

ग) गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें विपण न क्रियाकलापों के अंतर्गत देय राषियों के संबंध में प्राप्य तकनीकी केन्द्रों और एसटीबीपीज में लेनदेनों की बाबत प्राप्य, सेवाओं की बिक्री की बाबत प्राप्तव्य (अर्थात लाइसेंस और हाउसकीपिंग शुल्कों, किराये, प्रषिक्षण शुल्क, ईएमसी, टीआईसी, कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्य), नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम (मुख्यतः जिनमें निगम के साथ समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिमों सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं), प्रतिभूति जमा उपार्जित परंतु अदेय ब्याज सहित स्टाफ अग्रिम और एवं अन्य परिसंपत्तियाँ, दिनांक 31.03.2024

को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 1516.06 लाख (रु. 742.35 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 17958.92 लाख (रु. 24971.42 लाख) था।

घ) समग्र आधार पर, वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। वित्तीय/गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम और तकनीकी केंद्र/एसटीबीपी जिसमें प्राप्य और अग्रिम शामिल हैं, दिनांक 31.03.2024 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 13915.43 लाख (रु. 13007.62 लाख) की राशि में भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार रु. 289787.39 लाख (रु. 298937.83 लाख) के कुल बकाया के सापेक्ष वित्तीय/गैर–वित्तीय आस्तियों के प्राप्य और ऋण और अग्रिम (एनएसआईसी के पास उपलब्ध ब्याज उचंत खाते और नकद संपार्श्विक का शुद्ध) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधान मानदंडों के अनुरूप किए गए हैं।

ड. **भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरणः प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ**

लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2023–24 हेतु प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) के मद में रु. 892.10 लाख (रु. 626.26 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित वित्त वर्श 2023–24 के दौरान रूपए 747.87 लाख के प्रर्दशन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान किया है।

ढ. **भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार प्रकटकीकरण – बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति और बंद कर दिए गए प्रचालन**

अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर बिक्री की अत्यधिक संभावना वाली परिसंपत्तियां, ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय लेखाकंन मानक 105 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, शून्य के निवल रखाव मूल्य (शून्य के सकल रखाव मूल्य) वाली ऐसी परिसपंत्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉक से परिसंपत्तियों के अलग ब्लॉक नामतः बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियाँ'' में अंतरित कर दी गई थी।

वित्त वर्ष 2023–24 में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत परिसंपत्तियों के अलग–अलग ब्लॉक से किसी भी संपत्ति को परिसंपत्तियों के अलग–अलग ब्लॉक अर्थात् ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्ति'' में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

ण. **भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार प्रकटीकरण – प्रचालन खंड**

क) **खंड रिपोर्टिंगः–**

एनएसआईसी के क्रियाकलाप मोटे तौर पर 'संवर्धनात्मक' और 'वाणिज्यिक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता सरकार और/अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता' की योजनाएं, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब', 'खरीद और विपणन सहायता योजना' 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना' आदि, जिनके लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनेमादित दिशा–निर्देशों के अनुसार, जहाँ, का लागू हो, प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ निगम के क्रियाकलाप मोटे तौर पर –संवर्धनात्मक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों), क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों, सघन अभियान आयोजित करने/उनमें सहभागिता अन्य विपणन सहायता सेवाओं (विज्ञापन, प्रचार आदि), लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए किए जाने वाले खर्च और

प्रशिक्षण का व्यय उपरोक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से पूरे किए जाते हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ, 'वाणिज्यिक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियालाप शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन (निविदा विपणन और कच्चे माल की सहायता/ वितरण/ थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापार को सहायता सहित)', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इन 'समेकित' सहायता सेवाओं का निधिकरण निगम द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलाप, परंतु जो संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं, को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ मिला दिया गया है क्योंकि इन क्रियाकलापों के खर्चे निगम द्वारा वहन किए जाते हैं। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों नामतः "वाणिज्यिक" और "संवर्धनात्मक" में विभाजित किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'खण्ड सूचना' पर भारतीय लेखांकन मानक–108 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार खण्ड के लिए राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्ति और देयताओं की सूचना दर्शाई गई है।

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान	13827.28	-	13827.28	10508.11	-	10508.11
–उत्पाद की बिक्री	-	276408.88	276408.88	-	232491.66	232491.66
–सेवाओं की बिक्री	-	14131.83	14131.83	-	11380.67	11380.67
–अन्य	-	37653.53	37653.53	-	33697.96	33697.96
–जोड़	**13827.28**	**328194.24**	**342021.52**	**10508.11**	**277570.29**	**288078.40**
II. खंड व्यय (अनुदान के प्रति व्यय सहित)						
–वर्ष के दौरान मान्यता दिए गए सरकारी अनुदान के प्रति किया गया व्यय	13827.28	-	13827.28	10508.11	-	10508.11
–अन्य	-	310733.81	310733.81	-	262410.54	262410.54
–जोड़	**13827.28**	**310733.81**	**324561.09**	**10508.11**	**262410.54**	**272918.65**
III. परिणाम						
क. खण्ड परिणाम	-	12939.36	12939.36		11294.85	11294.85
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ	-	28939.63	28939.63		24244.42	24244.42
ग. भुगतान किया गया ब्याज	-	11479.20	11479.20		9084.67	9084.67
घ. आपवादिक मदें	-	(13.18)	(13.18)		(13.94)	(13.94)
ङ. कर–पूर्व लाभ	-	17473.61	17473.61		15173.69	15173.69
च. कर व्यय	-	4534.25	4534.25		3878.84	3878.84
छ. करोपरांत निवल लाभ	-	12939.36	12939.36		11294.85	11294.85
ज. अन्य व्यापक आय	-	71.46	71.46		28.98	28.98
झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं}	-	13010.82	13010.82		11323.83	11323.83
IV. परिसंपत्तियां और देयताएं						
क. खण्ड परिसंपत्तियाँ	4499.00	296954.87	301453.87	4343.93	304392.96	308736.89

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़
ख. अनावंटित परिसंपत्तियां	-	-	20776.98	-	-	22807.38
ग. कुल परिसंपत्तियाँ	4499.00	296954.87	322230.85	4343.93	304392.96	331544.27
घ. खण्ड परिसंपत्तियाँ	4633.75	167557.10	172190.85	10018.27	183739.55	193757.82
ङ. अनावंटित परिसंपत्तियां	-	-	150040.00			137786.45
च. कुल देयताएँ	**4633.75**	**167557.10**	**322230.85**	**10018.27**	**183739.55**	**331544.27**
V. अन्य सूचना						
(क) स्थिर परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए अवधि के दौरान लगाई गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	503.45	863.50	1366.95	498.88	656.77	1155.65
(ख) मूल्यह्रास #	342.95	845.32	1188.27	375.41	704.10	1079.51
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय	-	14.04	14.04	-	38.75	38.75

संवर्धनात्मक खण्ड का मूल्यह्रास, पूंजी आरक्षित के प्रति प्रभारित किया गया है।

- **प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बारे में सूचना** – नीचे दिए गए खंड **"पी"** को देखें
- **अन्य गतिविधियों के लिए जानकारी**

विवरण	इकाई	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवार	संख्या	66765	61090
एमएसएमई को परीक्षण और अन्य सामान्य सुविधाएं प्रदान की गईं	संख्या	15891	14034
कुल खरीद के रूप में ळमड से खरीद	%	83.12	68.19

- **निगम के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है, क्योंकि निगम के ऋण प्रचालन देश के अंदर किए जाते हैं।**
- **किसी एकल ऋणी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निगम के राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान नहीं किया है।**

त. **भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण– ग्राहकों के साथ किए गए संविदाओं से प्राप्त राजस्व**

i) **निगम का संघटक–वार राजस्व**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	276408.88	232491.66
सेवाओं की बिक्री #	14131.83	11380.67
ब्याज आय	32044.85	28342.56
प्रोसेसिंग शुल्क	4829.27	4730.12
अन्य प्रचालन आय	368.48	422.69
जोड़	**327783.31**	**277367.70**

(सेवाओं की बिक्री में सरकारी योजना यानी पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए सुविधा शुल्क से होने वाली आय शामिल है, जिसकी राशि 1125.00 लाख रुपए है।

2) **पीएम विश्वकर्मा योजनाः**

- पीएम विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को मजबूत और पोषित करना है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।
- एक सुविधा प्रदाता के रूप में एनएसआईसी के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) को निविदा के माध्यम से उपयुक्त विक्रेताओं का चयन करके और पंजीकृत लाभार्थियों को टूलकिट प्रदान करके 18 अलग–अलग पहचाने गए ट्रेडों के तहत इन टूलकिट की आपूर्ति के लिए एक पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का काम सौंपा गया है। उपर्युक्त 18 ट्रेडों के लिए योजना के अंतर्गत।
- इस उद्देश्य के लिए, एनएसआईसी को निम्नलिखित विभिन्न शेड्यूल/ मील के पत्थर पर तीन (3) खाइयों में रू. 4500 लाख की सुविधा शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जो कुल परिव्यय का 1% यानी रू. 450000 लाख हैः
- ड्राफ्ट आरएफपी के अनुमोदन पर सुविधा शुल्क का 25%]
- टूलकिट विक्रेता के सफल चयन के बाद सुविधा शुल्क का 25% और
- टूलकिट विक्रेता के सफल चयन के छह (6) महीने के बाद सुविधा शुल्क का 50% शेष रखें।
- तदनुसार, ड्राफ्ट आरएफपी के अनुमोदन की पहली अनुसूची/मील का पत्थर हासिल करने पर, एनएसआईसी को एमएसएमई मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सुविधा शुल्क का 25% राशि रू.1125 लाख प्लस जीएसटी प्राप्त हुआ है।

थ. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण – पट्टेः

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार, निगम तुलन पत्र में इन परिसंपत्तियों को भावी अवधियों में इन पट्टों के प्रति भुगतानयोग्य धनराशियों के संबंध में तदनरूपी पट्टा देयता के साथ 'उपयोग करने के अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है। तथापि, निगम ने, अल्पावधि पट्टों और निम्न मूल्य वाली अंतनिर्हित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता छूट का उपयोग किया है। अल्पावधि पट्टों में परिसमापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं, जहाँ ये पट्टे समाप्त करने के लिए कोई सारवान आर्थिक विप्रोत्साहन न हो। ऐसे करार, पट्टाधारित पोटफोलियों का प्रबंधन करने और निगम की व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सुनम्यता उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय 398.12 लाख रू. (430.95 लाख रु.) है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकदी बहिर्वाह 472.67 लाख रू. (430.98 लाख रु.) है।

क) पट्टाधारी के रूप में पट्टेः

i. मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं और वर्ष के दौरान संचालनों की धारित धनराशियाँ निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
अथषेष	59.01	59.04
– पट्टा देयताओं में अभिवर्धन	232.59	-
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	19.14	-
– पट्टा दयेताओं का भुगतान	74.55	0.03
अंत शेष	236.19	59.01

ii. **लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ निम्नलिखित हैं:**

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तितयों के लिए मूल्यह्रास और परिषोधन	64.84	0.83
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	19.14	4.56

iii. **अन्य प्रकटीकरण:**

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
पट्टों से नकदी बहिर्वाह	74.55	0.03

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां की धारण धनराषि	221.91	54.16

iv. **पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वालेबट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	75.38	4.58
एक और दो वर्षों के बीच	76.69	5.33
दो और तीन वर्षों के बीच	49.73	5.58
तीन और चार वर्षों के बीच	4.96	5.58
चार और पांच वर्षों के बीच	5.89	5.58
पांच वर्षों से अधिक	113.55	368.87

ख) पट्टादाता के रूप में पट्टे:

i. ये करार, भारतीय लेखांकन मानक 116 'पटटे' में पारगमन के पश्चात प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाने जारी है।

ii. 5446.83 लाख रू. (4899.22 लाख रू.) की धनराशि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा आय के रूप में लेखे में ली गई है।

iii. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वालेबट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	5057.03	4845.44
एक और दो वर्षों के बीच	3482.23	3529.67
दो और तीन वर्षों के बीच	2150.22	2920.66
तीन और चार वर्षों के बीच	1742.33	1764.77
चार और पांच वर्षों के बीच	1415.90	1742.27
पांच वर्षों से अधिक	212.19	1512.21

द. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन – परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

(लाख रुपए में)

31.03.2024 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	51177.20	-	63459.44	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	18717.60	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	27251.78	-	74500.00	133.55	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	162282.54			22.82		
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	156.37	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	484.12	-	2972.28	-	-

(लाख रुपए में)

31.03.2024 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	50003.68	-	19278.26	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	19181.00	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	25844.66	-	131500.00	133.55	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	166671.80	-	-	22.82	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	156.37	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	338.64	-	3245.01	-	-

(ये अग्रिम, किराया खरीद, पट्टाकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, संयुक्त सावधि ऋण, सावधि ऋण, बैंक आदि से संबंधित है)।

ध. वित्तीय विलेख

क. पूंजी प्रबंधन

निगम के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में, निर्गत इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और निगम के इक्विटी धारकों को प्रदान किए जाने योग्य अन्य सभी इक्विटी आरक्षित राशियाँ शामिल हैं। निगम के पूंजी प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य, शेयर पूंजी की सुरक्षा और बचाव तथा शेयरधारक संपत्ति को अधिकतम बनाना है।

प्रबंधन, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति से बचते हुए एक दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने की दृष्टि से निगम की पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन करता है। निगम, पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यवसाय वातावरण और सेक्टर के अंदर नकदी प्रवाह की स्थिति के आलोक में उपयुक्त विलेखों के जरिए निधियाँ जुटाता है। इसके अलावा, पूंजी पुनः संरचनाकरण के संबंध में, निगम, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ ''केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनः संरचनाकरण'' पर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए। दिशानिर्देशों द्वारा भी मार्गदर्शित होता है। निगम ने बाह्य रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत शर्तों का अनुपालन किया है।

विनियामक पूंजी संबंधी सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड, पूंजी को निम्नलिखित स्तरों पर बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।

निगम ने, रिपोर्टिंग अवधि में पूंजी की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

निगम अनेक जोखिमों के प्रति आरक्षित है, जो ऐसे वातावरण में अंतर्निहित हैं, जिसमें वह प्रचालन करता है। निगम, एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है–

क) क्रेडिट जोखिम

(i) निगम, अपने ऋण प्रचालनों के जरिए प्राथमिक रूप से क्रेडिट जोखिम के प्रति आरक्षित है। नकदी और नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम, सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ किए जाते हैं। जहाँ तक निवेशों का संबंध है, निगम का इक्विटी दस्तावेज़ों में बहुत कम निवेश है जो रणनीतिक स्वरूप का है। जिसके भाग का प्रावधान निगम ने पहले ही हानिकरण छूट के प्रति कर दिया है और शेष का उचित मूल्यांकन कर दिया है और उस पर हुए लाभ को लेखा–बहियों में लेखे में ले लिया है।

क्रेडिट जोखिमों के एक प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए निगम ने एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित कर दिया है, जिसमें मूलधन और ब्याज की धनराशि की समय से अदायगी सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिशानिर्देश दिए गए हैं। निगम, जोखिम की उस धनराशि, जिसे वह अलग–अलग प्रति–पक्षकारों के लिए स्वीकार करने और उनके सकेंद्रण का इच्छुक है, पर सीमाएं निर्धारित करके और बैंकों से लेखे का संव्यवहार प्राप्त करके इन सीमाओं के संबंध में अरक्षितताओं को मॉनीटर करके क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

निगम को, बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चे माल के खरीद के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सहायता के हिसाब से क्रेडिट जोखिम होता है।

(ii) **महत्त्पूर्ण अनुमान और निर्णय**

वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरणः

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानिकरण प्रावधान, चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। निगम, समूह के पिछले इतिवृत्त और अन्य बैंकों के साथ खाते के संचालन, मौजूदा बाज़ार दशाओं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रदर्शी अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाने और हानिकरण के परिकलन में इनपुट का चयन करने में निर्णय का इस्तेमाल करता है।

भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन की तारीख को कोई कंपनी ऐसी तर्कसंगत और समर्थ योग्य सूचना का उपयोग करेगी, जो, उस तारीख, जिसकी वित्तीय दस्तावेज़ों को आरंभतः मान्यता दी गई थी, क्रेडिट जोखिम निर्धारित करने के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो और भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तारीख को जोखिम क्रेडिट के साथ इनका मिलान करेगी।

निगम ने भारतीय लेखांकन मानक–109 या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्चतर प्रावधान के रूप में लेखा–बहियों में हानिकरण हानि (ईसीएल) को मान्यता देने की नीति अपनाई है।

निगम ने सभी ऋणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया हैः

चरण 1 – निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति नहीं हुई)

चरण 2 – निम्न निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति हुई)

चरण 3 – गैर–निष्पादनशील (क्षति होने के उद्देश्यपरक साक्ष्य)

ईसीएल का परिकलन, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

ईसीएल = चूक की संभाव्यता (पीडी) X हानि दी गई चूक (एलजीडी)

चूक की संभाव्यता (पीडी) का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों में कुल ऋण वृद्धि के प्रति पिछले 10 वर्षों में एनपीए के रूप में किया जाता है।

हानि दी गई चूक का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल एनपीए के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान मूलधन की हानि के रूप में किया जाता है।

निगम, क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई मानता है, जब ऋणी 30 पिछले देय दिन (डीपीडी) पार कर लेता है परंतु 90 डीपीडी के अंदर है।

अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान

स्तर	श्रेणी	श्रेणी का विस्तार	प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधानकी मान्यता का आधार ऋण
			ऋण
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ, उच्चगुणवत्ता परिसंपत्तिया, नगण्यक्रेडिट जोखिम	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।	12 महीने का ईसीएल
चरण 2	वर्धित जोखिम परिसंपत्तियाँ या पर्याप्त जोखिम वाली परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन जिसमें हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं है।	आजीवन ईसीएल
चरण 3	हानिकृत परिसंपत्तियाँ	हानिकृत परिसंपत्तियाँ जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है।	आजीवन ईसीएल

ख) परिशोधन जोखिम

परिशोधन ऐसा जोखिम है कि निगम के व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए निधिकरण के उपयुक्त स्रोत संभवतः उपलब्ध न हों। निगम का उद्देश्य, अपनी नकदी की आवश्यताएँ पूरी करने के लिए परिशोधन का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। निगम, अपनी परिशोधन स्थिति को निकटता से मॉनीटर करता है और जब कभी आवश्यक हो, अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि निधि आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत बनाए रखता है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्थाएँ

निगम के पास, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई उधार सुविधाएं थीं:

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति
अस्थायी दर – एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएँ)	शून्य	शून्य

निगम के पास ब्याज की अस्थायी दर पर बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा है, जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है।

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा

नीचे दी गई सारणी में, निगम की वित्तीय देयताओं का सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए अपनी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित सुसंगत परिपक्वता में विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाहों के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वताएँ आवश्यक हैं:–

सारणी में विगोपित धनराशियाँ, उनके रखाव शेषों के बराबर, 12 महीने के अंदर देय संविदात्मक अबट्टाकृत नकदी प्रवाह शेष है, क्योंकि बट्टाकरण का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ			वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ		
	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़
1 दिन से 30/31 दिनों तक (एक महीना)	63459.44	-	63459.44	19278.26	-	19278.26
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	-	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	74500.00	135.21	74635.21	131500.00	133.55	131633.55
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	-	23.02	23.02	-	22.82	22.82
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	158.23	158.23	-	156.37	156.37
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	632.92	632.92	-	625.48	625.48
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	-	632.92	632.92	-	625.48	625.48
5 वर्ष से अधिक	-	2953.68	2953.68	-	3245.01	3245.01

ग) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम ऐसा जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं– ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज़ों में, ऋण और उधार शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

निगम, मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारों पर विनिमय मुद्रा जोखिम के प्रति आरक्षित है। निगम के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों की रखाव धनराशि निम्नलिखित है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को यथास्थिति		31 मार्च 2023 को यथास्थिति	
	विदेशी मुद्रा (यूरो में)	कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में)	विदेशी मुद्रा (यूरो में)	कार्यात्मक मुद्रा में(लाख रुपए में)
केएफडब्ल्यू–XI	2345807.21	2153.92	2471585.01	2249.39
केएफडब्ल्यू–XII	2017557.71	1852.52	2185261.45	1988.81
आईएलसी	576716.88	529.54	626866.10	570.51

विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग और प्रबंधन–

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है।

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है। इसलिए, कोई संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया गया।

(ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय दस्तावेज़ के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति निगम की अरक्षितता, प्राथमिक रूप से अल्पावधि उधारों से संबंधित है। बाज़ार ब्याज दर का अल्पीकरण, बाज़ार स्थितियों, कारणों आदि की उचित समीक्षा द्वारा किया जाता है। निगम के उधार, परिशोधित लागत पर लिए जाते हैं।

(क) ब्याज दर जोखिम अरक्षितता

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति निगम की अल्पावधि उधारों की अरक्षितता निम्नलिखित है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को यथास्थिति	31 मार्च 2023 को यथास्थिति
परिवर्तनीय दर वाले उधार	1459.44	3778.26
निश्चित दर वाले उधार	136500.00	147000.00
कुल उधार	**137959.44**	**150778.26**

(ख) संवेदनशीलता

चूंकि निगम के अधिकतम अल्पावधि उधार निश्चित लागतों वाले हैं, इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक–107 में यथापरिभाषित ब्याज दर जोखिम की शर्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि न तो रखाव धनराशि में और न ही भावी नकदी प्रवाह में, बाज़ार ब्याज दरों में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

(iii) मूल्य जोखिम

(क) अरक्षितता

इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, के प्रति निगम की आरक्षितता ओसीआई के जरिए उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत और निगम द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है। हालांकि पोर्टफोलियो का अपवर्तन समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। तथापि निगम ने पिछले समय में केवल कुछ रणनीतिक निवेश ही किया है, जिसका भाग पूर्णतः हानिकृत किया गया है और पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं और शेष भाग को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है तथा उसके लाभों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है।

(ख) संवेदनशीलता

निगम की इक्विटी में निवेश की बहुत कम धनराशि है और पिछले दो वर्षों में कोई संचलन नहीं हुआ है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, निगम ने इक्विटी में अपने उद्धृत निवेश को पहले ही उचित मूल्य पर मूल्यांकित कर दिया है

और उसके लाभ को उचित ढंग से लेखे में ले लिया है और निवेश के शेष भाग के लिए पूर्णतः प्रावधान कर दिया है, इसलिए संवेदनशीलता का प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज़ पर लाभों/हानियों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि/कमी होगी।

ग. उचित मूल्य मापन

निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, में से कुछ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। निम्नलिखित सारणियाँ, इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य पर मापे जाने के तरीके के बारे में सूचना देती हैं (विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुटों के बारे में)।

उचित मूल्य क्रम–परंपरा

उचित मूल्य पर मापे गए और मान्यता दिए गए वित्तीय विलेख (एफवीटीओसीआई और एफवीटीपीएल)।

(लाख रुपए में)

विवरण	उचित मूल्य पर धनराशि		उचित मूल्यक्रम–परंपरा	मूल्य तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट
	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश				
–इक्विटी विलेखों में निवेश	415.83	304.76	स्तर 1	बाजार मूल्य उदधृत
एफवीटीपीएल पर वित्तीय निवेश				
जोड़	**415.83**	**304.76**		
II. वित्तीय देयताएं	-	-		
जोड़	-	-		

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ।

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		उचित मूल्यक्रम–परंपरा	मूल्य तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य		
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
कंपनियों को ऋण/एलएलपी	261319.43	261319.43	263115.73	263115.73	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
कर्मचारियों को ऋण	39.55	39.55	45.10	45.10	स्तर 2	अनुलाभों के लिए एसबीआई दर पर एनपीवी
जोड़	**261358.98**	**261358.98**	**263160.83**	**263160.83**		
II. वित्तीय देयताएं						
उधार	142495.42	142495.42	155586.97	155586.97	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
जोड़	**142495.42**	**142495.42**	**155586.97**	**155586.97**		

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्य मापन, उतनी मात्रा पर आधारित स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिस तक उचित मूल्य के प्रति इनपुट अवलोकन योग्य हैं और पूरी तरह उचित मूल्य मापन के प्रति इनपुटों का महत्त्व है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिसे निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

स्तर 2: स्तर–1 में शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, अन्य इनपुट, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट), जिन्हें निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का रखाव मूल्य और उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
– नकदी और नकदी समतुल्य	10283.73	10283.73	9249.17	9249.17
– बैंक शेष	1072.35	1072.35	390.83	390.83
– प्राप्ति योग्य	10994.77	10994.77	16499.79	16499.79
– ऋण एवं अग्रिम	261358.98	261358.98	263160.83	263160.83
– निवेश	484.12	484.12	338.64	338.64
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	897.27	897.27	2034.58	2034.58
जोड़	**285091.22**	**285091.22**	**291673.84**	**291673.84**
II. वित्तीय देयताएं				
– देय	11986.32	11986.32	16576.94	16576.94
– उधार	142495.42	142495.42	155586.97	155586.97
– अन्य वित्तीय देयताएँ	13038.56	13038.56	17068.19	17068.19
जोड़	**167520.30**	**167520.30**	**189232.10**	**189232.10**

नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्तियोग्य, भुगतानयोग्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव धनराशियाँ, उनके स्वरूप के अल्पावधि होने के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

न. संपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक पंक्ति वस्तु हेतु 12 महीने और उससे अधिक के भीतर की जाने वाली वसूली/निपटान की अपेक्षित राशि:

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति			31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		
	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़
परिसंपत्तियाँ						
1. वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(क) नकद और नकद समतुल्य	10283.73	0.00	10283.73	9249.17	0.00	9249.17

विवरण	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति			31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		
	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़
(ख) नकद और नकद समकक्षों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष	676.26	396.09	1072.35	390.83	0.00	390.83
(ग) व्यापार प्राप्य	7384.13	3610.64	10994.77	16499.79	0.00	16499.79
(घ) ऋण और अग्रिम	251687.43	9671.55	261358.98	241233.25	21927.58	263160.83
(ङ) निवेश	0.00	484.12	484.12	0.00	338.64	338.64
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	328.46	568.81	897.27	318.08	1716.50	2034.58
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ (1)	**270360.01**	**14731.21**	**285091.22**	**267691.12**	**23982.72**	**291673.84**
2. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(क) माल–सूची	9.08	0.00	9.08	11.48	0.00	11.48
(ख) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	0.00	0.00	247.22	0.00	247.22
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	3531.21	3531.21	0.00	3539.42	3539.42
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.00	28650.21	28650.21	0.00	28724.30	28724.30
(ङ) चालू पूंजीगत कार्य	0.00	482.33	482.33	0.00	437.42	437.42
(च) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	35.65	35.65	0.00	35.65	35.65
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	86.47	86.47	0.00	58.32	58.32
(ज) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	0.00	221.91	221.91	0.00	54.16	54.16
(झ) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21
(ञ) अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2937.42	1185.35	4122.77	2290.71	4471.54	6762.25
कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ (2)	**2946.50**	**34193.13**	**37139.63**	**2549.62**	**37320.81**	**39870.43**
कुल परिसंपत्तियाँ (1+2)	**273306.51**	**48924.34**	**322230.85**	**270240.74**	**61303.53**	**331544.27**
देयताएँ						
1. वित्तीय देयताएँ						
(क) व्यापार प्राप्य	7424.25	4562.07	11986.32	6947.24	9629.70	16576.94
(ख) उधार	138275.90	4219.52	142495.42	150778.26	4808.71	155586.97
(ग) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य वित्तीय देयताएँ	5831.34	7207.22	13038.56	15792.45	1275.74	17068.19
कुल वित्तीय देयताएँ (1)	**151496.22**	**15988.81**	**167520.30**	**173517.95**	**15714.15**	**189232.10**
2. गैर–वित्तीय देयताएँ						
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	699.16	0.00	699.16	0.00	0.00	0.00
(ख) प्रावधान	768.31	11135.25	11903.56	5304.71	6109.18	11413.89
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य गैर–वित्तीय देयताएँ	4505.61	2027.79	6533.40	4888.96	286.30	5175.26
कुल गैर–वित्तीय देयताएँ (2)	**5973.08**	**13163.04**	**19136.12**	**10193.67**	**6395.48**	**16589.15**
कुल देयताएँ (1+2)	**157467.22**	**29151.85**	**186656.42**	**183711.62**	**22109.63**	**205821.25**

प. प्रस्तावित लाभांशः इस वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च 2024 को यथास्थिति		31 मार्च 2023 को यथास्थिति	
100–100 रुपए के इक्विटी शेयरों पर	एनएसआसी	एनवीसीएफएल	एनएसआसी	एनवीसीएफएल
–प्रस्तावित लाभांश की धनराशि (लाख रुपए में)	3796.73	112.40	3314.48	91.10
–लाभांश दर (प्रतिशत)	30% कर अदायगी के बाद लाभ		30% कर अदायगी के बाद लाभ	
–प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	7.12	18.73	6.22	15.18

राशि एनएसआईसी को देय/भुगतान की जाती है

निगम द्वारा प्रस्तावित लाभांश, निगम के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अनुसार करोपरांत लाभ और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) आरबीआई, सेबी, डीपीई आदि द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। निगम के निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में 3796.73 लाख रू. (7.12 रू. प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप 3796.73 लाख रू. का नकद बहिर्वाह होगा।

इसके अलावा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कारपोरेट लाभांश लेखांकन मानक–10 दिनांक, 30 मार्च, 2016 के कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 में संशोधनों के जरिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

निगम ने वित्त वर्ष 2023–24 में रु. 3314.48 लाख के लाभांश का भुगतान किया है जिसे वित्त वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित किया गया था।

वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम को अपनी सहायक कंपनी – मैसर्स से वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश के रूप में रु. 91.10 लाख प्राप्त हुए। एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) और इसे एनएसआईसी के वित्तीय विवरणों में 'अन्य आय' के रूप में दर्ज किया गया है।

फ. हड़ताल प्रभावित कंपनियों के साथ संबंध

हड़ताल प्रभावित कंपनी का नाम	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष (रु. लाख में)		हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो
		31.03.2024	31.03.2023	
	प्रतिभूतियों में निवेश	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)	
-	– हड़ताल प्रभावित कंपनी के शेयरों में निवेश	-	-	-
-	प्राप्य	-	-	-
-	देय	-	-	-
-	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ अटके हुए शेयर	-	-	-
-	अन्य बकाया शेष (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-

ब. क्रिप्टो या आभासी मुद्रा पर प्रकटीकरण

निगम ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

भ. प्रमोटर्स की होल्डिंग पर प्रकटीकरण

निगम को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास वर्ष की शुरुआत और अंत में निगम में 100 प्रतिशत इक्विटी हैं। इस प्रकार वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

म. भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अंतर्गत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना

क. हानिकरण आरक्षित

दिनांक 13.03.2020 की भा.रि.बैं. की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी.पी.डी. संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएलस, को वित्तीय विलेखों पर हानि छूट के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, जहाँ भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानकों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से निम्नतर है, निगम ने यह अंतर अपने निवल करोपरांत लाभ से चालू वर्ष से संबंधित "हानिकरण आरक्षित" में और 01.04.2019 को यथास्थिति मौजूद धारित अर्जनों में से विनियोजित किया है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित में से किसी आहरण की अनुमति नहीं है।

चूंकि 31.03.2024 तक आईएनडी एएस–109 के संदर्भ में क्षति भत्ता की राशि 12399.36 लाख रुपए (12265.28 लाख रुपए) है, जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में 15010.93 लाख रुपए (1496.81 लाख रुपए) से कम है, इसलिए आईआरएसीपी मानदंड और इंड एएस–109 के तहत 2611.55 लाख (2695.53 लाख रुपए) की राशि के प्रावधान में अंतर को 31.03.2023 तक हानि आरक्षित के रूप में लेखांकित किया जाना है।

हालाँकि, 31.03.2024 को जिस हानि आरक्षित निधि का हिसाब लगाया जाना चाहिए, वह 31.03.2023 को पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित राशि से कम है, जो कि 4866.65 लाख रू. (4866.65 लाख रू.) है, इसलिए, पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित को उलटा नहीं किया गया है। 2255.08 लाख रू. (2171.12 लाख रू.) की सीमा तक निकासी की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, 31.03.2024 तक हानि आरक्षित को 4866.65 लाख रू.(4866.65 लाख रू.) पर बनाए रखा गया है।

ख. आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूटों के बीच की गई तुलनाः

वित्तीय वर्ष 2023–24

(लाख रुपए में)

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	260470.98	1041.87	259429.11	926.18	115.69
	चरण 2					
उप जोड़		**260470.98**	**1041.87**	**259429.11**	**926.18**	**115.69**
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण 3	1131.07	1131.07	-	2513.71	-1382.64
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3				715.24	-715.24
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3				63.84	-63.84
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	9538.26	9538.26	0	10103.80	-565.54
संदिग्ध का उप जोड		**9538.26**	**9538.26**	**0**	**10882.88**	**(-)1344.62**
हानि	चरण 3	688.16	688.16	0	688.16	0
एनपीए का उपजोड़		**11357.49**	**11357.49**	**0.00**	**14084.75**	**-2727.26**
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण 1					
	चरण 2					
	चरण 3					
उप जोड		-	-	-	-	-
जोड़	**चरण 1**	**260470.98**	**1041.87**	**259429.11**	**926.18**	**115.69**
	चरण 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	चरण 3	**11357.49**	**11357.49**	**0.00**	**14084.75**	**-2727.26**
	जोड़	**271828.47**	**12399.36**	**259429.11**	**15010.93**	**-2611.57**

वित्तीय वर्ष 2022–23

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	262996.32	1295.18	261701.14	1181.94	113.24
	चरण 2					
उप जोड़		**262996.32**	**1295.18**	**261701.14**	**1181.94**	**113.24**
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण 3	1131.07	1131.07	0.00	2376.09	-1245.02
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	732.85	-732.85
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3				265.37	-265.37
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	9102.35	9102.35	-	9667.89	-565.54
संदिग्ध का उप जोड़		**9102.35**	**9102.35**	-	**10666.10**	**-1563.75**
हानि	चरण 3	736.68	736.68	-	736.68	0.00
एनपीए का उपजोड़		**10970.10**	**10970.10**	**0.00**	**13778.88**	**-2808.78**
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप जोड़		-	-	-	-	-
जोड़	**चरण 1**	**262996.32**	**1295.18**	**261701.14**	**1181.94**	**113.24**
	चरण 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	चरण 3	**10970.10**	**10970.10**	**0.00**	**13778.88**	**-2808.78**
	जोड़	**273966.42**	**12265.28**	**261701.14**	**14960.81**	**-2695.53**

ग. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि

निगम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यकतानुसार आरक्षित निधि का सृजन कर रहा है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत राशि स्थानांतरित करना आवश्यक है, तथा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई

समायोजन करने की अनुमति नहीं है, और आगे इस तरह के किसी भी समायोजन को ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिनो के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवेदित करना भी आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान धारा 45आईसी के अंतर्गत 2531.15 लाख रू. (2209.66 लाख रू.) की धनराशि की अन्य आरक्षित निधि सृजित की गई है, इस प्रकार 31.03.2024 को यथास्थिति कुल आरक्षित निधि 10921.02 लाख रू. (8389.87 लाख रू.) की हो गई है।

इसके अलावा, सहायक कंपनी यानी एनवीसीएफएल को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है – मास्टर डायरेक्शन के तहत – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट, जैसा कि समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, सहायक कंपनी 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III का पालन किया गया है। डिवीजन III एनबीएफसी पर लागू होता है जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है कंपनियां (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियां शामिल हैं और सहायक कंपनी को एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और 31 मार्च 2021 को समाप्त। अवधि के दौरान सेबी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में थी। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, सहायक कंपनी को विधिवत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और यह एक अनुमोदित एआईएफ है।

घ. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उधारों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग

निगम की बैंक सुविधाओं को केयर द्वारा रेटिंग दी गई है और "एए+" रेटिंग दी गई है, जिसे वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की प्रतिभूति माना जाता है। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, निगम को क्रिसिल और एसीयूआईटीई के साथ वाणिज्यिक पेपर के लिए भी ''ए1+'' रेटिंग दी गई है, जिसे 'सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री' माना जाता है।

ङ. शास्तियाँ–

I. आरबीआई द्वारा लगाई गई – शून्य

II किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, निगम द्वारा रू. शून्य (0.21 लाख रू.) की राशि की शास्ति को अदा किया गया है।

च. पूंजीगत पर्याप्तता

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2024 को			परिवर्तन
	समाप्त वर्ष	भाजक	%	समाप्त वर्ष	भाजक	%	
i) पूंजी में जोखिम भारत अनुपात	122840.40	303904.40	40.42	108901.31	311026.16	35.01	5.41
ii) सीआरएआर – टियर I पूंजी	121798.53	303904.40	40.08	107606.13	311026.16	34.60	5.48
iii) सीआरएआर – टियर II पूंजी	1041.87	303904.40	0.34	1295.18	311026.16	0.42	-0.08
iv) नगदी प्रवाह व्याप्ति अनुपात	10293.33	20074.43	51.28	8958.82	6942.46	129.04	-77.76
v) टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की धनराशि	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-
vi) चिरस्थायी ऋण विलेखों के निर्गम द्वारा जुटाई गई धनराशि	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-

नकदी कवरेज अनुपात की गणना कुल उच्च गुणवत्ता वाली नकदी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) को कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह से विभाजित करके की जाती है। रू. 19278.26 लाख का कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 30 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान के कारण था, जबकि रू. 63459.44 लाख का डब्ल्यूसीडीएल वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पुनर्भुगतान के कारण था, यानी वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान शुद्ध लागत बहिर्वाह कम हो गया था।

नोटः सहायक कंपनी को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को दी गई विशिष्ट नियामक छूट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी नियमों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

छ) निवेशः एनएसआईसी के पास भारत के बाहर कोई निवेश नहीं है। हालाँकि, निगम ने सहायक कंपनी मैसर्स एनवीसीएफल में 100 प्रतिशत अर्थात रु. 600 लाख और अन्य भारतीय कंपनियों में रु. 269.07 लाख का निवेश किया है।

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड में योगदान के लिए एनवीसीएफएल के साथ दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान एनएसआईसी ने 0.114 इकाइयों हेतु अपने हिस्से का 0.01 प्रतिशत की राषि 11.38 लाख रू. का योगदान दिया है, जिसमें एसआरआई फंड की 1 इकाई का मूल्य रु. 100 लाख रू. है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सावधि जमा (एसबीआई के साथ) पर ब्याज 31.59 लाख है) (76.89 लाख) जिसमें से 9.66 (लाख 50.43 लाख) एसआरआई फंड से संबंधित है और इसका हिसाब एसआरआई फंड की पुस्तकों में किया गया है।

एसआरआई फंड के खातों की लेखा–जोखा शुरुआत से यानी वित्त वर्ष 2021–22 से अलग लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है।

क) निवेशों का अलग–अलग विवरण

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1	**निवेशों का मूल्य**		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
(क)	भारत में		
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर	425.83	314.76
(ख)	भारत से बाहर		
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(a)	भारत में	10.00	10.00
(b)	भारत से बाहर		
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
(क)	भारत में	415.83	304.76
(ख)	भारत से बाहर		
(2)	**निवेशों के प्रति रखे गए प्रावधानों का संचलन**		
(i)	अथ शेष	10.00	10.00
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुरांकन/बट्टे खाते डालना	0.00	0.00
(iv)	अंत शेष	10.00	10.00
(3)	**उद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि**	**415.83**	**304.76**
	उद्धृत निवेशों का बाज़ार मूल्य	415.83	304.76
(4)	**अनुद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि**	**78.29**	**43.88**
(5)	**निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए समग्र प्रावधान**	**10.00**	**10.00**

ख) निवेशों का मूल्यांकन

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
i) निवेशों का सकल मूल्य	304.76	279.76
ii) हानिकरण हानि के लिए छूट	10.00	10.00
iii) उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल)	111.07	35.69
iv) निवेशों का उचित मूल्य	415.83	304.76
निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन में संचलन (निवल)		
अथ शेष	304.76	269.07
जोड़ें: मूल्य में वृद्धि	111.07	35.69
घटाएं: मूल्य में कमी	-	
अंत शेष	415.83	304.76

ज. व्युत्पत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
प्रायोजित एसपीवी	शून्य	शून्य

झ. प्रतिभूतिकरण

क) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण हेतु बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
प्रायोजित एसपीवी	शून्य	शून्य

ख) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण हेतु बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य

ग) किए गए समनुदेशन लेनदेन के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
किए गए समनुदेशन लेनदेन	शून्य	शून्य

घ) खरीदी गई/बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
खरीदी गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य
बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
i) बेचे गए खातों की संख्या		
i) समग्र बकाया		
i) प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल		
i) निवल अंकित मूल्य पर लाभ/हानि		

ड़) एनबीएफसीएस के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2022–23/26 डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या 20/21.04.018/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल, 2022, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित नियमों के तहत प्रकटीकरण इस प्रकार हैरू

एक्सपोजर

I. पूंजी बाजार क्षेत्र में एक्सपोजर (सकल)

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
I.	रियल एस्टेट सेक्टर के प्रति हुई अरक्षितता (प्रत्यक्ष)		
(क)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनके कॉर्पस का निवेश अनन्य रूप से कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	425.83	314.76

II. ऋण और अग्रिमों का क्षेत्रीय एक्सपोजर

(लाख रुपए में)

सेक्टर	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
	बीजी के खिलाफ सुरक्षित	संपार्श्विक/असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल	विरुद्ध सुरक्षितबीजी	संपार्श्विक/असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	323.01		323.01	99.49		99.49
उद्योग						
खाद्य एवं खाद्य उत्पाद	3283.60	-	3283.60	3327.43	-	3327.43
कपड़ा	2493.46	207.06	2700.52	1592.46	43.68	1636.14
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	781.85	-	781.85	523.65	-	523.65
कागज एवं कागज उत्पाद	1124.66	-	1124.66	931.75	6.33	938.08
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	144.23	-	144.23	142.38	-	142.38
रबर एवं रबर उत्पाद	2356.28	43.68	2399.96	2301.30	43.68	2344.99
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	2898.77	43.68	2942.45	6436.03	43.68	6479.71
गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	6445.35	-	6445.35	2008.68	0.01	2008.69
धातु उत्पाद	67208.55	522.04	67730.59	69517	596.79	70113.79
निर्माण	110716.05	142.95	110859.00	105439.56	339.19	105778.75
इलेक्ट्रिक मशीनें और उपकरण	25881.90	126.87	26008.76	28352.35	126.87	28479.21
परिवहन उपकरण/ऑटोमोबाइल	2429.43	31.23	2460.66	2855.07	31.23	2886.3
मुद्रण उद्योग	607.11	-	607.11	1256.51	0.27	1256.77
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	3948.98	173.86	4122.85	4414.53	173.86	4588.4
अन्य	23350.22	8933.73	32283.95	28179.04	8871.51	37050.55
उद्योग का कुल	**253670.45**	**10225.11**	**263895.55**	**257277.74**	**10277.10**	**267554.84**
सेवाएं	**6688.54**	**-**	**6688.54**	**4799.77**	**-**	**4799.77**
व्यक्तिगत ऋण	**-**	**39.55**	**39.55**	**-**	**45.03**	**45.03**
अन्य	**-**	**-**	**-**	**199.68**	**-**	**199.68**
तुलन पत्र के अनुसार	**260681.99**	**10264.66**	**270946.64**	**262376.68**	**10322.13**	**272698.81**

ञ. लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का अलग–अलग विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क. निवेशों पर उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ख. एनपीएज/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	907.80	शून्य
ग. ऋणों की एनपीवी में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
घ. निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ङ. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	319.72
च. आय कर के प्रति किया गया प्रावधान	4574.00	3602.00
छ. अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (आस्थगित कर देयताएं)	(15.83)	311.21

ट. अग्रिमों और गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े ऋणियों को कुल अग्रिम	11871.18	12352.01
बीस बड़े ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	4.37	4.51
I. एनपीए का संकेंद्रण		
शीर्ष चार एनपीएज के प्रति कुल अरक्षितता	924.41	898.56

ठ. सेक्टर–वार एनपीए (सकल)

(लाख रुपए में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	शून्य	शून्य
2	एमएसएमई	11357.49	10970.10
3	कॉरपोरेट ऋणी	शून्य	शून्य
4	सेवाएँ	शून्य	शून्य
5	अप्रतिभूति व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य
6	ऑटो ऋण	शून्य	शून्य
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य

ड. एनपीएज का संचलन

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 कोसमाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीएज (%)	-	-
2) सकल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	10970.10	11348.07
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	490.30	1.43
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	102.91	379.40
(घ) अंत शेष	11357.49	10970.10
3) निवल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	-	-

विवरण	31 मार्च, 2024 कोसमाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	-	-
(घ) अंत शेष	-	-
4) एनपीए/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में संचलन		
(क) अथ शेष	10970.10	11348.07
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	490.30	1.43
(ग) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण	-	-
(घ) घटाएं: पुरांकित प्रावधान	102.91	379.40
(ङ) अंत शेष	11357.49	10970.10

ढ. अन्य सूचना

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 कोसमाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
i) **सकल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ**		
. संबंधित पक्षकार	-	-
. संबंधित पक्षकारों के अलावा	11357.49	10970.10
ii) **निवल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ**		
. संबंधित पक्षकार	-	-
. संबंधित पक्षकारों के अलावा	-	

ण. शिकायत

i) ग्राहक एवं निवेशक शिकायतें

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	5
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	15	104
3.	वर्ष के निवारण की गई शिकायतों की संख्या	15	109
3.1	जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	4	6
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

II एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का कारण)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं
1	2	3	4	5	6
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब		4	90.32% वर्धित		
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस		3	78.57% वर्धित		
ग्राउंड – 3 बाह्य जनशक्ति		2	33.33% वर्धित		
ग्राउंड – 4 एमएसएमई मार्ट					
एमएसएमई मार्ट	-	1	83.33% वर्धित	-	-

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का कारण)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं
ग्राउंड – 5 i पीबीजी ii.ग्रेच्युटी iii. कर्मचारी की शिकायत iv. शुल्क वापसी v. सिबिल स्कोर	-	प्रत्येक श्रेणी में 1	सभी नई श्रेणियां		-
कुल	**-**	**15**		**-**	**-**
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	1	31	343% वर्धित	-	-
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	-	14	27% वर्धित	-	-
ग्राउंड – 3 आरएमडी	-	9	80% वर्धित	-	-
ग्राउंड – 4 टेंडर मार्केटिंग	-	6	500% वर्धित	-	-
ग्राउंड – 5 एमएसएमई	-	दोनों श्रेणियों में 3	300% वर्धित	-	-
कुल	**1**	**63**		**-**	**-**

iii 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान उचित व्यवहार संहिता के तहत उधारकर्ताओं से निगम को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

त) किसी जमा स्वीकार न करने वाली गैर–वित्तीय कंपनी (यथासंशेधित, दिनांक 01 सिंतबर, 2016 के मास्टर निर्देश डीएनबीआर. पीडी.008/03.10.119/2016–17 के अंतर्गत जारी किए गए, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 18 के अनुसार यथा अपेक्षित) के तुलन–पत्र की अनुसूची

देयताएँ पक्ष

1.. उन पर उपार्जित ब्याज सहित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए परंतु भुगतान न किए गए ऋण और अग्रिमः

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	
		बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि	बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि
(क)	डिबेंचर	-	-	-	-
(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग)	सावधि ऋण	4544.03	-	4817.23	
(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-	-	-
(ङ)	वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	-
(च)	सार्वजनिक जमा	-	-	-	-
(छ)	अन्य ऋण	-	-	-	-
	बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद क्रेडिट एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण	137959.44	-	150932.84	

2. ऊपर 1(च) (उन पर उपार्जित ब्याज सहित बकाया परंतु भुगतान न की गई सार्वजनिक जमा राशियाँ) का अलग–अलग विवरण:

–लागू नहीं–

परिसंपत्ति पक्ष

3. प्राप्तियोग्य बिलों सहित {नीचे (4) में शामिल किए गए के अलावा} ऋणों और अग्रिमों का अलग–अलग विवरण

विवरण	बकाया धनराशि	
	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति
(क) प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-
(ख) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए (प्रावधान के पश्चात निवल)	259429.11	261701.14
(ग) अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-

4. एएफसी क्रियाकलापों के प्रति गिने जाने वाले किराये और बंधक–पत्र के ऋणों पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और स्टॉक का अलग–अलग विवरण

–लागू नहीं–

5. निवेशों का अलग–अलग विवरण (घटाव को छोड़कर निवल):

(लाख रुपए में)

विवरण		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति
चालू निवेश			
1	उद्धृत		
(i)	शेयर	शून्य	शून्य
(क)	इक्विटी		
(ख)	वरीयता		
(ii)	डिबेंचर और बांड		
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें		
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
(v)	अन्य		
2	अनुद्धृत		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
दीर्घावधि निवेश			
1	उद्धृत		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी (उचित मूल्य)	415.83	304.76

विवरण		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
2	**अनुद्धृत**		
(i)	शेयरः		
(क)	इक्विटी (हानिकरण के पश्चात निवल)	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	68.29	33.88

6. ऊपर (3) और (4) में दिए गए अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति			31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		
		प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया (प्रावधान के पश्चात निवल)	अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया (प्रावधान के पश्चात निवल)	अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)
1	संबंधित पक्षकार						
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	संबंधित पक्षकारों के अलावा	शून्य	259429.11	शून्य	शून्य	261701.14	शून्य

7. शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरणः

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2024 को यथास्थिति		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	
		उचित मूल्य	अंकित मूल्य	उचित मूल्य	अंकित मूल्य
1	**संबंधित पक्षकार**				
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	68.29	68.29	33.88	33.88
2	**संबंधित पक्षकारों के अलावा**	**415.83**	**415.83**	**304.76**	**304.76**

5 सहायक कंपनी को समय–समय पर अद्यतन किए गए मास्टर डायरेक्शन – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के तहत एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ष्ष्ष के डिवीजन ष्ष्ष का पालन किया है, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 में परिभाषित एनबीएफसी पर लागू होते हैं, जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियां शामिल हैं। 6.31.03.2024 (पिछले वर्श शून्य) तक कोई बिल नहीं किया गया (व्यापार देय और व्यापार प्राप्य) नहीं है।

6 वर्ष के दौरान, निगम ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)/नवाचार पर रु. 321.60 लाख (रू. 347.77) का व्यय किया है।

7 **<u>कंसोर्टिया के माध्यम से विपणन सहायता के तहत मामले</u>**

. कंसोर्टिया के माध्यम से विपणन सहायता के तहत मामले संपूर्ण भारत के आधार पर एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए, एनएसआईसी एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण योजना सहित कई प्रचार योजनाएं भी चला रहा है। ऐसी योजनाओं में से एक कंसोर्टिया के माध्यम से विपणन सहायता है जिसमें एनएसआईसी एमएसई को बढ़ावा देने के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक सुविधाकर्ता/आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत एनएसआईसी की भूमिका 'सुविधाकर्ता' और 'आपूर्तिकर्ता' की है। हालांकि, कुछ एमएसई जिनके पास अपने खरीदारों से कुछ बकाया भुगतान हैं, उन्होंने कुछ अदालतों में एनएसआईसी पर दावा दायर किया है। हालाँकि, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2(एन)(आई), धारा 15, 16 और 18 के प्रावधानों के साथ–साथ एम/ओ एमएसएमई परिपत्र दिनांक 31.8.2016 और 14.06.2023 के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आलोक में, और वकील की कानूनी राय के अनुसार, ऐसे दावों के लिए एनएसआईसी को उत्तरदायी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है। मौजूदा कानूनी ढांचा, एक सुविधा प्रदाता/आपूर्तिकर्ता के रूप में एनएसआईसी की स्थापित भूमिका के साथ मिलकर, इस स्थिति का समर्थन

8. 31.03.2024 (पिछले वर्ष शून्य) तक कोई बिल नहीं किया गया (व्यापार देय और व्यापार प्राप्य) नहीं है।

9 सभी धनराशियां लाख रुपयों में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

10. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

11. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
I	**राजस्व**			
	प्रचालनों से राजस्व	21		
	क उत्पादों की बिक्री		276408.88	232491.66
	सेवाओं की बिक्री		14131.83	11380.67
	ब्याज आय		32044.85	28342.56
	शुल्क और कमीशन आय		4829.27	4730.12
	ख्इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4730.12 लाख रू. (4735.83 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1684329.65 लाख रू. (1819418.11 लाख रू.) शामिल है।			
	अन्य परिचालन आय		368.48	422.69
	प्रचालन से कुल राजस्व		**327783.31**	**277367.70**
	ख अन्य आय	22	410.93	197.89
	ग लांभाश आय			
	घ अनुदान और सब्सिडियां	23	0.00	0.00
	कुल राजस्व (क + ख + ग + घ)		328194.24	277565.59
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	275064.83	231796.49
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	13826.27	13049.65
	वित्त लागतें	27	11479.20	9084.67
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	845.32	704.10
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	288.89	278.27
	अन्य व्यय	30	9158.01	7413.27
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	71.29	84.09
	कुल व्यय		**310733.81**	**262410.54**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**17460.43**	**15155.05**
	असाधारण मदें (टिप्पणी–35 की बिंदु संख्या 4एफ (बी) देखें)		-13.18	-13.94
IV	**कर पूर्व लाभ**		**17473.61**	**15168.99**
	कर व्यय	**31**		
	वर्तमान कर		4574.00	3500.00
	आस्थगित कर		-15.83	310.68
	पूर्ववर्ती वर्ष		-23.92	-33.81
V	**कुल कर व्यय**		**4534.25**	**3776.87**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**12939.36**	**11392.12**
VII	**बंद हो गए प्रचालनों से लाभ**		**0.00**	**0.00**
VIII	**बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय**		**0.00**	**0.00**
IX	**बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)**		**0.00**	**0.00**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
X	**अवधि का लाभ**		**12939.36**	**11392.12**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
	क मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		111.07	35.69
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-15.58	3.02
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-24.04	-9.73
	उप–जोड़ (क)		71.46	28.98
	ख मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप–जोड़ (ख)		0.00	0.00
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		71.46	28.98
XII	**अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**13010.82**	11421.10
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)**	**32**		
	मूल (रु.)		24.28	21.19
	न्यूनीकृत (रु.)		24.28	21.19
XIV	**आकस्मिक प्रतिबद्धताएं**	**33 (i)**	**4436.53**	**1286.20**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**793.19**	**1620.93**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)
टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अगवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: : 413012

स्थान : : नई दिल्ली
दिनांक : : 06.08.2024
डीआईएन : 24413012बीकेडीजैडएमएक्स6975

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: .: ए22768

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धानात्मक) का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
I	**राजस्व**			
	क प्रचालनों से राजस्व	21		
	उत्पादों की बिक्री		0.00	0.00
	सेवाओं की बिक्री		0.00	0.00
	ब्याज आय		0.00	0.00
	शुल्क और कमीशन आय		0.00	0.00
	अन्य परिचालन आय		0.00	0.00
	प्रचालन से कुल राजस्व		**0.00**	**0.00**
	ख अन्य आय	22	0.00	0.00
	ग लांभाश आय			
	घ अनुदान और सब्सिडियां	23	13827.28	10508.11
	कुल राजस्व (क + ख + ग)		**13827.28**	**10508.11**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	0.00	0.00
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	358.39	357.85
	वित्त लागतें	27	0.00	0.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	0.00	0.00
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	0.00	0.00
	अन्य व्यय	30	13468.89	10150.26
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	0.00	0.00
	कुल व्यय		**13827.28**	**10508.11**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		0.00	0.00
	असाधारण मदें		0.00	0.00
IV	**कर पूर्व लाभ**		**0.00**	**0.00**
	कर व्यय	31		
	वर्तमान कर		0.00	0.00
	आस्थगित कर		0.00	0.00
	पूर्ववर्ती वर्ष		0.00	0.00
V	**कुल कर व्यय**		**0.00**	**0.00**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**0.00**	**0.00**
VII	**बंद हो गए प्रचालनों से लाभ**		**0.00**	**0.00**
VIII	**बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय**		**0.00**	**0.00**
IX	**बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)**		**0.00**	**0.00**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं.: यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धानात्मक) का समेकित विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.24 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए
X	**अवधि का लाभ**		**0.00**	**0.00**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
	क मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00
	उप–जोड़ (क)		**0.00**	**0.00**
	ख मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप–जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**0.00**	**0.00**
XII	**अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**0.00**	**0.00**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)**	**32**		
	मूल (रु.)		**0.00**	**0.00**
	न्यूनीकृत (रु.)		0.00	0.00
XIV	**आकस्मिक प्रतिबद्धताएं**	**33 (i)**	**0.00**	**0.00**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**0.00**	**1675.82**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
अरूण कुमार अगवाल एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 003917एन

ह./–
(लोकेश कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं.: 413012

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.08.2024
डीआईएन : 24413012बीकेडीजैडएमएक्स6975

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन: 10144109]

ह./–
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: ए22768

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी। 2013 (अधिनियम) कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट पर आधारित। यह उनके द्वारा 6 अगस्त 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, धारा 129(4) अधिनियम का. हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) और एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सहायक) के वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

ह/–
(एस. अलादानी पांडा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (उद्योग और कार्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अक्टूबर, 2024

अनुबंध. "क"

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट
नई दिल्ली – 110020

सं. एसआईसीः एसईसीः 69वाँ एजीएम/2024 **दिनांकः 25 अक्टूबर, 2024**

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों की 69वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 08 नवंबर, 2024 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की जाएगी। निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली–110020 पर संपर्क करें।

साधारण कार्य

1) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड एकल और समेकित वित्तीय विवरण और निदेशक मंडल की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना।

3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्ति कंपनी के सावंधिक और शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना और साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) सहित या उनके बिना पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के सांविधिक एवं शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए, निष्चित और निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदशक मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

ह./–
(निष्ठा गोयल)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 अक्टूबर, 2024

टिप्पणी:

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य, अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2. यदि कोई सदस्य इस बैठक के कारोबार की किसी मद (मदों) के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहें, तो उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की तारीख को पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रदत्त भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध करवाई जा सकें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रखा जाने वाला सांविधिक रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के स्थान और समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

4. खाली प्रोक्सी फार्म इसके साथ संलग्न है।

5. विधिवत मुहर लगा हुआ और भरा हस्ताक्षरित प्रोक्सी नियुक्त करने संबंधी लिखत, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

एनएसआईसी भवन ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली–110020
वैबसाइट : www.nsic.co.in

क्र.सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन / फैक्स	ई मेल आई डी
1	पंजीकृत कार्यालय	एनएसआईसी भवन ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली–110020	011-26926275, 26926370	info@nsic.co.in
2	जोनल कार्यालय दिल्ली	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, केम्प्स, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली–110020	011 - 40584930 फैक्स - 011-26382350	zodelhinsic@nsic.co.in
3	दिल्ली	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनटीएससी कैम्पस गोविन्द पुरी स्टेशन के पास ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली–110020	011-26382568-69/ 41002319 फैक्स -011-26382568/ 41002319-20	delhinsic@nsic.co.in
4	गुड़गांव	गुड़गांवराष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड प्लाट नं. 69, आई.डी.सी. सेक्टर–16, एम.जी. रोड गुरूग्राम –122001 (हरियाणा)	0124-2308913	bogur@nsic.co.in
5	फरीदाबाद	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 107, निशान हट, एनएच–5,रेलवे रोड, फरीदाबाद–121001	0129 - 2985910/ 2985912/2985911 फैक्स - 0129-4311293	bofaridabad@nsic.co.in
6	नारायणा	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, सीबी–326, द्वितीय तल, रिंग रोड,नारायणा, नई दिल्ली–110028	011-64611484/ 25775787 फैक्स - 64611484	bonaraina@nsic.co.in
7	नोएडा	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ।।।–बी / 118सैक्टर–18,शोपिंग काम्पलैक्स, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)	0120-4595000 to 4595045 ,2511798 फैक्स - 0120- 4556450, 4556453	bonoida@nsic.co.in
8.	देहरादून	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 3 एवं 4 फ्लोर मेय फेयर बिजनेस पार्क नियर होटल ग्लोरी सरहानपुर रोड़ माजरा, देहरादून – 248001	0135-2520501 फैक्स - 2520501	bodehradun@nsic.co.in
9.	आगरा	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 307 / टी–6, तीसरी मंजिल,मारूत प्लाजा,(संजय टाकीज के पीछे) संजय पैलेस, आगरा–282002	0562-2527862, 2525567 फैक्स - 0562-2524842	boagra@nsic.co.in
10.	कानपुर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 112/1, बेनाझाबर रोड़, कानपुर 208002	0512-2535049, 2556379 फैक्स - 0512-2543217	bokan@nsic.co.in
11.	नैनी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद–211009 (उत्तर प्रदेश)	0532-2697218/ 2697050, 2695847 फैक्स - 0532-2697218	boallahabad@nsic. co.in
12	गोरखपुर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा,डीआईसी कैम्पस, गोरखनाथ, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गोरखपुर–273015 (उत्तर प्रदश)	7524043999	rishishukla@nsic.co.in

क्र.सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल आई डी
13	वाराणसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा, मानसरोवर कॉम्पलेक्स, सी–30/35–बी, द्वितीय तल मालदहिया, वाराणसी–221001	542-2370223 फैक्स - 0542-2370223	bovaranasi@nsic.co.in
14	अलीगढ़	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तकनीकी सेवा केन्द्र, ए–1 इंडस्ट्रीयल एस्टेट अलीगढ़, उत्तर प्रदश–202001	9810038916	soaligarh@nsic.co.in
15	जोनल कार्यालय,	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड गुरू गोबिंद सिंह टावर,नियर ढोलेवाल चौक,जी टी रोड़ लुधियाना	0161-2541946, 2530940,2546523 फैक्स - 0161-2531946	zoludhiana@nsic.co.in
16	लुधियाना	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड गुरू गोबिंद सिंह टावर,नियर ढोलेवाल चौक,जी टी रोड़ लुधियाना – 141003 (पंजाब)	0161-2541946/ 2530940/2546523 फैक्स - 0161-2531946	boludh@nsic.co.in
17	चंडीगढ	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बीएसएनएल एडमिन बिल्डिंग सेक्टर 34–ए,पिसीडिली सिनेमा के सामने, चंडीगढ़– 160022	0172-2610537, 2971759	bochd@nsic.co.in
18	जालंधर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, द्वितीय तल, एससीओ पुडा कॉम्प्लेक्स लाडो वाली रोड, जलांधर–144004 (पंजाब)	0181-2292242, 2295533, 6570257 फैक्स - 0181-2299242	bojal@nsic.co.in
19	जोनल कार्यालय बैंगलुरू	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नं. 25 फर्स्ट मैन रोड केएसएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, 6वां ब्लॉक राजा जी नगर, बेंगलुरू–560010	080-23109059/ 23307791/ 23147858 फैक्स - 080-23300070	zobengaluru@nsic.co.in
20	बेंगलुरू	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नं. 25 फर्स्ट मैन रोड केएसएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, 6वां ब्लॉक राजाजीनगर, बेंगलुरू–560010	080-23109059/ 23307791/ 23147858	boban@nsic.co.in
21	बेलगांव	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्लाट नं. 60 अनुजय बिल्डिंग ,5वां क्रास, सुभाष चन्द्रा नगर,फाउन्ड्री कलस्टर बिल्डिंग,नियर उत्सव होटल, बेलगांव–590006	0831-2449922	belgaum@nsic.co.in
22	पीनिया	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, सी– 424, पीनिया इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फर्स्ट स्टेज, पीनिया पुलिस स्टेशन के पीछे, बेंगलुरू–560058	080-28374676/ 28394576/ 28372977 फैक्स - 080-28374676	bopeenya@nsic.co.in
23	कोचीन	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एस–67 जीसीडीए कमर्शियल काम्पलेक्स, मरीन ड्राइव इरनाकुलम, कोच्ची– 682031	0484-2381850/ 2368149/2986107/ 2351440	bococh@nsic.co.in
24	त्रिचुर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (अयानथोले पोस्ट आफिस के सामने) अयानथोले, त्रिचुर – 680003	9895571743	

क्र.सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल आई डी
25	**जोनल कार्यालय हैदराबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 201 203 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़, हैदराबाद–500020	040-27622515 / 27615761 फैक्स - 040-27617777	zohyderabad@nsic.co.in
26	**हैदराबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 203 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़, हैदराबाद–500020	040-27615764 / 27615761/ 27622097 फैक्स - 040-27617777	bohyd@nsic.co.in
27	**हैदराबाद (टीएससी) (बी. ओ)**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,तकनी. की सेवा केंद्र कमला नगर, ईसी।। पोस्ट हैदराबाद–500020	40-27121422, 27126646	botschyd@nsic.co.in
28	**बालानगर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 6–3–144 एण्ड 144/1, तृतीय तल, जहांनारा करीम कॉम्पलेक्स, बाला नगर हैदराबाद–500037,	040-23324769	bobalanagar@nsic.co.in
29	**विजयवाड़ा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, डोर नं. 59ए–8/8–6बी/1, तृतीय तल मेन रोड़ गुरू नानक कॉलोनी, विजयवाड़ा– 520008	0866-2541055 फैक्स - 0866-2545055	bovijayawada@nsic.co.in
30	**विशाखापट्नम**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, डी. नं. 32–6–1/13/49 फ्लैट नं 107 फस्ट फ्लोर एमबीआर लैंडमार्क, शिला नगर, विशाखापट्नम–530012	0891 - 2758554	visakhapatnam@nsic.co.in
31	**जोनल कार्यालय चैन्नई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएसआईसी – सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी बिजनेस पार्क, गिंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एकादुथूगल चैन्नई–600032 (तमिलनाडु)	044-28291943/ 28294541 फैक्स:044-28291943, 28295791	zochennai@nsic.co.in
32	**चैन्नई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड मॉडयूल नं 205 , एनएसआईसी – सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी बिजनेस पार्क बिल्डिंग, गिंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट एकादुथूगल चैन्नई–600032	044-28293347/ 28294541 फैक्स -044-28295791/ 28293347	bochen@nsic.co.in
33	**अम्बाटूर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 309 एसआईडीसीओ–एआईएमए टावर्स, फर्स्ट मेन रोड़, अम्बाटूर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, चैन्नई–600058	044-26243984, 28291292 फैक्स - 044-26246826	boambattur@nsic.co.in
34	**पुडुचेरी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एडमि. निस्ट्रे टिव बिल्डिंग इंडस्ट्रीयल एस्टेट, थट्टानचावड़े पुडुचेरी–605009	0413-2248970, 2248940 फैक्स - 0413-2248970	bopon@nsic.co.in
35	**कोयम्बतूर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1055/10 गौथाम सेंटर,अविनाशी रोड़, कोयम्बतूर–641018	0422-2244618, 2247757 फैक्स - 0422-2247764	bocomb@nsic.co.in
36	**मदुरै**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,74, एडीआर टॉवर प्रथम तल, चावडी, कलवासी थेणी मेन रोड़, मदुरै – 625016	0452-2609992/ 2609993/4984191 फैक्स - 0452 - 2380323	bomadu@nsic.co.in
37	**जोनल कार्यालय कोलकाता**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्लॉट नं. 7/7 एवं 7/8 ब्लॉक सीपी ए सेक्टर 5 सॉल्ट लेक कोलकाता– 700091	033-29861353 फैक्स - 033-22487359	zokolkata@nsic.co.in

क्र.सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल आई डी
38	कोलकाता	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 20–बी, अब्दुल हमीद स्ट्रीट सातवां तल, कोलकाता– 700069	033-22137084/ 22488288 फैक्स - 033-22487359	bocal@nsic.co.in
39	साल्ट लेक	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड प्लाट नं– 7/7 एण्ड 7/8, ब्लॉक–सीपी, सेक्टर–5 साल्ट लेक कोलकाता–700091	033 - 23671471 / 23670155 / 23672416	bosaltlake@nsic.co.in
40	पटना	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, फ्लैट नं 403, चतुर्थ तल श्याम किशोरे होम, राजस्थान रेस्टोरेंट के पीछे डाक बंगला चौराह पटना–800001	0612-2354222/ 3212403 फैक्स - 0612-2354222	bopatna@nsic.co.in
41	कोलकाता	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड लीगल एण्ड रिकवरी सेल कमरा नं– 2/1 द्वि तीय तल, हुडको टावर, न्यू मार्केट, 15 एन, नेली सेनगुप्ता सरनी, लिंडसवे स्ट्रीट कोलकाता–700087	033-22522232	lrcellkol@nsic.co.in
42	जोनल कार्यालय भुवनश्वर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्रथम तल, डीआईसी कैम्पस रसुलगढ़ इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर– 751010	0674-2548875/ 6510189	zobhubaneswar@nsic.co.in
43	भुवनेश्वर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मॉडयूल नं 204 , द्वितीय तल, एनएसआईसी आईएमडीसी, धनपद भवन, आईडीसीओ प्लॉट नं 6, ब्लॉक डी ए मंचेश्वर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर– 751010	0674-2548875, 2549780	bobhubaneswar@nsic.co.in
44	राउरकेला	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्लाट नं. जेजेजे–16, सिविल टाउनशिप राउरकेला–769004	661-2665059 फैक्स - 0661-2664559	rourkela@nsic.co.in
45	जमशेदपुर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, फ्लैट नं. ए2/1, द्वितीय तल,निरोड अपार्टमेंट, एल–रोड़,पी.ओ. एण्ड पी.एस. बिस्तुपुर जमशेदपुर–831001	0657 - 2320068	bojms@nsic.co.in
46	रांची	राश्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उद्योग भवन, औद्योगिक क्षेत्र, कोकर रांची–834001	0651-2543921	nsshoranchi@nsic.co.in
47	बोकारो	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा, प्लॉट नं. 7018 खाता नं. 566, नियर वैभव होटल, बाय पास रोड़, चौस बोकारो 827012	827012-9431923065	bojam@nsic.co.in
48	आईएमडीसी भुवनेश्वर	आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक डी, मंचेश्वर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर–751010	0674-2548875	imdcbbsr@nsic.co.in
49	जोनल कार्यालय गुवा. हाटी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बाय लेन नं. 3 इंडस्ट्रीयल स्टेट,बामुनीमैडम, गुवाहाटी–781021	0361-2960635	zoguwahati@nsic.co.in
50	गुवाहाटी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बाय लेन नं. 3 इंडस्ट्रीयल स्टेट,बामुनीमैडम, गुवाहाटी– 781021	0361-2960631 फैक्स - 9437685426	bogwh@nsic.co.in

क्र.सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल आई डी
51	**इम्फाल**	उप शाखा उरीपोक अकोम लीकाई, इम्फाल (मनीपुर)	0385-2414270	subhashchsingh@nsic.co.in
52	**अगरतला**	आईटीआई रोड़, नियर युबा संघास्था कल्ब, टुवर्डस शिक्षा निकेतन स्कूल रोड़, इंदरानगर,अगरतला, त्रिपुरा – 799006	9411630450	rksaxsena@nsic.co.in
53	**जोनल कार्यालय मुम्बई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 505 पांचवा तल, मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, विंग–बी, गांव मरोल, कार्यालय एम.वी. रोड़, अंधेरी (ई) मुम्बई–400059	022-28500377 फैक्स - 022-28500377	zomumbai@nsic.co.in
54	**मुम्बई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, पी–104, एमआईडीसी खरैना,टीटीसी इंड. एरिया, कोपरखरानै, नवी मुम्बई–400710	022-23740268 फैक्स - 022-23741989	bomum@nsic.co.in
55	**अंधेरी मुम्बई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 5सी2, पांचवा तल ए–विंग गंडेचा आनक्लेव खैराने रोड़, साकीनाका अंधेरी (ई), मुम्बई – 400072	022-2850 9915 / 16 फैक्स - 022-28509917	boandheri@nsic.co.in
56	**नागपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, न्यू सचिवालय बिल्डिंग प्रथम तल, पूर्व विंग, वीसीए स्टेडियम के सामने नियर उरसुला स्कूल सिविल लाइनस नागपुर–40001	0712-2543254, 2552023 फैक्स - 0712-2543255	bonagpur@nsic.co.in
57	**पुणे**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमि. टेड,211/212, द्वितीय तल,टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पुणे–सतारा रोड़,नियर साईबाबा मंदिर, पुणे–411037	020-24273800/ 24274800/48620207 फैक्स - 020-24440546	bopune@nsic.co.in
58	**रायपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 204, द्वितीय तल ब्लाक, ए क्रिस्टिल अक्रडे नियर लोधीपारा चौक, षंकर नगर, रायपुर – 492007	0771-4035388, 4006070	boraipur@nsic.co.in
59	**सीएचएच संभाजीनगर (बीओ)**	प्रथम तल, मॉडयल हाउस, मेस बंगला महावीर चौक के सामने सीएचएच संभाजीनगर – 431005	0240 - 2954395 फैक्स - 0240-2563799	boaurangabad@nsic.co.in
60	**नासिक**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, गाला नं. 13 तृतीय तल,उद्योग भवन,एमआईडीसी सतपुर, नासिक 422007	0253-2365059 फैक्स - 253-2365061	bonasik@nsic.co.in
61	**गोवा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, श्रीजी कॉम्पलेक्स चतुर्थ तल, नियर मनोषांति होटल, डॉ. दादा वैदया रोड़, पणजी–403001	0832-2220540	bogoa@nsic.co.in
62	**जोनल कार्यालय अहमदाबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 202, 203 समृद्धि बिल्डिंग,गुजरात हाईकोर्ट के सामने, अहमदाबाद–380014	079-27543228/27544893/ 27544254 फैक्स - 079-27540159	zoahmedabad@nsic.co.in

क्र.सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल आई डी
63	अहमदाबाद	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 202, 203 समृद्धि बिल्डिंग, साकार–ण्ण् के पास, इनकम टेक्स सर्किल, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014	079-27543228/ 27544893/27544254 फैक्स - 079-27540159	boamd@nsic.co.in
64	इंदौर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 10, पोलोग्राउंड इंडस्ट्रीयल एस्टेट, इंदौर – 452015	0731-2424408/ 2424409/2422248 फैक्स 0731- 2421566	boindore@nsic.co.in
65	भोपाल	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 110, मालवीय नगरप्रथम तल, भोपाल–462003	0755- 4295152/ 2992944 फैक्स - 0755-2553183	bobpl@nsic.co.in
66	जयपुर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएफ/0/2 नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर –302015	0141-2740191/ 2742991/2742372/ 2744899 फैक्स - 0141-2741277, 2740334	bojai@nsic.co.in
67	वीकेआई जयपुर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,513, अलंकार प्लाजा, सेंट्रल स्पाइन,सेक्टर–02 विद्याधर नगर जयपुर– 302039	0141-2231594, 2231573 फैक्स - 0141-2231572	bovkijaipur@nsic.co.in
68	कोटा	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा एसएसआई एसोसिएशन पुरुसारथ भवन, आईपीआईए, रोड़ नं. 5 कोटा–324005	744-2426104	sokota@nsic.co.in
69	वड़ौदरा	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,उप शाखा (जिंक प्रोडेक्ट) सी/ओ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, नियर रानोली फलाईओवर, ब्रिज काराचाइया, वड़ौदरा– 391350	0265-2241430	intikafalam@nsic.co.in
एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र (एनटीएससी) एवं ट्रेनिंग सेंटर (टीसीएस)				
70	अलीगढ़ (एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अलीगढ़–202001	0571-2403552, 2400364	ntsecalig@nsic.co.in
71	चैन्नई (एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, सेक्टर बी – 24, गुंइडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट एक्का. थुगंल पीओ चैन्नई–600032	044-22252335/6/7 फैक्स - 044-22254500	ntscche@nsic.co.in
72	डींडीगुल (एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, शेड 27, 29 एवं 30 सीडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, डींडीगुल दृ तमिलनाडु–624003	0451- 2911165	ntscche@nsic.co.in
73	हावड़ा (एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, जापानी गेट बालटिकुरी हावड़ा– 711113	033-26530304/ 26532962/26534280 फैक्स - 033-26531314	ntschow@nsic.co.in
74	हैदराबाद (एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, कमलानगर ईसीआईएल, हैदराबाद 500062	040-27121422, 27126646, 27134025, 27124597 फैक्स - 040-27122303	ntschy@nsic.co.in
75	नीमका(एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, टीगांव रोड, नीमका, फरीदाबाद–121004	0129-2401101	ntscneemka@nsic.co.in
76	ओखला (एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली–110020	011-26826801, 26826847, 26826846 फैक्स - 011-26826783	ntscok@nsic.co.in

क्र.सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल आई डी
77	राजकोट (एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, भाव नगर रोड, अजी औद्योगिक क्षेत्र, राजकोट – 360003	0281-2387396/97/98 फैक्स - 0281-2387729	ntscraj@nsic.co.in
78	राजपुरा (एनटीएससी)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, डी–82/83, फोकल प्वाइंट, राजपुरा– 140401	01762-232669 फैक्स - 01762-232669	ntsec.rjp@nsic.co.in
79	देवरिया (टीसी)	प्लॉट नं. 18, सोंडा मोजा, नियर मंडी समिति, देवरिया–274001	05568-651120	ticdeoria@nsic.co.in
80	काशीपुर (एलबीआई)	एनएसआईसी ट्रेनिंग कम इंक्यूबेषन सेंटर बी–5 इंडस्ट्रीयल एरिया, बाजपुर रोड़ काशीपुर, डिस्ट्रिक्ट–उद्यम सिंह नगर– 244713	5947-262453	Punitkumar@nsic.co.in
81	मंडी (टीसी)	#210/12, रामनगर (पुलघराट)जिला मंडी– मंडी 175001 (एचपी)	01905-226471	lokeshbhatia@nsic.co.in
82	नैनी (एलबीआई)	एलबीआई–नैनी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, उद्योग नगर, नैनी इलाहाबाद	0532-2697218, 2697050	bonaini@nsic.co.in
83	नवादा (एलबीआई)	प्लॉट नं. 1619, गुरूदेव नगर नियर सरकारी आईटीआई, गोनावा रोड़ नवादा, बिहार–805130	06324-8539038073	lbinawada@nsic.co.in
84	राउरकेला (एलबीआई)	एनएसआईसी दृ लिवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर सेक्टर – 15 राउरकेला, ओडिशा – 769003	0661-2913931	lbirourkela@nsic.co.in
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब कार्यालय (एनएसएसएचओ)				
85	सूरत (एनएसएसएच)	नेशनल एससीएसटी हब शाखा कार्यालय 306, तृतीय तल राजहंस बिल्डिंग जेके टॉवर रिंग रोड़ के सामने, सूरत – 395002	0261-2345733, 4029735	nsshosurat@nsic.co.in
86	आगरा (एनएसएसएच)	यूनिट नं. 202, दुसरा तल सेक्टर–12 ए, पदम बिजनेस पार्क आवास विकास सिकन्दरा योजना आगरा–282007	0562-2603131	nsshoagra@nsic.co.in
87	भुवनेश्वर (एनएसएसएच)	नेशनल एससीएसटी हब षाखा कार्यालय 304 बी, धर्मपदा भवन, तृतीय तल आईडीसीओ प्लॉट नं. 6, तीसरा तल ब्लॉक–डी मनचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर–751010	0674-0674-2580630	nsshobhub@nsic.co.in
88	बंगलुरू (एनएसएसएच)	नं. 6 एवं 7, इस्कोसबिल्डिंग, वेस्ट ऑफ चार्ड रोड, राजाजी नगर औद्योगिक टॉउन बंगलुरू – 560044	080-23147791 / 29777790	nsshoban@nsic.co.in
89	चैन्नई (एनएसएसएच)	एमएसएमई– डीआई, कैम्पस नं. 65/1 जी. एस.टी रोड, गिन्डी, चैन्नई तमिलनाडु–600032	044-48631200	nsshochen@nsic.co.in
90	गुवाहाटी (एनएसएसएच)	औद्योगिक क्षेत्र, बाईलेन नं. 3,बमुनी मेडम गुवाहाटी–781021	0361-2558947	nsshogwh@nsic.co.in
91	हैदराबाद (एनएसएसएच)	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, कमलानगर हैदराबाद – 500062	040-29559801	nsshohyd@nsic.co.in

क्र.सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल आई डी
92	जलुन (एनएसएसएच)	नेशनल एससीएसटी हब गता नं. 212 नियर बंशीधर कॉलेज ओरई जलुन उत्तर प्रदश – 285001	9926071861	nsshojalaun@nsic.co.in
93	कोलकाता (एनएसएसएच)	नेशनल एससीएसटी हब प्लॉट नं.7/7 एवं 7/8, ब्लॉक सीपी, सॉल्ट लेक, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)–700091	033-23672001, 29861253	nsshokol@nsic.co.in
94	लखनऊ (एनएसएसएच)	नेशनल एससीएसटी हब 503, श्रीराम टॉवर, 5 वां तल 13 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001	0522-2288589, 2288803	nssholucknow@nsic.co.in
95	लुधियाना (एनएसएसएच)	नेशनल एससीएसटी हब पहला तल, फ्रंटियर टॉवर, जीटी रोड मिल्लरगंज (फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास) लुधियाना –141003	0161-4100939	nssholudh@nsic.co.in
96	मुम्बई (एनएसएसएच)	नेशनल एससीएसटी हब ऑफिस नं. 505, पांचवा तल, बी विंग मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, गांव मरोल, एम.वी. रोड़, मरोलनका, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–400059	022-49710065 / 23728902	nsshomum@nsic.co.in
97	पुणे (एनएसएसएच)	नेशनल एससीएसटी हब 213, दुसरा तल, पुणे–सतारा रोड, नियर साई बाबा मंदिर, स्वारगेट पुणे–411037	020-48620209	nsshopune@nsic.co.in
98	सिंधुदुर्ग (एनएसएसएच)	राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालय, प्लॉट नंबर–16, नवानगर विकास प्राधिकरण सिंधुदुर्ग नगरी के पास , ओआरओएस जिला, लैंडमार्क बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र, –416812	9673511536	nsshosindhudurg@nsic.co.in
99	बोधगया (एनएसएसएच)/	राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालय आईआईएम गया कैंपस बोधगया	9161449113	iaansari nsic-co-in
100	हैदराबाद (एमबीपी)	मॉड्यूल नंबर 207, कमलानगर, ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद–500062	040-27141422, 27125802	emdbphyd@nsic.co.in
101	एसटीबीपी चेन्नई (एमबीपी)	बी–24, गिंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एक्कादुथंगल, चेन्नई—600032	044-22250444, 22250445 फैक्स - 044-22250343	stpchennai@nsic.co.in
102	एनएसआईसी बिजनेस पार्क	एनएसआईसी बिजनेस पार्क, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली––110020	011-26926275	akc@nsic.co.in
103	स्ट्रैटजिक बिजनेस यूनिट (एसबीयू) नई दिल्ली	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली		opsingh@nsic.co.in
104	स्ट्रैटजिक बिजनेस यूनिट (एसबीडीयू), सूरत	राष्ट्रीय एससी एसटी हब, शाखा कार्यालय 306, तीसरी मंजिल, राजहंस बिल्डिंग, ऑपोजिट जे.के टावर, रिंग रोड, सूरत – 395002	0261 – 2345733 4029735	9810113367

टिप्पणी:

टिप्पणी:

एन एस आई सी
N S I C



मूल्य

सेवा श्रेष्ठता

प्रतिबद्धता

काम और सद्भाव

सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही

हितधारकों की संतुष्टि

एन एस आई सी
N S I C

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली - 110020
दूरभाषः +91-011-26926275 वेबसाइटः **www.nsic.co.in**